खण्ड-468, अंक-7
सोमवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(10 मार्च, 2008 ई0)

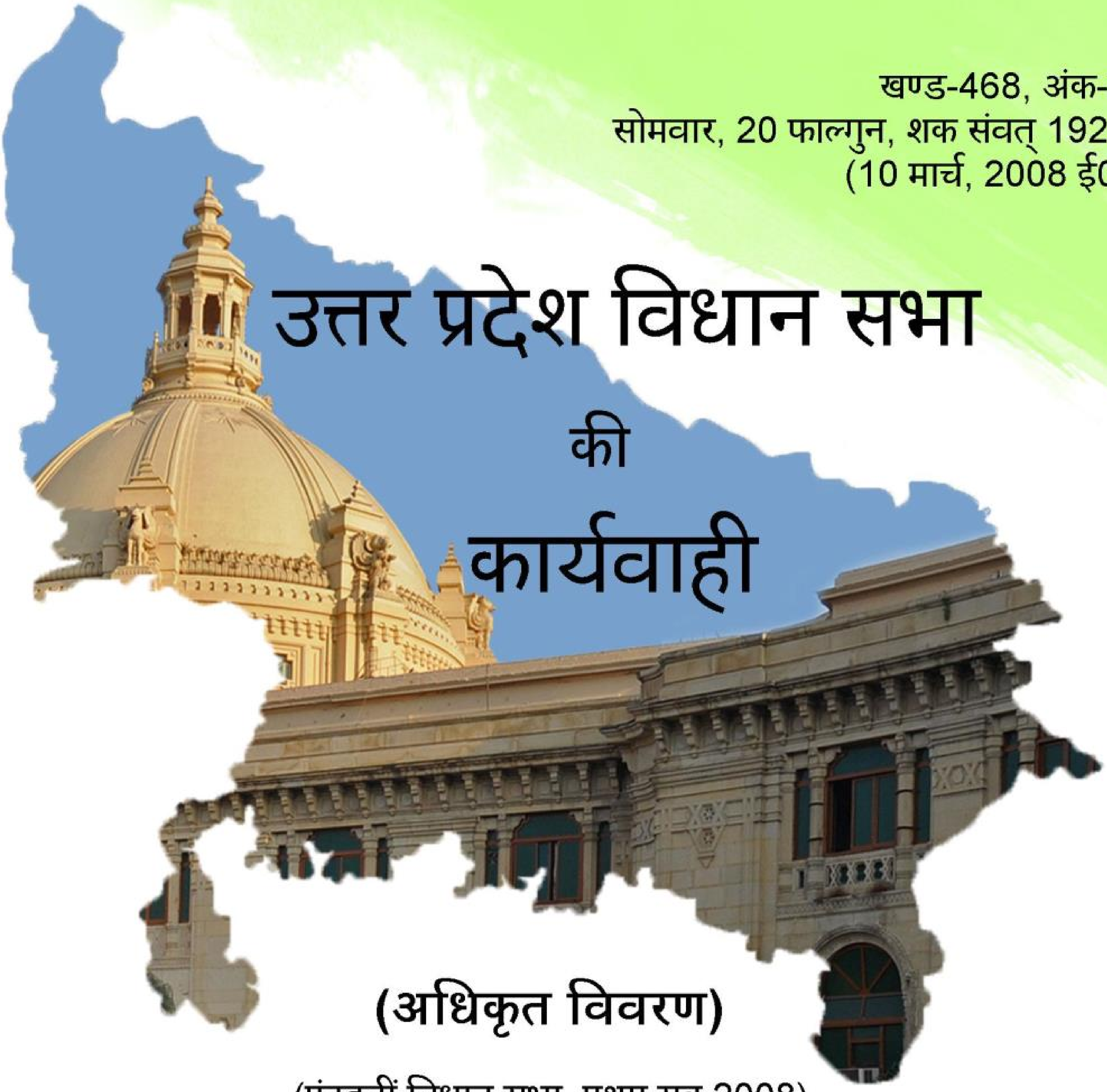

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
रामकोला में गन्ना किसानों पर लाठीचार्ज से सम्बन्धित दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1-3
प्रश्नोत्तर	3-119
वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न का प्रकरण उठाये जाने का प्रयास ...	120-121
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना विषयक आज की कार्यसूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121-122
माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विवाह आदि आयोजनों पर ऊंची आवाज में बजने वाले वाद्ययंत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसकी समय सीमा निर्धारित करने की मांग..... (जारी) ...	123-124
वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध..... (जारी)	124-125
माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विवाह आदि आयोजनों पर ऊंची आवाज में बजने वाले वाद्ययंत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसकी समय सीमा निर्धारित करने की मांग	125-126
वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध ...	126-128
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	128-130
खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुल/रपटा बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
ग्राम-सूजद, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर स्थित वैश्य समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाकर वैश्य समाज को कब्जा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
सीतापुर के बिसवां तहसील मुख्यालय पर परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बागपत की गन्ना विभाग द्वारा बनायी गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने तथा पुनर्निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
फतेहपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत एवं अन्य कतिपय विकास खण्डों में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132
श्री धनंजय सिंह (स्वयं) को सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
मुख्य चिकित्साधिकारी, महामायानगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ के डाक्टरों की लापरवाही से 25 लोगों की मौतों के लिए दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
फैजाबाद नगर में जे0टी0सी0 स्कूल के खाली भवन परिसर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
प्रदेश के 27 जनपदों के जिला विकास अभिकरणों में तैनात ऊर्दू अध्यापकों/कनिष्ठ लिपिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
जनपद सिद्धार्थनगर के भवनापुर विकास खण्ड अन्तर्गत कोहड़वारा सोहना मार्ग से ग्राम फूलपुर से गजपुर महादेव की सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय माइनरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
जनपद आगरा में आगरा-भरतपुर-बिचपुरी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136
मुजफ्फरनगर के ग्राम बघरा में दिनांक 6 मार्च, 2008 को हुए पुलिस एवं ग्रामीणों के संघर्ष की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
लालबाग लखनऊ स्थित आफिसर्स कालोनी की लिफ्ट आदि के रख-रखाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	137-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2005-2006 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	138
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	138
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	138
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	138
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	139
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	139
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	139
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	139-140
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की प्रतिनिहित विधायन समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गांगी नदी पर पुल एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कैलाश राम की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	140
जनपद बलरामपुर में कृषि मण्डी में खाली पड़ी बेकार भूमि में भण्डारण गृह का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्रजीत बहादुर सिंह की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	140
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	140-141
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुनः पारित करने के प्रस्ताव लाने पर आपित्त ...	141

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 (मूलतः पुनः पारित)	142-144
सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों के समय पर नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष के उपस्थित न रहने पर आपत्ति	144-146
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस).... (जारी)	146-215
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	215-219
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	219
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव.....(स्वीकृत) ...	219-220
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	220-222
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला, गोहाण्ड एवं राठ में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में चौ0 धूराम लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	222-223
जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	223-224
जनपद बलरामपुर में गालिबपुर से चमरूपुर मार्ग का पिच निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	225
जनपद उन्नाव के सफीपुर में सरकारी गोदाम में खाद्य सामग्री की कथित कालाबाजारी के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	225-227
जनपद आजमगढ़ के ग्राम सम्मोपुर के डा0 तारिक को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	227-230

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर में ग्राम मनुवागढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	230
जनपद आजमगढ़ स्थित अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग तक के चौड़ीकरण में की गयी कथित अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	230-231
जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज शाखा नहर के कार्य हेतु नियम विरुद्ध दिये गये टेण्डर की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	231-233
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	233-234
जनपद बांदा के खण्डेय पेयजल योजना एवं सभी पेयजल योजनाओं के ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	234
जनपद बलरामपुर में वन विभाग की कीमती लकड़ियों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	234-235
प्रदेश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के 1 अक्टूबर, 1989 से 28 जनवरी, 2004 के मध्य अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	235-236

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा स्थित दतौली शुगर मिल एवं बभनान शुगर मिल द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	237-238
माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक/प्रवक्ता ग्रेड के शिक्षकों के चयन में अनुसूचित जाति के शिक्षकों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	238-239
जनपद आगरा स्थित जमुना किनारे दयालबाग से शमशान घाट बनाने व जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	239-240
जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मैंगलगंज से मढ़िया आश्रम व पुवायां-मोहम्मदी मार्ग की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	240-241
जनपद जालौन (उरई) में नया रामनगर के अजनरी रोड के फाटक के पास रहने वाले जागेश्वर पुत्र श्री कालीचरन की पुत्री कु0 अंगूरी देवी के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	241-242
नत्थियां	243-253

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-353

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीकुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय तोमर, डा0 — बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्त रविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 के0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह	
(ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ	
नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ	
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई

कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बांदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूं
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेद्र सिंह उर्फ	
पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कुमार तिवारी, पंडित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल,श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम , श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोटः-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री श्री कमला कान्त गौतम भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामकोला में गन्ना किसानों पर लाठीचार्ज से सम्बन्धित दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, रामकोला में गन्ना किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजाद जी, ऐसा है, कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया है कि आज नियम-56, 300 तथा 311 में सूचनायें नहीं ली जायेंगी। इसलिये मैं आज कोई सूचना नहीं ले रहा हूं। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को आपने सदन में पारित किया है। आज केवल नियम-51 और 301 की सूचनायें ही ली जायेंगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, रामकोला में किसान शान्तिपूर्ण ढंग से अपना मांग-पत्र देने जा रहे थे। वह निहत्थे थे, उन पर क्यों निर्मम लाठीचार्ज हुआ ? उनकी समस्या है, वह अपनी बात कहने जा रहे थे। वह भी कहने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिये सारे नियमों को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह मामला कई बार सदन में उठ चुका है।

(इस बीच श्री राम विशुन आजाद, डा0 पी0 के0 राय, श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही आदि समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56, 300, 311 की सूचनायें लेना नहीं है। इसलिये नियम-311 में कोई औचित्य नहीं है कि हम इसको लें। आज गृह विभाग का बजट है, उसमें आप लोग अपनी बात कह लीजियेगा। बोल लीजियेगा कि वहां पर अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है।

(वेल से सदस्यों द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर)

पहले प्रश्नकाल होने दीजिये। आप ही लोगों के प्रश्न हैं। आप लोग बैठें। आइये, फिर बात कर लेते हैं। आप पहले प्रश्नकाल होने दीजिये, फिर बैठकर दलीय नेताओं से बात कर लेंगे। प्रश्नकाल के बाद हम बैठ लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(फ्लोर पर आये सदस्य नारे लगाते रहे) (घोर व्यवधान)

प्रश्नकाल के बाद हम दलीय नेताओं को बुला लेंगे। आप ही लोगों का प्रश्नकाल है, जनता से जुड़े हुये तमाम प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिये पहले प्रश्नकाल चलने दीजिये। नारा लगाने से काम नहीं बनेगा, कुछ बातचीत से काम बनेगा। आपने प्रोटेस्ट कर लिया। वह हो गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, दलीय नेताओं के साथ बैठ लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम दलीय नेताओं के साथ बैठ लेते हैं। लेकिन आप लोग प्रश्नकाल होने दीजियें आप लोग अपने स्थान पर बैठिये। आज कार्य-मंत्रणा समिति ने नियम-56, 300, 301 की सिफारिशें न लेने की सिफारिश किया था, जिसे आपने सदन में पारित किया है। इसलिये आज कोई सूचना हमको लेनी नहीं है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इन लोगों के पास कोई इश्यू है नहीं। आज गृह विभाग का बजट है और उस पर इनके पास कहने के लिये कुछ रह नहीं गया है। इसलिये क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपराध नियंत्रण पूरी तरह से करने का काम किया है। इसलिये हल्ला मचाने के अलावा कोई विकल्प इनके पास नहीं है। केवल आज अपनी खिसियाहट मिटाने के लिये यह इस तरह से बात कर रहे हैं।

(वेल में आये हुये सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ लीजिये। प्रश्नकाल के बाद हम दलीय नेताओं के साथ बैठ लेंगे। अगर किसानों की बात है। प्रश्नकाल के बाद हम बैठ लेंगे।

(वेल में आये हुये सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आधे घण्टे के लिये मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, जो लाठीचार्ज हुआ है, मेरा अनुरोध है कि उस पर चर्चा करा दीजिये ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपके चैम्बर में बातचीत में यह तय हुआ कि नियम-51 से सरकार रामकोला के सम्बन्ध में एक बयान दे देगी और इधर के लोग भी अपनी बात कह लेंगे बस बात समाप्त हो जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वहां पर जो लाठी चार्ज हुआ है और वहां से जो खबरें आ रही हैं वह किसानों पर अत्याचार और उत्पीड़न की हैं। उस पर सरकार को अपनी तरफ से एक वक्तव्य देना चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा आपका आदेश होगा, आपके आदेश का पालन होगा।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, क्या आज ही सदन उठने के पहले वक्तव्य आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

हां, आज ही आ जायेगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, अगर कल सबसे पहले वक्तव्य आये तो ज्यादा उचित रहेगा ताकि उसमें पूरी सूचना आ सके।

श्री अध्यक्ष-

कल के लिए भी ठीक है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सरकारी विभागों पर बिजली का बकाया एवं उसे वसूलने के प्रयास

**1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी (अनुपस्थित)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 2008 तक सरकारी विभागों/संस्थानों/उपक्रमों पर बिजली का कितना धन बकाया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में सर्वाधिक बकाया किस सरकारी विभाग पर है ? उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार सम्पूर्ण बकाये की अदायगी हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

(क) दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक रु0 611.82 करोड़ का विद्युत बकाया है।

(ख) उक्त बकाये में सर्वाधिक बकाया जल संस्थान पर रु0 310.98 करोड़ है।

(ग) सम्बन्धित विभाग से अनुश्रवण कर बकाये की धनराशि प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) बकाये की धनराशि शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने से कीमतों की वृद्धि में नियंत्रण हेतु कार्यवाही की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार के संज्ञान में है कि "मूल्य संवर्धित कर प्रणाली" लागू होने के बाद समुचित नियंत्रण के अभाव में खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? क्या कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार कोई कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

"मूल्य संवर्धित कर प्रणाली" में खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा के प्रयोग की लगभग 100 वस्तुओं पर व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में कर की दरें कम की गई हैं इसलिए मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने से कीमतों में वृद्धि होने एवं उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल असर पड़ने का कोई कारण नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर है, वह घोर निराशाजनक, सत्य से परे और मंहगाई से त्रस्त जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि वैट लागू होने से पहले जो आम उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, दाल, आटा, सरसों का तेल, डालडा और अन्य चीजें किस भाव से उपभोक्ता को मिल रही थीं और वैट लागू होने के बाद आज की तिथि में यह चीजें किस भाव से जनता को मिल रही हैं ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य यह पूछें कि पहले टैक्स क्या था अब टैक्स क्या है यह पूछें तब तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, आखिर सरकार कैसे कह रही है कि इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। सरकार को यही तो बताना है कि वैट लागू होने से पहले जिन दरों पर आम उपभोक्ता को वस्तुएं मिल रही थीं आज भी उसी दर पर मिल रही हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि उस दर पर नहीं मिल रही हैं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग 100 वस्तुओं में व्यापार कर जो वाणिज्य कर के नाम से जाना जा रहा है वैट अधिनियम लागू होने के बाद उसमें कर की कमी की गई है। जहां चाय पर 10 प्रतिशत व्यापार कर था आज वैट की दर 4 प्रतिशत है। बर्तन में 5 प्रतिशत था।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी जैसे आप चाय और दूसरी चीजों की दर बता रहे हैं उसी तरह से मा0 सदस्य ने कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में पूछा है कि वैट लागू होने से पहले इनकी दर क्या थी और वैट लागू होने के बाद दर क्या है ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि वैट लागू होने से पहले जिन दरों पर आम लोगों को उपभोक्ता की वस्तुएं मिल रही थीं वह दरें क्या थीं और वैट लागू होने के बाद आज की तिथि में लोगों को किन दरों पर चीजें मिल रही हैं ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक क्रमवार जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जैसे साइकिल का दाम पहले 1500 रुपये हुआ करता था।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

मान्यवर, मेरे पास पूरी सूची है अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे पढ़कर बता दूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं साइकिल का दाम नहीं पूछ रहा हूं। मैं खाने-पीने की चीजें, जो आम गरीब आदमी खाता है, पीता है, उसको जो मंहगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उन चीजों के दाम के विषय में पूछ रहा हूं। मैं नैनो कार का दाम नहीं पूछ रहा हूं कि कितने घट गये ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मुझे बताने की अनुमति देंगे तो मेरे पास पूरी सूची उपलब्ध है। खाद्य पदार्थों में जहां तक मोटे अनाजों का प्रश्न है, सारे कर मुक्त कर दिये गये हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस अहम मुद्दे पर माननीय मंत्री जी दो बार आपके निर्देश के बावजूद बहुत सुनिश्चित प्रश्न पूछने के बावजूद सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं यह उचित नहीं है। स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है और आपने भी निर्देश दिया, आपके निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है इससे दुःखद स्थिति दूसरी नहीं हो सकती। जिन विषयों के बारे में पूछा गया है उसका उत्तर न दे करके दूसरे विषयों का उत्तर दे करके समय लगायेंगे। माननीय मंत्री जी आप स्पेसिफिक बताइये।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक खाद्य पदार्थों का प्रश्न है दाल आज मार्केट में आप पता कर लें दाल की कीमतों में कमी आयी है।

(प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर कि मंत्री जी गलत बता रहे हैं, शोर/व्यवधान)

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, दामों की सूची पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। खाद्य पदार्थों में जो दूध से बने पदार्थ हैं दही उसकी कीमत कम हो गयी है, लस्सी की कीमत कम हो गयी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रश्न है कि वैट लगाने के पहले क्या था और वैट लगने के बाद क्या हुआ ? स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है।

श्री नकुल दुबे-

पता नहीं क्यों परेशान हैं ? यह क्या खाते हैं और हम क्या खाते हैं इसको सुन लें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मंत्री जी पहले आप दाल का दाम बता दीजिए कि वैट लगने के बाद दाल का क्या दाम हो गया है ?

श्री अध्यक्ष-

शादाब फातिमा जी, सबसे अच्छी रसोईया आप ही दिखायी दे रही हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, कृपया आसन ग्रहण करिये। माननीय मंत्री जी जो आप सूचनायें दे रहे हैं, लस्सी, दही, साइकिल के दाम बता रहे हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक कुछ खाद्य पदार्थों-गेहूं, चावल, आटा व दाल के दाम मा0 सदस्य पूछ रहे हैं कि वैट लागू होने के बाद क्या इनके दाम बढ़े हैं और वैट लागू होने के पहले इनके क्या दाम थे ? स्पेसिफिक नाम ले लिया है 4-5 खाद्य पदार्थों का कि वैट का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है, इनके दाम बढ़े हैं या नहीं, पहले इनके दाम क्या थे अब क्या हैं, इन पर क्या टैक्स है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन को यह बताना चाहता हूं कि गेहूं में वैट लागू होने से कर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चावल में वैट लागू होने से कर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दाल में 1 प्रतिशत कर की कमी की गयी है तथा आटा व मैदा पर कोई कर नहीं लगाया है। जब कोई कर नहीं लगा है तो जो पूर्व में व्यापार कर के समय में जो दाम चल रहे थे, वैट लग जाने के बाद वही दाम हैं। वैट के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पिछले एक महीने में सरसों के तेल में 24 रुपये प्रति किलो की बढ़ोत्तरी हुई है पहले 60 रुपये प्रति किलो सरसों तेल था जो अब बढ़कर 84 रुपये प्रति किलो हो गया है। सदन में जितने सदस्य बैठे हैं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के सभी लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डालडा और रिफाइण्ड तेल में पिछले एक महीने में 15 से 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोत्तरी हुई है। शक्कर में तीन रुपये तीन दिन में बढ़ गये। यह वह वस्तुएं हैं जो हम प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हैं। इन वस्तुओं में पिछले दो महीनों में कीमतें बेतहाशा बढ़ी है। व्यापार कर ऊपर से वैट जिस कारण मंहगाई बेतहाशा बढ़ी हैं। क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि मंहगाई नहीं बढ़ने देंगे और मंहगाई बढ़ती है तो इन वस्तुओं को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जनता को उपलब्ध करायेंगे। यह आश्वासन देंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

जो सदस्य ने प्रश्न पूछा उस पर मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि गेहूं, चावल, आटा आदि वस्तुओं पर वैट की क्या स्थिति है इस पर पहले कितना टैक्स था और वैट के बाद कितना टैक्स हुआ। अगर मंहगाई बढ़ी भी है तो उस पर वैट का असर नहीं पड़ा है इसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। मंहगाई किसी अन्य कारण से बढ़ी है। जहां तक टैक्स का सवाल है टैक्स के बारे में उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया। मंत्री जी ने बताया कि कुछ वस्तुओं पर टैक्स शून्य किया गया है उसके बाद भी मंहगाई बढ़ी है तो इसके कारण दूसरे हो सकते हैं। वैट के कारण मंहगाई नहीं बढ़ी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप प्रश्न पढ़ लें क्या सरकार के संज्ञान में है कि मूल्य संवर्धित कर प्रणाली लागू होने के बाद समुचित नियंत्रण के अभाव में खाद्य पदार्थों सहित रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार कोई कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही है ? प्रश्न में है नियंत्रण के अभाव में इसलिए प्रश्नकर्ता ने नियंत्रण की भी जिम्मेदारी मानी है। इसलिए इन दोनों बातों को बतलाने की जिम्मेदारी शासन की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दिल्ली में डीजल पर 12 प्रतिशत टैक्स और उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत टैक्स। मान्यवर, डीजल के दाम बहुत सी चीजों को प्रभावित करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता दिया कि इन खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम किया गया है और कुछ में जीरो किया गया है। इसलिए दाम बढ़ने में वैट का प्रभाव नहीं है अन्य कारण से मंहगाई बढ़ी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है। वैट आपने कम किया या अधिक किया आपने जो किया वह जनता की बेहतरी में किया, व्यापारियों की बेहतरी में किया लेकिन आपके अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं उसका प्रभाव जनता भुगत रही है मेरा प्रश्न यह है कि इन चीजों के दाम को नियंत्रित करने के लिए आम गरीब जनता को, मध्यम वर्गीय जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आपने क्या किया है ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की जिज्ञासा है, मैं पुनः सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अधिकांश वस्तुओं में देखा जाय तो हर जगह वैट के माध्यम से कर की कमी की गई है। अभी माननीय खन्ना साहब कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि सरसों के तेल में वैट लग जाने से कर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। डालडा में कर 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया गया, रिफाइण्ड में 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया गया है। चीनी में शून्य प्रतिशत का कर है। जहां तक दुकानदारों के माध्यम से या डीलर्स के माध्यम से कतिपय वस्तुओं में अनावश्यक रूप से वैट की आड़ में बिना कर लगे हुए वस्तुओं पर अधिक दाम लिया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 26 फरवरी, 2008 को समस्त मण्डलायुक्तों को यह पत्र हमारे विभाग के द्वारा भेजा गया है। मैं तो सभी माननीय सदस्यों का आह्वाहन करता हूं कि आप हमसे एक सूची प्राप्त कर लें जिसमें वस्तुओं के दाम दिये हुए हैं और आपके संज्ञान में कहीं भी इस तरह से आपको लगे कि ज्यादा दाम लिये जा रहे हैं, आप उससे मिलान कर लीजिये और जहां कहीं के भी बारे में आप सूचना देते हैं कि अमुक दुकानदार, अमुक डीलर, अमुक मैनुफैक्चरर इन वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर ले रहे हैं। देखिये उसके खिलाफ 24 घण्टे के अंदर कार्यवाही होती है कि नहीं होती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो बात आ गई, चौधरी साहब, अब क्या है। ओम प्रकाश जी ने प्रश्न किया कि नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे। मंत्री जी ने उल्लेख कर दिया कि इस तरह से एक पत्र मण्डलायुक्तों को जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर भी कहा गया कि अगर वैट की आड़ में दुकानदार/डीलर ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

बढ़ी कीमतों को कन्ट्रोल कैसे करेंगे ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, दूध का दाम बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, अब क्या है, देखिये प्रश्न चौधरी जी का था उस पर पूरी बात आ गई कि कहीं पर भी वैट की आड़ में कीमत बढ़ाकर ली जा रही है, तो आप बताइये, उस पर जांच करवायेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर शोर)

नहीं नहीं, बात आ गई। खन्ना साहब बात स्पष्ट हो गई है। बताया गया है कि टैक्स में कमी की गई है। कहीं वैट की आड़ में कोई ज्यादा कीमत लेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर मंत्री श्री नकुल दुबे द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

(कई सदस्य लगातार अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलते रहे)

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, देखिये यह कुर्सी टूट गई है।

(श्री सोलंकी कुर्सी का बैक उठाकर श्री अध्यक्ष को दिखाने लगे)

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मेरा एक आग्रह सुन लें यह सरकार मूल्य वृद्धि के नियंत्रण के लिए क्या कर रही है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने अगला प्रश्न ले लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मूल्य वृद्धि को रोकने में यह सरकार असफल रही है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार मंहगाई बढ़ा रही है।

श्री अध्यक्ष-

राम बिशुन आजाद जी आप बैठें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

आपने मेरा नाम पुकारा है।

(मा0 सदस्य द्वारा सदन की टूटी हुई कुर्सी का एक हिस्सा हाथ में लेकर दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। इसको दिखवा रहा हूं।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, सीनियर मेम्बर को बोलने में बाधा डाली जा रही है तो मैं भी बाधा उत्पन्न कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

गौरीशंकर जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मूल्य वृद्धि के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है। (सरकार के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार किया)

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मंहगाई बहुत बढ़ रही है यह सरकार मंहगाई रोकने में असफल रही है आलू के दाम पापड़ के दाम बढ़ रहे हैं।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मंहगाई रोकने में यह सरकार असफल रही है इसलिए मंहगाई के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(मंहगाई के विरोध में डा0 पी0 के0 राय ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार किया।)

निगमों, नगर निगमों एवं नगर पंचायतों को संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियां देने पर विचार

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार महानगर निगमों, नगर निगमों एवं नगर पंचायतों को संविधान की 12वीं अनुसूची के प्राविधानों के अनुरूप शक्तियां देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। 12वीं अनुसूची में प्रदत्त 18 विषयों में से 14 विषयों की उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 में वर्णित अनिवार्य कृत्यों में प्राविधानित किया जा चुका है। शेष 04 विषयों को चरणबद्ध रूप से निम्न प्रकार लागू किया जाना प्रस्तावित है :-

विषय	प्रस्तावित अवधि
1-नगरीय नियोजन	2011-12
2-भू-उपयोग एवं भवन निर्माण	2011-12
3-आर्थिक एवं सामाजिक विकास	2009-10 से 2010-11
4-अग्निशमन सेवायें	2009-10 से 2011-12

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, भारत का 74वां संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 243 के अनुसार जिसको एक वर्ष के अन्दर पूरे भारत के सभी राज्यों में इसको लागू करना था। जिसमें नगर निकायों को 12वीं अनुसूची में जो विषय दिये गये हैं 18, उसमें उनको पूर्ण रूप से प्राधिकृत करना था। इसमें मुख्य रूप से जो 12वीं अनुसूची के विषय हैं नगर नियोजन, भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण आर्थिक एवं सामाजिक विकास यह तीनों मुख्य बिन्दु हैं। जिसमें नगर निकायों को पूर्ण स्वायत्ता मिलनी थी जिससे उनको वित्तीय अधिकार भी मिलने थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मान्यवर, 15 साल हो गये अभी तक यह अधिकार नहीं दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नगर नियोजन 2011-2012 तक लागू होगा। भू-उपयोग भवन निर्माण भी 2011-2012 तक लागू होगा। आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास भी 2009-2010 तक लागू होगा। तो मान्यवर, 2011-2012 तक लागू करने के लिए इनके पास क्या योजनायें हैं ? क्या कारण हैं जो इसको इतनी देर से लागू करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक 74वें संविधान संशोधन का प्रश्न है। मैं मा0 सदस्य को यह अवगत करना चाहता हूं कि चूंकि प्रदेश में समस्त नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर निकाय आज लगभग-लगभग 80-90 प्रतिशत नगर निकाय का शासन द्वारा प्राविधानित धन के माध्यम से ही उनका कार्य चल रहा है और बहुत कम ही नगर निकाय आज ऐसे हैं जो स्वायत्तता की ओर बढ़ पाए हैं या स्वयं स्वायत्त हैं। चूंकि प्रदेश की सरकार स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास करती है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का स्पष्ट निर्देश है, 74वें संविधान संशोधन के सम्बन्ध में और सरकार भी इसके बारे में बहुत गम्भीर है, इसलिए इसमें से 14 संशोधन लागू किये जा चुके हैं,

जिनको हम लोग बहुत गम्भीरता से कर रहे हैं। जहां तक जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा कि भू-उपयोग एवं भवन निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यह बहुत ही व्यापक प्रश्न हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में प्राविधानित हैं, यह ऐसे आइडियल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको इतनी आसानी से लागू किया जाना सम्भव नहीं है, फिर भी हमारी सरकार, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि हम 74वें संविधान के संशोधन को सन् 2012 तक किसी भी कीमत पर पूरे उत्तर प्रदेश के एक-एक नगर निकाय में लागू कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं नगर विकास मंत्री जी से पूरी भूमिका बनाते हुए कि इसका उद्देश्य ही यही था, जो इसका संशोधन हुआ था कि चाहे जिला पंचायत हो, यहां प्रश्न नगर पंचायत का है, नगर निगम का है, वह आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, जिससे उस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन हों। मान्यवर, मैं नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक ये तीन बिन्दु-नगर नियोजन, भू-उपयोग एवं भवन निर्माण, जब तक ये 12वीं सूची में नहीं आयेंगे तब तक नगर निगम बिना सरकारी बैसाखी के चल नहीं सकती है। उनका किसी भी हालत में अपने पैरों पर खड़ा होना सम्भव नहीं है और वह अगर चल रही हैं तो निश्चित रूप से आज वह सरकार के आर्थिक अनुदान से चल रही हैं, आर्थिक सहायता पर चल रही हैं। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि 2007 में विधान सभा के चुनाव हुए, 2012 तक लक्ष्य रखा गया है, यानि यह जानबूझ कर 2011-2012 इस लिए कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूरे हो जायें और विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाय, तब आपने सोचा है कि इनको अधिकार देंगे। चूंकि आपका लक्ष्य है नगरीय नियोजन का 2011-12 का और इस विधान सभा का जीवनकाल भी 2012 तक है। उसी तरह भू-उपयोग एवं भवन निर्माण, 2011-12 तक है, यानि इस विधान सभा के जीवन के बाद ही उस पर विचार किया जायेगा। इसी तरह मान्यवर, मुख्य बिन्दु हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ कर सरकार नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देना चाहती है जिससे वह सपना राजीव गांधी का पूरा न होने पाये। मैं इस सन्दर्भ में आपके माध्यम से एक बहुत सी (गौरी शंकर एडवोकेट के आने पर), गौरी शंकर जी ठीक है न, सुरक्षित हैं, न ? (हंसी), मेरा मतलब यह था कि आप आ गये हैं, मेरा साथ दे दें। अपना अधिकार सुरक्षित है या नहीं है ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

हम तो सुरक्षित क्षेत्र से ही हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

अच्छा, ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कोई आशय ऐसा नहीं है, यह बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने लक्ष्य 2012 तक रखा है इसको घटाकर आगामी वर्ष तक यह अधिकार सौंपने का काम करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी के प्रश्न के जवाब में यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भले ही साठ साल के बाद ही सही सन् 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी है, इस सरकार का कार्यकाल फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है चाहे यह 2012 हो या 2020 हो। यह सरकार चलती रहेगी। जहां तक सरकार के कार्यकाल का प्रश्न है यह सर्वजन हित की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष, जाति या दल की सरकार नहीं है और इसका कार्यकाल अन्त तक रहेगा। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे यह चौदह बिन्दु हैं, जिनको लागू किया गया है इनको कृपा पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत से जनहित, जैसे पार्किंग स्थल का निर्माण, बस स्टाप के बारे में जन सुविधाओं का निर्माण ये पूर्व में नगर निगम अधिनियम में प्राविधानित है। इसी तरह से काजी हाउस, गन्दी बस्तियों का उन्नयन, निर्धनता को कम करना, नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे कि पार्किंग स्थलों, खेल के मैदानों को सुनिश्चित करना भी है। आदरणीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे कार्य इस ओर तीव्र गति से चल रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस ओर तीव्र गति से बढ़ते रहेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नगरीय वानिकी, गरीबी उन्मूलन, गन्दी बस्ती सुधार योजना यह सब पहले लागू हो चुकी हैं। मान्यवर, नगर निगमों में उत्तर प्रदेश के 6 महानगर हैं, इसमें जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन के अन्तर्गत कार्य होना है। मान्यवर, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक चौहतरवें संविधान संशोधन नहीं लागू होंगे तब तक वह पैसा नहीं देगी। मान्यवर, सारे कार्यक्रम जो कार्य सूची में हैं और जो उत्तर प्रदेश के संशोधन अधिनियम 12 के अन्तर्गत प्राप्त भी हो गये हैं, वह लागू नहीं हो पायेंगे। इसलिए जो इसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात है यह तो बारहवीं अनुसूची का है, महायोजना समिति अभी आपने नहीं बनायी। मान्यवर, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संसद से लेकर गांव तक और नगर तक की गलियों तक वह जाय। भाग्य से या दुर्भाग्य से तीन बार बहन मायावती जी की सरकार आयी और भी सरकारें आयीं, लोकतांत्रिक सरकारें आयी हैं किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नगर निकाय स्वायत्तशासी नहीं बल्कि पंगु बनाकर रख दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 2011-12 का लक्ष्य रखा गया है क्या आप इससे पहले इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत, वैसे तो उत्तर प्रदेश इस योजना में पीछे था लेकिन जब से वर्तमान सरकार आयी 2007 में, हमने प्रयास किया है और आज हमारा प्रदेश पांचवें स्थान को प्राप्त कर गया है। जहां तक इस योजना का प्रस्ताव है मैं इस पर विचार कर लूंगा।

जनपद वाराणसी में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़ितों के प्रति पुलिस का व्यवहार मानवीय बनाने हेतु कार्यवाही

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़ितों के प्रति पुलिस का व्यवहार मानवीय बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही सरकार अमल में लायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

वाराणसी में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पीड़ितों के प्रति पुलिस के व्यवहार को मानवीय बनाये जाने हेतु सतत् प्रयास किया जाता है। दविश देकर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। सक्रिय अपराधियों/विभिन्न माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रत्येक थाना स्तर पर चौराहों/गलियों/सार्वजनिक स्थानों पर पिकेट/गस्त/चार पहिया वाहन (चीता मोबाइल)/दो पहिया वाहन (रोमियों मोबाइल) की व्यवस्था की गयी है। जनपद स्तर पर एस0ओ0जी0 टीम का गठन किया गया है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1047/छः-पु0-3/2007, दिनांक 20 मई, 2007 द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के समस्त जोनल/परिक्षेत्रीय/जनपदीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये हैं। पीड़ितों के प्रति पुलिस का व्यवहार मानवीय होने के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को गोष्ठी करके समय-समय पर उन्हें भली भांति निर्देशित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस के अमानवीय होने का प्रश्न है, वह कोई इसी सरकार पर आरोप नहीं है यह तो समय-समय पर जितनी भी सरकारें आती रही हैं उनको यह बताना पड़ता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी राज्य का जो कानून बना हुआ है

वह जनता के दमन के लिए बना था और आज भी उसी कानून के तहत सरकारें काम ले रही हैं जिसका परिणाम है कि अवांछित तरीके से लोगों का दमन पुलिस द्वारा किया जाता है और आज एक प्रकरण पर सरकार को अभी वक्तव्य भी देना है। लोगों का कहना है कि अवांछित तरीके से लोगों का उत्पीड़न हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने एस0ओ0जी0 टीम के गठन का हवाला दिया है। क्या सरकार के संज्ञान में है कि एस0ओ0जी0 टीम के सदस्य ही अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं। अगर आप बता सकें तो कृपा होगी। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक वाराणसी का सवाल है वह खाली वाराणसी ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश में सरकार स्वीकार न करे यह अलग बात है लेकिन अपराधों में बहुत अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हुई है। वैसे ही जैसे कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं बढ़ोत्तरी हुई है तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे जहां तक सिर्फ मैं वाराणसी का सवाल करता हूं कि वाराणसी में इस सरकार के आने के बाद से क्या अपराधिक घटनाओं में कोई तुलनात्मक कमी आई है ? आप बता पायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 13-05-2007 से 29-02-2008 तक का तुलनात्मक है, पिछले वर्ष का और इस वर्ष का। 13-05-2007 से 29-02-2008 तक और उसके एक वर्ष पहले इसी अवधि का संगीन अपराध में कमी-डकैती में कोई कमी नहीं है। लूट में 43.2 प्रतिशत, हत्या में 2.2 प्रतिशत, बलवा में 30.6 प्रतिशत, रोड होल्डप में, वाहन चोरी में 1.9 प्रतिशत अपहरण में 10.3 प्रतिशत, दहेज हत्या में 4.2 प्रतिशत, बलात्कार में 12.5 प्रतिशत, इस तरह से मान्यवर, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी, हत्या में 40.0 प्रतिशत, बलात्कार में 12.5 प्रतिशत, अपहरण में 11.5 प्रतिशत, दहेज हत्या में 4.2 प्रतिशत, यह कमी आई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है अपितु जो पुलिस का व्यवहार है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और उससे जो आम जनता को कष्ट होता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। आपने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषित किया कि हर प्रकार की आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट अवश्य लिखी जायेगी।

मान्यवर, और जनता अगर पीड़ित होती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो उन्होंने कोई विशेष व्यवस्था भी की है कि मुख्य मंत्री स्तर पर भी रिपोर्ट लिखी जायेगी। मान्यवर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबको अक्सर यह सिफारिश करनी पड़ती है कि उनकी रिपोर्ट लिख ली जाये। पुलिस रिपोर्ट लिखना नहीं चाहती है और अपराध को घटाकर प्रदर्शित करना चाहती है। जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि इसमें इतना प्रतिशत घटा है। डकैती में उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई घटोत्तरी नहीं हुई है यानि कि बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, पुलिस में अपराधों को घटाकर दर्शाने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने की कोई आपकी विशेष योजना है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट रूप से कार्यवाही की गयी है और समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में जो एफ0आई0आर0 है उसका पंजीकरण किया जाये और यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी अधिकारी के कार्यों की समीक्षा इस आधार पर भी होगी कि पंजीकृत किये गये कितने मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है और उसी आधार पर उनकी इंट्री देने, पुरस्कार देने या अन्य बातों की समीक्षा की जायेगी। यह निर्णय लेने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसका परिणाम है कि शत प्रतिशत अपराधों के पंजीकरण का काम हो रहा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, रिपोर्ट लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है इसका टेस्ट जो 156/3 के तहत जो मुकदमें लिखे जाते हैं उसमें यह देखकर किया जा सकता है कि कितने अदालत के आदेश पर दर्ज हुए हैं और कितने पुलिस ने अपने आप दर्ज कर लिये हैं। क्योंकि पुलिस द्वारा न लिखे जाने पर ही लोगों को अदालतों में दौड़ना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में कमी लाने पर सरकार कोई व्यवस्था करे। यही नहीं, अदालतों के आदेश के बाद भी महीनों दौड़ना पड़ता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये और आईजी से जन प्रतिनिधियों को सिफारिश करनी पड़ती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मामलों का पंजीकरण शत प्रतिशत किया जाये। मान्यवर जो 156/3 की बात है, वह आपके भी संज्ञान में है कि बहुत से लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं और सीधे दरख्वास्त लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। बहुत सी घटनायें हुई रहती नहीं हैं इस लिए यहां आनाकानी करते हैं। रजिस्ट्री करके दरख्वास्त भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के शस्त्र लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों के निस्तारण की समयसीमा निर्धारण के दिशा-निर्देश

*4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित करने की रूपरेखा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

आयुध अधिनियम 1959 तथा नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था प्राविधानित नहीं है। व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी पूर्व शासनादेशों का समावेश करते हुए शासनादेश संख्या-1984आर/छः-पु-5-6-678/96, दिनांक 03 जून, 1998 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण के रोक-थाम के उपाय

*5-श्री हुकुम सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवाह समारोह तथा अन्य धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों पर तीव्र गति एवं ऊंची आवाज में बजने वाले डी0जे0 आदि यंत्रों से भारी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के कार्य में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ध्वनि प्रदूषण को रोकने/नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, बनारस, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद आदि में परिवेशीय ध्वनि गुणता के अनुश्रवण का कार्य कराया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एवं शान्त क्षेत्रों में ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है। सभी शहरों में दिन के समय का ध्वनि स्तर रात्रि के समय के ध्वनि स्तर से अधिक पाया गया है। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वनि प्रदूषण के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 प्रख्यापित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन हेतु क्षेत्रों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शान्त क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में प्रवर्गीकृत किया गया है। इसमें अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आस-पास कम से कम 100 मीटर तक के क्षेत्र को शान्त क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित किये जाने का

प्रविधान है। ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समस्त जनपदों में उड़नदस्तों का गठन भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 20-2-08 को तारां0 प्र0 सं0-17 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ शहर के उदयगंज रोड पर सुअरों के पकड़ने का अभियान

*7-श्री मदन भैया-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर निगम लखनऊ को पिग कैचर उपलब्ध हो गये ? यदि हां, तो जुलाई, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक लखनऊ शहर के उदयगंज रोड पर कितनी बार सुअरों को पकड़ने का अभियान चलाया गया तथा कितने सुअर पकड़े गये ? क्या यह सत्य है कि अभी भी वहां सुअर खुलेआम विचरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त अभियान कब चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उक्त अवधि में अभियान नहीं चलाया गया।

सुअर पालकों द्वारा सुअर वाडों से सुअरों को छोड़ने के कारण कभी-कभी उक्त स्थल पर सुअर दिखाई देते हैं।

छुटटा सुअरों को पकड़ने हेतु टेण्डर का प्रकाशन किया जा चुका है। पिंग कैचर उपलब्ध होने के उपरान्त त्वरित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रशिक्षण हेतु निःशुल्क शिक्षा देने की मांग

*8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेजों एवं प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में कार्य करने के लिये प्रतिवद्ध छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये शत-प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा देने की नीति पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेजों में छात्रों के पठन-पाठन एवं उनको प्रशिक्षित किये जाने में होने वाले व्यय के दृष्टिगत उक्त को निःशुल्क किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधान सभा सदस्यों को हैण्डपम्प पेयजल आपूर्ति हेतु दिये जाने की मांग

*9-श्रीमती प्रेमलता कटियार

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा सदस्य को 225 हैण्डपम्प पेयजल आपूर्ति हेतु दिये गये हैं परन्तु नगरीय क्षेत्र के विधान सभा सदस्यों को इससे वंचित रखा गया है ? नगरीय क्षेत्र की पेयजल की कठिनाई को देखते हुए इन्हें भी शामिल करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा सदस्य का 225 हैण्डपम्प पेयजल आपूर्ति हेतु दिये गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी मा0 विधान सभा सदस्यों द्वारा चयनित सूची प्राप्त होने तथा सम्बन्धित नगर निकाय से ऋण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन की व्यवस्था है। जिन मा0 सदस्यों के प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय निकाय की संस्तुति के साथ प्राप्त होते हैं, उन पर नियमानुसार विचार कर धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ की सई नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना की जानकारी

*10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से गुजरने वाली सई नदी को प्रदूषण मुक्त एवं लोगों के स्नान हेतु जल सुनिश्चित किये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 में अभी तक गंगा, यमुना एवं गोमती नदियों के प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य कराये जा रहे हैं। सई नदी राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, परन्तु प्रतापगढ़ नगर हेतु नागर जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानित लागत रु0 1578.42 लाख की सीवरेज योजना स्वीकृत है।

प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*11-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाली वर्तमान धनराशि को बढ़ाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूदू प्रसाद)-

जी नहीं।

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र पोषित योजना है। आवास की लागत की धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः प्रकरण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

*12-डा0 अनिल चौधरी-

[4थे मंगलवार के तारां0प्र0सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के स्थानीय निकायों में पब्लिक हेल्थ मैनुअल के मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग

*13-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के स्थानीय निकायों में हेल्थ मैनुअल ऐक्ट के मानकों के आधार पर पद सृजित कर सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियमित भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्तमान में स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सफाई कार्मिकों की वर्तमान में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पब्लिक हेल्थ मैनुअल के मानक के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करने एवं कतिपय शहरों/निकायों में सफाई व्यवस्था निजीकरण के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में क्रमशः शासनादेश संख्या-4140/9-1-06-66सा/2001 टी0सी0, दिनांक 26-8-05 एवं शासनादेश संख्या-174/नौ-1-06-66सा/2001 टी0सी0, दिनांक 3-2-2006 तथा शासनादेश संख्या-1033 (1)/9-1-06-66सा/2001 टी0सी0, दिनांक 9-5-2006 निर्गत है। सम्प्रति नियमित पदों का सृजन विचाराधीन है।

प्रदेश में अग्नि शमन विभाग के आधुनिकीकरण की योजना सम्बन्धी जानकारी

*14-श्री अनूप सण्डा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्नि शमन विभाग के आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? सरकार इस योजना पर अमल कब से प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

प्लास्टिक थैलों से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय

*15-डा0 पी0 के0 राय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग से बढ़ते प्रदूषण को रोकने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। इस हेतु उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचड़ा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया जा चुका है। शासनादेश संख्या-3393/9-7-05-111 रिट/98, दिनांक 21 जुलाई, 2005 द्वारा प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने अधिकारिता में नियम के प्रतिकूल प्रयोग हो रहे कैरी बैग्स/पात्रों के उपयोग एवं निस्तारण को नियंत्रित करने हेतु प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं स्थानीय निकाय द्वारा कई चरणों की कार्य योजना बनायी गयी है। कार्य योजना के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में स्थित पालीथीन फैक्ट्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना एवं 20 माईक्रान से कम मोटाई के पालीथीन के निर्माण एवं पुनः चक्रित पालीथीन के निर्माण वाली फैक्ट्रीज को बन्द कराये जाने एवं अन्य कार्य कराये जाने की चरणबद्ध योजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान, आगरा द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति

*16-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान आगरा द्वारा शहर में पाईप लाईन द्वारा आपूर्ति किये जाने वाला पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जल संस्थान आगरा द्वारा शहर में की जा रही जलापूर्ति स्टेट हेल्थ इन्स्टीट्यूट उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से पेय योग्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से इन्दिरा आवास दिये जाने की मांग

*17-श्री लालजी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से इन्दिरा आवास दिये जाने का प्राविधान पिछली सरकार में था ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा उक्त प्राविधान समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पूर्व की भांति उक्त निधि से

इन्दिरा आवास दिये जाने पर सरकार पुनः विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की मोती झील में अतिक्रमण को हटवाने की मांग

*18-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में स्थित मोतीझील अतिक्रमण के कारण छोटी होती चली जा रही है ? क्या सरकार उस अतिक्रमण को हटवाकर मोतीझील को विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद लखनऊ में तालाबों एवं झीलों पर अनाधिकृत कब्जों को रोकने तथा हटाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या-3413 (एम/एस)/2006, राजेन्द्र बनाम एडिशनल कमिश्नर गोण्डा एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-1-07 के अनुपालन में एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ या उनके प्रतिनिधि सचिव, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। उक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार तालाबों एवं जलाशयों का आस्तित्व सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में पारित आदेशों का अनुपालन समिति सुनिश्चित करायेगी तथा अवैध निर्माण को रोकवाने के लिये यथोचित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लैम्प की चिमनी पर वाणिज्य कर माफ करने की मांग

*19-श्री अशोक कंसल-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लालटेन की चिमनी टैक्स मुक्त है लेकिन लैम्प की चिमनी पर वाणिज्य कर लागू है ? क्या लैम्प की चिमनी पर भी टैक्स माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2008 से लागू उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (वैट) की अनुसूची-2, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-61 में 'हरीकेन लालटेन, कैरोसिन लैम्प/लालटेन, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी एवं इनके सहायक पुर्जे एवं संघटक पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है।

उक्त से स्पष्ट है कि लालटेन एवं लैम्प की चिमनी की कर देयता में कोई अन्तर नहीं है। लैम्प की चिमनी पर टैक्स माफ करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद आगरा में फ्लोराइड युक्त पानी को साफ कर पीने योग्य बनाये जाने की योजना

*20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में फ्लोराइड युक्त पानी को स्वच्छ कर पीने योग्य बनाने हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत की गयी है ? यदि हां तो वह योजना क्या है ? क्या उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं, परन्तु जनपद-आगरा में फ्लोराइड प्रभावित कुल 19 बस्तियों में से खासपुर मुस्तकिल नामक एक बस्ती को सिकन्दरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित किया गया है।

शेष 18 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों के प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं जिसमें से 09 बस्तियों से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

शेष 09 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों के प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा में ग्रामीण पेयजल समूह योजनान्तर्गत बन्द पड़ी योजना को चलाने की मांग

1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के कितने गांवों में ग्रामीण पेयजल समूह योजना संचालित हैं ? इनमें से कितने गांवों में योजना सुचारु रूप से तथा कितने गांवों में आंशिक रूप से चल रही है ? कितने गांवों में पूर्ण रूप से बन्द हैं ? जिन गांवों में योजना आंशिक व पूर्ण रूप से बन्द पड़ी हुई हैं, वहां योजना को चलाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

आगरा जनपद के 516 ग्रामों में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाएं संचालित हैं।

370 ग्रामों में पेयजल योजनायें नलकूपों के 15 वर्ष पूर्व का होने के कारण तथा भूगर्भ जल नीचे जाने के कारण पूर्ण रूप से बन्द है। 146 ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से चल रही हैं।

जी हां।

धनराशि की उपलब्धता के अनुसार बन्द पड़ी योजनाओं को चलाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड छपिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार अवस्थी द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी-पत्र

2-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार अवस्थी के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-07, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 7-7-07 की जांच महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव से करायी गई। जांच अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अलगनगढ़, सोनिक ओरहर व कोरारी खुर्द में श्री आलोक कुमार अवस्थी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच की गयी एवं जांच में उक्त ग्रामों में कराये गये कार्यों को संतोषजनक पाया गया। वृक्षारोपण के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों में लगाये गये पेड़ सूख गये हैं।

जांच अधिकारी द्वारा एक स्कार्पियो, एक मारुती कार तथा एक मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलान मूल अभिलेखों से कराते हुए अवगत कराया गया है कि स्कार्पियो एवं मारुति कार श्री आलोक कुमार अवस्थी की माता जी के नाम तथा मोटर साइकिल श्री आलोक कुमार अवस्थी के नाम पंजीकृत है। श्री अवस्थी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोरारीकला में अध्यापक हैं एवं आयकर श्रेणी में आती हैं तथा उनके पिता बैंक में सेवारत हैं व भाई अध्यापक हैं। आवास विकास कालोनी उन्नाव में स्थित मकान उनके पिताजी के नाम पर है तथा उनका पैतृक ग्राम सरवन है जहां पर पैतृक मकान एवं भूमि है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में जल भराव की समस्या के निराकरण के उपाय

3-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र की नव विकसित आबादी की भूमि पूर्व में ईंट भट्ठों के प्रयोग में होने के कारण निरन्तर

जल जमाव की स्थिति बनी रहती है जिससे निवासियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त जल जमाव से निपटने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत क्षेत्र/आबादी अविकसित क्षेत्र है। ईट भट्ठों के प्रयोग में लायी गयी भूमि होने के कारण आबादी गड्ढे में अवैध रूप से बसी है जिसके कारण वर्षाकाल में जब भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तब उसे कानपुर नगर निगम द्वारा बाहर निकाल (Drain out) दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के नई शिवली रोड तिराहे के पनकी मन्दिर तक रोड कटिंग के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

4-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में कल्यानपुर नई शिवली रोड तिराहे से पनकी मंदिर तक भारी वाहनों हेतु प्रयोग हो रही सड़क जो निर्माण हेतु तोड़ी गई, आज तक नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूरा करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत सड़क गंगा बैराज ईकाई उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिये फीडर मैन बिछाने हेतु रोड कटिंग की गयी थी। कटिंग किये गये भाग में खड़न्जा बिछाया गया था।

शासन के पत्र सं0-532/9-7-07-14 के/05, दिनांक 5-2-07 द्वारा इस सड़क का अनुरक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग, कानपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखर नाथ धाम के परिसर में बने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की मांग

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बेलखर नाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ के परिसर में बने आवासीय, अनावासीय भवनों, चहारदीवारी, सी0सी0 रोड तथा अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा कार्य स्वीकृत करने में अपनायी गयी विधिक प्रक्रिया एवं कार्य करने वाले ठेकेदारों के नाम व पते वर्ष 2003 से अब तक क्या हैं ? क्या कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ब्लाक बेलखरनाथ धाम में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया गया है तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित निर्माण सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया यथा टेण्डर प्रणाली द्वारा कराये गये हैं। निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	ठेकेदार का नाम	पता
1	श्री संतोष कुमार मिश्र	ग्रा0 व पो0 सिंगटी खालसा, जिला प्रतापगढ़
2	श्री अली अहमद	ग्रा0 व पो0 करनपुर खूजी, जिला प्रतापगढ़
3	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ल	ग्रा0 व पो0 निधि पट्टी भोजेमऊ, जिला प्रतापगढ़

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए राज्य पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल 31-12-07 तक था ? क्या इसकी संस्तुतियां सरकार को प्राप्त हो गयी हैं ? क्या मुख्य मंत्री उन संस्तुतियों के प्रमुख बिन्दु बताने की कृपा करेंगे ? क्या इन बिन्दुओं को सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

सुश्री मायावती-

जी हां, हालांकि आयोग का कार्यकाल अग्रेतर दिनांक 30-6-2008 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार को आयोग की मात्र अन्तरिम संस्तुति प्राप्त हुई है।

आयोग द्वारा पुलिस सुधार के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-310/96 प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22-9-2006 के अनुपालन की संस्तुति की गयी है।

इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के गांव पंचायत बगही में आवंटित इन्दिरा आवास की जानकारी

7-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के गांव पंचायत बगही में वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2007-2008 में अपात्रों को

इन्दिरा आवास आवंटित कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आवंटित इन्दिरा आवास के लाभार्थियों का सत्यापन कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अपात्रों को आवास आवंटन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम पंचायत बगही में वर्ष 2006-2007 में 1 तथा वर्ष 2007-2008 में 31 पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में जल आपूर्ति

8-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में पुराने कानपुर के नाम से चर्चित क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त जल आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या कोई समुचित कार्य योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[दिनांक 03-3-08 को अता0प्र0सं0-80 द्वारा उत्तरित]

कानपुर महानगर के जाजमऊ नाले की सफाई कराये जाने की मांग

10-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत आने वाला सीसामऊ नाला, जो मोहल्ला जरीब चौकी से भैरोघाट तक जाता है, की सफाई न होने के कारण बरसात के दिनों में गन्दा पानी व कीचड़ सड़क पर बहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले को साफ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां। बरसात के पूर्व नाले की सफाई करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम में चयनित करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0- एम-170496/2007, दिनांक 3-10-07 जो प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास को भेजा है और जो प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के 6 ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम में चयनित करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

जी हां।

उक्त पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी मेरठ से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त पत्र में जिन 06 ग्रामों को डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित करने की अपेक्षा की गयी है, वे पूर्व से ही डा0 अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित हैं। अतएव उन्हें पुनः चयनित करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की पशु वधशाला की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

12-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-10-2007 जो कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम- 170371/2007 पर दर्ज है जोकि पशु वधशाला मेरठ की जांच सम्बन्धी था, प्रमुख सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-07 जो मुख्य मंत्री कार्यालय के संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-170371/2007 पर दर्ज है जोकि पशुवधशाला मेरठ की जांच सम्बन्धी था, प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर जिलाधिकारी, मेरठ एवं मण्डलायुक्त, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में विधायक कोटे से प्राप्त हैण्ड पम्पों को लगाये जाने की मांग

13-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र में विकास निधि से वर्ष 2005-06 व 2006-07 व 2007-08 में विधायक कोटे के हैण्डपम्प लगाने हेतु 10% अंशदान राशि जल निगम, बांदा को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या अंशदान राशि वाले सभी हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो वर्षवार विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो शेष हैण्डपम्पों को कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2005-06 व 2006-07 में मा0 विधायको को स्वीकृत हैण्डपम्प लगाने हेतु 10 प्रतिशत अंशदान राशि जल निगम, बांदा को प्राप्त हुई है। वर्ष 2007-08 में 217 हैण्डपम्पों की सूची प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष 167 नग हैण्डपम्पों हेतु अंशदान प्राप्त होना है, जो अभी जल निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2005-06 में प्राप्त अंशदान के सभी 191 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं तथा वर्ष 2006-07 में 196 हैण्डपम्पों हेतु अंशदान प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 156 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। वर्ष 2007-08 में 40 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

पूर्व सरकार के कार्यकाल की घोषणाओं को निरस्त कर दिये जाने के कारण गत वर्ष के अवशेष हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं किया जा रहा है।

जनपद बांदा में विधायक/सांसद निधि से हैण्डपम्प अधिष्ठान हेतु कार्यवाही

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर में वर्ष 2002 से अब तक विधायक निधि/सांसद निधि से कितने हैण्डपम्पों का अंशदान जमा हुआ है ? क्या विधायक निधि/सांसद निधि से जमा किये गये अंशदानों के हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

बांदा नगर में हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने हेतु कोई सहभागिता राशि वर्ष 2002 से वर्तमान तक प्राप्त नहीं की गयी है।

नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु 100% धनराशि शासन से प्राप्त होती है।

विधायक निधि/सांसद निधि से बांदा नगर में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु वर्ष 2002 से वर्तमान तक कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम के निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

15-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम के निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक क-3 नं0 104142, दिनांक 13-8-2007 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से जांच करायी गयी। उनके पत्र संख्या-आर 11-73/21-184 (2006-07), दिनांक 3-11-2007 द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में दोबारा भुगतान किये जाने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के कतिपय मोहल्लों में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

16-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत लालकुआं भेड़ीमण्डी कुन्दनलाल का हाता में लगा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प खराब है जिससे स्थानीय मुहल्लेवासियों को पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रश्नगत स्थल पर लगा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर योग्य है।

जी हां। यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ की ग्राम सभा देवरा में इन्दिरा आवास के आवंटन में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

17-श्री उदयभान करवरिया-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरा, विकास खण्ड शंकरगढ़, जनपद इलाहाबाद जो अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित है के ग्रामों में इन्दिरा आवास के आवंटन हेतु चयनित सूची में अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या ख-3/322250, दिनांक 22-11-2007 परियोजना निदेशक,

इलाहाबाद सहित मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतल लाल अहिरवार-

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान मुम्बई में यातायात निरीक्षक फोर्स में प्रशिक्षण देने हेतु आयु में छूट दिये जाने विषयक

18-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिसार निरीक्षक, उ0 प्र0 सचिवालय को ट्रैफिक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई में यातायात निरीक्षक फोर्स में प्रशिक्षण देने हेतु आयु में छूट दिये जाने विषयक आपका आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/172910/ 2007, दिनांक 15-11-2007 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

मा0 विधायक श्री अदयभान करवरिया के पत्र दिनांक 3-11-2007 पर मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 सचिवालय के पृष्ठांकन आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/172910/2007 दिनांक 15-11-2007 जिसमें श्री त्रयम्बकनाथ दूबे, कम्पनी कमाण्डर, 42वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, इलाहाबाद के प्रकरण में परीक्षणोरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के आदेश दिये गये हैं।

श्री त्रयम्बकनाथ दूबे, कम्पनी कमाण्डर, 42वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, इलाहाबाद को यातायात निरीक्षक प्रशिक्षण कोर्स हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद् में बैकलाग के अन्तर्गत समूह ग व घ के पदों पर अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर में बैकलाग के अन्तर्गत रिक्त समूह "ग" व "घ" के पदों पर अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में मा0 मंत्री को पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर के संलग्न शिकायती-पत्र सहित

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-07 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 5-11-2007 द्वारा प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित कराने हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देशित किया गया था, परन्तु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा प्रश्नगत शिकायतों की जांच कराये बिना अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर का बिन्दुवार आख्या बगैर संस्तुति के अपने पत्र दिनांक 14-12-2007 द्वारा शासन को प्राप्त करयी गयी है। प्राप्त आख्या संस्तुति रहित एवं विधिसंगत न होने के कारण पुनः शासन के पत्र दिनांक 3-3-2008 द्वारा प्रश्नगत शिकायतों को विधिवत जांच कराते हुए विस्तृत जांच आख्या एवं प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की स्पष्ट संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में गत वर्षो में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना अन्तर्गत कृत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने की मांग

20-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08 में कितने स्वयं सहायता समूह गठित किये गये ? उक्त स्वरोजगारियों द्वारा जो योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं, उसका स्थलीय परीक्षण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में वर्ष 2006-07 में 20, वर्ष 2007-08 से 17, विकास खण्ड छपिया में 2006-07 में 33, वर्ष 2007-08 में 28, विकास खण्ड वजीरगंज में वर्ष 2006-07 में 08, वर्ष 2007-08 में 24 तथा विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 2006-07 में 05, वर्ष 2007-08 में 01 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं।

विकास खण्ड मनकापुर में वर्ष 2006-07 में 03 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2007-08 के गठित समूहों के स्वरोजगारियों द्वारा अभी कोई योजनायें प्रारम्भ नहीं की गई हैं। विकास खण्ड वजीरगंज में वर्ष 2006-07 के 04 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2007-08 के गठित समूहों के स्वरोजगारियों द्वारा अभी कोई योजनायें प्रारम्भ नहीं की गई है। विकास खण्ड छपिया में वर्ष 2006-07 के 07 स्वयं सहायता समूहों को

ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2007-08 के गठित समूहों के स्वरोजगारियों द्वारा अभी कोई योजनायें प्रारम्भ नहीं की गई है। विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 2006-07 के 04 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2007-08 के गठित समूहों के स्वरोजगारियों द्वारा अभी कोई योजनायें प्रारम्भ नहीं की गई है। गठित समूहों का शतप्रतिशत स्थलीय परीक्षण करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के इन्दिरा नगर के ममता पब्लिक स्कूल से मेन रोड तक सड़क/गली के निर्माण की मांग

21-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सनातन नगर हरिहर नगर, इन्दिरा नगर में स्थित ममता पब्लिक स्कूल से मेन रोड तक विद्यालय तक कच्ची सड़क होने के कारण बरसात के समय में पानी भर जाने के कारण बच्चों एवं कालोनी के लोगों को आने-जाने में अत्यन्त असुविधा होती है ? क्या सरकार लगभग 400 मीटर की कंकरीट रोड एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

कंक्रीट की सड़क बनाने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। नाली एवं डामर की सड़क बनाने हेतु रुपया 7.75 लाख का आगणन तैयार किया गया है। धन उपलब्ध होने एवं नगर निगम कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के थाना मनियर के ग्राम चन्दामता की श्रीमती माया देवी द्वारा दायर मुकदमें से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्बन्धी जानकारी

23-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती माया देवी पत्नी श्री छितेश्वर वर्मा, ग्राम चन्दामता, थाना मनियर, जनपद बलिया द्वारा दायर याचिका सं0-76/07 पर सी0 जे0 एम0 प्रथम, बलिया द्वारा थानाध्यक्ष मनियर को दिये गये आदेश पर मु0 अ0सं0सी0- 98/07 धारा-498ए/323/307/302/504/506 भा0दं0वि0 व दफा 3/4 डी0पी0 ऐक्ट के तहत थाना मनियर में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्राथमिकी में दर्ज अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां, मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना मनियर पर दिनांक 2-6-07 को मु0अ0सं0-98सी/07 धारा 498ए/323/307/302/504/506 भादवि एवं 3/4 डी0 पी0 एक्ट का अभियोग बनाम छितेश्वर वर्मा आदि 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान वादिनी मुकदमा श्रीमती माया देवी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के तहत बयान दिया गया कि दिनांक 18-5-03 को प्रातः 5.00 बजे मेरी छोटी पुत्री जगकर रो रही थी। उसे रोने से बचाने के लिए पंखा चालू कर दिया जिसमें करन्ट आ गया मच्छरदानी सट जाने के कारण जलने लगी। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। मेरा पति शौच के लिए बाहर गये थे लौटने पर आग बुझाये जिसमें वो भी जल गये। इसमें मेरे पति व परिवार का कोई दोष नहीं है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गयी तथा अंतिम रिपोर्ट संख्या-3, दिनांक 8-6-07 को प्रेषित की जा चुकी है।

नगर निगम गोरखपुर द्वारा सरकारी सड़क बनाये जाने की शिकायत सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

24-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग-3 नं0 505177 दिनांक 5 जनवरी, 2008 जो श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, वार्ड-29, गोरखपुर द्वारा नगर निगम द्वारा अपनी जमीन पर सरकारी सड़क बनाये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रकरण में जिलाधिकारी, गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त नगर निगम, गोरखपुर को जांच हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम के अपर अभियन्ता श्री श्याम बिहारी अग्रहरि के निलम्बन एवं बहाली की उच्च स्तरीय जांच की मांग

25-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर नगर निगम के अवर अभियन्ता श्री श्याम बिहारी अग्रहरि को, जो 31 जुलाई, 2007 को वर्षा के दौरान हुए भीषण जलजमाव में अपने दायित्वों के निर्वहन न करने के लिये निलम्बित किये गये थे, जिन्हें दिनांक 4 जनवरी, 2008 को जांच समिति द्वारा आरोप-पत्र न देने के आधार पर नगर आयुक्त द्वारा बहाल कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निलम्बित अवर अभियन्ता के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच बैठाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नियमों के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रभावित किये बिना सेवा में बहाली की जा सकती है।

आवश्यकता नहीं है।

विभागीय कार्यवाही गतिमान है। आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। जांचोपरान्त दण्ड के बारे में आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा।

26-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्व0 कुंवर पाल वर्मा निरीक्षक नागरिक पुलिस के पुत्र को मृतक आश्रित अन्तर्गत समायोजन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

27-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के कार्यालय के कम्प्यूटर पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/170723/ 2007, दिनांक 5-10-2007 जो स्व0 कुंवर पाल वर्मा, निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पुत्र को मृतक आश्रित के अन्तर्गत समायोजित करने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

स्व0 कुंवर पाल वर्मा के आश्रित श्री फतेह सिंह को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 8-11-2007 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन हेतु अनुमोदन आदेश निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

डिप्टी एस0 पी0 एन्टीकरपशन श्री राजेश्वर प्रसाद दुबे सेवानिवृत्त के देयकों का भुगतान विषयक पत्र पर कार्यवाही

28-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/172866/2007, दिनांक 15-11-2007 जो राजेश्वर प्रसाद दुबे डिप्टी एस0पी0 एन्टीकरपशन, सेवा निवृत्त की देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

श्री राजेश्वर प्रसाद दुबे, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित रहने के कारण उपादान/राशिकरण का भुगतान नियमानुसार रोकते हुए अन्य समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में पेयजल सप्लाई के नाम पर फर्जी भुगतान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

29-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-07-2007 जो बांदा शहर व ग्रामीण में पेयजल सप्लाई की पाइप लाइन मरम्मत, जनरेटर मरम्मत व डीजल, फिटकिरी सप्लाई आदि के नाम पर प्रतिवर्ष फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं। महाप्रबन्धक, जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है।

30-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के एस0 पी0 जी0 आई0 के बन्द आपरेशन थियेटर को चालू कराये जाने की मांग

31-डा0 पी0 के0 राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 जी0पी0जी0आई, जनपद लखनऊ में चार आपरेशन थियेटर बन्द चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त थियेटरों को शीघ्र चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं। 03 ऑपरेशन थियेटर अक्रियाशील है जिनमें 01 दिनांक 21-12-2007 से अस्थायी रूप से अक्रियाशील है व 02 ऑपरेशन थियेटर प्रारम्भ से ही अक्रियाशील है।

फैकल्टी/सीनियर ऐजीडेण्टस की कमी के साथ-साथ कुछ अत्यन्त आवश्यक संयत्रों एवं आधुनिक उपकरणों का अभाव अक्रियाशीलता का महत्वपूर्ण कारण है।

शीघ्र चालू कराने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य के विरुद्ध फर्जी रूप से फसाये जाने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही

32-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र, दिनांक 7-1-2008, जो पूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश गुप्ता सीतापुर व अन्य लोगों को फर्जी रूप से फंसाये जाने विषयक था और जो मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन व डी0जी0पी, आई0जी0जोन0 लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों की बिन्दुवार जांच सी0बी0सी0आई0डी0 या जिले के बाहर के अधिकारी से कराने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक के पिता श्री ओम प्रकाश गुप्ता पूर्व विधायक हैं, इनके विरुद्ध लगभग 70 अभियोग पंजीकृत है इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ कस्बा, मिश्रित में श्री नरेश वर्मा की दुकान में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं मारने के लिए दौड़े जिसपर श्री नरेश वर्मा द्वारा थाना मिश्रित पर लिखित तहरीर के आधार पर एन0सी0आर0 संख्या-5/08 धारा 352/504/506 भा0दं0वि0 बनाम श्री ओम प्रकाश गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। प्रकरण में सीबीसीआईडी या जिले के अन्य अधिकारी से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में सड़कों के निर्माण में अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

33-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 21-1-2008 जो जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में अनियमितता किये जाने विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

जी हां। प्राविधिक संपरीक्षा प्रकोष्ठ से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के कतिपय थानों में हुई घटनायें

34-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी में विगत चार माह में कितनी हत्याएं, डकैती, अपहरण व लूटपाट की घटनाएं हुई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र निघासन के थाना सिंगाही पलिया थाना, थाना सम्पूर्णनगर में कितनी घटनाएं हुई हैं तथा कितने अपराधों में मुकदमें दर्ज हुए हैं ? क्या इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद लखीमपुर खीरी में विगत चार माह (सितम्बर, 2007 से दिसम्बर, 2007) में हत्या की 32, डकैती की 01, अपहण की 26 एवं लूट की कुल 07 घटनायें घटित हुई।

उपरोक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र निघासन के थाना सिंगाही, पलिया में सम्पूर्णानगर में घटित अपराधों का विवरण :--

क्र0सं0	थाना	हत्या	डकैती	अपहरण	लूट
1	पलिया	2	0	1	0
2	सिगाही	2	0	0	1
3	सम्पूर्णानगर	1	0	1	0
	योग--	5	0	2	1

अपराधों की रोकथाम हेतु शासनादेश संख्या-1047/छः-पु-3/07 दिनांक 20 मई, 2007 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये, एवं समय-समय पर समीक्षा करते हुए अपराधियों के विरुद्ध विधिसम्मत प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के मीराबाई स्थित व्यापार कर भवन के पार्किंग स्टैण्ड के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री इमरान मसूद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में मीराबाई मार्ग स्थित व्यापार/वाणिज्य कर भवन के बाहर अवैध रूप से संचालित पार्किंग स्टैण्ड के संचालकों के खिलाफ व्यापारियों से अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में हजतरगंज थाना, लखनऊ द्वारा नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में कोई तहरीर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त तहरीर के आधार पर उक्त अवैध पार्किंग स्टैण्ड के संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कु0 मायावती-

जी हां।

तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 01-12-07 को थाना थाना हजरतगंज में मु0अ0सं0-889/07 धारा 147/384/386/323 भा0दं0वि0 बनाम पीयूष ठेकेदार स्टैण्ड व 4-5 अन्य लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराकर अभियोग के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश में सूडा/डूडा को गतिशील बनाने हेतु कमेटियों का गठन

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सूडा/डूडा को प्रदेश में गतिशील बनाने के लिये सी0डी0एस0 चयन कमेटियों का गठन (निर्वाचन) की प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहाँपुर नगर में इन कमेटियों का गठन कब हुआ था ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। प्रदेश के 36 जनपदों में सामुदायिक विकास समितियों का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। जिन जनपदों में समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, वहां पर 45 दिनों के अन्दर गठन (निर्वाचन) की कार्यवाही सम्पन्न कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

शाहजहांपुर नगर में कमेटियों का गठन वर्ष 2003-04 में हुआ था।

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 25-2-2008 को अता0प्र0सं0-105 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रदेश में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की जा चुकी है, अब प्रदेश में अलग से किसी अन्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बन्द पड़े कतिपय सीवर प्लान्टों को नियमित रूप से चलाये जाने की मांग

39-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में स्थापित धांधुपुरा, नगला बुढ़ी एवं पीलाखार पर स्थापित सीवर शोधन प्लाण्ट माह में अधिकांश समय बन्द रहते हैं जिससे आगरा शहर के समस्त नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त एस0टी0पी0 सीवर शोधन प्लाण्टों को नियमित रूप से चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर उक्त सीवरेज शोधन प्लान्ट नियमित रूप से चलाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के थाना बछरावां के ग्राम रैन की सुमन देवी के बलात्कार की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही

40-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के थाना बछरावां के रैन गांव की सुमन देवी महिला के साथ स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा अपने अन्य साथी के साथ दि0 13-12-2007 को सायं 6.30 बजे बलात्कार किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है ? यदि हां, तो अभी तक नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी ? क्या विलम्ब के लिये दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। वादिनी श्रीमती सुमन देवी के प्रार्थना-पत्र पर थाना बछरावां में मु0अ0सं0-676/07 धारा 376/506 भा0दं0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट दिनांक 14-12-07 को पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा संपादित की गयी। विवेचना से नामित अभियुक्तों के विरुद्ध जुर्म साबित न पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट संख्या-बी-2/08 दिनांक 16-01-08 जुर्म खारिजा के साथ न्यायालय प्रेषित किया गया है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों की जांच

41-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2001 से 2007 तक पूर्व में निर्मित मार्गों को पुनः इसी योजना में चयनित करके पुनः भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस की जांच टी0ए0सी0 से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2001 से 2007 तक में निर्मित मार्गों की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद कोतवाली बीकापुर में पंजीकृत अपराध की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच पर गिरफ्तारी सम्बन्धी जानकारी

42-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की कोतवाली बीकापुर में मु0अ0सं0 421, दिनांक 27-4-04 को पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या सी0बी0सी0आई0डी0 जांच में पुलिस सहित 16 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुई है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच/विवेचना से 10 पुलिस कर्मियों एवं 6 जनता के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये गये है। जनता के 6 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17-05-07 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 फैजाबाद में दाखिल किया जा चुका है। शेष 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति विचाराधीन है।

जनता के 06 व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा की कतिपय ग्राम पंचायतों में बारात घरों का निर्माण कार्य

43-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ धुन्नी भइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-2007 में विधान सभा क्षेत्र खागा, जनपद फतेहपुर के तत्कालीन मा0 विधायक द्वारा विधायक निधि योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सरसेई योहन, पूरे अधांरी मजरे हथगाम, मोहलिया, गौरा, रामनगर किसोई, सेम रहटा, सुरजीपुर एवं कोतला में बारात घरों के निर्माण हेतु प्रस्ताव करके धन अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्राम पंचायतों के बारात घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम पंयायतों में से कुछ बारात घरों में शौचालय एवं कुछ बारात घरों में खिड़कियों के पल्ले एवं दरवाजे नहीं लगे हैं। पूरे अधारी मजरे हथग्राम एवं मोहलिया में प्लास्टर, फर्श एवं सुरजीपुर में एक कक्ष एवं बरामदे के फर्श का निर्माण कार्य अवशेष है जो लगभग दो सप्ताह में पूर्ण होना संभावित है।

निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अनेकों ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित टंकियों से पानी की आपूर्ति

44-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में ग्राम संवत, मऊपारा (बन्दीपुर) कस्बा हथग्राम, शाहपुर मंगरेमऊ मोहम्मदपुर गौंती, कटोंहन, सुल्तानपुर घोष में पेयजल योजना के अन्तर्गत सन् 1989-90 में बनी हुई पानी की टंकियों से पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त टंकियों से पानी की आपूर्ति कब तक प्रारम्भ करा दी जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र खागा में ग्राम संवत, मऊपारा (बन्दीपुर) कस्बा हथग्राम, शाहपुर (कासिमपुर), मेंगरेमऊ, सुल्तानपुर घोष में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना से वर्तमान में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

माहम्मदपुर गौती व कटोघन पेयजल योजना पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध न होने के कारण बन्द है एवं अन्य योजनाएं लगभग 20 वर्ष पुरानी होने के कारण आंशिक रूप से ही चल रही हैं।

मोहम्मदपुर गौती व कटोघन पेयजल योजना पर विद्युत विभाग द्वारा सही वोल्टेज उपलब्ध कराये जाने पर पेयजल की आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी एवं अन्य योजनाओं का पुनर्गठन धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद की सिम्भावली शुगर मिल की डिस्टीलरी द्वारा जहरीले पानी व चिमनी की राख से हो रही बीमारियों के निराकरण की मांग

45-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल की डिस्टीलरी के द्वारा निस्तारित रासायनिक जहरीले पानी तथा उसकी चिमनी की राख से बक्सर सिम्भावली ग्रामों के हैण्ड पम्पों के प्रदूषित पानी से ग्रामवासियों की मौत बीमारियों से हो रही है तथा बीमारियां बढ़ भी रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। सिम्भावली शुगर मिल डिस्टीलरी यूनिट में उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह स्पेन्ट वाश के शुद्धिकरण हेतु बायो मिथेनेशन प्लान्ट, मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर, बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा क्रमशः स्पेन्ट वाश से बायो गैस, मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर से उत्प्रवाह को कम करना एवं आर्गेनिक खाद बनाई जाती है तथा परिसर के बाहर शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति प्राप्त की गई है। पूर्व में उद्योग के उत्प्रवाह के निस्तारण से भूगर्भ जल बक्सर, सेहल आदि गावों के हैण्डपम्पों में मानक के अनुरूप नहीं पाया गया था। अतः बोर्ड के निर्देशों से उद्योगों द्वारा इन प्रभावित गांवों में इंडिया मार्का-2 डीपबोरवेल की स्थापना की गई थी, जिससे प्रभावित गांवों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। उद्योग से जनित होने वाले उत्प्रवाह से ग्राम वासियों की मौत बीमारियों से होने एवं बीमारी फैलने की कोई सूचना स्वास्थ्य विभाग, गाजियाबाद से प्राप्त नहीं हुई है।

उद्योग द्वारा वाष्प की आपूर्ति हेतु स्थापित ब्वायलर में ईंधन के रूप में बायो गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रदूषण रहित ईंधन है तथा चिमनी से जनित उत्सर्जन प्रदूषणकारी नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा की चौकियों व थानों की विशेष शस्त्र उपलब्ध कराये जाने की मांग

46-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर जिले से लगी नेपाल सीमा की चौकियों व थानों को विशेष शस्त्र उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद सिद्धार्थनगर से लगी नेपाल सीमा पर कुल 05 थानें स्थित हैं। इन थानों पर पूर्व से ही विशेष अत्याधुनिक शस्त्र एलएमजी, 7.62 एसएलआर, 9 एमएम पिस्टल उपलब्ध कराये जा चुके हैं। जनपद में पर्याप्त संख्या में ए0के0-47 रायफल भी उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर अस्त्र-शस्त्र थानों/चौकियों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित योजना

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के समस्त ग्राम भारत सरकार द्वारा निर्धारित 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त हैं, उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के लिए 225 हैण्डपम्प स्वीकृत किया गया है। विधान सभा क्षेत्र पट्टी में दी गई सूची एवं अंशदान के आधार पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति में हैं, एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र में गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 एकल ग्राम पेयजल योजना स्वीकृत है, जिसमें से 05 योजनाएं पूर्ण हो गई है तथा 10 योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिला योजना के अन्तर्गत 05 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं पर भी निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान बांदा को विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित धनराशि तथा व्यय

48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2006-07 से अब तक जल संस्थान बांदा को कुल कितनी धनराशि जलापूर्ति एवं रख-रखाव, मरम्मत, डीजल जनरेटर तथा अन्य के लिए प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि विभाग द्वारा 17 घंटे से अधिक तक जनरेटर चलाने तथा मोटर मरम्मत, फिटकरी सप्लाई तथा इन टेकेवेल बनाने के फर्जी बिल भुगतान कर सरकार को लाखों रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा को वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभिन्न कार्यों हेतु रु0 475.647 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 में 31 दिसम्बर, 2008 तक रु0 304.594 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2006-07 में प्राप्त धनराशि में से पाइप लाइन का विस्तार, जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन बदलने, कुओं पर पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित करने तथा कुओं की सफाई, नलकूप निर्माण, पम्प हाउस निर्माण, विद्युत संयोजन एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2007-08 में प्राप्त धनराशि से पाइप लाइन विस्तार, कुओं की सफाई तथा नलकूप निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं।

जी नहीं। जनरेटर 17 घण्टे लगातार कभी नहीं चलाये गये और न ही प्रश्नगत किसी भी कार्य में फर्जी बिल भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम दोहरा, ब्लाक बेबर, मैनपुरी के ग्राम प्रधान द्वारा खड़न्जे में पुरानी ईंट लगवाने की जांच

49-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम सभा टिकुरी ब्लाक बेबर में वर्तमान प्रधान द्वारा वर्ष 2006-2007 में ग्राम दोहरा ब्लाक बेबर मैनपुरी में खड़ंजे में पुरानी ईंट लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के हजरतगंज में जिलाधिकारी आवास के सामने मा0 रविन्द्र नाथ टैगोर की प्रतिमा पर छतरी व पार्क का निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में हजरतगंज वार्ड स्थित जिलाधिकारी आवास के सामने मा0 रविन्द्र नाथ टैगोर की प्रतिमा पूरी तरह से तिरस्कृत एवं उपेक्षित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर आर0सी0सी0 की छतरी बनवाकर पार्क का सौन्दर्यीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

मूर्ति स्थल के चारों तरफ पक्का चबूतरा एवं रेलिंग लगी हुई है। मूर्ति स्थल के चारों तरफ कोई भी भाग कच्चा नहीं है। वर्तमान समय से छतरी बनाने एवं मूर्ति के चारों तरफ पार्क का स्वरूप देने की योजना नगर निगम में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अनेकों वार्डों में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप लगवाये जाने की मांग

51-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में स्थित पेपरमिल (बड़ी जगौली)/जगदीश चन्द्र बोस वार्ड में स्थित (कैसरबाग में)/अमीनाबाद-रानीलक्ष्मीबाई वार्ड में स्थित (मोहन मार्केट में) तथा गनेशगंज वार्ड स्थित हाता मातादीन में पेयजल की सुविधा हेतु नलकूप लगवाने के आदेश देगें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित पेपर मिल (बड़ी जुगौली) में भारत सरकार के जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गोमतीनगर में प्रस्तावित तृतीय जल-कल से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। जगदीश चन्द्र बोस वार्ड में स्थित कैसरबाग-अमीनाबाद में जलापूर्ति ऐशबाग जलकल से की जाती है। इसके अतिरिक्त अमीनाबाद में एक नलकूप भी बना है, जो कार्य कर रहा है तथा पेयजल की समस्या नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में स्थित मोहन मार्केट में हनुमान मन्दिर के पास निर्मित नलकूप से जलापूर्ति की जाती है तथा पेयजल की समस्या नहीं है। गनेशगंज वार्ड स्थित हाता मातादीन में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत नया नलकूप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में स्थानीय नगर निकाय व डूडा में पूर्व की भांति सी0सी0 सड़कें बनाने की मांग

52-श्री अशोक कंसल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय नगर निकाय व डूडा से बनने वाली इण्टर लॉकिंग सीमेंट टाइल्स की सड़कों की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण क्या पूर्व की भांति सी0सी0 सड़कें बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रकरण विचारार्धीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में यातायात समस्या के समाधान हेतु पार्किंग बनाये जाने का विचार

53-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में यातायात की समस्या के समाधान हेतु निजी वाहनों के पार्किंग के लिये कहां-कहां पार्किंग स्थल बनाये जाने की योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर महानगर में यातायात समस्या के समाधान हेतु निजी वाहनों की पार्किंग के लिये जिलाधिकारी गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाये जाने का प्रस्ताव किया है :-

1-गोलघर के क्षेत्र में स्कूटर, कार हेतु पार्किंग लाइन और जेब्रा लाइन का निर्माण।

2-शिवाय होटल के पास भलोटिया मार्केट में पार्किंग लाइन बनाकर पार्किंग व्यवस्था किया जाना।

3-कचहरी क्लब के मेन गेट के अंदर बाउन्ड्रीवाल के सहारे पार्किंग स्थल को चिन्हित कर विकसित किया जाना।

4-धर्मशाला पुल के नीचे सड़क को ठीक कराकर पार्किंग स्थल विकसित किया जाना।

5-जुबिली कालेज के सामने नाले पर स्लैव डालकर स्कूटर पार्किंग की व्यवस्था।

6-विजय सिनेमा रोड पर नाले को पथकर से ढककर पार्किंग की व्यवस्था।

7-आकाशवाणी केन्द्र के सामने तालाब के पीछे पार्क की व्यवस्था।

8-धर्मकाटा चौराहे से रेलवे स्टेशन प्रथम श्रेणी गेट के पास।

9-काली मन्दिर गोलघर से पुलिस लाइन धर्मकांटा तक।

10-पैडलेगंज से मोहद्दीपुर।

11-बस स्टेशन से तोपखाना चौराहा।

12-कार्मल स्कूल से बस स्टेशन रोड।

उपरोक्त पार्किंग स्थलों को वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में नगर निगम द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में जल जमाव के समाधान हेतु धर्मशाला ओवरब्रिज से तरंग रेलवे क्रासिंग तक नाले के निर्माण की मांग

54-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के जटेपुर उत्तरी (काली मन्दिर) पार्क के जल जमाव के समाधान हेतु धर्मशाला ओवरब्रिज से लेकर तरंग रेलवे क्रासिंग तक नाले के निर्माण के सन्दर्भ में नगर निगम गोरखपुर ने अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? इस नाले का निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के उदयगंज रोड से अवैध कूड़ा पड़ाव हटवाये जाने की मांग

55-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के उदयगंज रोड से अवैध कूड़ापड़ाव हटाने सम्बन्धी शासन के पत्रांक 6173/नौ-7-05-104, नगर विकास-7, दिनांक 9-1-2006 के अनुपालन में क्या कूड़ा पड़ाव हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

56-श्री मदन भैया-

[विस्तीर्णता एवं गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

57-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[दिनांक 05-3-2008 को अता0प्र0सं0-32 द्वारा उत्तरित]

जनपद चन्दौली में विधायक निधि योजनान्तर्गत बिलारीडीह में सर्किट हाउस के निर्माण व भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण की जानकारी

58-श्री राम किशुन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में वर्ष 2002 से पहले विधायक निधि से बिलारीडीह में निर्मित सर्किट हाउस पर कितना धन खर्च किया गया है और

सर्किट हाउस का रखरखाव किस विभाग द्वारा किया जा रहा है ? उक्त भवन का निर्माण गांव सभा के किस नम्बर व किस्म की जमीन पर किया गया है ? क्या उसकी प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2000-01 में विलारीडीह में सर्किट हाउस का निर्माण नहीं बल्कि तत्कालीन मा0 विधायक मुगलसराय श्री छब्बू पटेल द्वारा संस्तुत परियोजना "विलारीडीह में गेस्ट हाउस (रैन बसेरा एवं चौपाल) के निर्माण" पर विभिन्न किश्तों में कुल मु0 112.13 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। गेस्ट हाउस के रख-रखाव हेतु इसे लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नगत गेस्ट हाउस (रैन बसेरा एवं चौपाल) का निर्माण मौजा गौरी परगना धूस, तहसील चन्दौली के खाता संख्या-498 रकबा 0.376 में खलिहान की भूमि पर किया गया है जो कि श्रेणी 6 (2) की है।

प्रश्नगत कार्य पर मु0 66.56 लाख एवं मु0 45.57 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29-8-2000 एवं दिनांक 4-12-2000 को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गयी है। प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है। प्राक्कलनों का परीक्षण सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया गया है।

जनपद वाराणसी के रामनगर पालिका के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति हेतु ओवर हैड टैंक का निर्माण कर जलापूर्ति करने की मांग

59-श्री राम किशुन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के रामनगर पालिका के अन्तर्गत पेयजल की सुचारू रूप से जलापूर्ति हेतु एक ओवर हैड टैंक का निर्माण एवं पाईप लाइन बिछाने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

माह फरवरी, 2007 से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के गांवों में इन्दिरा आवास आवंटन करने का आधार

60-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 में कितने इन्दिरा आवास पात्रता सूची के हिसाब से प्रत्येक गांवों में आवंटित किये गये थे ? अम्बेडकर गांवों को छोड़कर अन्य गांवों में किस आधार पर उक्त आवास आवंटित किये गये।

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-07 में 1896 एवं 2007-08 में 2630 इन्दिरा आवास आवंटित किये गये।

वर्ष 2006-07 में अम्बेडकर ग्रामों का चयन नहीं किया गया था बल्कि इस वर्ष शासनादेशानुसार 54 समग्र ग्राम चयनित थे और इन समग्र ग्रामों में कुल 1362 इन्दिरा आवास आवंटित किये गये तथा अन्य ग्रामों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कुल 534 इन्दिरा आवास आवंटित किये गये।

इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में जनपद में चयनित कुल 27 डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में कुल 770 इन्दिरा आवास आवंटित किये गये तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कुल 1860 इन्दिरा आवासों का आवंटन किया गया है।

जनपद गोरखपुर में स्थापित तारा मण्डल के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच

61-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एसं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्मित हुए तारामण्डल के सन्दर्भ में क्या कोई जांच समिति बैठाई गयी थी ? यदि हां, तो उस जांच समिति की अनुशंसा क्या है तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

गोरखपुर में स्थापित की जा रही नक्षत्रशाला के निर्माण में हुए विलम्ब, अनियमितताओं तथा शासकीय धन के दुरुपयोग के लिये दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये शासन द्वारा जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस जांच हेतु श्री विजय शंकर पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ, लि0 कानपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जांच अधिकारी अपनी जांच आख्या में कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई थी, जिसके

आधार पर सम्बन्धित नियंत्रक विभागों को कार्यवाही हेतु लिखा गया। नियुक्ति विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और शेष के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके सम्बन्ध में अद्यतन सूचना संकलित की जा रही है।

गोरखपुर नगर निगम द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों में कराये गये कार्यों का विवरण

62-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2007-08 में निगम के विभिन्न वार्डों में कराये गये निर्माण कार्यों की अलग-अलग लागत एवं विवरण क्या है ? इनमें से कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? निर्माण कार्य अपूर्ण रहने/प्रारम्भ न हो पाने के क्या कारण हैं ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2007-08 में निगम के विभिन्न वार्डों में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है :-

(क) वार्ड वाइज।

(ख) अवस्थापना व बारहवें वित्त का कार्य जो एक से अधिक वार्ड में है।

(ग) पथ प्रकाश के कार्य हैं।

(घ) जल कार्य है।

संलग्न† सूची में विवरण अंकित है।

बुटवल से आने वाली स्टोन वैलास्ट/स्टोन ग्रीट काफी समय से उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रभावित है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्ग

63-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग पट्टी राजा बाजार एवं पट्टी-बधवा-बीरापुर- पटखौली, पट्टी-आमापुर-देवसरा-दाऊदपुर सहित अन्य कौन-कौन से ग्रामीण एवं ओ0डी0आर0 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हैं ? उन मार्गों पर कार्य शुरू करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्या है ?

---

† विस्तृत सूची होने के कारण छापी नहीं गई।

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत मार्गों तथा उनके कार्य प्रारम्भ होने एवं पूर्ण करने की तिथि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	ओडीआर/बी आर	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	डी0आर0सी0 के मार्ग से मिसरौली सम्पर्क मार्ग तक	बी0आर0	1.20	17-07-07	16-02-08
2	डी0एम0 मार्ग से कम्पाहारी सम्पर्क मार्ग	बी0आर0	0.85	17-07-07	16-02-08
3	डी0आर0पी0 के मार्ग से रघुरामपुर सम्पर्क मार्ग	बी0आर0	0.85	17-07-07	16-02-08
4	आर0के0 मार्ग से इशानपुर कुजरीटी सम्पर्क मार्ग	बी0आर0	1.88	17-07-07	16-02-08
5	एन0एच-96 छोलाहा से परशरामपुर सम्पर्क मार्ग	बी0आर0	1.10	17-07-07	16-02-08
6	एन0एच0-96 कान्धरपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ सम्पर्क मार्ग	बी0आर0	0.70	17-07-07	16-02-08
7	दिवानगंज मंगरौरा मार्ग	ओ0डी0आर0	9.00	06-07-07	06-07-08
8	कोहड़ौर चन्दौका मार्ग	ओ0डी0आर0	9.50	06-07-07	05-07-08
9	पट्टी से राजा बाजार मार्ग	ओ0डी0आर0	10.25	14-05-07	13-05-08
10	पट्टी बंधवा से पटखौली मार्ग	ओ0डी0आर0	18.00	21-07-07	20-07-08

शस्त्र लाइसेंस जारी करने की नीति

64-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेंस जारी करने की सरकार की नीति क्या है ? जनपद आगरा में वर्ष जनवरी, 2005 से 31-12-07 तक शस्त्र लाइसेन्स के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें कितने लोगों को शस्त्र लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं ? प्राप्त आवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पत्रों का निस्तारण कारण सहित एक निश्चित अवधि में हो जाय, क्या इस हेतु कोई योजना बनाई जायेगी ?

कु0 मायावती-

आयुध अधिनियम 1959 तथा आयुध नियम 1962 में व्यवस्था प्राविधानित है।

जनपद आगरा में जनवरी, 2005 से 31-12-07 तक कुल 11992 प्राप्त शस्त्र आवेदन-पत्रों में से प्राप्त आख्याओं के आधार पर 3334 आवेदकों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 1984/आर/छः-पु-5-6-678/97, दिनांक 03 जून, 1998 द्वारा शस्त्र लाइसेंस के आवेदन-पत्रों के निस्तारण की व्यवस्था लागू है।

जनपद आगरा में नालों की सफाई की मांग

65-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नाला लेडी लायल अस्पताल के सामने आगरा कालेज फील्ड के बगल से नाला-जनता क्वाटर ए-6 कमलानगर के सामने बाईपास रोड, नाला-गंगे गौरी पार्क के पास बल्केश्वर, बाल्मीकि बस्ती नाला महाराणा प्रताप नगर बाई पास रोड, नाला तुलसी सिनेमा से हीरा सिनेमा तक बाईपास रोड आगरा के नालों की सफाई नहीं होने के कारण उफनाकर सड़कों पर बह रहे हैं ? क्या सरकार उक्त नालों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्नगत समस्त नालों की सफाई वर्ष 2007 में वर्षा ऋतु से पूर्व करायी गई थी। प्रश्नगत नालों के उफन कर सड़कों पर बहने की स्थिति कहीं नहीं है।

जी हां।

प्रश्नगत नालों की सफाई का कार्य माह मार्च में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के मदरसे वाली गली व वजीरपुरा में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था

66-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के मदरसे वाली गली वजीरपुरा में जल संस्थान की पाइप लाइन न होने के कारण गम्भीर पेयजल संकट है ? क्या सरकार पेयजल समस्या के निदान हेतु जल संस्थान द्वारा पाइप लाइन डलवाकर पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

पाईप लाईन विद्यमान है। वर्तमान में जलापूर्ति सामान्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्रामों में खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग किये जाने की मांग

67-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र पंचायत, भिटौरा एवं तेलियानी एवं हस्वा के ग्रामों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब होने के कारण वहां पानी की अत्यन्त गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो उन्हें रिबोर कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

जनपद फतेहपुर के फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत-भिटौरा, तेलियानी एवं हंसवा के ग्रामों में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों में से भिटौरा में 99 तेलियानी में 61 तथा हंसवा में 59 हैण्डपम्पों को रिबोर कराया जा चुका है। शेष खराब हैण्डपम्पों को धन की उपलब्धता के अनुसार रिबोर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा महानगर में सीवर लाइन डालने हेतु सड़कों की खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

68-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा महानगर में सीवर लाइन डाले जाने हेतु सड़कों की खुदाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराकर पूर्व स्थिति में लाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? इस निर्माण पर सम्भावित व्यय कितना होगा तथा इस धनराशि की पूर्ति किन मदों से की जायेगी ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जनवरी, 2009 तक। इस निर्माण पर सम्भावित व्यय रु0 5.20 करोड़ होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निर्माणाधीन यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण में उपलब्ध धनराशि से की जायेगी।

यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु यमुना कार्य योजना पर व्यय की गई धनराशि

69-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिये कोई परियोजना संचालित है ? यदि हां, तो इस योजना पर दिसम्बर, 2007 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु यमुना कार्य योजना संचालित है।

यमुना कार्य योजना पर दिसम्बर, 2007 तक कुल रु0 27324.70 लाख (प्रथम चरण में रु0 24190.51 लाख + एक्सटेन्डेड फेज में रु0 3134.19 लाख) की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर के पार्कों को अनाधिकृत कब्जों से मुक्त कराये जाने की मांग

70-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक कुल कितने पार्क थे तथा इनमें से कितने मूल रूप में अभी मौजूद हैं एवं कितने पार्कों पर अनधिकृत कब्जा है ? क्या सरकार द्वारा अनधिकृत पार्कों के कब्जे हटा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा महानगर के अन्तर्गत कुल 346 पार्क हैं। 150 पार्क मूलरूप में मौजूद हैं। शेष 196 पार्कों में बाउण्ड्री/रैलिंग/गेट इत्यादि क्षतिग्रस्त हैं तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा महानगर में विकसित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक कुल 256 पार्क विकसित किये गये हैं तथा सभी मौजूद हैं। आगरा महानगर के अन्तर्गत कुल 26 पार्कों के अंश भाग पर मंदिर निर्मित हैं तथा 03 पार्क आंशिक रूप से अतिक्रमित हैं। इसी प्रकार आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित पार्कों में से 04 पार्कों के आंशिक भाग में पूजा स्थल है। अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में लगाये गये खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

71-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिसौली व सहसवान विधान सभा क्षेत्र में सरकारी व विधायक निधि द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बदायूं के बिसौली विधान सभा क्षेत्र में 68 हैण्डपम्प एवं सहसवान विधान सभा क्षेत्र में 53 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 में कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों की सुरक्षा हेतु गनर दिये जाने की नीति

72-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों की सुरक्षा हेतु प्रति विधायक कितने गनर रखने की अनुमति है ? वर्तमान में कितने विधायकों को एक से अधिक गनर दिये गये हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

कु0 मायावती-

शासनादेश संख्या-1773/6-पु-2-2001-700(1)/2001, दिनांक 25-4-2001 के साथ सपठित शासनादेश संख्या-1174/6-पु0-2-2007-700(1)/2001, दिनांक 30-7-2007 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विधायकगण को शासकीय व्यय पर पदेन एक गनर एवं जीवन भय का औचित्य पाये जाने पर 25 प्रतिशत निजी व्यय पर एक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अनुमन्य है।

दिनांक 29 फरवरी, 2008 को प्राप्त सूचनानुसार 56 मा0 विधायकों (मा0 सदस्य, विधान सभा/मा0 सदस्य, विधान परिषद्) को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में गनर/शैडो प्रदत्त कराये गये हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 243-245 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद गाजियाबाद में थाना गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम झडीना में रिपोर्टिंग चौकी खोलने का प्रस्ताव

73-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में थाना गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम झडीना में रिपोर्टिंग चौकी खोलने का कोई प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक रिपोर्टिंग चौकी खुल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

जनपद गाजियाबाद में थाना गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम झडीना में शासनादेश संख्या 2551 पी/छः-पु-6-300(105)/2000, दिनांक 17-11-2006 द्वारा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने की स्वीकृति निर्गत की चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत स्थल पर निकट भविष्य में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में मार्ग प्रकाश व जल निकासी हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के लिये मार्ग-प्रकाश, जल निकासी तथा अन्य कार्य हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र के सभा प्रमुख सचिव, नगर विकास को जून, 2007 के पश्चात प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वर्तमान में नागर स्थानीय निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत भी प्रश्नगत निकाय चयनित नहीं हैं। अतएव धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय बस्तियों में पेयजल आपूर्ति

76-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के बाल्मीकि बस्ती अनुराग नगर बल्केश्वर में जल संस्थान द्वारा डाली गयी पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति न होने के कारण इस क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है ? क्या सरकार पेयजल समस्या के निदान हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के लोहियानगर बल्केश्वर मोड़ पर सीवर लाइन की समस्या के निराकरण की मांग

77-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के लोहियानगर बल्केश्वर के मोड़ तक पड़ी सीवर लाइन को मेन सीवर लाइन में न जोड़े जाने के कारण इस क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है ? क्या सरकार सीवर की समस्या के निदान हेतु इसे मेन लाइन में जोड़ने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लोहिया नगर बल्केश्वर की सीवर लाईन का अन्तर्संयोजन मुख्य सीवर लाईन से न किये जाने के कारण वहां पर यह समस्या उत्पन्न होती है। बल्केश्वर की सीवर लाईन का अन्तर्संयोजन मुख्य सीवर लाईन में यमुना एक्शन प्लान-2 में शीघ्र कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के पार्कों के अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

78-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में न्यू राजा की मंडी कालोनी का पार्क एवं ग्रीन पार्क कालोनी के पार्क पर असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर

लिया गया है ? क्या सरकार पार्कों पर किये गये कब्जे को अविलम्ब हटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

न्यू राजा की मंडी कालोनी पार्क में एक मन्दिर बना हुआ है। रिक्श वाले अपने रिक्शे के साथ खड़े होते थे तथा एक व्यक्ति ने त्रिपाल लगाकर एक गाय पार्क में बांध रखी थी, जिसे हटा दिया गया है।

ग्रीन पार्क कालोनी पार्क में कोई अवैध कब्जा नहीं है। पार्क में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है।

न्यू राजा की मंडी पार्क से त्रिपाल हटवाई गई है तथा रिक्शे वालों को वहां रिक्शे सहित खड़े होने से मना कर दिया गया है।

वर्तमान में कब्जा हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कतिपय शौचालयों के जीणोद्धार की मांग

79-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कच्छ पुरा जमुनापार शौचालयों एवं नगला बुड़ान सैयद घटिया आजम खां शौचालय अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं ? क्या सरकार उक्त शौचालय का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कच्छपुरा जमुनापार एवं नगला बुढ़ान सैयद घटिया आजम खां स्थिति शौचालयों के जीर्णोद्धार का कार्य नगर निगम आगरा द्वारा दो माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद आगरा के सार्वजनिक स्थलों पर खुले रूप से मीट एवं मछली की दुकानों को अन्यत्र हटाये जाने की मांग

80-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नुनिहाई जिला उद्योग केन्द्र के सामने, सुल्तानगंज पुलिया बाईपास रोड, भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे, किदवई पार्क के पास डाक्टर दयाल की कोठी के बगल में सार्वजनिक स्थानों पर खुले रूप से मछली एवं मीट की दुकानें संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार खुले रूप से बिक रही मछली एवं मीट की दुकानों को अन्यत्र हटाने एवं प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा में नुनिहाई उद्योग केन्द्र के सामने सुल्तानगंज की पुलिया बाईपास रोड, भगवान टाकीज के पास पुल के नीचे, किदवई पार्क के पास डा0 दयाल की कोठी के बगल में सार्वजनिक स्थानों पर खुले रूप से कोई मीट की दुकानें नहीं चलाई जा रही है।

खुले स्थानों पर जहां मछली की दुकाने लगती हैं, नगर निगम की ओर से उनकी मछलियां जब्त कर नष्ट कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्य योजना

81-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पवित्र नदी गंगा को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0प्र0 में गंगा प्रदूषित होने के कारण गंगा नदी में घरेलू जल मल व उद्योगों द्वारा अशुद्धिकृत निस्तारित बहिश्राव है। नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के जल गुणता के अनुश्रवण का कार्य 8 स्थानों पर प्रतिमाह किया जाता है। बोर्ड द्वारा औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। गंगा व उसकी सहायक नदियों के अन्तर्गत कुल 432 उद्योगों में 293 उद्योगों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थपित है तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति इन उद्योगों द्वारा की जा रही है एवं 49 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं की जा रही है, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सतत अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है जिससे इन उद्योगों का उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप बना रहे तथा शेष 90 उद्योग बन्द चल रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियां नामतः यमुना एवं गोमती को प्रदूषण मुक्त करने हेतु भारत सरकार के वित्त पोषण से गंगा कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 1985 में गंगा नदी के तट पर स्थित 5 नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये।

गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना-द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी के अतिरिक्त उसकी सहायक नदियों नामतः यमुना व गोमती को भी सम्मिलित करते हुए कुल 23 नगरों में विभिन्न नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना लागू की गई।

गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्ष 2000 तक पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसके अन्तर्गत 349.50 एम0एल0डी0 क्षमता 9 नग सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर क्रियाशील किये जा चुके हैं।

गंगा कार्य योजना-द्वितीय चरण के स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं, जिसके अन्तर्गत 449.05 एम0एल0डी0 क्षमता के 20 नग सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर क्रियाशील बनाये जा चुके हैं तथा 510.40 एम0एल0डी0 क्षमता के 13 नग सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण की विभिन्न स्थितियों में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के महाराजगंज नगर पंचायत में सड़कों, नाली व अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि

82-श्री राजाराम त्यागी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत महराजगंज नगर पंचायत में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में विभिन्न मदों से कितनी सड़कों, नाली व अन्य निर्माण कार्य कराये गये तथा उस पर अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या नवीन निर्माण में पुरानी ईंट, पत्थर व अन्य सामान की बिक्री की गई ? यदि हां, तो बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या बिक्री से प्राप्त धन का समायोजन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पंचायत महाराजगंज, जनपद रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2005-06 में रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत रुपये 20 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। उक्त स्वीकृत धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये गये :-

कार्य	धनराशि
1-नाला निर्माण कार्य (थाने के पास से पुलिया तक बछरावां मार्ग तक दोनों ओर नाला निर्माण)	166263241.00
2-सड़क इण्टरलाक एवं एक तरफ नाली का निर्माण	336912.00

वित्तीय वर्ष 2006-07 में रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत धनराशि रुपये 40.00 लाख के सापेक्ष रुपये 3623295.00 से 16 मार्गों एवं नालियों के निर्माण में व्यय की गई है जिसकी सूची संलग्न[*] है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

[*] देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 246-247 पर।

चारबाग, लखनऊ से के0के0सी0 पेट्रोल पम्प तक वाहनों के अतिक्रमण हटवाये जाने की मांग

83-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चारबाग लखनऊ से के0 के0 सी पेट्रोल पम्प तक वाहनों के अतिक्रमण से दुर्घटनाओं की सम्भावनायें हर समय बनी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

चारबाग, लखनऊ से के0के0सी0 पेट्रोल पम्प तक वाहनों के अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही नगर निगम लखनऊ के द्वारा समय-समय पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा, सहारनपुर, फैजाबाद में पर्यटन आवास गृहों के निर्माण की योजना

84-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद-मथुरा, सहारनपुर, फैजाबाद में पर्यटन आवास घरों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जनपद मथुरा, सहारनपुर एवं फैजाबाद में वर्तमान में पर्यटक आवास गृहों के निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा में पर्यटक आवास गृह, पर्यटक स्वागत केन्द्र, यात्री निवास, वृन्दावन एवं पर्यटन काम्पलेक्स वृन्दावन पूर्व में निर्मित एवं उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित है। जनपद फैजाबाद में राही साकेत होटल एवं सरयू नदी के किनारे यात्री निवास भी स्थित है। अतः नये आवास गृहों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ऐतिहासिक कोटिया, ब्लाक आसपुर देवसरा तालाब के सौन्दर्यीकरण की मांग

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ स्थित ऐतिहासिक कोटिया ब्लाक आसपुर देवसरा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सौन्दर्यीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम्य विकास विभाग में प्रश्नगत तालाब के सौन्दर्यीकरण [illegible] नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में जल निगम द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों के अधूरे प्लेटफार्म का निर्माण कराये जाने की मांग

86-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा अधिष्ठापित किये गये हैण्ड पम्पों के अधूरे प्लेटफार्मों का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जल निगम, उन्नाव द्वारा अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्पों के अधूरे प्लेटफार्मों का निर्माण कार्य माह मई, 2008 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को बैंकों में खाते खुलवाकर मजदूरी का भुगतान कराये जाने के आदेश

87-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी न मिलने के कारण मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा माह नवम्बर, 2007 को श्रमिकों के बैंकों में खाते खोलकर मजदूरी भुगतान करने का आदेश किया था ? यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों के खाते बैंकों में खुलवा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त खाते कब तक खोलवा दिये जायेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। योजना की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से जाब कार्ड धारक श्रमिकों के खाते बैंक में खोलने के निर्देश जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को जारी किये गये थे।

योजनान्तर्गत दिनांक 22-02-2008 तक 25321 जॉब कार्ड धारक श्रमिकों के खाते बैंकों में खुलवाये जा चुके हैं। शेष जॉब कार्ड धारक श्रमिकों के खाते खोले जा रहे हैं।

खाते खुलवाने की कार्यवाही चल रही है।

जनपद आगरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू किये जाने की मांग

88-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार गारण्टी योजना में आगरा जनपद को सम्मिलित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद आगरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना दिनांक 01-04-2008 से लागू की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील सिकन्दराराऊ के कानूनगो, लेखपाल के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

89-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार श्री कालूराम एवं कानून-गो श्रीरामदास गौतम तथा लेखपाल श्री फूलन सिंह तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर के विरुद्ध भ्रष्टचार एवं हत्या का मामला कोतवाली सिकन्दराराऊ (महामायानगर) में दिसम्बर, 2007 में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 24-12-07 को थाना कोतवाली सिकन्दराराऊ पर मु0अ0सं0-850/07 धारा-504, 506 भादंवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध श्री कालूराम नायब तहसीलदार, फूलन सिंह लेखपाल, रामदास गौतम कानूनगो तहसील सिकन्दराराऊ व रामबाबू डीलर पुत्र श्री रामचन्द्र जाटव निवासी बसई बावस, थाना सिकन्दराराऊ के विरुद्ध अंकित कराया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ द्वारा सम्पादित की गयी। नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध रुपये मांगे जाने व गाली-गलौज/धमकी दिये जाने के साक्ष्य का होना न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट सं0-5 दिनांक 8-1-2008 मय जुर्मखारिजा के द्वारा विवेचना समाप्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की हिन्डन नदी को प्रदूषण से मुक्त कराये जाने की मांग

90-श्री सुनील शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में हिन्डन नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिये कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। राष्ट्रीयनदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशन में यमुना कार्य योजना फेज-2 के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर हेतु सीवरेज का विस्तृत प्राक्कलन विरचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद के शालीमार गार्डेन एवं जनकपुरी में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

91-श्री सुनील शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद की शालीमार गार्डेन एवं जनकपुरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हर तीसरे दिन होती है जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति कब तक सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री विनोद चतुर्वेदी-

[3सरे गुरुवार के अ ता0 प्र0 सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में मेडिकल कालेज के निर्माण पर आवंटित धनराशि

93-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है ? सरकार द्वारा उक्त मेडिकल कालेज का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 50.00 करोड़ (माह सितम्बर, 2007) में एवं रु0 92.15 करोड़ (माह फरवरी, 2008) कुल रु0 142.15 करोड़ अवमुक्त की जा चुकी है।

उक्त मेडिकल कालेज के निर्माण को दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद ज्योतिबा फूले नगर के औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में कैमिकल्स फैक्ट्रियों के जहरीले पानी को गंगा नदी में मिलने से रोकने सम्बन्धी कार्यावधि

94-श्री धर्मपाल यादव (डी0 पी0 यादव)-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गजरौला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कैमिकल्स फैक्ट्रियों का जहरीला पानी विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर तथा सहसवान जनपद बदायूं से होता हुआ गंगा जल को प्रदूषित करता है जिससे लोगों में गम्भीर बीमारियां होने का खतरा बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जहरीले पानी को गंगा नदी में मिलने से रोकने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जनपद ज्योतिबाफूले नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र गजरौला में दो कैमिकल इकाइयां मेसर्स जुबिलेण्ट आर्गानोसिस लि0 एवं मेसर्स इन्सिलको लि0 स्थापित व संचालित है।

मेसर्स जुबिलेण्ट आर्गानोसिस लि0, गजरौला में प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। शुद्धीकृत उत्प्रवाह को पुनः प्रोसेस में प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे उत्प्रवाह का निस्तारण शून्य है। दिनांक 14-02-08 के निरीक्षण के दौरान उक्त व्यवस्था कार्यरत पायी गयी।

मेसर्स इन्सिलको लि0 गजरौला में प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। दिनांक 24-01-08 के निरीक्षण के दौरान एकत्रित उत्प्रवाह का नमूना बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया। शुद्धीकृत उत्प्रवाह बगद नदी में निस्तारित किया जाता है। बगद नदी जो जनपद बदायूं के ग्राम गवां से महोबा नदी कहलाती है, लगभग 200 कि0मी0 की दूरी तय करने के पश्चात् बदायूं में कछला घाट पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है।

जनपद बदायूं के थाना जरीफनगर के अन्तर्गत मालपुर जंगल के वन दरोगा श्री वीरपाल सिंह एवं वन रक्षक श्री जमुना प्रसाद के गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट

95-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 सितम्बर, 2007 को थाना जरीफनगर जनपद बदायूं क्षेत्रान्तर्गत खैर के जंगल में वन विभाग के दरोगा व जमुना सिंह का अपहरण हुआ था, जिसमें अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद बदायूं के थाना जरीफनगर के अन्तर्गत मालपुर जंगल में वन दरोगा श्री वीरपाल सिंह एवं वन रक्षक श्री जमुना प्रसाद के गुम होने की सूचना पर दिनांक 29-9-07 को थाना जरीफनगर में रोजनामचा आम रपट नं0-49 समय 23.55 पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में वादी श्री आर0 एस0 वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, सहसवान रेंज, बदायूं की सूचना पर उक्त गुमशुदगी मु0अ0सं0-421/07 धारा-364ए भादवि बनाम अज्ञात में परिवर्तित हुई। अभियोग पंजीकरण के उपरान्त विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों में से अभियुक्त रामदास एवं सतीश चन्द्र शर्मा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान दिनांक 27-10-07 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके सम्बन्ध में अ0सं0-470/07, धारा 147, 148, 149, 307 भादंवि पंजीकृत हुआ। अभियुक्त यासीन उर्फ यामीन को दिनांक 7-2-08 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त चन्द्रभान उर्फ छंगा किसी अन्य अभियोग में गिरफ्तार होकर जेल गया जिसका वारंट 'बी' बनवा कर कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अपहृतों की बरामदगी हेतु स्थानीय पुलिस की विभिन्न टीमें गठित कर सभी सम्भावित स्थानों में प्रभावी दबिश दिलायी गयी तथा गंगा के कटरी क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल सहित काम्बिंग आदि के दौरान उक्त दोनों वन कर्मियों को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। प्रश्नगत अभियोग में कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिये कड़े प्रयास किये जा रहे हैं।

घटना में अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में तालाबों/पोखरों की खुदाई

96-श्री लालजी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में कितने तालाबों/पोखरों की खुदाई कराये जाने का लक्ष्य वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2007-2008 तक रखा गया है ? अब तक कितने तालाबों/पोखरों की खुदाई हो चुकी है तथा कितने बाकी हैं ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 559 तालाबों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अब तक 240 तालाबों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किया जा चुका है तथा 03 तालाबों का कार्य प्रगति पर है एवं 316 तालाबों का कार्य बाकी है।

जी हां। विवरण माननीय सदन के पटल† पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 248 पर)

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में कर्मचारियों हेतु आवासीय कालोनी का निर्माण

97-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में कर्मचारियों हेतु आवासीय कालोनी निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी का निर्माण कार्य विगत कितने वर्षों से कराया जा रहा है ? इसकी निर्माण एजेंसी कौन हैं तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कराकर कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? इस कार्य की मूल प्राक्कलित लागत तथा अंतिम पुनरीक्षित लागत क्या है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

माह अगस्त, 2004 से।

निर्माण एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर है। आवासीय भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराकर हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

कार्य की मूल प्राक्कलित लागत रु0 66.33 लाख है। पुनरीक्षित लागत की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

जनपद गोण्डा के थाना/कोतवाली में दर्ज वारदात एवं अपराध रोकने के उपाय

98-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में मई, 2007 से 22 जनवरी, 2008 तक किन-किन थाना क्षेत्रों/कोतवाली क्षेत्रों में कितने-कितने वारदात दर्ज हुये ? अब तक कितने वारदातों का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया ? क्या सरकार अपराधों को रोकने के लिये कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। प्रश्नगत अवधि में दर्ज वारदातों का विवरण एवं पुलिस द्वारा खुलासा किये जाने का विवरण निम्न है :-

क्र0सं0	थाना	भादवि अन्तर्गत दर्ज कुल वारदातों की संख्या	पुलिस द्वारा खुलासा किये गये वारदातों की संख्या
1	थाना को0नगर	151	121
2	थाना को0 देहात	49	48
3	थाना इटियाथोक	40	38
4	थाना खरगूपुर	42	40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	थाना	भादवि अन्तर्गत दर्ज कुल वारदातों की संख्या	पुलिस द्वारा खुलासा किये गये वारदातों की संख्या
5	थाना मनकापुर	150	145
6	थाना छपिया	49	48
7	थाना मोतीगंज	28	26
8	थाना थानेपुर	39	38
9	थाना खोडारे	32	31
10	थाना तरबगंज	64	62
11	थाना नवाबगंज	49	48
12	थाना वजीरगंज	33	31
13	थाना उमरीबेगमगंज	33	31
14	थाना करनैलगंज	88	88
15	थाना परसपुर	61	58
16	थाना कटराबाजार	38	38
17	थाना कौडिया	20	20
	योग :	966	911

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु जनपदीय स्तर पर उक्त अवधि में अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत एन.एस.ए.-10, गैंगेस्टर ऐक्ट-46 गुण्डा अधिनियम-246, एन.डी.पी.एस. ऐक्ट-51, शस्त्र अधिनियम-451, आबकारी अधिनियम-95 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराधों की रोकथाम हेतु 985 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

अपराधों की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर प्रभावी गश्त/पिकेट्स व एण्टी रोडहोल्डिंग आदि की ड्यूटी लगाकर कार्यवाही करायी जा रही है। जनपद में घटनाओं के घटित होने पर उनमें जनपद पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जनपद के सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की मांग

99-श्री मदन चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु कितनी टंकियों का निर्माण अब तक करा दिया गया है तथा कितनी शेष हैं ? शेष पानी की टंकियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़मुक्तेश्वर नगर में पीने की पानी की आपूर्ति हेतु दो टंकियों तथा ग्रामीण क्षेत्र में तीन टंकियों का निर्माण अब तक करा दिया गया है। नगर क्षेत्र में एक टंकी (ब्रजघाट पेयजल योजना में) तथा सात टंकियों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र की सात पेयजल योजनाओं में शेष है।

नगर क्षेत्र में ब्रजघाट पेयजल योजना में एक टंकी का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्र में दो टंकियों का निर्माण माह मार्च, 2008 तक, एक टंकी का निर्माण जून, 2008 तक तथा शेष चार टंकियों का निर्माण मार्च, 2009 तक करा दिया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर में पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन आदि के कार्यों में अनियमितता की जांच

100-श्री मदन चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, गढ़मुक्तेश्वर में पेयजल आपूर्ति हेतु डाली गयी पाइप लाइन व तत्सम्बन्धी अन्य अनियमितताओं एवं गुणवत्ता आदि की जांच लम्बित है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रकरण में जांच की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

101-श्री मदन भैया

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बदायूं के नगरीय क्षेत्र बिसौली में पेयजल की समस्या के निदान की योजना

102-श्री धर्मपाल यादव (डॉ0 पी0 यादव)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विशेषकर सहसवान और बिसौली विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल समस्या के निदान हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

दोनों विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानक 40 एल0पी0सी0डी0 एवं नगरीय क्षेत्र में मानक 70 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। नगरीय क्षेत्र बिसौली में पाइप लाइन पुनर्गठन योजना का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डाधाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु उपलब्ध धनराशि

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा धाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? सौन्दर्यीकरण हेतु अब तक क्या कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डाधाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निम्नवत् धनराशि उपलब्ध करायी गयी है :--

(1) वर्ष 2004-05	-	रुपया 5.86 लाख
(2) वर्ष 2005-06	-	रुपया 0.78 लाख
(3) वर्ष 2006-07	-	रुपया 4.41 लाख

(1) वर्ष 2004-05 में कुण्डाधाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु मन्दिर में मार्बल फ्लोरिंग, विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है।

(2) वर्ष 2005-06 में कुण्डाधाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु सी0सी0 रोड का कार्य कराया गया है।

(3) वर्ष 2006-07 में कुण्डाधाम पट्टी के सौन्दर्यीकरण हेतु 2 यात्री शेड, हैण्डपम्प एवं बेन्चेज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसकी वित्तीय प्रगति 3.87 लाख एवं भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराराऊ की नजूल भूमि पर अवैध कब्जा

104-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में नजूल की कुल कितनी भूमि है तथा उसमें से कितनी भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? क्या सरकार अवैध कब्जेदारों से नजूल भूमि खाली करायेगी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद् सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में नगर पालिका अभिलेखों के अनुसार कुल नजूल भूमि 2,00,039 वर्गमीटर है। उक्त नजूल की भूमि में से 1179 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा है।

नगर पालिका परिषद्, सिकन्दराराऊ द्वारा उक्त अवैध कब्जों के 30 अतिक्रमण चयनित किये गये हैं, जिनको बेदखल किये जाने हेतु नगर पालिका द्वारा नोटिस निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के विधान भवन परिसर के प्रवेश-पत्र कार्यालय के ऊपर फूड प्लाजा व फूड माल बनाये जाने की मांग

105-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन परिसर के चारों ओर से रेस्टोरेंट हटाने से सचिवालय कर्मियों एवं आगन्तुकों को भोजनावकाश के समय अपनी सुविधानुसार एवं मनपसंद नाश्ता मिलने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु प्रवेश पत्र कार्यालयों की ऊपरी मंजिल पर सुरक्षित फूड प्लाजा तथा गेट नं0-10 पर उच्च स्तरीय एवं सुरक्षित फूड माल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि बापू भवन चौराहे से श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन की और राज भवन की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पर फेरी वाले, ठेला लगाने वाले तथा अन्य अनधिकृत दुकान लगाने वालों को हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय खानपान निगम द्वारा सचिवालय कर्मियों एवं आगन्तुकों के भोजनावकाश के समय अल्पाहार के लिये कैन्टीन की व्यवस्था सचिवालय परिसर में विद्यमान है।

जनपद सिद्धार्थनगर की आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग की डिस्पेंसरी की संख्या एवं मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती

106-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कितने आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग की डिस्पेंसरियां संचालित हैं ? क्या उक्त डिस्पेंसरियों पर मानक के अनुसार स्टाफ तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि डिस्पेंसरियों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्षवार कितना-कितना धन वर्ष 2005 से अब तक दिया जा चुका है ? उसका विवरण क्या है ?

कु0 मायावती-

जनपद सिद्धार्थनगर में 38 आयुर्वेदिक तथा 02 यूनानी कुल 40 चिकित्सालयों (डिस्पेंसरी) संचालित हैं।

जी नहीं।

स्टाफ की स्थिति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पत्रों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों को न भरे जाने का कारण
1	चिकित्सा अधिकारी	43	12	31	प्रश्नगत पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं। इन पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन आयोग को भेजे गये हैं। आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करके रिक्त पदों को भरा जायेगा।
2	फार्मासिस्ट	40	40	--	--
3	स्टाफ नर्स	8	3	5	विभाग में प्रशिक्षित स्टाफ नर्स उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त हैं। स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पत्रों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों को न भरे जाने का कारण
4	सिस्टर	2	--	2	प्रश्नगत पद पदोन्नति का पद है स्टाफ नर्स की वरिष्ठता निर्धारित न होने के कारण रिक्त 02 पदों को नहीं भरा गया है। दिनांक 13-11-07 को वरिष्ठता निर्धारित कर दी गई है। निदेशक आयुर्वेद द्वारा रिक्त 02 पदों पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।
5	शल्य (वार्ड व्याय)	43	41	2	शासनादेश दि0 27-6-06 में आदेशानुसार प्रश्नगत पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जानी है। तद्नुसार क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
6	स्वच्छक कम चौकीदार	35	17	18	02 पद संविदा पर भरे जाने हैं। शेष 16 स्वच्छक कम चौकीदार के पदों पर भर्ती/नियुक्ति पर शासनादेश दि0 12-12-06 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी। शासनादेश दि0 12-2-08 द्वारा प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार अब रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद सिद्धार्थनगर के चिकित्सालयों (डिस्पेंसरी) हेतु वित्तीय वर्षवार निम्नवत् धनराशि स्वीकृति की गई है :-

वित्तीय वर्ष	प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि
2005-06	लघु निर्माण/अनुरक्षण कार्य हेतु	20,000
2006-07	--	--
2007-08	--	--

प्रदेश के कतिपय आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

107-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों (लखनऊ व बरेली, पीलीभीत, बनारस इलाहाबाद आदि) में सी0सी0आई0एम0 के पद वर्ष 2006 व 2007 में स्वीकृत किये गये थे परन्तु उन पर नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या 31 मार्च, 2008 के बाद उक्त स्वीकृत पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पदों पर नियुक्ति करने की कार्यवाही की जायेगी ? इसमें विलम्ब किये जाने का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ?

कु0 मायावती-

जी हां।

शासनादेश दि0 14-9-08 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरण संवर्गवार निम्नवत् है :-

शिक्षक संवर्ग

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	प्रोफेसर	93
2	रीडर	90
3	सीनियर लेक्चरर	282
4	लेक्चरर	173
	योग :	638

शिक्षणेत्तर संवर्ग

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	लैब टैक्नीशियन	168
2	टंकक	146
3	म्यूजियम कीपर	154
4	चपरासी	262
5	स्वीपर	109
	योग :	827
	महायोग :	1465

जी नहीं। उपर्युक्त पदों में शिक्षक संवर्ग के सभी पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं जिन पर चयन की कार्यवाही गतिमान है।

शिक्षणेत्तर संवर्ग के स्वीकृत पदों पर भर्ती/नियुक्ति की जायेगी।

इन पदों पर भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है।

जनपद सिद्धार्थनगर में होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरियों की संख्या एवं औषधियों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि

108-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कितने होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरियां कार्यरत हैं ? उक्त अस्पतालों में वर्ष 2003-04 से जनवरी, 2008 तक कितनी धनराशि दवाओं की खरीद हेतु दी जा चुकी है ?

कु0 मायावती-

जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 20 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं।

उक्त चिकित्सालयों हेतु वर्ष 2003-04 से जनवरी, 2008 तक होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर को कुल रु0 6,44,000/- की धनराशि आवंटित की गई है।

जनपद महामायानगर के तहसील मुख्यालय सादाबाद में अग्निशमन उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

109-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के तहसील मुख्यालय-सादाबाद में अग्निशमन उपकेन्द्र सीपित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत स्थल पर निगट भविष्य में अग्निशमन उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नफीस नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट में वृक्षारोपण हेतु पौधों की आपूर्ति का भुगतान कराये जाने की मांग

110-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर के आदेश सं0-863/एस0टी0/वृक्षारोपण/ बी0डी0ओ0/2006-07, दिनांक 21-07-2006 के क्रम में

नफीस नर्सरी मलिहाबाद (लखनऊ) द्वारा विकास खण्ड तालबेहट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पौधों की आपूर्ति की गयी थी जिसका भुगतान विगत 18 माह से लम्बित है ? यदि हां, तो विलम्ब हेतु दोषी कौन है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। चूंकि वृक्षारोपण हेतु आपूर्ति किये गये पौधे अपेक्षित गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। अतः आपूर्तिकर्ता मे0 नफीस नर्सरी को भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नफीस नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा में वृक्षारोपण हेतु आपूर्ति पौधों का भुगतान कराये जाने की मांग

111-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर के आदेश सं0-153/एस0 टी0/वृक्षारोपण/ 2006-07, दिनांक 29-08-2006 के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधों की आपूर्ति ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा में की गयी थी जिसका भुगतान 15 ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना था ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर द्वारा नफीस नर्सरी के द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों का तत्काल भुगतान करने हेतु आदेश संख्या-1788/बी-19/नरेगा/ वृक्षारोपण/2007-08, दिनांक 27-11-2007 के बाद भी उक्त ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, जखौरा ने अपने पत्र संख्या-मेमो/2-लेखा/नरेगा/पौध/07-08 दिनांक 22-02-2008 के द्वारा तीन ग्राम पंचायतों को एक पक्ष में भुगतान करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। शेष सभी का भुगतान किया जा चुका है ?

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा पौधों की आपूर्ति का भुगतान

112-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर के आदेश सं0-863/एस0 टी0/वृक्षारोपण/बी0डी0ओ0/2006-07 दिनांक 21-07-2006 तथा पत्रांक

सं0-153/एस0टी0/वृक्षारोपण/2006-07, दिनांक 29-8-2006 के क्रम में एवं खण्ड विकास अधिकारी महरौनी के आदेश संख्या 604/लेखा/पौधा/2006-07, दिनांक 07-08-2006 के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के पौधों की आपूर्ति का भुगतान विकास खण्ड महरौनी, जनपद ललितपुर की 32 ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना शेष है ? इस सम्बन्ध में भुगतान से सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर के प्रथम आदेश संख्या-292-ए/दिनांक 31 मई, 2007 द्वितीय आदेश सं0-496/वी-19/नरेगा/वृक्षारोपण/2007-08 दिनांक 26-6-2007 तृतीय रेडियोग्राम (वायरलेस आदेश सं0-609/वी-19/नरेगा/ वृक्षारोपण/2007-08, दिनांक 29 जून, 2007 तथा चौथे आदेश सं0-1788/वी-19/नरेगा/वृक्षारोपण/2007-08, दिनांक 27-11-2007 के बाद भी खण्ड विकास अधिकारी महरौनी द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं कराया गया ? यदि हां, तो पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी महरौनी के पत्र सं0-967 दिनांक 23 फरवरी, 2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विकास खण्ड के 48 ग्राम पंचायतों में पौधों की आपूर्ति नफीस नर्सरी मुजासा, मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा की गई थी, उक्त के सापेक्ष 16 ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान कर दिया गया है, शेष 32 ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के बन्दी गृह में विचाराधीन बन्दियों व सजा प्राप्त बन्दियों की संख्या

113-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के बन्दी गृह में दिनांक 20-01-08 तक विचाराधीन बन्दियों और सजा प्राप्त बन्दियों की संख्या कितनी-कितनी है तथा बन्दीगृह की क्षमता कितनी है ? क्या बन्दी कैदियों की संख्या के अनुपात में बन्दी रक्षकों एवं डिप्टी जेलर की तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 20-01-2008 की स्थिति के अनुसार जिला कारागार, उन्नाव में कुल 1090 बन्दी निरुद्ध थे जिनमें 898 विचाराधीन बंदी एवं 192 सजा प्राप्त बन्दी हैं। कारागार की क्षमता 650 है।

जेल मैनुअल के प्रस्तर-971 में विभिन्न श्रेणी के कारागारों के लिये डिप्टी जेलर के पदों के सृजन की व्यवस्था दी गई है। जेल मैनुअल में बंदीरक्षक के पदों के सृजन के सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित नहीं है। जिला कारागार उन्नाव प्रथम श्रेणी की कारागार है, जिसमें वर्तमान में डिप्टी जेलर के सृजित 05 पदों के सापेक्ष 04 पदों पर डिप्टी जेलर तथा बन्दीरक्षक संवर्ग में कुल 134 सृजित पदों के सापेक्ष 127 पदों पर कार्मिक तैनात हैं।

जनपद उन्नाव के थाना सोहरामऊ के ग्राम सरौती में ट्रैक्टर चालक श्री ठाकुर प्रसाद की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

114-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना सोहरामऊ के अन्तर्गत ग्राम सरौती में दिनांक 30-12-07 को 200 बजे दिन में अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर चालक श्री ठाकुर प्रसाद पुत्र श्री पुत्तीलाल व ट्रैक्टर नं0 यू0पी0-32 बी0एन0-0035 को पुवाल लादने के बहाने ले गये तब से आज तक ट्रैक्टर चालक मय ट्रैक्टर के वापस नहीं आया ? क्या इसकी लिखित सूचना थाना सोहरामऊ में ट्रैक्टर मालिक श्री चन्द्रिका प्रसाद ने दि0 3-01-08 व दि0 11-1-08 को दर्ज करायी है ? यदि हां, तो थाना सोहरामऊ व जनपद उन्नाव द्वारा उक्त मुकदमा किस तारीख में किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ ? क्या सरकार इस प्रकरण पर कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 11-01-08 को ट्रैक्टर मालिक श्री चन्दिका प्रसाद निवासी पिपहरी थाना बंथरा जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना कि ट्रैक्टर चालक ठाकुर प्रसाद निवासी सरौती थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ट्रैक्टर संख्या-यू0पी0-32 बी0एच/0035 दिनांक 30-12-07 को अपने गांव सरौती से पुवाल लादने हेतु ग्राम कुंजनपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव ले गया था जो वापस नहीं आया, पर थाना सोहरामऊ में दिनांक 11-01-08 को गुमशुदगी दर्ज की गई।

इसी मध्य दिनांक 31-12-07 को थाना गंगाघाट उन्नाव में अज्ञात पुरुष का शव ग्राम बिजमामऊ के ऊसर में पाये जाने पर एवं मृतक की पत्नी श्रीमती इन्द्राणी द्वारा पहचान कर लेने पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0-निल/08 धारा 328/304/201/406 भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0 118/08 धारा 328/304/201/406 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। घटना को अंजाम देने वाले सभी अभियुक्त कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

115-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे ? उसमें किन-किन कार्यों को लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा अंगीकार कर लिया गया है और उनके रख-रखाव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 फेज-3 (विश्वबैंक) में 7 मार्ग वर्ष 2005-06 फेज-4 में 11 मार्ग, वर्ष 2006-07 फेज-5 में 10 मार्ग एवं वर्ष 2006-07 में फैज-5 (विश्वबैंक) पोषित में 6 मार्ग तथा फेज-6 में 01 मार्ग स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (लाख रु0)
वर्ष 2003-04 (फेज-3 विश्व बैंक)		
1-छतौना नरवारी मार्ग	2.90	63.75
2-अमरगढ़ राजाबाजार से उमापुर मार्ग	1.30	27.56
3-पट्टी बन्धवा से बेंसार मार्ग	1.85	42.31
4-धरौली मरघूपुर कैनालपुर से रामगढ़ा	0.58	11.97
5-पट्टी कोहड़ौर से वारीखुर्द मार्ग	1.25	26.07
6-अमापुर से धानीपुर मार्ग	1.45	26.59
7-अमरगढ़ तेलियानी नहर से चिलांवा मार्ग	1.08	23.18
वर्ष 2005-06 (फेज-4)		
1-अकबरपुर कादीपुर चांदा पट्टी से जौनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से मरियमपुर	1.10	25.71
2-डी0आर0पी0के0 मार्ग से बसौली	1.35	27.61
3-बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से रामगंज से बरछौली सम्पर्क मार्ग	1.35	28.10
4-बेल्हा पट्टी ढकवा से गोहानी	1.35	28.26
5-ढकवा हिम्मतपट्टी से बनवीरपुर मार्ग	1.30	28.10
6-बेल्हा पट्टी ढकवा से उमरडीहा मार्ग	1.35	28.60
7-बेल्हा पट्टी ढकवा से धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से भीखमपुर सम्पर्क मार्ग	1.25	22.96
8-कोहड़ौर चन्दौका से लौलीपुख्त मार्ग	1.15	22.71
9-डी0आर0पी0के0 से इटहरा मार्ग	2.95	57.45
10-डी0आर0पी0के0 से नरायणपुर गंगेहटी से सागर सराय मार्ग	1.35	25.85
11-बेल्हा पट्टी ढकवा से ढेडुआ मार्ग	0.90	17.38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (लाख रु0)
वर्ष 2006-07 (फेज-5)		
1-डी0आर0पी0के से मिसरौली मार्ग	1.20	23.83
2-डी0एम0 मार्ग से कम्पाहारी मार्ग	0.65	16.67
3-डी0आर0पी0के0 मार्ग से रघुरामपुर मार्ग	0.85	18.88
4-आर0के0 मार्ग से इशानपुर कुजरौटी मार्ग	1.00	29.58
5-एन0एच0-96 छोलाहा से परसरामपुर मार्ग	1.10	22.51
6-एन0एच0-96 कांधरपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ	0.70	15.90
7-पट्टी से राजा बाजार मार्ग	10.25	187.87
8-दीवानगंज मंगरौरा मार्ग	9.00	170.45
9-कोहड़ौर चन्दौका मार्ग	9.50	178.96
10-पट्टी से पटखौली मार्ग	19.00	462.86
वर्ष 2007-08 (फेज-5 विश्व बैंक)		
1-बी0पी0डी0 मार्ग से रामगंज नहर पटरी से देवरखा अहिरान मार्ग	1.00	27.68
2-ए0के0सी0पी0 मार्ग धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से लखनूडीह अहिरान मार्ग	1.95	40.64
3-नरायणपुर मुजाही बाजार से रानीपुर	1.00	30.05
4-ए0के0सी0पी0 से लवेदा ठकुरान मार्ग	2.00	30.87
5-बी0पी0डी0 मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग	3.00	14.96
वर्ष 2007-08 (फेज-6)		
1-पट्टी चांदा से दाउदपुर मार्ग	14.00	316.32

उपरोक्त में से किन्हीं कार्य को भी प्रान्तीय खण्ड द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों का रख-रखाव कार्य पूर्ण होने के 5 वर्षों तक संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम सभा वृन्दावन में खारे पानी की समस्या के निदान के उपाय

116-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत गांव सभा-वृन्दावन, वि0 खं0 प्रतापगपुर के यादव बस्ती में खारे पानी के

कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जंघई ग्राम समूह पेयजल योजना से वृन्दावन के यादव बस्ती में पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद जौनपुर के मुख्यालय बदलापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की मांग

117-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील मुख्यालय बदलापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद जौनपुर के तहसील मुख्यालय बदलापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जौनपुर से आख्या/प्रस्ताव मांगा गया है।

जनपद मिर्जापुर की नगर पालिका परिषद् शाहगंज की सीमा बढ़ाये जाने की कथित मांग

118-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में स्थित नगर पालिका परिषद्-शाहगंज की क्षेत्र सीमा बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में इन्दिरा आवास के आवंटन में धांधली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

119-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवरा (अम्बेडकर ग्राम) विकास खण्ड शंकरगढ़ इलाहाबाद के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के आवंटन में हो रही धांधली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 638463 दिनांक 23-1-2008 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि चयनित पात्र लाभार्थियों को जिनका नाम 2002 की स्थायी पात्रता सूची में दर्ज है तथा आवास हेतु बैंक खाता खोला जा चुका है, को इन्दिरा आवास आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, शंकरगढ़ एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 इलाहाबाद से कराई गई है। स्थायी पात्रता सूची में ग्राम प्रधान या किसी अन्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। स्थाई पात्रता सूची बेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। सूची में पात्र लाभार्थियों को ही आवास आवंटित किया गया है।

स्थाई पात्रता सूची के पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। जो अपात्र लाभार्थी हैं, उन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया है। यद्यपि इनका नाम स्थाई पात्रता सूची में है इन्होंने अपने से अपना खाता खुलवा लिया है। इन्हें खाता खोलवाने के लिये शासकीय स्तर पर कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

जनपद कौशाम्बी में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

120-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-638469, दिनांक 23-01-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? कया उक्त व्यक्तियों के फर्जी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर असलहे जब्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में रिक्शा क्रय/वितरण में भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र

121-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20-9-2007 को जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड इटवा में आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के आगमन पर क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अब्दुल सलाम को श्री नियाज अहमद के नेतृत्व में वहां की जनता ने विकास खण्ड इटवा के रिक्शा क्रय करने व रिक्शा वितरण के भ्रष्टाचार तथा 17 लाख रुपया क्षेत्र पंचायत प्रमुख व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना कार्य कराये फर्जी कार्य दिखाकर निकाल लेने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गयी और दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के लालकुआं भेड़ी मंडी में जल संस्थान द्वारा गन्दे पानी की सप्लाई की जांच

122-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के वार्ड सं0-68 लालकुआं भेड़ी मण्डी में जल संस्थान द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी बहुत ही बदबूदार व गन्दा है ? जिससे वहां गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी को शुद्ध करके सप्लाई करने व इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उदयगंज के सुलभ शौचालया के पास कूड़ाघर व अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

123-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की उदयगंज सड़क के सुलभ शौचालय के पास वर्षों से स्थित कूड़ा पड़ाव को हटा कर अवैध गुमटियां रखवा दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर वहां पर पक्का कूड़ाघर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद लखनऊ की उदयगंज सड़क के सुलभ शौचालय के पास वर्षों से स्थित कूड़ा पड़ाव पर सितम्बर, 2006 से कूड़ा डालना बन्द कर दिया गया है। स्थल पर नगर निगम द्वारा गुम्टी नहीं रखवाई गई है। बल्कि अवैध रूप से रखी 5 गुम्टियों को हटवा दिया गया है।

जी नहीं।

पक्का कूड़ाघर बनाने हेतु पर्याप्त एवं समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना-इटवा के ग्राम फरेदी में श्री गोरे पुत्र श्री मालू की राहजनी मुकदमा न लिखे जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

124-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रत्र दिनांक 17 अगस्त, 2007 जो श्री गोरे पुत्र श्री भालू, ग्राम फरेदी थाना-इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर से रु0 40000/- (चालीस

हजार) की राहजनी का मुकदमा न लिखे जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

आवेदक गोरे पुत्र भालू सा0 फरेंदी थाना इटवा द्वारा दिनांक 7-6-07 को एक आवेदन-पत्र बावत पास बुक व पैसा एक झोले में रखकर साइकिल के पीछे दबाकर इटवा बाजार जाते समय कहीं गिर जाने के सम्बन्ध में थाना इटवा पर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में तसकिरा गुमशुदगी वहवाले रपट नं0 17 दिनांक 7-6-07 रो0आ0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पर अंकित किया गया। थाना इटवा के कर्मचारियों द्वारा काफी छानबीन कराई गई परन्तु कुछ पता नहीं चला।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रत्येक विधान सभा के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित मार्ग

125-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-6 एवं फेज-7 में कौन-कौन से मार्ग एवं कितनी लम्बाई के चयनित किये गये हैं ? क्या स्वीकृत मार्गों के निर्माण कार्य शुरू करने एवं पूर्ण किये जाने की तिथि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा वार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-6 के अन्तर्गत चयनित किये गये मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

विधान सभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)
पट्टी	पट्टी चांदा मार्ग से दाऊदपुर	14.00
बीरापुर	शंकरगंज दुर्गागंज मार्ग से मुआरआधार गंज मार्ग	16.00
गड़वारा/सदर	सण्डवा चन्द्रिका से प्रतापगढ़	16.00
रामपुर खास/बिहार	एल0के0 रोड से रामपुर धारूपुर डेरवा	13.00
कुण्डा	कुण्डा से हौदेश्वरनाथ	11.00
कुण्डा	मानिकपुर से लाला बाजार	7.00

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत अभी कोई मार्ग चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

फेज-6 के चयनित मार्गों की स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक पी-17024/26/2008-आर0सी0 दिनांक 08-02-2008 द्वारा प्राप्त हो गई है। निविदा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना पवांरा के भवन निर्माण एवं विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी जानकारी

126-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मछली शहर, जनपद जौनपुर में इलाहाबाद-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना पवांरा का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है किन्तु थाना-परिसर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अभी नहीं है तथा थाना किराये के भवन में स्थापित है ? यदि हां, तो थाना पवांरा को सरकारी भवन में स्थापित किये जाने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जौनपुर से आगणन तैयार कराया जा रहा है। नवनिर्मित भवन में विद्युत की व्यवस्था पूर्ण होते ही थाना पवांरा को किराये के भवन से हटाकर नव निर्मित भवन में स्थापित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पुलिस थानों में सी0ओ0 स्तर के अधिकारी की तैनाती

127-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस थानों में सी0 ओ0 स्तर के अधिकारियों की तैनाती क्या आरक्षणवार है क्या अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का आरक्षण तैनाती में पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आरक्षण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

(क) पुलिस थानों में सी0ओ0 स्तर के अधिकारियों की तैनाती नहीं होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ शहर में सुअर पालकों के विरुद्ध कार्यवाही

128-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में प्रतिबन्ध के बावजूद हजारों की तादाद में सुअर विचरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सुअर एवं सुअर पालकों का सर्वे कराकर विवरण उपलब्ध करायेंगे ? क्या उक्त समस्या के निदान हेतु निगम के अधिकारियों का लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। सुअर पालकों द्वारा सुअर वाड़ों के सुअरों को छोड़ने के कारण कभी-कभी स्थल पर सुअर दिखाई देते हैं।

लखनऊ नगर निगम द्वारा वर्ष 2004 में सर्वे कराया गया, जिसमें 151 सुअर पालक पाये गये।

जी नहीं।

छुट्टा सुअरों को पकड़ने हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा दिनांक 05-03-2008 को निविदा सूचना प्रकाशित कराई गई है। पिग कैचर उपलब्ध हो जाने पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जायेगी। नगर निमम लखनऊ द्वारा आवारा सुअरों को छोड़ने वाले 151 सुअर पालकों के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 के अन्तर्गत वाद दर्ज कराया जा चुका है। अब तक 206 सुअर पालकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही करके मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त आई0पी0सी0 की धारा-289 के अन्तर्गत दो सुअर पालकों के विरुद्ध हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा आवारा सुअरों को पकड़ते समय मारपीट व बाधा उत्पन्न करने आदि के कारण दिनांक 1-8-2001 को 8 सुअर चालकों के विरुद्ध थाना गाजीपुर में मु0अ0सं0-362/2001 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण की टी0ए0सी0 जांच

129-श्री लालजी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में वर्ष 2007 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण व मिट्टी कार्य कहां-कहां कराया गया है ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बिना कार्य कराये फर्जी कार्य ही कागजों पर दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007 में कुल 06 कार्य स्वीकृत हैं, जिसका विवरण संलग्न† है।

कार्य फर्जी मात्र कागजों पर कराने की कोई शिकायत पूर्व में नहीं प्राप्त हुई है।

उक्त कार्य की जांच टी0ए0सी0 से कराने के आदेश कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 249-250 पर)

जनपद लखनऊ में दुधारू पशु तथा सुअर पकड़ने में वसूले गये जुर्माने का विवरण

130-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में जुलाई, 07 से जनवरी, 08 तक कितने दुधारू पशु तथा सुअर पकड़े गये तथा अलग-अलग कितना जुर्माना वसूल किया गया ? क्या कैटल कैचिंग कर्मियों को सुअर पकड़ने हेतु प्रोत्साहित व दक्ष बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जुलाई, 2007 से जनवरी 2008 तक कुल 1479 दुधारू पशुओं तथा 41 सुअरों को पकड़वाया गया और उनमें रु0 2,11,825.00 का जुर्माना वसूल किया गया।

कैटल कैचिंग कर्मियों को सुअर पकड़ने हेतु प्रोत्साहित व दक्ष करने की योजना नहीं है।

नगर निगम लखनऊ द्वारा समय-समय पर ठेका पद्धति के आधार पर सुअरों को पकड़वाने की कार्यवाही की जाती है तथा आवारा सुअरों को छोड़ने वाले सुअर पालकों के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा-133 में वाद दर्ज कराया गया है। उक्त अवधि में 75 सुअर पालकों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत चालान कर दण्ड हेतु मा0 सी0जी0एम0 न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है।

131-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

132-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर निगम के इब्राहिमपुर वार्ड के द्वारिकापुरी में सड़क नाली निर्माण की मांग

133-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत इब्राहिमपुर वार्ड में मोहल्ला द्वारिकापुरी में आर0 के0 कम्पलेक्स के सामने चरन भट्ठा रोड से होते हुए मोहल्ला सरस्वतीपुरम् तक जाने वाले रास्ते पर सड़क एवं नाली निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है ? क्या उक्त सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सरस्वतीपुरम् प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा बसाई गई कालोनी है जहां पर विकास कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है। फिर भी उक्त कालोनी में कालोनाइजर्स द्वारा विकास कार्य कराये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ एवं सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर एवं वजीरपुर के अम्बेडकर ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के आवंटन के प्रकरण की जांच की मांग

134-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मनकापुर एवं वजीरपुर के अम्बेडकर ग्रामों एवं अन्य ग्रामों में वर्ष 2007-08 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवासों का आवंटन किया गया ? क्या इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन में निर्धारित मानक का अनुपालन न किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में क्षेत्र पंचायत मनकापुर में कुल 354 आवासों का आवंटन किया गया है जिसमें डा0 अम्बेडकर ग्राम में 319 एवं अन्य ग्रामों में 35 आवास आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत वजीरगंज में कुल 265 आवासों का आवंटन किया गया है, जिसमें डा0 अम्बेडकर ग्राम में 184 एवं अन्य ग्रामों में 81 आवास आवंटित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की थाना भवन में स्थित मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की दरगाह को पर्यटक स्थल बनाये जाने की मांग

135-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन में स्थित मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की दरगाह पर विश्व भर से आये श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस दरगाह को पर्यटक स्थल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह एक स्थानीय महत्व का स्थल है।

136-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के आवासीय क्षेत्रों की प्लास्टिक एवं पौलीथीन की फैक्ट्रियों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की मांग

137-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में आवासीय क्षेत्रों में प्लास्टिक एवं पालिथीन से बनने वाली वस्तुओं की कितनी फैक्ट्रियां चल रही है ? क्या सरकार नगर के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन फैक्टरियों को नगर से बाहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

लखनऊ जनपद में प्लास्टिक एवं पालीथीनों से बनने वाली वस्तुओं की कुल 53 फैक्ट्रियां स्थापित हैं।

इन फैक्ट्रीयों को प्रस्ताव के अभाव में शहर के बाहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी के पेयजल योजना हेतु आवंटित धनराशि का व्यय का विवरण

138-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी के लिए पेयजल योजना की सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि जल निगम निर्माण शाखा, प्रतापगढ़ को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो निर्माण शुरू होने की तिथि क्या है तथा अब तक किन-किन मदों में कितनी धनराशि खर्च की गयी ? शेष धनराशि का विवरण क्या है एवं अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

निर्माण शुरू होने की तिथि मार्च, 2003 है। व्यय की गई धनराशि का मदवार विवरण निम्न है :-

कार्य का नाम	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)
1-पम्प हाउस	1.20
2-शीर्ष जलाशय	21.00
3-वितरण प्रणाली	18.00
4-राइजिंग मेन	0.95
5-मिसलेनियस	2.10
6-नलकूप	12.40

7-पम्पिंग प्लान्ट	2.48
8-पावर कनेक्शन	3.06
9-क्लोरीनेटिंग प्लान्ट	0.25
10-कन्टीजेन्सी	2.60
11-वर्क चार्ज	1.16
	योग : 65.21

शेष धनराशि का विवरण निम्न है :-

1-सिविल कार्य	10.65
2-कन्टीजेन्सी	1.00
3-वर्क चार्ज	1.00
	योग : 12.65

सभी अधूरे कार्यों को दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

139-श्री मदन भैया-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत के विधायक कोटे के हैण्डपम्पों में प्रस्तावित स्थल न नामों की पट्टिकायें लगाये जाने की मांग

140-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैण्डपम्पों में अन्य जनपदों की तरह विधायकों के प्रस्तावित स्थल व नामों की पट्टिकायें लगा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्राक्कलन में नाम पट्टिका लगाने के नाम से अलग से प्रावधान नहीं हैं।

जनपद मथुरा की तहसील सदर की ग्राम सभा पाली खेड़ा के प्रधान द्वारा लेखपाल के विरुद्ध लिखाई रिपोर्ट पर कार्यवाही

141-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा पाली खेड़ा के अन्तर्गत प्रधान की शिकायत पर लेखपाल द्वारा मु0अ0सं0 338/07 धारा 341/447 आई0पी0सी0 थाना हाइवे में दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना श्री नेत्रपाल शर्मा, उप निरीक्षक द्वारा की गई। विवेचना में आरोपों की पुष्टि न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट सं0-50 दिनांक 29-5-07 प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित धनराशि

142-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में किन-किन ग्राम पंचायतों को किन-किन मदों में कितनी धनराशि आवंटित की गई एवं अब तक किन-किन मदों में कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत से करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में कुल 77 ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित धनराशि एवं आवंटित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों के द्वारा मदवार व्यय विवरण की 20 प्रतियां पटल कार्यालय पर रख दी गई हैं।

जी हां। स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक दिनांक 08-09-08-2007 को हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व सांसदों एवं विधायकों को सरकारी खर्च पर गनर/वाई श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने की जानकारी

143-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मा0 सांसद, विधायक व राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर दर्जा प्राप्त अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को वाई श्रेणी या अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है ? क्या पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों द्वारा भी सरकारी खर्च पर गनर प्रदान किये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वाई श्रेणी की सुविधा कतिपय ऐसे लोगों को भी प्रदान की गई है जिनके ऊपर अपराधिक, अपहरण, लूट, हत्या आदि के दर्जनों मुकदमें दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में किसी भी कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त नहीं कराई गई है।

जी हां।

दिनांक 4 मार्च, 2008 को प्राप्त सूचनानुसार कुल 115 मा0 पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों द्वारा सरकारी खर्च पर गनर प्रदान किये जाने की मांग की गई है।

जी हां।

जी हां।

सूचनी संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 251-253 पर)

जनपद मैनपुरी में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अल्पसंख्यकों का आरक्षण

144-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मैनपुरी में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्द्रा आवास योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिये 15% का आरक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुसार अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में अल्पसंख्यकों के लिये प्राविधान रु0 86.45 लाख के सापेक्ष रु0 23.36 लाख व्यय किया गया है, अर्थात् 27.02 प्रतिशत।

इन्दिरा आवास में अल्पसंख्यक लक्ष्य 251 के सापेक्ष 85 आवास दिये गये हैं अर्थात् 33.86 प्रतिशत।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में 535 के लक्ष्य के सापेक्ष 68 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किया गया है, अर्थात् 21.71 प्रतिशत।

शेष की पूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया हैं

प्रश्न नहीं उठता।

145-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रायबरेली के कतिपय विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को जॉबकार्ड एवं महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत

146-श्री राजाराम त्यागी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रायबरेली जनपद के विकास खण्ड बछरावां में रैन तथा थुलेण्डी महराजगंज वि0 खण्ड के पुरौना तथा कैर एवं शिवगढ़ वि0 खण्ड के कुम्हरावां तथा गूढ़ा ग्राम पंचायतों में अलग-अलग सभी पात्र परिवारों को जॉबकार्ड बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास अधिकारी व उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा जॉब कार्ड में अंकित मानव कार्य दिवसों का सत्यापन ग्राम पंचायत के मस्टर रोल से कर लिया गया है ? यदि हां, तो महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अलग-अलग ग्राम पंचायतों का क्या है ? क्या उक्त ग्राम पंचायतों के पंचायत मंत्री/ग्राम प्रधान द्वारा रोजगार गारन्टी के मानकों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः बछरावां विकास खण्ड के ग्राम रैन में 1.5 प्रतिशत, ग्राम थुलेण्डी में 2 प्रतिशत, शिवगढ़ विकास खण्ड के ग्राम कुम्हरावां में 3.32 प्रतिशत व ग्राम गूढ़ा में 7 प्रतिशत तथा महराजगंज विकास खण्ड के ग्राम घुरौना में 14.51 प्रतिशत व ग्राम कैर में 14.27 प्रतिशत है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र मल्लावां में नगर पंचायत कुरसठ से बांसा तक मार्ग निर्माण की लागत

147-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में नगर पंचायत कुरसठ से बांसा तक मार्ग का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत कराया गया है ? उक्त मार्ग के निर्माण में कितनी लागत आई है उसमें से कितना धन विधायक निधि का तथा कितना धन सांसद निधि का लगा है ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्नगत कुल 6.00 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण जिला योजना एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कराया गया है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु रु0 117.192 लाख स्वीकृत किया गया है। जिसमें से जिला योजना के अन्तर्गत रु0 96.60 लाख से 5.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया जा चुका

है तथा अवशेष 1.00 कि0मी0 लम्बाई में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु0 20.592 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 10.296 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है। विधायक निधि से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

जल निगम से सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता हसनैन खां के समस्त देयों का भुगतान तत्काल कराये जाने की मांग

148-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम की सेवा से दिनांक 30-06-2002 को सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं हसनैन खां को उनकी पूर्व की नियुक्ति की शाखाओं में काटे गये जी0पी0एफ0 ग्रेच्युटी से एक लाख एक हजार रुपये व अन्य की गई कटौतियों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त भुगतान के सम्बन्ध में उनके द्वारा मा0 मंत्री के साथ-साथ अध्यक्ष/प्रबन्ध, निदेशक/मुख्य अभियन्ता (अ-2-1) उ0प्र0 जल निगम को दि0 17-12-2006, 07-03-2007 व 30-04-2007 को पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हसनैन खां को जी0पी0एफ0 मद में देय सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1,09,569.00 का भुगतान वर्ष 2002 एवं 2003 में ही किया जा चुका है। ग्रेच्युटी मद की अवशेष धनराशि रुपया 1,01,000.25 में से रुपया 19,661.00 का भुगतान माह अक्टूबर, 2007 में किया जा चुका है और धनराशि रुपया 13,607.50 की स्वीकृति दिनांक 29-1-2008 को प्रदान कर दी गई है, जिसका भुगतान अविलम्ब कर दिया जायेगा। अवशेष धनराशि रुपया 67,731.75 का भुगतान श्री खां द्वारा निम्नलिखित मदों के समायोजन न कराये जाने के कारण अभी रोके रखा गया है :-

1-उनके नाम सामग्री मद में अवशेष धनराशि-रु0 10000/-

2-उनके नाम स्थायी उच्चनत की धनराशि-रु0 2000/-

3-उनके नाम अस्थाई उच्चनत की धनराशि- रु0 4943.75

4-वाहन अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि रु0 2320.00

5-दिनांक 13-9-97 से 28-2-98 की अवधि, जिसे सेवा काल माने जाने का प्रश्न अभी विवादित है, का मुख्य अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ के आदेश दिनांक 2-3-98 द्वारा विविध प्रकीर्ण से की गई वेतन भुगतान की धनराशि रु0 48,468.00 ।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, थाना सादुल्लाहपुर के ग्राम रफी बदलपुर के गौस मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद के शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण

149-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गौस मोहम्मद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम रफी बदलपुर, थाना सादुल्लाह नगर जनपद बलरामपुर ने फर्जी पता-थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस महामायानगर दिखाकर राइफल का लाइसेंस संख्या 10173 प्राप्त किया था ? क्या यह सही है कि जिला मजिस्ट्रेट हाथरस ने इस फर्जी लाइसेंस को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या धोखाधड़ी करने वाले गौस मोहम्मद पुत्र लाल मो0 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

श्री गौस मोहम्मद पुत्र श्री लाल मोहम्मद ने अपने शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र दिनांक 06-09-2000 में मो0 श्रीनगर कस्बा हाथरस थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस मूल निवासी रफी बादलपुर थाना सादुल्लानगर के पते से आवेदन किया था जिसमें पुलिस अधीक्षक हाथरस व बलरामपुर से पुलिस जांच में की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद हाथरस से लाइसेंस संख्या 10173/हाथरस गेट/ राईफल दिनांक 13-12-2000 को आगरा मण्डल की सीमा तक जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट हाथरस द्वारा अपने आदेश दिनांक 01-03-02 द्वारा उक्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था। लाइसेंसी द्वारा उक्त निरस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त आगरा मण्डल आगरा के समक्ष प्रस्तुत अपील पर आयुक्त आगरा मण्डल द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये जिला मजिस्ट्रेट हाथरस द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-03-2002 को अपास्त किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के नये भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

150-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के नये भवन हेतु कितने एकड़ भूमि एवं कितनी लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? भवन निर्माण करने वाली एजेन्सी कौन हैं तथा उसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

कु0 मायावती-

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के नये भवन हेतु गोमतीनगर के विभूति खण्ड में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। भवन की लागत रु0 706.03 करोड़ आंकलित की गयी है।

आगणन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में हनुमान मंदिर/शिवाला के लिये स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत का पत्र

151-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत हनुमान मन्दिर (रु0 9.63 लाख) अमरगढ़ भिवाला (रु0 10 लाख) दुर्गा मन्दिर (रु0 7.28 लाख) (सर्वजीतपुर) मंगरौरा शिवाला (8.84 लाख) के लिये स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3/465286, दिनांक 3-9-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम्य विकास अभिरणों की बैठकों का प्राविधान

152-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की बैठकें वर्ष भर में कितनी बार कराने का प्राविधान है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ में निर्धारित सारिणी के अनुरूप वर्ष 2003-04 में अब तक डी0आर0डी0ए0 की बैठकें कराई गई हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की बैठकें वर्ष में 4 बार कराये जाने का प्राविधान है।

डी0 आर0 डी0 ए0 प्रतापगढ़ में बैठकें आयोजित किये जाने का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष का नाम	आहूत बैठक की संख्या	बैठक आयोजित करने की तिथि
2003-04	01	26-8-2003
2004-05	02	26-6-2004
		11-12-2004
2005-06	01	16-7-2005
2006-07	01	29-6-2006
2007-08	02	25-8-2007
		29-12-2007

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बी0डी0सी0, जिला पंचायत ब्लाक प्रमुख सामान्य लोकसभा निर्वाचन, 2004 एवं सामान्य विधान सभा निर्वाचन, 2007 तथा लोकसभा एवं विधान सभा का सत्र आयोजित होने के कारण बैठकें समय से नहीं करायी जा सकीं।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

153-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में ब्लाक मंगरौरा, पट्टी आसपुर देवसरा में दिनांक 31-8-07 तक कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? सरकार द्वारा खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड-मगरौरा, पट्टी, आसपुर देवसरा में दिनांक 31-8-2007 तक 200 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे।

दिनांक 30-11-2007 तक स्थाई रूप से खराब 150 हैण्डपम्पों को रिबोर कर चालू करा दिया गया है। शेष स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य वित्तीय वर्ष 2008-09 में कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों के गांवों में स्वच्छ जल आपूर्ति की मांग

154-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी मंगरौरा के ग्रामों का जल प्रदूषित हो चुका है जिसके कारण पीलिया, कैंसर का रोग महामारी की तरह फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वच्छ जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा, पट्टी, मगरौरा की 74 बस्तियों के हैण्डपम्प के जल के नमूनों में रासायनिक अशुद्धियां अनुमन्य सीमा से अधिक पाई गई है, परन्तु इसके कारण पीलिया, कैंसर रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं है।

उक्त 74 गुणता प्रभावित बस्तियों में से 64 बस्तियों हेतु पाइप पेयजल योजना स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं, शेष 10 बस्तियों हेतु योजना तैयार कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का आवंटन

155-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? क्या जनपद के सभी अम्बेडकर ग्रामों में समानता के आधार पर इन्दिरा आवास योजना

का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद के सभी डा0 अम्बेडकर ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना का लाभ समान सिद्धान्त के अनुसार किया गया है। प्रत्येक डा0 अम्बेडकर ग्राम में इन्दिरा आवास आवंटन का आधार स्थायी प्रतीक्षा सूची है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में आदर्श जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत पानी की टंकी के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

156-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में आदर्श जिला योजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु वर्ष 2007 में कितनी और कहां-कहां पानी की टंकी (ट्यूबवेल सहित) निर्माण हेतु स्वीकृति हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि बछरावां विकास खण्ड के अन्तर्गत जीगो में टंकी के निर्माण हेतु मार्च, 2007 में 21 लाख 15 हजार रुपये अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड-13, मुन्शी पुलिया, लखनऊ को स्वीकृत हुए थे जिसमें लगभग आधा कार्य कराया जा चुका है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो अवशेष आधे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु बकाया धनराशि रु0 53 लाख अवमुक्त करके बकाया कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में शासनादेश संख्या-1975 (1)/35-4-2006 दिनांक 31-7-2006 द्वारा जनपद रायबरेली के ग्राम-जींगों, विकास खण्ड-बछरावां एवं ग्राम-बसन्तपुर-सकतपुर, विकास खण्ड-शिवगढ़ में पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 42.30 लाख एवं रु0 42.97 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुये जिलाधिकारी को पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

जिलाधिकारी, रायबरेली के द्वारा ग्राम-जींगो के प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध प्रथम किश्त के रूप में रु0 21.15 लाख अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (द्वितीय) रायबरेली को आदेश दिनांक 18-01-07 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। इस धनराशि से नलकूप का छिद्रण कर विकास का कार्य कर दिया गया है।

कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रु0 21.15 लाख कार्यदायी संस्था जल निगम को अवमुक्त कर दी गयी है। कार्य पूर्ण करने के लियेकोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी महानगर में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर सफाई कर्मियों को नियुक्त करने की मांग

157-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी महानगर में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर सफाई व्यवस्था के लिये कितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झांसी महानगर की जनसंख्या 4,70,212.00 है तथा नगर निगम का क्षेत्रफल 169.5 वर्ग कि0 मी0 है। वर्तमान में नगर निगम झांसी में कुल 1132 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि जनसंख्या के आधार पर सफाई व्यवस्था हेतु कुल 1317 सफाई होने आवश्यक है। इस प्रकार 185 सफाई कर्मचारियो की कमी है।

शासनादेश संख्या-4140/9-1-2005-66 सा/01टीसी, दि0 26-8-05 के अनुसार संविदा पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। भर्ती की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कराने हेतु धन का आवंटन

158-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 में वृक्षारोपण कराने हेतु कितने-कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण हेतु सरकारी नर्सरियों से ही पौधे क्रय किये जाने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिला अधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक सं0 1659/आ0लि0/वृक्षारोपण/ 2005, दिनांक 8-6-05 द्वारा विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों में हुए वृहद वृक्षारोपण के जांच हेतु टास्क फोर्स टीम के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण के अन्तर्गत पौधे [illegible] खरीद सर्वप्रथम सरकारी नर्सरियों यथा उद्यान व वन विभाग से सुनिश्चित की गयी और उसके [illegible] आवश्यकतानुसार अन्य नर्सरियों से पौधों की खरीद संभव हो सकेगी। इस प्रकार के आदेश तत्कालीन [illegible] विकास अधिकारी के स्तर से ही पौधे क्रय हेतु कार्यालय पत्रांक-1555, दिनांक 10-08-04 द्वारा दिये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

159-श्री राम किशुन-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के ग्राम बसहरी ब्लाक बड़ोखर खुर्द में तालाब खुदाई में अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र

160-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-12-07 जो जनपद बांदा के ग्राम बसहरी, ब्लाक बड़ोखर खुर्द में तालाब खुदाई में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रकरण की टी0 ए0 सी0 जांच के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

161-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[2सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महाराजगंज के ब्लाक निचलौल, ग्राम सोहगीबरवां को अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के पश्चात् मूलभूत सुविधाओं की मांग

162-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महराजगंज के निचलौल ब्लाक का ग्राम सोहगीबरवां वर्ष 96-97 व वर्तमान सत्र 07-08 में अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के बावजूद विद्युत, पिच मार्ग इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त ग्राम को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

163-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

164-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे-

[3सरे शुक्र0 के अता0प्र0सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गैस्टो विभाग में स्टेशनरी क्रय में हुई अनियमितता की जांच

165-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैस्ट्रो विभाग में स्टेशनरी क्रय में हुई अनियमितता के जांच आदेश पत्र सं0-पी0जी0आई0/ 142/4361/2005, दि0 2-7-05 दिये गये थे ? क्या उक्त जांच रिपोर्ट निदेशक, पी0 जी0 आई0 को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई तथा जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नामित जांच अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकी है। उक्त जांच हेतु दूसरा जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर में मानक के अनुसार पुलिस बल व अधिकारियों की नियुक्तियों की मांग

166-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर में अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिये जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में पर्याप्त पुलिस बल व अधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में मानक के अनुसार पुलिस बल व अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर के लिये उपनिरीक्षक, ना0पु0 के 160, हे0 कां0 ना0पु0 के 186, आरक्षी ना0पु0 1157, हेड कां0 सशस्त्र पुलिस के 77, आरक्षी सशस्त्र पुलिस के 298, आरक्षी चालक के 74 पदों का स्वीकृत नियतन है। जिसके सापेक्ष जनपद में 148 उ0नि0ना0पु0, 65 हे0 कां0 ना0पु0, 73 हे0कां0 सशस्त्र पुलिस, 293 आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं 64 आरक्षी चालक नियुक्त हैं। इस प्रकार जनपद में उ0नि0ना0पु0 के 12, हे0कां0 ना0पु0 के 121, हे0 कां0 सशस्त्र पुलिस 65, आरक्षी सशस्त्र पुलिस के 05 एवं आरक्षी चालकों के 10 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उ0नि0 सशस्त्र पुलिस तथा आरक्षी ना0पु0 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियां भरी हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण, प्रोन्नत तथा किसी कार्मिक की अचानक मृत्यु होने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्तियों का स्वाभाविक रूप से रिक्त होना एक सतत प्रक्रिया है जिसके कारण मानक के विपरीत रिक्तियां अपरिहार्य कारणो से ही

शेष रह जाती हैं। ऐसे कारणों से रिक्त हुई रिक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाने का प्रयास किया जाता है। जनपद मुजफ्फरनगर में विद्यमान रिक्तियों की पूर्ति करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चौसाना में थाने के भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

167-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम चौसाना में थाने के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त थाना कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माणाधीन पेयजल योजनायें तथा जल आपूर्ति किये जाने की मांग

168-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी ग्राम समूह पेयजल योजना एवं एकल ग्राम पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर समस्त उपभोक्ताओं को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधूरे कार्य पूर्ण कराये जाने की कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत 15 योजनायें निर्माणाधीन हैं। इनमें से 3 पेयजल योजनाओं से मार्च, 2006 से तथा 01 पेयजल योजना से दिसम्बर, 2006 से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

निर्माणाधीन 11 योजनाओं को जून, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

जनपद मेरठ में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन

169-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत सत्र 2007 में प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 6-12-2007 को नियम 51 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना जिसका विषय सम्पूर्ण प्रदेश के साथ जनपद मेरठ में जिलाधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र की मांग किया जाना है, पर मा0 अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था ? क्या ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-6588 आर/छ:पु-5-07-1(103)/07, दिनांक

20-12-07 द्वारा प्रश्नकर्ता को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मा0 मुख्य मंत्री इस तथ्य की पुष्टि करायेंगे कि जनपद मेरठ में विगत छः माह में शस्त्र प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्रों पर बिना राष्ट्रीय बचत पत्र के शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां।

जनपद मेरठ में विगत छः माह में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों में से 142 शस्त्र लाइसेंस बिना राष्ट्रीय बचत पत्र के जारी किये गये हैं।

जनपद बलिया के अम्बेडकर गांवों की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

170-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अम्बेडकर गांवों की सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2007-2008 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या उक्त सड़कों के निर्माण हेतु समाचार-पत्रों में निविदा भी प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण निविदा बिना कारण बताये निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

वर्ष 2007-08 में जनपद बलिया में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम के सम्पर्क मार्गों हेतु 1602.41 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

जी हां।

जी नहीं।

निविदा निरस्त नहीं की गयी थी। अतः इस आधार पर किसी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत महानगर विस्तार में स्थित जे-पार्क-1 की सफाई, प्रकाश व्यवस्था ठीक कराये जाने की मांग

171-श्री लालजी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत महानगर विस्तार में स्थित जे पार्क-1 में मेडिकल डायग्नोस्टिक सेन्टर का कचरा फेंक दिये जाने से वहां के लोगों को स्वास्थ्य का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की सफाई कराने व उसमें प्रकाश व्यवस्था एवं माली आदि का समुचित व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

महानगर स्थित जे पार्क-1 में मेडिकल डायग्नोस्टिक सेन्टर का किसी प्रकार का कचरा नहीं फेंका जाता है।

जी हां। निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले नगर पंचायत को मा0 श्री कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना में सम्मिलित किये जाने की मांग

172-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत थानाभवन, जलालाबाद, झिझाना व ऊन को स्वर्गीय कांशीराम नगर विकास योजना में कब तक सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-3636/नौ-9-2007-97ज/07, दिनांक 17-10-2007 के अनुसार योजना का चतुर्थ चरण, जो अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक निर्धारित है, में जनपद-मुजफ्फरनगर की थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायत-थानाभवन का चयन प्रस्तावित है। तदोपरान्त उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार शेष नगर पंचायत-जलालाबाद, झिंकाना व ऊन का चयन किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सूजडू को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की मांग

173-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सूजडू जिसमें मतदाताओं की संख्या लगभग 14000 (चौदह हजार) है, को नगर पंचायत का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सूजडू को नगर पंचायत बनाये जाने का प्रस्ताव विचारार्धीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

174-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[5वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर के थाना नागलहेड़ी क्षेत्र के ग्राम आभा गुलेडा में दलित महिला के बलात्कार की रिपोर्ट पर कार्यवाही

175-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के थाना-नागलहेड़ी क्षेत्र के ग्राम आभा गुलेडा में अक्टूबर, 2006 में दलित महिला के साथ दबंगों द्वारा सामूहिक दुराचार किये जाने की घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद सहारनपुर के थाना-नागलहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-आभा गुलेडा नाम का कोई गांव नहीं है जबकि आभा अलग गांव है और एक गांव गडौला है। ग्राम गडौला की ही श्रीमती बबली पत्नी अशोक कुमार निवासी-गडौला, थाना-गागलहेड़ी के साथ माह अक्टूबर, 2006 में दिनांक 08-10-2006 को दुराचार किये जाने की घटना घटित हुयी थी।

जी हां, आवेदिका श्रीमती बबली पत्नी अशोक कुमार, निवासी गडौला, थाना गागलहेड़ी के साथ माह अक्टूबर, 2006 में दि0 08-10-2006 को अभियुक्तों द्वारा उसके साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अभियुक्त मोनू पुत्र पहलू सिंह गुर्जर, निवासी-गडौला, थाना-गागलहेड़ी व एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाना-गागलहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या-192/2006, धारा-376/506 भादंवि व 3(1)12 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ।

मुकदमा अपराध संख्या-192/2006, थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर की विवेचना क्षेत्राधिकारी, सदर, सहारनपुर द्वारा की गयी, विवेचना के दौरान अभियुक्त मोनू ने दिनांक 01-12-2006 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसके विरुद्ध इसमें आरोप पत्र संख्या-03, दिनांक 04-12-2006 को प्रेषित किया गया तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त प्रदीप उर्फ पप्पन पुत्र बंगाल निवासी-गडौला ने दिनांक 07-02-07 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसमें आरोप पत्र संख्या-3ए, दि0 10-02-07 को प्रेषित किया गया। मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी चित्रकूट मण्डल के राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित थाना/चौकियों द्वारा रात्रि गुजरने वाले वाहनों से अवैध वसूली का कथित प्रकरण

176-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि झांसी चित्रकूट मण्डल में राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित थाना, पुलिस चौकियों द्वारा गुजरने वाले वाहनों से रात दिन अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो शासन स्तर से अभियान चलाकर जांच कराकर अवैध वसूली कराने वाले थानाध्यक्षों, पुलिस चौकी इंचार्जों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। झांसी एवं चित्रकूट मंडल राष्ट्रीय मार्गों पर स्थित थाना पुलिस चौकियों द्वारा गुजरने वाले वाहनों से रात अथवा दिन में वसूली की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आयी है।

जनपद गोरखपुर के थाना झेगहा अन्तर्गत पुलिस चौकी बरही के ग्राम विशुनपुरा दलित महिला सिमीरता द्वारा मारपीट की दर्ज रिपोर्ट

177-श्री श्रीपति आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा अन्तर्गत पुलिस चौकी बरही के ग्राम विशुनपुरा निवासी दलित (अनु0 जाति) महिला सिमीरता पत्नी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, के दो पुत्रों श्री राम प्रकाश भारती व चन्द्र प्रकाश भारती को दिनांक 17-12-07 में सवर्ण ग्राम वासी राम प्यारे पुत्र वासदेव व इसके पक्ष ने बुरी तरह आवासीय विवादित जमीन प्रकरण में मारकर महिला के चार दांत तोड़ दिये और इसके पुत्रों को लहू लुहान कर दिया ? यदि हां, तो क्या वादी चन्द्र प्रकाश भारती की तहरीर दि0 19-12-07, जिसमें डाक्टरी मुआयना लगा है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भी दिनांक 24-12-07 को करा दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक रपट दर्ज कर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका के पति श्री फिरंगी प्रसाद सा0 विसुनपुरा थाना झगहा जनपद गोरखपुर के लिखित तहरीर पर रामप्यारे आदि 5 नफर के विरुद्ध थाना झगहा पर मु0अ0सं0-233/08 धारा 147/325/323 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट दिनांक 29-02-08 को पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकास खण्डों की संख्या तथा विकास खण्ड अधिकारी की तैनाती

178-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विकास खण्ड हैं ? इनके सापेक्ष कितने विकास खण्ड अधिकारी तैनात हैं ? तथा कितने पद रिक्त हैं ? जनपद बागपत में

कितने खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार नयी नियुक्ति कर अथवा पदोन्नति द्वारा इन पदों को भरने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

प्रदेश में कुल 820 विकास खण्ड हैं।

820 विकास खण्डों के सापेक्ष 491 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

329 विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं।

जनपद बागपत में स्वीकृत 06 पदों के सापेक्ष 01 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं तथा 05 खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष 04 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके पास खण्ड विकास अधिकारी का कार्यभार है जो स्वतंत्र रूप से खण्ड विकास अधिकारी का कार्य कर रहे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों/स्टाफ की कमी को दूर करने के उपाय

179-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों व कितने अन्य स्टाफ की कमी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, चिकित्सकों/चिकित्सा स्टाफ/दवाइयों की अनुपलब्धता के कारण बन्द हो गये हैं ? क्या सरकार उपरोक्त कमियों को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के 227 तथा अन्य स्टाफ के कुल 644 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों/चिकित्सा स्टाफ/दवाओं की कमी के कारण प्रदेश का कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सालय बन्द नहीं है।

उपरोक्त स्टाफ की कमी को दूर करने हेतु नियमानुसार चयन/भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पटरी में हैण्डपम्प रि-बोर करने का प्रस्ताव

180-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-2008 में जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्डपम्प रि-बोर करने का प्रस्ताव है ? सरकार उन्हें कब तक रि-बोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के 71 ग्रामों में 166 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प रि-बोर योग्य चिन्हित किए गए हैं।

वर्ष 2007-08 में 76 नग हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष 90 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प के रि-बोर का कार्य धन के उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता की जांच

181-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता की समयबद्ध जांच करायेंगे ? क्या खराब गुणवत्ता के ग्रामों के लिये एकल ग्राम पेयजल योजना बनाये जाने के निर्देश भी निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी के प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराई गई है। कुल 406 बस्तियों में से 24 बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता अधोमानक पाई गई है।

22 बस्तियों के लिए 05 एकल ग्राम पेयजल योजना हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष 2 बस्तियों हेतु वैकल्पिक योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनय कुमार सिंह, ग्राम सकरा, जनपद उन्नाव का अपहरण

182-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विनय कुमार सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, ग्राम सथरा, थाना-मार्खी, जनपद उन्नाव का अपहरण जनपद व सदर कोतवाली-औरैया से दिनांक 3-2-2007 को कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध औरैया कोतवाली में अपराध संख्या-59/2007, 364 आई0 पी0 सी0 अन्तर्गत दिनांक 3-2-2007 को पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस अधीक्षक, औरैया से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विनय सिंह चन्देल पुत्र श्री राज़ बहादुर सिंह चन्देल निवासी ग्राम सथरा थाना सार्खी जनपद उन्नाव जो अपने संबंधी विजय सेंगर पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी मो0 बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया के यहां पिछले 3 वर्ष से रह कर पढ़ाई कर रहा था दिनांक 3-2-2007 को प्रतिदिन की भांति ट्यूशन पढ़ने गया था।

सांयकाल 7.00 बजे तक घर वापस न लौटने पर श्री विजय सिंह सेंगर उपरोक्त द्वारा लिखित तहरीर दिये जाने पर दिनांक 9-2-2008 को मु0अ0सं0 59/07 धारा 364 भादवि 1-राजू कुशवाहा, 2-किशन सिंह कुशवाहा पुत्रगण श्री छक्की लाल निवासी पठीन दरवाजा थाना कोतवाली औरैया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

विवेचना के मध्य किसी भी साक्षी ने अपहरण के कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपहृत की बरामदगी हेतु सभी सम्भावित स्थानों पर दबिशें आयेजित की गयीं तथा वादी द्वारा जिस राजू कुशवाह पर शक किया गया है उससे भी गहन पूंछ-तांछ की गयी परन्तु कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। अब तक की विवेचना से अपहरण का होना प्रमाणित नहीं हो रहा है। फिर भी अपहृत की बरामदगी हेतु एक टीम गठित करके घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तनुसार।

जनपद गोण्डा के बजाज शुगर मिल कुन्दरकी के प्रदूषित जल की रोक थाम के उपाय

183-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बजाज सुगर मिल कुन्दरकी का प्रदूषित जल चमदई नदी में आ रहा है जिससे आस-पास के ग्रामों में प्रदूषित जल फैलने से फसलें क्षतिग्रस्त हो रही हैं एवं लोगों में संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की रोक-थाम हेतु उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मे0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 ग्राम कुन्दरकी, गोण्डा जिसमें वर्ष 2007-08 में 15000 टन/दिन क्षमता की नई इकाई स्थापित की गयी है, उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में बारस्क्रीन, आयल एवं ग्रीस टैप, इक्वालाइजेशन टैंक, न्यूट्रालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर, ऐरिऐशन टैंक, डिफ्यूज्ड एरेशनसक, दो कम्प्रेशन के साथ सेकेण्डरी क्लेरीफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित किया गया है। उद्योग का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-01-2008 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में मोलेसस (शीरा) टैंक का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया, जिसके समुचित रख-रखाव हेतु बोर्ड द्वारा उद्योग को नोटिस दी गई है।

आबकारी विभाग द्वारा ई0आई0बी0 (इन्फोर्समेण्ट इण्टेलिजेन्स ब्यूरो) टीम से दिनांक 18-02-2008 को जांच कराई गयी। संचय टैंक के फट जाने के कारण संचित शीरा बह गया। इसके लिए प्राथमिक जांच में इकाई, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की उपधारा 5/11 के उल्लंघन की दोषी पायी गई है।

यथा शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की दतौली शुगर मिल के प्रदूषित जल की रोक थाम के उपाय

184-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में स्थित दतौली सुगर मिल मनकापुर का प्रदूषित जल बिसुही नदी में गिर रहा है जिससे नदी में रहने वाले जीव जन्तु एवं आस-पास के ग्रामों में संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु उच्च स्तरीय जांच करवा कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उद्योग, मनकापुर चीनी मिल्स लि0 दतौली, मनकापुर द्वारा 10,000 टीसीडी क्षमता का शुगर यूनिट स्थापित किया गया है। जिसके प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के रूप में बारस्क्रीन, आयल एवं ग्रीस टैप, इक्वालाइजेशन टैंक, न्यूट्रालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर, ऐरिऐशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरिफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 14-01-2008 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र कार्यरत पाया गया एवं नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा 17.0 मि0ग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0 की मात्रा 84.0 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो बोर्ड मानकों के अनुरूप है। दिनांक 14-01-2008 को क्षेत्रीय अधिकारी, फैजाबाद द्वारा बिसुई नदी के अपस्ट्रीम का नमूना एकत्र किया गया जिसमें बी0ओ0डी0 5.0 मि0ग्रा0/ली0 एवं बिसुई नदी के डाऊन स्ट्रीम में बीओडी की मात्रा 7.0 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप है।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की पशु वधशाला में पशुओं का वध

185-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ पशु वधशाला में प्रत्येक दिन कितने पशु काटे जा रहे हैं, इसमें कितने पशु भैंस आदि हैं एवं कितने छोटे भेड़ बकरे आदि हैं ? क्या पशु वधशाला में मेरठ महानगर की खपत से ज्यादा पशु काटे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खपत से ज्यादा काटे जा रहे पशुओं के काटने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम मेरठ की हापुड़ रोड स्थित पशुवधशाला में नगर निगम की कब्जे की भूमि पर बनाये गये वध स्थल पर 350 पशुओं का वध किया जा रहा है।

इसमें सभी पशु भैंस आदि हैं।

पशुवधशाला में भेड़, बकरों का कटान नहीं होता है।

मास खाने वाली आबादी को दृष्टिगत रखते हुए 350 जानवरों के मांस की प्रतिदिन खपत है।

यदि 350 जानवरों से अधिक पशुओं की कटान पशुवधशाला में होगी तो इस पर रोक लगायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री की घोषणाओं का अनुपालन कराये जाने की मांग

186-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 14 नवम्बर, 2006 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में किन-किन योजनाओं पर कार्य कराये जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या सभी योजनाओं पर सरकार द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त घोषणाओं के तहत कार्यों पर कब तक निर्माण कार्य शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 14-11-2006 को जनपद गोण्डा के भ्रमण के दौरान कुल 22 घोषणायें की गयी थीं, जिनकी सूची संलग्न[*] है।

तत्कालीन सरकार के समय 20 घोषणायें बजट में कम धनराशि उपलब्ध होने/बजट व्यवस्था न होने के कारण तथा चुनाव आचार संहिता के कारण तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में ही प्रारम्भ नहीं हो पाई थीं। 01 घोषणा पूर्ण हो गयी तथा 01 में आंशिक कार्य हुआ। वर्तमान में ऐसी सभी अपूर्ण घोषणाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील सदर के ग्राम मदरसा मानोपुर के श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सुदर्शन की दुर्घटना में मृत्योपरान्त आर्थिक सहायता

187-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ की तहसील सदर के थाना कोपागंज के ग्राम मदरसा मानोपुर के निवासी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुदर्शन की पुत्री की दुर्घटना से मृत्यु दि0 9-12-07 को हो गयी थी ? क्या प्रार्थी ने आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड पत्र सं0-5682 दि0 10-12-07 को मा0 मुख्य मंत्री को भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आर्थिक सहायता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

---

[*] (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 23 पर)

सुश्री कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां।

आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, मऊ की आख्या के आधार पर आवेदक की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य मंत्री विवेकाधीन से रु0 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

188-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[5वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0-42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में दिनेश कुमार उर्फ दद्दा के नाम दर्ज मुकदमें में कार्यबाही

189-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 523/2005 धारा 409/420/ 467/468/471 आई0 पी0 सी0 में दिनेश कुमार उर्फ दद्दा आदि के नाम दर्ज हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। मु0अ0सं0-523/2005 धारा 409/420/467/468/471 आई0पी0सी0 की विवेचना में नामति अभियुक्त दिनेश कुमार निगम उर्फ दद्दा व अजय कुमार उपाध्याय तथा प्रकाश में आये अभियुक्त राज कुमार मिश्रा पुत्र राम विशाल मिश्रा, निवासी-जमालपुर, थाना-कोतवाली देहात बांदा के विरुद्ध जुर्म धारा 409/420/467/468/471 आई0पी0सी0 का अपराध प्रमाणित पाया गया। अभियुक्त अजय कुमार उपाध्याय दिनांक 19-08-07 का जनपद महोबा में फौत हो गये। विवेचना से अभियुक्तगण दिनेश कुमार निगम उर्फ दद्दा व राज कुमार मिश्रा के विरुद्ध दिनांक 29-9-07 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त दिनेश कुमार निगम उर्फ दद्दा मा0 उच्च न्यायालय से दिनांक 01-12-05 को गिरफ्तारी का स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिससे गिरफ्तारी नहीं की गयी।

190-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[5वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0-38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

191-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में पुलिस विभाग के अन्तर्गत कांस्टेबिल हेड कांस्टेबिल, निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों के कितने पद मानक के अनुसार रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचनानुसार निम्नांकित पद रिक्त हैं :-

निरीक्षक	69
उप निरीक्षक	2473
हेड कान्सटेबिल	5204
कान्सटेबिल	3550

रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2/2008 दिनांक 12-12-2006 द्वारा रोक लगाई गई थी जिसे दिनांक 12-2-2008 को समाप्त कर दिया गया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर में गत कई वर्षों में चयनित अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने की मांग

192-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2007-08 तक कुल कितने अम्बेडकर गांवों का चयन किया गया तथा कितने गांवों का संतृप्तीकरण किया गया एवं कितने गांव शेष रह गये ? क्या सरकार शेष बचे गांवों का संतृप्तीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2002-03 में 218 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया था। वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 के मध्य डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन नहीं किया गया है तथा वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 40 डा0 अम्बेडकर ग्राम सभायें चयनित हुयी हैं। उक्त चयनित 218 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 02 ग्रामों में मात्र सम्पर्क मार्ग निर्माण का कार्य ही अपूर्ण है जो प्रगति पर है। योजना के अन्य सभी विकास कार्यक्रमों से ग्रामों को संतृप्त करा दिया गया है। वर्ष 2007-08 में चयनित ग्राम सभाओं के संतृप्तीकरण का कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरवन रिनीवल मिशन के अन्तर्गत जिलों के प्रस्तावों की स्वीकृति

193-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनीवल मिशन के अन्तर्गत किन-किन जिलों के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं तथा उन सभी जिलों के प्रस्तावों की स्वीकृति की स्थिति क्या है ? क्या कानपुर महानगर के नगर निगम द्वारा

प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा भारत सरकार को भेज दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी व मथुरा के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी व मथुरा के सालिड वेस्ट प्रोजेक्ट, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर एवं मेरठ की पेयजल योजना तथा कानपुर, लखनऊ एवं आगरा की सीवरेज योजना स्वीकृत हो चुकी है।

कानपुर नगर निगम से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की स्वीकृति के पश्चात् भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें से कानपुर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना रु0 56.24 करोड़, पेयजल योजना रु0 270.9489 करोड़, सीवरेज योजना रु0 190.88 करोड़ की स्वीकृति की जा चूकी है कानपुर की ड्रेनेज योजना रु0 96.23 करोड़, घाटों के सौन्दर्यीकरण योजना रु0 16.97 करोड़, उद्योगों के पुनर्स्थापन की योजना रु0 1120.00 करोड़ एवं कानपुर की आन्तरिक सड़कों हेतु रु0 362.51 करोड़ की योजना भारत सरकार को भेजी गयी थी। भारत सरकार द्वारा कतिपय आपत्तियां उपरोक्त योजना में लगायी गयी थीं, जिनका निराकरण नगर निगम कानपुर/सम्बन्धित संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

जनपद सीतापुर के थाना मिश्रिख के ग्राम लुधौरा के श्री विष्णु कान्त दीक्षित द्वारा अपने पुत्र श्री दिलीप कुमार को पुलिस द्वारा उठाकर ले जाने शिक्षिका टेलीग्राम पर दी गई सूचना पर कार्यवाही

194-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विष्णुकान्त दीक्षित निवासी ग्राम लुधौरा थाना मिश्रिख, जिला सीतापुर द्वारा दि0 29-1-2008 को जिला अधिकारी, सीतापुर व प्रमुख सचिव, गृह को टेलीग्राम द्वारा अपने पुत्र दिलीप कुमार को थाना मिश्रिख पुलिस द्वारा उठाकर ले जाये जाने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो इनके पुत्र व दो अन्य लोगों को उक्त पुलिस द्वारा कब पकड़ना दिखाया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी ? क्या सरकार इस प्रकरण की विजिलेंस जांच कराकर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। जिलाधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ।

श्री विष्णुकान्त दीक्षित के पुत्र दिलीप दीक्षित एवं सह अभियुक्त विक्की मिश्रा व वीरेन्द्र पासी को दिनांक 31-1-08 को रात्रि में करीब 22.20 बजे मिश्रिख सिधौली रोड पर ग्राम नरैनापुर मोड़ तिराहा के पास गन्ना के खेत से गिरफ्तार किया गया था।

जी हां।

चूंकि पुलिस द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत मु0अ0सं0-443/07 की विवेचना में प्रकाश में आये मुल्जिम की गिरफ्तारी की गयी है। अतः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी को विशेष सुरक्षा दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

195-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य के प्रमुख सचिव, गृह को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी को विषेश सुरक्षा दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र नवम्बर/दिसम्बर, 07 मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पर क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती-

अभिलेखानुसार भाजपा के अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी को विशेष सुरक्षा दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र नवम्बर/दिसम्बर, 2007 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व विधायकों/पूर्व मंत्रियों को सुरक्षा दिये जाने की नीति

196-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायकों/पूर्व मंत्रियों को सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित की सुरक्षा व्यवस्था जिलाधिकारी, उन्नाव तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव की संस्तुति/गोपनीय पत्र, दिनांक 30 जुलाई, 2007 के बावजूद हटाये जाने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती-

शासनादेश संख्या-1773/6-पु-2-2001-700(1)/2001, दिनांक 25-4-2001 के साथ सपठित शासनादेश संख्या-1174/6-पु-2-2007-700(1)/2001, दिनांक 30-7-2007 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप उच्च स्तरीय समिति द्वारा जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर 10 प्रतिशत निजी व्यय पर एक सुरक्षाकर्मी प्रदत्त कराये जाने का प्राविधान है।

जनपदीय सुरक्षा समिति की आख्या/संस्तुति पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक् तथ्यों पर विचार करते हुये सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तत्क्रम में उक्त महानुभाव को सुरक्षा न प्रदत्त कराये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में कच्ची तम्बाकू से बनाये जा रहे उत्पादों पर वाणिज्य कर पर छूट दिये जाने की मांग

197-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कच्ची तम्बाकू से बनाये जा रहे उत्पादों पर 68.5% की दर से वाणिज्य कर वसूलने का क्या आधार है ? क्या सरकार कच्ची तम्बाकू को वाणिज्य कर से छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कच्ची तम्बाकू से बनाये जा रहे उत्पादों पर कर की दर 12.5% है। तम्बाकू उत्पादों पर 68.5 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर वसूलने की कोई व्यवस्था उक्त अधिनियम में नहीं है। वर्तमान में कच्ची तम्बाकू को वाणिज्य कर से छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के व्यापार कर विभाग द्वारा वैट लगने के पहले तथा बाद में वसूले गये व्यापार कर के सम्बन्ध में जानकारी

198-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या वाणिज्य कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य कर (व्यापार कर) विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 2007 में 01 जनवरी से 25 जनवरी, 07 तक कितना धन व्यापार कर के रूप में वसूला गया ? क्या सरकार बतायेगी कि चालू वर्ष 2008 में वैट लगाने के बाद 01 जनवरी से 25 जनवरी, 08 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वाणिज्य कर विभाग की कर जमा करने की व्यवस्था के अनुसार व्यापरी पूरे एक माह के व्यापारिक सम्व्यवहार पर देय कर अनुवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करता है, जिसमें पूर्ववर्ती पूरे माह के सम्व्यवहार का कर रहता है। 20 तारीख तक जमा होने के पश्चात् व्यापारी की चेक माह की अंतिम तिथि तक क्लीयर होती है। इस प्रकार यद्यपि विगत वर्ष 2007 में 01 से 26 जनवरी तक तथा चालू वर्ष 2008 में वैट लगने के बाद 01 से 25 जनवरी, 2008 तक जमा/वसूल राजस्व का बताया जाना सम्भव नहीं है परन्तु विगत वर्ष 2007 में जनवरी माह में रु0 1213.41 करोड़ जमा हुआ था, जिसके सापेक्ष वैट लागू होने पर प्रथम माह जनवरी, 2008 की बिक्री/सम्व्यवहार का फरवरी, 2008 में जमा राजस्व रु0 1331.98 करोड़ (अनन्तिम) प्राप्त हुआ है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संकट दूर करने हेतु भूमि एवं जल सर्वेक्षण का कार्य

199-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1983 में प्रदेश में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड में भू-जल सर्वेक्षण कार्य को सुचारु रूप से

संचालित कराने के लिये झांसी से स्थानान्तरित टीमों को झांसी में रोकने तथा एक और टीम गठित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल मन्नान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में लखनऊ स्थित मुख्यालय से बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त प्रदेश के दूरस्थ जनपदों यथा मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद इत्यादि में भूमि एवं जल सर्वेक्षण का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया जा रहा है। झांसी में मात्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु सम्पूर्ण कार्यालय को बनाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि यह तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से सुसाध्य नहीं है।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के ग्राम दुन्दपुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा एवं रविदास का मंदिर के समीप अवैध कब्जा सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

200-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम दुन्दपुर, पो0 रुफेई में डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा एवं रविदास का मन्दिर स्थापित है ? क्या उसी के समीप ग्राम के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर घूर (गन्दगी को ढेर) डाला जा रहा है, जिससे प्रतिमा व मन्दिर तथा आस पास के रहने वालों का जीवन दूभर हो गया है ? क्या इस संबंध में ग्राम दुन्दपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री गौरीसिंह का पत्र दिनांक 20-9-07 मा0 ग्राम विकास मंत्री जी को एवं तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी, बीघापुर को दिनांक 1-1-08 को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जी हां।

ग्राम दुन्दपुर, पो0 रूफेई, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत स्थापित डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा एवं रविदास मंदिर के समीप ग्रामवासियों द्वारा अवैध कब्जा कर घूर डाला जा रहा था, जिसे हटवा दिया गया है।

इस सम्बन्ध में श्री गौरी सिंह द्वारा दिनांक 01-01-2008 को तहसील दिवस तहसील बीघापुर में शिकायत की गयी थी, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। अब कोई समस्या नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के शहीद स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

201-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी के शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के शेष कार्य एवं स्थल विकास सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क/233665 सहित मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 1-9-07 जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक 01-09-07 क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था। जिसके साथ संलग्न कार्यों की सूची में शहीद स्थल रूरे एवं भाऊपुर के अवशेष कार्य तथा शहीद स्थल रूरे में महोत्सव सम्बन्धी कार्य पर्यटन मद में इंगित नहीं है। अतः इस पर पर्यटन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय विकास खण्डों में हैण्ड-पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

202-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-बढ़नी, शोहरतगढ़, जोगिया एवं नौगढ़ में कितने-कितने हैण्डपम्प अभी तक लगाये गये हैं ? उक्त लगे हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब हेण्डपम्पों को रि-बोर कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-बढ़नी में कुल 1145 नग, शोहरतगढ़ में 1015 नग, जोगिया में 1298 नग तथा नौगढ़ में 1680 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प दिसम्बर, 2007 तक अधिष्ठापित कराये गये हैं।

विकास खण्ड-बढ़नी में 1097, शोहरतगढ़ में 963 नग, जोगिया में 1257 नग तथा नौगढ़ में 1631 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प चालू हैं। विकास खण्ड-बढ़नी में 66 नग, शोहरतगढ़ में 52 नग, जोगिया में 41 नग एवं नौगढ़ में 49 नग हैण्डपम्प खराब हैं।

जी हां। खराब हैण्डपम्पों को दिनांक 31-3-08 तक ठीक कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न का प्रकरण उठाने का प्रयास

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

मान्यवर, पिछले दिनों 5 तारीख को एक बनारस में घटना होती है जिसमें समाजवादी पार्टी, महानगर के महासचिव की हत्या होती है। उनकी डेड बाडी को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से लोग जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के संदर्भ में कोई व्यवस्था की बात हो तो बतायें।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

अभी जो आंकड़े मंत्री जी ने बताये उसके बारे में कह रहा हूं। इसके बाद एक घटना 6 तारीख को होती है।

मान्यवर, 6 तारीख को एक घटना होती है दोनों ही घटनाओं का एक ही पुलिस ने जिस तरीके से मानवता की सारी हदें लांघकर पीड़ित परिवार के ऊपर जिस परिवार में हत्या होती है उसकी पत्नी उसके बच्चों के ऊपर जिस प्रकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप इसमें नहीं बोल सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रश्नकाल खत्म हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की कार्यसूची में पृष्ठ संख्या-6 पर मेरा तारांकित प्रश्न संख्या अंकित है।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

यह प्रश्नों से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है जो बनारस की पुलिस प्रशासन के विरुद्ध है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पहले से खड़ा हुआ हूं।

(हाजी अब्दुल समद अंसारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी, खन्ना साहब आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा आज की कार्यसूची में तारांकित प्रश्न संख्या-3 अंकित है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, आप बात सुन लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

यह प्रश्नों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्नों से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पर कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठिये।

आपकी कोई बात नहीं नोट की जायेगी।

श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

तब आप कैसे बोलेंगे, यहां तो केवल प्रश्नों की व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था नहीं है तो आप किस नियम में बोल रहे हैं। आपका कुछ नहीं नोट किया जायेगा।

पश्चिमी उ0 प्र0 में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना विषयक आज की कार्य सूची के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न कार्यसूची में प्रश्न संख्या-3 पर अंकित है। इसमें दिया हुआ है कि राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त। वैसे तो आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है आप हमारे संरक्षक हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्यालय से मान्यवर, सरसरी तौर पर यह निर्णय आ जाता है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं।

"क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है, क्या माननीय मुख्य मंत्री वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने हेतु केन्द्र को संस्तुति भेजेंगे यदि हां तो कब तक ?"

मान्यवर, क्वेश्चन यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी, क्या प्रदेश सरकार वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की कोई संस्तुति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच स्थापित करने के लिए भेजेगी या नहीं। मान्यवर, इसमें केन्द्र सरकार को दिशा-निर्देश देना नहीं है। यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार को करना है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार अगर ठीक समझती है कि वादों के त्वरित निस्तारण के लिए जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनना प्रस्तावित है और बहुत लम्बे समय से लम्बित है उसके सम्बन्ध में यह सरकार कोई संस्तुति भेजेगी या नहीं। मान्यवर, यह सवाल था हमारा। इस सरकार को निर्णय लेना है कि अगर यह त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सस्ता न्यायालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बेंच स्थापित करने के लिए यह सरकार संस्तुति करेगी या नहीं। इसमें मान्यवर, कहीं भी केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो इसी सदन में आ सकता था।

(हाजी अब्दुल समद अंसारी अपनी बात सुनने का आग्रह करते हुए सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। जब प्रश्नकाल खत्म हो गया तब कैसे अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे आप ? चलिये बैठिये आप। (व्यवधान)

(श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी गौरी शंकर एडवोकेट के अनुरोध पर अपने आसन की ओर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल खत्म हो गया तो कैसे अनुपूरक पूछेंगे ? बैठिये आप। कोई अनुपूरक नहीं होगा। प्रश्नकाल खत्म हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का सवाल उठाया है वह तो सही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो आ जाने दें। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस समय जिस पार्टी की सरकार है उसने अपने चुनाव घोषण-पत्र में यह वायदा किया था और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी यह बात आई, गरीबों को सस्ता न्याय दिलाने और त्वरित न्याय दिलाने की। मेरा इसी से सम्बन्धित प्रश्न है कि क्या यह सरकार केन्द्र सरकार को हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम में स्थापित करने के लिये कोई संस्तुति भेजेगी या नहीं। यह सवाल था। वह केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त। मान्यवर, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें निर्णय लेना है, उत्तर प्रदेश सरकार को ही इसमें फैसला करना है कि वह इसकी आवश्यकता समझते हुये यह संस्तुति करेगी कि नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि यह पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है कि यह सरकार आवश्यकता समझती है करेगी या नहीं करेगी। मान्यवर, इसलिये यह प्रश्न नहीं जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है माननीय खन्ना साहब, इसमें मैंने निर्णय लिया है, प्रश्न को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या निस्तारित करना। इस तरह का निर्णय मैंने लिया है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे कक्ष में आइयेगा। मैं बात कर लेता हूं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विवाह आदि आयोजनों पर ऊंची आवाज में बजने वाले वाद्य यंत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसकी समय सीमा निर्धारित करने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्न संख्या-5 माननीय हुकुम सिंह जी का है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध था कि इसकी व्यवस्था देने के पहले आप विचार कर लें कि इस समय दुनिया भर की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा चल रही है और शादी ब्याह की वजह से यह जो डी0जे0 बज रहे हैं, रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, इसकी वजह से मान्यवर, इन छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सिर्फ मानवीय आधार पर इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाया है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो शायद आपके मन में भी यह बात आये कि अगर इस पर कुछ निर्णय हो जाय तो अच्छा है। मैं शासन से भी कहूंगा कि इसको जरा सहानुभूतिपूर्वक देख लें कि जब तक बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं हाईकोर्ट का एक निर्णय है कि 10 बजे के बाद उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र न लगाये जायें। अगर मान्यवर, सम्पूर्ण सदन की इच्छा बने और बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर आप स्वयं महसूस करें और सरकार भी इस बात को महसूस करे तो मैं समझता हूं कि इस पर सदन को एक निर्णय लेना चाहिये कि जब बोर्ड की परीक्षायें चल रही हैं, मान्यवर, हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार 10 बजे के बाद डी0जे0 वगैरह को सख्ती के साथ बंद कराया जाय। मेरा तो सिर्फ मानवीय आधार पर व्यवस्था के माध्यम से यह अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ठीक है, वैसे यह प्रश्न तो लिया नहीं गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चिन्ता का यह विषय है और मैंने चिन्ता की अभिव्यक्ति के लिये ही यह प्रश्न किया है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव इस बात का पड़ रहा है। वह तो एक घण्टे के लिये, दो घण्टे के लिये या सारी रात के लिये डी0जे0 बजाते रहेंगे, पड़ोस में क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सो पा रहा है नहीं सो पा रहा है। जो बच्चा रातभर नहीं सो पायेगा तो दिन में क्या वह परीक्षा दे पायेगा ? आपका उत्तर भी आया है कि हमने उड़नदस्ते बना दिये हैं,उड़नदस्ते तो उड़ रहे हैं उन तक तो आवाज जायेगी नहीं। यह उड़नदस्तों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है हमारी संवेदनशीलता का। नियमों में प्रावधान है, कानून बना हुआ है और आपने कह दिया कि हमने इसकी रोकथाम के लिए उड़नदस्ते बना दिये हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, आपने अगर कहीं उड़नदस्ते को देखा हो और जहां डी0जे0 बज रहा हो वहां उतरते देखा हो तो आप बता दें। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और मैं गम्भीरता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा सदन इससे चिन्तित होना चाहिए इसमें आरोप-प्रत्यारोप की बात बिल्कुल नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। हम लोग कहीं न कहीं इसमें चूके हैं और हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। हमारी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तुरन्त इस पर निर्णय ले कि

कम से कम जब तक परीक्षा चल रही है यह सारे के सारे इंस्टूमेंट चाहे वह डी0जे0 हो या बैंडबाजे हों, यह सब प्रतिबन्धित रहेंगे और उसके बाद एक सुनियोजित तरीके से कि कैसे इसे नियंत्रित किया जाय, इस पर भी विचार करना चाहिए। मान्यवर, 1986 का ऐक्ट वर्ष 2000 में नियम बने, नियमों में यह प्राविधान है कि 10 बजे बाद यह नहीं बजेंगे और मेरे पास जानकारी है कि 100 से ले करके 120 डेसिबल तक आवाज जा रही है और 25 डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं और अगर 40 के ऊपर आवाज होती है तो खतरे की घण्टी शुरू हो जाती है। कैसे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बच्चे कैसे कंसलटेट कर पायेंगे। मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा अपनी कार्यशैली से हट करके इस बात पर ध्यान दें और कम से कम सदन में यह कहें कि आज के बाद इस पर प्रभावी कार्यवाही होगी, इसको नियंत्रित किया जायेगा ताकि परीक्षा ठीक ढंग से हो सके।

वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध

(श्री राम बिशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है, क्या आपकी व्यवस्था प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, जी हां। मान्यवर, 4-3-2008 को मा0 पंचायत राज मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं।

(श्री राम बिशुन आजाद के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

4-3-2008 के प्रश्न के सम्बन्ध में आज कैसे उठा सकते हैं, आज तो केवल आज के ही प्रश्नों पर व्यवस्था उठायी जा सकती है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, यह गलत है, इसका नये सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा। आप 4-3-2008 की व्यवस्था आज उठा रहे हैं, यह गलत बात है। आप केवल बोलना चाहते हैं, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। अभी सुरेन्द्र जी और अंसारी जी कह रहे थे उनको हमने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि अभी बनारस की ज्वलन्त घटना को ले करके एक नये सदस्य श्री अब्दुल समद अंसारी, जिनके क्षेत्र का यह मामला है और सुरेन्द्र पटेल जी बनारस से हमारे प्रतिनिधि हैं। यह इतने कठिनाई में थे कि इन्हें वेल तक आने की जरूरत पड़ी। माननीय शिवपाल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने आग्रह किया और आपके निर्देशों के तहत तुरन्त उनको आदेशित किया और वह आ करके शान्तिपूर्वक बैठ गये। श्रीमन् मैं सिर्फ यह प्रार्थना करता हूं कि आप 30 सेकेण्ड, 50 सेकेण्ड जो भी देना चाहें, सेकेण्ड में दीजिए, मिनट में मत दीजिए। क्योंकि मा0 सदस्य अपने को आहत महसूस करेंगे जो कभी बोलते नहीं हैं। इतनी ज्वलंत बात कहना चाहते हैं और उनको डांट कर बिठा देंगे तो यह उचित नहीं होगा। आप बहुत उदार हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसलिए रोका था कि श्यामदेव राय चौधरी जी का प्रश्न लगा था, बनारस जनपद की कानून व्यवस्था के सम्बंध में। कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न मा0 सदस्यों ने उठाये। प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक पूछना चाहते थे जबकि प्रश्नकाल खत्म हो गया है और हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था नियमानुकूल है। आपकी कृपापूर्वक उदारता चाहता हूं। यह सत्र जिस तरह से चला है बहुत दिनों तक याद किया जायेगा और इतनी अभूतपूर्व परम्परा पड़ी है। अब यह बजट सत्र उत्तरार्द्ध में है, आखिरी विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाना है और आज के बाद समय भी नहीं मिलना है। इसलिए अनुरोध है कि सिर्फ एक मिनट का समय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुए विवाह आदि आयोजनों पर ऊंची आवाज में बजने वाले वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने तथा उसकी समय सीमा निर्धारित करने की मांग (क्रमागत)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय हुकुम सिंह जी का प्रश्न था। मान्यवर, प्रश्न पर प्रश्न नहीं है, अब यह जनहित का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी ने रुचि दिखायी, हुकुम सिंह जी ने पहले रुचि दिखायी थी। माननीय शिवपाल सिंह जी भी रुचि दिखायेंगे क्योंकि यह जनहित का प्रश्न है। हर थाने को निर्देश दे दें, उड़नदस्ता बनाने की जरूरत नहीं है। 10 बजे के बाद कोई डी0जे0 या तेज लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जायेगा। थाने सक्षम हैं वह चाहें तो लोगों को 10 बजे ही घर में सुला दें, चाहे तो सरकार के सारे निर्देश का पालन करते हुए न पालन करके जनता को छूट दे दें। इसलिए आप सहमत हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी के न सहमत होने का प्रश्न नहीं उठता है। यह किसी दल की बात नहीं है, जनहित का प्रश्न है। डी0जी0 साहब यहां हैं, सदन की भावना से अवगत हो जाएं और आज ही रात 10 बजे के बाद डी0जे0 न बजने पाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

वर्मा जी, इसमें कोई वित्तीय खर्च भी नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, सही शब्द डी0जे0 है। डी0जी0 तो बजेंगे, डी0जे0 नहीं बजेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आपने स्पष्टीकरण दे दिया लेकिन वह भावना से अवगत हैं।

श्री अध्यक्ष-

गौरीशंकर स्त्रीलिंग-पुल्लिंग का भेद बता रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आपकी कृपा हो तो मा0 शिवपाल सिंह यादव जी को सुन लें और जरूर सख्त निर्देश सदन के माध्यम से आज ही दे दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आजकल लगन बहुत है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जैसा आप निर्देश देंगे वैसे ही लगन बन जायेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जनहित से जुड़ा प्रश्न है। विद्यार्थियों की परीक्षायें चल रही हैं इसलिए लाउडस्पीकर और डी0जे0 पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के हित में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है और मा0 न्यायालय के निर्देश के अनुसार सरकार रोक लगा दे तो इससे विद्यार्थियों का हित होगा। जनहित में यह बहुत ही आवश्यक है। मंत्री जी केवल औपचारिक दिखावा न करें।

श्री अध्यक्ष-

अभी दलीय नेताओं की बैठक है। उसमें दलीय नेताओं को आमंत्रित किये हैं उसमें इस विषय को रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बात सदन के सामने आ गई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस पर सारे दलों के नेतागण बोल चुके हैं इस पर सरकार की तरफ से कुछ आ जाय।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा कि आपका निर्देश है बैठ लेंगे और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अंसारी जी एक मिनट में अपनी बात रख दें।

वाराणसी में पुलिस उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध (क्रमागत)

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा जो अमानवीय बात हुई थी उस घटना के बाद जब परिवार के लोग लाश को रखकर शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे तो उनके ऊपर जिस तरह से लाठियों का प्रहार पुलिस द्वारा किया गया यह पुलिस की अमानवीय हरकत है।

बनारस की दूसरी घटना है जिसमें 6 तारीख को यू0पी0 कालेज के पास पुलिस के सामने एक आदमी को गोली मार दी जाती है और हत्यारा वहां पुलिस के सामने रहता है और एक-एक करके तीन लोगों को गोली मारी जाती है जिसमें एक की मौके पर मृत्यु हो जाती है दो लोग घायल हो जाते हैं इसके बाद जो लोग धरने पर बैठे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है क्या यह पुलिस की अमानवीय हरकत नहीं है। मान्यवर, बनारस में दो-तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पुलिस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाती है और अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में डण्डे फटकारती है और कई जगह पर लोगों से गलत भाषा का प्रयोग करती है लोगों से यह कहा कि क्या यह पाकिस्तान है यहां रात के इतने वक्त टहलते हैं मान्यवर, क्या यह अपराध है। वहां पर पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है मान्यवर, जैदपुरा के थाना इंचार्ज वहां पर ऐसे सम्मानित व्यक्ति को जिसे दो बार राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं उनके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बनारस में रहने वाले मुसलमान लोग पाकिस्तान से आकर बसे हैं इस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। यह बहुत ही निन्दनीय बात है। इसके बाद जिस प्रकार से 6 तारीख की घटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए।

श्री अध्यक्ष-

अभी गृह विभाग की बजट है उसमें यह सब बातें रख लीजिए।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

यह जो लाठी चार्ज किया गया यह बहुत ही निन्दनीय कार्य है। मेरा कहना है कि इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। यह मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं घटना के वक्त वहीं पर था मैं उस दिन सदन में नहीं आया था। मुझे भी एक मिनट सुन लें। पुलिस की इस तरह की बर्बरता हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मुरारी यादव जो समाजवादी पार्टी महासचिव थे उनकी सुबह साढ़े आठ बजे हत्या कर दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

मैं उस दिन सदन नहीं आया था मैं घटना स्थल पर ही था।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई बात नहीं कि आप जब सदन में आयें तब उस पर चर्चा करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

गोली लगने के बाद उनको लोग हास्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन कबीर चौराहे तक मृतक घोषित हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन में बात आ चुकी है इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है चौधरी साहब व शिवपाल जी इस पर बोल चुके हैं। अब पुनः इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे।

अंसारी साहब ने जिस घटना का जिक्र किया है। कुछ इस तरह का घटनाक्रम आया था जहां पुलिस द्वारा इस तरह किया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर पुलिस द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार कहीं पर हो रहा है तो आप इसको दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 10 मार्च, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुल/रपटा बनवाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अशोक कंसल ग्राम सूजद, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर स्थित वैश्य समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाकर वैश्य समाज को कब्जा देने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री निर्मल वर्मा सीतापुर के बिसवां तहसील मुख्यालय पर परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री इमरान मसूद जनपद सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में है। (माननीय सदस्य द्वारा सूचना पढ़ी गई।) पांचवीं सूचना डा0 अजय तोमर जनपद बागपत की गन्ना विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने तथा पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता फतेहपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत एवं अन्य कतिपय विकास खण्डों में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री धनंजय सिंह माननीय सदस्य (स्वयं) को विशेष सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री धनंजय सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

(श्री धनंजय सिंह द्वारा सूचना पढ़ने के उपरान्त)

श्री धनंजय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं, बस पढ़ना था। आपने पढ़ दिया। बात आ गई।

श्री धनंजय सिंह-

मान्यवर, एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है। मान्यवर, पिछली बार भी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं और मेरे ऊपर हमला हुआ था। इस समय भी मायावती जी मुख्य मंत्री हैं और पुनः मेरे ऊपर हमले का प्रयास चल रहा है। मान्यवर, मैं लगातार 5-6 महीने से इस बात के लिये कह रहा हूं। विशेष सुरक्षा दिये जाने की मांग कर रहा हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखकर दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सदन समाप्त होने की स्थिति में है इसलिए मैंने यह सूचना पुनः देना आवश्यक समझा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इसीलिए आपकी 301 की सूचना स्वीकार की गई है।

श्री धनंजय सिंह-

मैं पत्र भेज रहा हूं इसको देख लें। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा मुझे विशेष सुरक्षा दिये जाने का आग्रह किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें। आठवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान जी की मुख्य चिकित्साधिकारी महामायानगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरामऊ के डाक्टरों की लापरवाही से 25 लोगों की मौतों के लिये दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री लल्लू सिंह जी की, फैजाबाद नगर में जे0टी0सी0 स्कूल के खाली भवन परिसर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी जी की, प्रदेश के 27 जनपदों के जिला विकास अभिकरणों में तैनात उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की जनपद सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकास खण्ड अन्तर्गत कोहड़वरा सोहना मार्ग से ग्राम फूलपुर से गजपुर महादेव की सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की, इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय माइनरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह जी की, जनपद आगरा में आगरा-भरतपुर बिचपुरी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की, मुजफ्फरनगर के ग्राम बघरा में दिनांक 6 मार्च, 2008 को हुये पुलिस एवं ग्रामीणों के संघर्ष की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी जी अनुपस्थित हैं। निम्न माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार हुई-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुखलाल, श्री सर्वेश कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री राम विशुन आजाद, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री मदन भैया, श्री संजीव दरियाबादी, श्री मदन चौहान, श्री महेश चन्द्र

गुप्ता, श्री सुरेश कुमार खन्ना। श्री श्यामदेव राय चौधरी के अनुपस्थित होने के कारण श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना स्वीकार की गयी।

(श्री इमरान मसूद, श्री धनंजय सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान तथा डा0 आर0 ए0 उस्मानी ने अपनी-अपनी सूचना पढ़ी शेष सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुल/रपटा बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शारदा व घाघरा नदियों से चारों तरफ घिरा है। प्रतिवर्ष प्रलयकारी बाढ़ से लाखों परिवारों की फसल नष्ट हो जाती है तथा आवागमन के मुख्य रास्तों पर रपटा व पुल निर्माण न होने से लाखों किसानों को गन्ना बाहुल्य ऐरिया में गन्ना मिल तक गन्ना पहुंचाना दूभर है। मेरे श्रीमन् जिलाधिकारी खीरी के मौखिक निर्देश पर पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा प्रस्ताव मांगे गये। प्रस्तावों पर शुगर मिल एरिया ईसानगर मार्ग पर सैरैया नाला पुल तथा बेलुआ सधुआपुर मार्ग रपटा निर्माण तथा धौरहरा से सुजईकुन्डा मार्ग पर पुल या रपटा आदि करीब 13 रपटों की जांच व स्टीमेट बनने पर भी धन का आवंटन नहीं हुआ है अतः पिछड़ा विकास निधि या अन्य योजनान्तर्गत शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

ग्राम सूजडू, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर स्थित वैश्य समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाकर वैश्य समाज को कब्जा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कंसल-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर की एक भूमि खसरा नं0-1450/5-5-0 ग्राम सूजडू, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर पर स्थित है। यह सती वैश्यान की भूमि है तथा वैश्य समाज के लोगों के पूजा का स्थान है और इसमें पुराने सतयों के थान बने हुए हैं, इसमें शुरू से ही जिला मुजफ्फरनगर एवं बाहर के वैश्य समाज के लोग पूजा करते हैं। यह वैश्य समाज का धार्मिक स्थल है।

वैश्य सभा की इस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया तथा अवैध रूप से बांस-बल्लियां रख ली हैं तथा एक कमरे का नाजायज तरीके से निर्माण भी कराया जा रहा है। इससे वैश्य समाज के लोग आक्रोशित हैं, स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त वैश्य समाज की भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवाकर वैश्य समाज को कब्जा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर के बिसवां तहसील मुख्यालय पर परिवहन निगम द्वारा बस स्टैण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नगर बिसवां जो कि आबादी में काफी बड़ा एवं तहसील मुख्यालय है यहां पर कोई भी परिवहन विभाग का बस स्टैण्ड नहीं है जिससे परिवहन विभाग की बसें सड़क किनारे यहां वहां खड़ी होती रहती हैं जिससे नगर वासियों एवं समस्त ग्रामीण अंचल के यात्रिओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा हैं जनहित में नगर बिसवां में परिवहन विभाग द्वारा बस स्टैण्ड स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाय इसकी मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग को वैट से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री इमरान मसूद-

जनपद सहारनपुर के काष्ठ कला उद्योग को पूरे विश्व में जाना जाता है जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है इस कार्य में लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुडे हैं। काष्ठ कला उद्योग को संरक्षण देने के लिए शासन द्वारा कभी भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया था काष्ठ कला के फर्नीचर पर शासन द्वारा वैट लगा लिया गया है रुपये की बढ़ती हुई मजबूती के कारण व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान न मिलने के कारण यह उद्योग बदहाल अवस्था में है वैट लगने के पश्चात् सहारनपुर की पहचान काष्ठ कला उद्योग बर्बाद हो जायेगी जिससे इस उद्योग में लगे हजारों परिवार भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे।

अतः मैं इस अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न पर, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं।

जनपद बागपत की गन्ना विकास द्वारा बनायी गयी सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने तथा पुनर्निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 अजय तोमर-

[जनपद बागपत उत्तर प्रदेश का कृषि प्रधान जनपद है। मान्यवर, यहां पर दो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बागपत व रमाला है तथा एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल एस0बी0ई0सी0 चीनी मिल लोयन मलकपुर है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की चीनी मिल, किनौनी, दौराला, खतौली व भसाना का क्षेत्र भी जनपद बागपत में पड़ता है। किसानों की गन्ना बुग्गी व ट्रैक्टर टाली को तौल केन्द्र तथा मिल गेट पर सुविधा पूर्वक ले जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गन्ना विभाग की सड़के बनाई जाती हैं परन्तु गन्ना विभाग की सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है सड़के बनने के कुछ ही समय बाद टूटनी शुरू हो जाती हैं ऐसे जनपद में अनेकों सड़के हैं जिनके बने एक वर्ष से दो वर्ष

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही हुये हैं और ये वाहन चलने लायक नहीं रही तथा दूसरी ओर गन्ना विभाग के जनपदीय अधिकारी प्रतिवर्ष नये मांगों का चयन करते हुये इन पर लेपन स्तर की सड़के बनाने का काम कर रहे है जिनका निर्माण स्तर बहुत ही घटिया है जनपद की अधिकतर गन्ना विभाग की दो तीन वर्ष पुरानी सड़के वाहनों के चलाने लायक नहीं हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत की गन्ना विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की जांच करने तथा इनके पुनः निर्माण/मरम्मत कराने की सरकार से मांग करता हूं।

फतेहपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत एवं अन्य कतिपय विकास खण्डों में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राधेश्याम गुप्ता-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर फतेहपुर में पशु चिकित्सालय न होने से पशुपालकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण पशुपालक आन्दोलित हैं। पशुओं की बीमारी में कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। गरीब किसान जो अपने पशुओं पर ही आश्रित हैं के पास कोई और विकल्प नहीं है। इस कारण पशु चिकित्सालय खोला जाना ? नितान्त आवश्यक है। माडा सराय, विकास खण्ड हसवा, पिलखिनी विकास खण्ड, भिटौरा, आम्मी वि0खं0 भिटौरा, आलमपुर, नरही, वि0खं0 भिटौरा, हसनापुर, वि0खं0 भिटौरा, केवई ढकौली, अस्ता, कांधी, वि0खं0 तेलियानी, एवं रमवां विकास खण्ड हस्वा में एक पशु चिकित्सालय खोला जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री धनंजय सिंह (स्वयं) को सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनंजय सिंह-

[महोदय, मैं वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रारी, जनपद जौनपुर से सदस्य, विधान सभा चुना गया हूं। मेरे द्वारा कई बार शासन को अपनी गम्भीर जीवन भय के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है एवं विशेष सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि लगातार अनुरोध करने के बाद एवं जीवन भय से भली-भांति अवगत होने के बाद भी मुझे अभी विशेष श्रेणी की सुरक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04-10-2002 को सायं 5 बजे जनपद वाराणसी में शातिर अपराधियों द्वारा अत्याधुनिक स्वचलित हथियारों (ए.के. 47, ए.के. 56 आदि) से मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें मुझे कई गोलियां लगी थीं। उस वक्त भी प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इस घटना के उपरान्त मुझको विशेष सुरक्षा (वाई श्रेणी) की प्रदान कर दी गयी थी। इस घटना के मुकदमें की सुनवाई पांच वर्ष बाद एस0टी0सी0 कोर्ट वाराणसी में चल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है अब इस मुकदमें में गवाही होगी। उक्त घटना के मुख्य आरोपी जेल से बाहर हैं, जो मेरी हत्या के प्रयास में हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी कई जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मांगे जाने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई थी जिससे कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो गई थी।

दिनांक 04-10-2002 की घटना का मैं स्वयं चश्मदीद गवाह हूं। मुझे जीवन सुरक्षा हेतु वर्ष 2002 से उ0 प्र0 सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी विशेष सुरक्षा मई, 2007 तक लगातार प्राप्त थी, परन्तु राज्य एवं केन्द्रीय खूफिया एजेंसियों द्वारा मेरे जीवन के खतरे की जानकारी दिये जाने के बाद भी मेरी सुरक्षा वापस ले ली गयी है। सुरक्षा वापस लिये जाने से बहुत से राजनैतिक कार्य बाधित हो रहे हैं एवं लगातार जीवन भय बना हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

मुख्य चिकित्साधिकारी महामायानगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ के डाक्टरों की लापरवाही से 25 लोगों की मौतों के लिए दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री यशपाल सिंह चौहान-

महोदय, दिनांक 9-2-2008 को जनपद महामायानगर स्थित सिकन्दराराऊ-कासगंज मार्ग पर नावली पर 12 लोग एक दुर्घटना में मारे गये थे तथा कई अन्य घायल हुए थे। घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो कोई डाक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दराराऊ पर उपलब्ध नहीं था। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, महामायानगर की उपस्थिति में डाक्टरों के अभाव में उनको अलीगढ़ रिफर कर दिया गया। जनता एवं मेरे द्वारा वास्तुस्थिति बताये जाने पर डाक्टरों को निलम्बित किये जाने का आश्वासन दिया परन्तु अभी तक डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अभी दिनांक 5-3-2008 को फिर ठीक वैसी ही दुखद घटना सिकन्दराराऊ-कासगंज मार्ग पर सिकन्दराराऊ से 7 कि0मी0 दूर ग्राम खेमगढी के करीब घटित हुई। जिससे लगभग 11 कांवरियों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गयी एवं लगभग एक दर्जन घायल हो गये। घायलों को उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाया गया। फिर से वहां पर कोई डाक्टर उपस्थित नहीं था जिसके कारण घायलों में से भी कुछ की मौत हो गयी।

एक माह के अन्दर 25 मौतें एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों की लापरवाही से हुई है जिनमें से लगभग आधों को बचाया जा सकता था। पूरे प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महामायानगर की लापरवाही नजर आती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी समान रूप से दोषी हैं।

अतः प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महामायानगर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्राराऊ के डाक्टरों की लापरवाही की गम्भीरता को देखते हुए इन 25 मौतों के लिए दोषी डाक्टरों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद नगर में जे0टी0सी0 स्कूल के खाली भवन परिसर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद नगर में कन्याओं की शिक्षा हेतु कन्या इण्टर कालेज का अभाव है। कन्या विद्यालय न होने के कारण अधिकांश गरीब परिवार की छात्रायें शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। फैजाबाद नगर में जे0टी0सी0 स्कूल का भवन परिसर खाली है। कन्याओं की शिक्षा के लिए जे0टी0सी0 स्कूल के खाली भवन के परिसर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की योजना प्रस्तावित है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कन्याओं को शिक्षा देने हेतु सरकार प्राथमिकता दे रही है इसलिए अविलम्ब उक्त खाली भवन परिसर में एक कन्या इण्टर कालेज खोला जाय जिससे फैजाबाद नगर में कन्याओं की शिक्षा का समाधान हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जे0टी0सी0 स्कूल के खाली भवन परिसर में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के 27 जनपदों के जिला विकास अभिकरणों में तैनात उर्दू अध्यापकों/कनिष्ठ लिपिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 ए0 उस्मानी-

प्रदेश के 27 जनपदों के जिला विकास अभिकरणों में तैनात उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि सुविधायें देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।

आपको अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 के 27 जनपदों में जिला विकास अभिकरणों में वर्ष 1994-95 में उर्दू अनुवादकों/सह कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उर्दू अनुवाद/सह कनिष्ठ लिपिकीय सेवा नियमावली जारी कर नियुक्ति की गई थी तो क्या जिन ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) राजकीय विभाग/कार्यालय है, क्या ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्यालयों में नियुक्त किये गये उर्दू अनुवादकों का जी0पी0एफ0 की जगह सी0पी0एफ0 काटा जायेगा, इनको पेंशन ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेंगी तो कब तक मिलेंगी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कार्यालयों में नियुक्त उर्दू अनुवादकों का स्वयं के अनुरोध पर भी गृह जनपद था निकट के जनपदों में स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है जिससे इस विभाग डी0आर0डी0ए0 के कार्यालयों में कार्यरत पूरे उ0 प्र0 के उर्दू अनुवादकों/कनिष्ठ लिपिकों एवं उनके परिवार के लोगों में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर की मांग करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के भवनापुर विकास खण्ड अन्तर्गत कोहड़वारा सोहना मार्ग से ग्राम फूलपुर से गजपुर महादेव की सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर में तहसील-इटवा विकास खण्ड-भनवापुर के अन्तर्गत कोहड़वा सोहनापुर मार्ग से फुलपुर से गजपुर महादेव सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में बनाया जाना प्रारम्भ किया गया। इसके निविदा में यह प्राविधानित था कि इस सड़क का निर्माण अक्टूबर, 2005 तक पूरा कर लिया जायेगा परन्तु समय से कार्य पूरा न करने के कारण ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया और उसके किये गये कार्य का भुगतान करने के बाद विभाग ने पुनः इसकी निविदा आमंत्रित की और उसे स्वीकार भी किया। परन्तु यह मार्ग आज तक पूर्ण नहीं हो सका इस पर एक कोट की गिट्टी डालकर अभी तक यह वैसे ही बड़ा आश्चर्य है कि इस सड़की की लम्बाई मात्र 2 किमी0 है। इस पर लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। लोक निर्माण विभाग में पैसा भी उपलब्ध था परन्तु अब लोक निर्माण विभाग ने इसे बनाने से मना कर दिया और यह सड़क नहीं बना रहे हैं। इसके न बनाये जाने से अगल-बगल के गांव में काफी असंतोष है क्योंकि गिट्टी पड़े होने के नाते इस पर चला भी नहीं जा रहा है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सड़क को तत्काल कार्य कराकर पूर्ण करायें, जिससे कि लोगों को आने-जाने की असुविधा से बचाया जा सके।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय माइनरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध रामपुर माइनर, प्रतापपुर माइनर तथा पट्टी राम माइनर में पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल सूख रही है। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।]

जनपद आगरा में आगरा-कतरपुर बिचपुरी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि आगरा जनपद में आगरा-भरतपुर-बिचपुरी मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वर्तमान में यहां मार्ग के नाम कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी नहीं बचा है, पूरा मार्ग अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण चार पहिया अथवा भारी वाहनों के आवागमन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है साइकिल सवार एवं पैदल यात्री भी आवागमन करने में असमर्थ हैं। इस मार्ग पर सीवर लाइन डालने के कारण मार्ग पर धूल ही धूल बनी रहती है जिससे आसपास के क्षेत्र में हमेशा धूल ही धूल उड़ती रहती है। आसपास के क्षेत्र में लगातार धूल का वातावरण बने रहने से बीमारियों के फैलने की प्रबल संभावना है। आम आदमी का जीवन अत्यन्त ही दूभर हो चुका है। मार्ग के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही स्पष्ट प्रतीत होती है। इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के ग्राम बघरा में दिनांक 6 मार्च, 2008 को हुए पुलिस एवं ग्रामीणों के संघर्ष की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बघरा में दिनांक 6 मार्च, 2008 को हुये पुलिस और ग्रामीणों की बीच संघर्ष में पुलिस द्वारा 40 ग्रामीणों को नामजद और करीब 150 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट थाना तिवावी में करायी गयी लेकिन अगले दिन पुलिस द्वारा बदले की भावना से कार्य करते हुए शुक्रवार को देर शाम पुलिस द्वारा गांव को घेर लिया और जो भी मिला उसे उठाकर ले गये व जंगल में ले जाकर बेहरमी से पीटा गया इस दौरान कुछ लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे पुलिस उन्हें गाड़ी में डालकर ले गयी पुलिस द्वारा बच्चों, वृद्धों व औरतों को घर में घुसकर मारा जा रहा है और बेइज्जत भी किया जा रहा है स्थित अत्यन्त तनावपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस कार्यवाही के चलते लोग गांव से पलायन कर रहे हैं और पुलिस घायलों को भी चिकित्सालय में नहीं जाने दे रही है। जिन लोगों का झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं था और अपने घरों में थे पुलिस ने उन पर जमकर कहर बरपाया व 72 वर्षीय वृद्धा रफीकन का सिर फोड़ दिया बीते 6 तारीख से यही क्रम चल रहा है।

इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अफसरों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाये।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर न्यायोचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लालबाग लखनऊ स्थित आफिसर्स कालोनी की लिफ्ट आदि के रख-रखाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[आपके माध्यम से जनहित की अविलम्बनीय सूचना देते हुए त्वरित आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं :-

लालबाग आफिसर्स राजकीय कालोनी लालबाग, लखनऊ एक सात मंजिली इमारत है जो वर्ष 1980 में निर्मित की गयी थी। जिसके 'ए' तथा 'बी' ब्लाक में 56 फ्लैट्स हैं जिनमें अध्यासीगण निवास करते हैं। वर्तमान में प्रत्येक ब्लाक में दो-दो लिफ्टें हैं तथा अध्यासियों के पेयजल की व्यवस्था हेतु कालोनी के परिसर में ही एक पम्पिंग स्टेशन की स्थापना करके जलापूर्ति की जाती रही है। विगत कई वर्षों से लालबाग आफिसर्स कालोनी, लालबाग लखनऊ में अधिष्ठापित दोनों लिफ्टें 20-20 साल पुरानी हो जाने के कारण बार-बार खराब हो जाती थीं अतः अध्यासियों के अनुरोध पर प्रत्येक ब्लाक की 2-2 लिफ्टों में से एक-एक लिफ्ट बदलकर ओटिस की नयी लिफ्ट लगायी गयी थी किन्तु अभी एक-एक लिफ्ट दोनों ब्लाक्स में बदली जानी शेष हैं जिसकी धनराशि गत वर्ष से स्वीकृत है। एक लिफ्ट खराब हो जाने पर दूसरी लिफ्ट नितान्त आवश्यक है।

इसी प्रकार जल के गिरते स्तर के कारण पूर्व में अधिठापित पम्पिंग स्टेशन से जलापूर्ति सुचारु रूप से नहीं होने के कारण कालोनी के अध्यासियों को पम्प की मोटर जल जाने के कारण जल संकट अक्सर हो जाता है। आप सहमत होंगे कि उक्त सात मंजिली इमारत, जिसमें बच्चे, बूढ़े महिलायें सभी रहते हैं, में यदि किसी की तबियत अचानक खराब हो जाये और एक लिफ्ट खराब हो तो लिफ्ट के अभाव में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है।

इसी के साथ, सात मंजिली इमारत में पेयजल जैसी नैसर्गिक आवश्यकता की अपरिहार्यता कितनी महत्वपूर्ण है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त लालबाग आफिसर्स राजकीय कालोनी लालबाग, लखनऊ के अध्यासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उक्त कालोनी के प्रत्येक ब्लाक में लगने वाली एक-एक अवशेष लिफ्ट तथा कालोनी के अध्यासियों के लिए कालोनी के परिसर में नयी बोरिंग कराये जाने सम्बन्धी लोकहित के महत्वपूर्ण विषय को मुझे सदन में उठाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004

* परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (31 अक्टूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक) को उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा-4 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2005-2006

*ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2005-2006 को भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा-(11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2008 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का 'प्रथम प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1993-94 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम' से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का 'द्वितीय प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 2000-2001 तथा 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्' से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2007-2008) का 'तृतीय प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1994-95, 1999-2000 एवं 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 'उत्तर प्रदेश राज्य

---

† छापे नहीं गये।

† छापे नहीं गये।

सेतु निगम लिमिटेड' तथा रिपोर्ट 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 'उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड' से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री मोहम्मद इरशाद खान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन, जो गोपन, नगर विकास, न्याय, संसदीय कार्य तथा परिवहन विभागों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गांगी नदी पर पुल एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कैलाश राम की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री बिरजू राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गांगी नदी पर पुल एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कैलाश राम निवासी जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बलरामपुर में कृषि मण्डी में खाली पड़ी बेकार भूमि में भण्डारण गृह का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्रजीत बहादुर सिंह आदि की हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कृषि मण्डी में खाली पड़ी बेकार भूमि में भण्डारण गृह का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्रजीत बहादुर सिंह व श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13, 14 व 15 में कुछ नहीं है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के

---

†† छापी नहीं गयी।

लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह तो अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रस्ताव बाद में ला देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सर्वसम्मति से यह आना चाहिए था कि इस निर्वाचन की प्रक्रिया के अनुसार की जगह मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को नियमानुसार निर्वाचित समझा जाय।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रस्ताव अभी ला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुनः पारित करने का प्रस्ताव लाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-17 ले रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-17 के सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम-150 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें यह है कि जब धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक जो सभा में आरम्भ हुआ हो परिषद् द्वारा अस्वीकृत हो जाय या उस तिथि से जब विधेयक परिषद् के समक्ष रखा गया था परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक व्यतीत हो जायं, तो सचिव उपर्युक्त तथ्यों की सूचना सदन को देंगे तो क्या प्रमुख सचिव महोदय ने इसकी सूचना दी थी ?

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव महोदय ने इसकी सूचना दी थी, उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं केवल तिथि की जानकारी चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं देखकर बता दूंगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है यह 5 मार्च को दी गयी है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मैं मद संख्या-17 रख रहा हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें थोड़ी सी चर्चा हुई थी जब यह विधेयक यहां पर आया था और मैं इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त कर सका सरकार से, आखिर इस विधेयक को पास करने की आवश्यकता क्या इनको पड़ रही है ? कौन सी अतिरिक्त शक्ति यह चाहते हैं इस विधेयक के माध्यम से। जो इनको शक्ति सामान्य कानून में प्राप्त नहीं है। क्या यह चाहते हैं कि जितने भी आवास आवंटित हैं लोगों को वह आवंटन निरस्त करके उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जो कुछ आपने किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि माल एवेन्यू में अभी तक करीब-करीब एक दर्जन आवासों को अपने कब्जे में ले करके उनको ध्वस्त कर चुके हैं। मान्यवर, केन कमिश्नर तक का मकान, इतना भव्य मकान वह था, ऐतिहासिक मकान था मान्यवर, एक रात के अन्दर उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया और अब उस मकान की कोई निशानी तक वहां बची नहीं है। माननीय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लालजी टण्डन जी का आवास जो उसी के पास था, सम्भवतः टण्डन साहब जब उस तरफ जायेंगे तो पहचान नहीं पायेंगे कि यह कहां रहते थे पांच साल तक या उससे पहले यह आवास मंत्री के रूप में भी उसमें रहे मान्यवर। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के लिए वह आवास भी आवंटित था इस बात के लिए कि नेता प्रतिपक्ष ही उसमें रहेंगे। उस आवास को भी नहीं छोड़ा। मान्यवर, खुद अपने ही मंत्री ही इनके, पहले आजम खां साहब रहते थे, फिर उसके बाद में श्री नसीमुद्दीन साहब थे, उस आवास का भी आज पता नहीं कि वह आवास वहां पर था भी या नहीं था और मान्यवर, मैं क्या कहूं सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यह है बाकी लोग तो निभा लें, लेकिन स्वयं माननीय सम्मानित अध्यक्ष जो सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं इस सदन के, उनके आवास का क्या हुआ ? मान्यवर, इस सरकार को सूझा क्या है ? यह अगर पांच साल सत्ता में रह गये, इस प्रदेश की बदकिस्मती से तो मेरे ख्याल से कोई पुराना आवास तो बचेगा ही नहीं यहां पर। वहां पार्क खड़े होंगे, मूर्तियां लगायी जायेंगी ? क्या-क्या वहां पर लगाया जायेगा, यह हमें सबसे बड़े कष्ट की बात है। आखिर सरकारी पैसा है, किसी की निजी सम्पत्ति यह नहीं है उस सरकारी पैसे से बने हुए, निर्मित भव्य भवन इनके अपने अविवेकपूर्ण सोच के कारण वह ध्वस्त होते जा रहे हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दोबारा यह विधेयक ले आये यहां पर। राजस्व विधेयक के माध्यम से कोई, न्याय का अधिकारी क्षेत्र न रहे, सब का सब इनके विवेक पर निर्भर कर जाये। आवासों को यह खाली करा लें और फिर उसके बाद न जाने इनकी क्या योजना है क्या नहीं है, या तो मान्यवर कोई मास्टर प्लान इनका हो आगे आने वाले इनके कार्यकाल तक का और इन्होंने तय यह कर लिया हो कि माल एवेन्यू जैसे स्थान पर कोई आवास रहेगा ही नहीं तो वह अलग बात है। कहां-कहां पर इनकी योजना यह है कि पुराने आवासों को जो सरकारी अधिकारियों के, माननीय न्यायाधीशों के, माननीय मंत्रियों के, माननीय अध्यक्ष के, अध्यासन में हों उन आवासों पर यह कब्जा करते जायें, उनको ध्वस्त करते जायें और उसके बाद में इनकी क्या योजना है क्या नहीं है, कम से कम सदन को यही अवगत करा दें। हम मानसिक रूप से तैयार तो हो जायें कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में क्या स्वरूप इस लखनऊ का आप बनाने जा रहे हैं। क्या जनपदों में भी आपकी कोई ऐसी योजना है कि नहीं है ? यह तो मान्यवर, कम से कम सदन का इतना सम्मान तो होना चाहिये, यह जानकारी तो हो जाये हमें। एक चार लाईन का विधेयक ले आये, उसमें आप इतने बड़े अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे जो सामान्य प्रक्रिया थी बेदखली की, वह सामान्य प्रक्रिया समाप्त हो जाये और उसके स्थान पर एक समरी ट्रायल के रूप में ही यह मकान खाली करा लें और उन पर कब्जा करते जायें। यह मेरा आग्रह है मान्यवर, कभी एक पुराना कानून होता था इंग्लिश में पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऐक्ट, उससे भी भाग निकाल लिया आपने, कौन सा कानून है फिर जिसमें आप बेदखल करायेंगे। मान्यवर, एक ही तो सामान्य रूप से बेदखली का कानून है, जो सिविल कोर्ट में जाता था, उसके बाद में लाये हम कि अधिकारियों के मद अधिकार दे दें। पब्लिक प्रीमिसेस इविक्शन ऐक्ट था मान्यवर, यह जो अभी अधिनियम आया मान्यवर, इस अधिनियम के माध्यम से उस इविक्शन ऐक्ट की भी धाराओं से अलग हटकर भी बात नहीं कही गई तो फिर क्या है। यह जानकारी मैं चाह रहा था, पहले मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी और इसी कारण से मान्यवर, उच्च सदन में गया, परिषद् में गया, परिषद् में विचार-विमर्श होता रहा, आज यहां पर लम्बित है, उनको भी आपने अवसर नहीं दिया कि माननीय सदस्यों के एक-एक करके विचार आ जायें, उनका भी निर्णय आ जाये। मान्यवर, उनका भी निर्णय आ जाता तब तक आप रुकते। मान्यवर, वह सदन भी संविधान के अन्तर्गत ही गठित है। आपको एक अपवादस्वरूप यह अधिकार प्राप्त है जो नियमों में और संविधान में प्रावधानित है वह इसलिए कि कभी-कभी ऐसी कोई अरजेंसी आ सकती है जिसमें तुरन्त कानून बनाना पड़े। वह कानून बनना तीन महीने से ज्यादा वहां लम्बित हो तो दुबारा उसको पारण के लिये प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं है यह अपवादस्वरूप ही है। एक तलवार आपके हाथ में यह आ गयी है आप किसी को जिन्दा नहीं रहने देंगे क्या ? अपर हाउस को जिन्दा नहीं रहने देंगे ? मान्यवर, सरकार को इस पूरी प्रक्रिया पर चिन्तन करना चाहिए और सामान्य प्रक्रिया वाली जो बात है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। इसी के साथ-साथ न्यायपालिका के अधिकार को भी इन्हें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। यहां पर प्रतिपक्ष के माननीय नेता गण बैठे हुए हैं और सामने माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं। यह भी हवादार और बड़े आवासों को पाने के लिए हकदार हैं। मैं बहुत से माननीय मंत्रियों को जानता हूं कि उन्हें

कैसे-कैसे आवास मिले हुए हैं। यह हो सकता है कि आगे ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि एक आवास में दो-दो मंत्रियों को रहना पड़ जाये। मान्यवर, जो इनकी इच्छा है कि खुले और हवादार मकानों को लेकर इस तरह की कार्यवाही करते की उसमें मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के खजाने के साथ यह खिलवाड़ करने वाली जो बात है वह नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि आज वह सदन को इस बारे में आश्वस्त करे और इनकी आगे 2-3 सालों की जो कार्य योजना है उसका भी प्रारूप हमारे सामने आना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी की जो चिन्ता है, तमाम अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह चिन्ता जाहिर की थी कि तमाम पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं मिल पाते हैं। उनकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। मान्यवर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं लेकिन किन्हीं न किन्हीं तरह से मकानों को खाली नहीं करते हैं इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इसमें संशोधन करके कार्यवाही की जाये ताकि पात्र व्यक्तियों को जिन्हें जरूरत है आवास मिल सकें। उनको दिये जाने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इसमें अन्यथा कोई मकसद नहीं है। इसलिए अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ प्रेषित किया गया था और जो दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-18 लेता हूं।

सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों के समय पर नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष के उपस्थित न रहने पर आपत्ति

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण मद संख्या-18 है, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग (पुलिस) का बजट है। मान्यवर, हमें भी इतने दिनों से इस सदन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सदन की परम्परा रही है कि जब-जब यह दो अनुदानों की मांगें पेश हुई हैं नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष यहां पर उपस्थित रहे हैं। आज इस सदन को इतने हल्केफुल्के ढंग से क्यों लिया जा रहा है ? सदन का कार्य केवल यही रह गया है कि विधेयक के पारण का कार्य भी केवल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औपचारिकता मात्र रह गया है और इतनी महत्वपूर्ण अनुदान की मांगें भी इसी तरह से प्रस्तुत की जा रही हैं। मान्यवर, प्रदेश की जनता आज जानना चाहती है कि नेता सदन कानून व्यवस्था की स्थिति को किस ढंग से ले रही है इस बारे में उनका क्या रुख है। उनकी आगे की क्या कार्य योजना है। यदि इन अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने के लिये वे सदन में नहीं आयेंगी, नेता प्रतिपक्ष यहां उपस्थित नहीं होंगे सुनने के लिये तो क्या प्रतिक्रिया होगी। मान्यवर, यह भी हुआ है कि ऐसी परिस्थितियों में यह अनुदानों की मांगे स्थगित होती रही हैं। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों की इस अवसर पर उपस्थिति सदन की गरिमा को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन इन्होंने सदन को इतने हल्केपन से जो लेना शुरू कर दिया है वह निहायत आपत्तिजनक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तो आ गये हैं। इन्होंने ठीक सोचा कि कम से कम यह तो आ ही जायें। नेता सदन की ओर से यह अनुदानों की मांगें प्रस्तुत होनी चाहिए थीं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री या कोई भी मंत्री इसे प्रस्तुत कर सकते हैं वह बात अलग है। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में नेता सदन को क्या संदेश देना है वह महत्वपूर्ण होता है। इस तरह की जो परम्परायें हैं, संविधान की जो मान्यतायें हैं उससे प्रजातंत्र और लोकतंत्र मजबूत होता है। उसमें हमारा कितना विश्वास है यह इससे परिलक्षित होता है।

आज लगता है कि सदन की गरिमा की कोई भी चिन्ता माननीय नेता सदन को नहीं है। उनको यहां पर होना चाहिए था और वह यहां पर नहीं हैं। तो आप निर्देशित करें यदि नेता प्रतिपक्ष यहां पर बैठ सकते हैं तो उनको भी यहां पर आना चाहिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी ने यह सवाल उठाया है मैं भी बहुत दिनों से इस सदन में हूं और मैंने भी देखा मान्यवर अभी मैंने यह सोचकर कार्यवाही भी देखने का काम किया विगत 2-3 वर्षों में और 2-3 वर्षों में कभी भी नेता सदन द्वारा इस विभाग की मांगे नहीं रखी गयीं। मान्यवर, यह ऐसा कोई बाध्यता नहीं है इसलिए ऐसा प्रश्न जो माननीय हुकुम सिंह जी ने उठाया है यह विगत 1-2 वर्षों में क्यों नहीं उठा पाये, तब तो आप उठा नहीं पाये ? आज मान्यवर, जब कोई भी नियमों में है और माननीय नेता सदन ने मुझे इस विभाग की अनुदान मांगों को रखे जाने के लिए अधिकृत किया है और उसकी सूचना आपके पास आ गयी है। मान्यवर, उन्होंने मुझे अधिकृत किया है और उसी अधिकरण के आधार पर इसको रखने का काम कर रहा हूं। माननीय नेता सदन ने इस सदन को पूरा सम्मान दिया है कभी ऐसा नहीं है कि इसकी उपेक्षा किया हो और इसलिए समय-समय पर उन्होंने आने का काम किया है और विशेष रूप से राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा हो रही थी उसमें उन्होंने पूरा हिस्सा लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपना दो ढाई घन्टे का जो भाषण दिया उसमें लगातार उपस्थित रहकर उन्होंने सुनने का काम किया और साथ ही उत्तर देने का काम किया। कभी-कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि न रहना कोई मजबूरी भी बन जाती है। इसलिए इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि उन्होंने कहीं भी सदन में उनकी तरफ से सम्मान में कोई कमी है। उन्होंने हमेशा विधान सभा के, विधान मण्डल के सदन को हमेशा सम्मान देने का काम किया है और आवश्यकतानुसार उन्होंने उपस्थित रहने का काम

किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर जो आपत्ति आपने उठाई है, उसको अग्राह्य करते हुए मुझे अनुमति देने की कृपा करें इसलिए कि उन्होंने मुझे अधिकृत करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,66,69,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आज हमारी सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 13 मई, 2007 को पदारूढ़ हुई है। मान्यवर, हमारी सरकार के पदारूढ़ होते ही माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश की जनता से चुनाव के पूर्व भी यह वायदा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को अनयायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण देने का उन्होंने वायदा किया था और मान्यवर, सरकार गठित होने के तत्काल बाद उस अपने वायदे के अनुसार प्रदेश में उन वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करते हुए यह निर्णय लेने का काम किया। मान्यवर, हमारा यह मानना है कि प्रदेश का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब प्रदेश में अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाय। मान्यवर, इसीलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार तथा उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये, कुछ निर्णय लेने का काम किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 मई को एक शासनादेश जारी करके प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को एक दिशा-निर्देश देने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है और कानून का राज की जगह पर ऐसा लगता था कि अपराधी तत्वों का और गिरोहबन्द लोगों का प्रशासन पर कब्जा हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये उन्होंने कुछ सुधार करने का निर्णय लिया और उसी के लिये दिशा-निर्देश देने का काम किया। सबसे पहले मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुये विशेष रूप से तबादला/स्थानान्तरण की जो नीति थी उस पर पारदर्शिता के आधार पर स्थानान्तरण हो, कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर स्थानान्तरण किया जाय इसलिये प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को बिना किसी राजनीतिक या अन्य दबाव के पूरी निष्पक्षता के साथ काम करने की पूरी छूट देने का

निर्णय लिया गया। जनसमस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिये जिलों में हर सप्ताह मंगलवार के दिन सभी तहसीलों में प्रातः 10 बजे से तहसील दिवस के आयोजन का निर्णय लिया गया ताकि स्थानीय कामों के लिये लोगों को लखनऊ न आना पड़े। सभी अधिकारियों को मंगलवार और रविवार को छोड़कर यह निर्देश दिया कि 10 बजे से 12 बजे तक, चाहे वह आई0 जी0 हों, चाहे वह डी0 आई0 जी0 हों, चाहे वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक हों, चाहे वह सी0 ओ0 हों, चाहे वह एस0 ओ0 या इंस्पेक्टर हों, इसी तरह से मण्डलायुक्त से लेकर एस0 डी0 एम0 तक को यह निर्देश देने का काम किया कि प्रत्येक दशा में 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रह कर के जनता की समस्याओं को सुनने का काम करें, उनकी समस्याओं के निस्तारण करने का काम करें जिससे कि आम जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिये भागना न पड़े। मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लेने का काम किया गया कि थाना दिवस की व्यवस्था के तहत थाने से प्रत्येक दिन एक दिवस अधिकारी की नियुक्ति करके निर्देश दिया गया जो लोगों की शिकायतें सुनकर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही करेगा इसी तरह से मान्यवर, जिला मुख्यालय पर भी उपाधीक्षक स्तर का एक अधिकारी को शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये निर्णय लेने का काम किया गया। मान्यवर यह भी निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी अपनी तैनाती के मुख्यालय पर ही निवास करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि जन शिकायतों के निस्तारण और विकास कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर इसके लिये भी जिम्मेदार अधिकारियों के अतिरिक्त वरिष्ठ स्तर के सुपरवाइजरी अधिकारियों को भी दंडित किया जायेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ जिला स्तर पर जिला-अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 3 तारीख को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विकास से सम्बन्धित सभी विभागों की समीक्षा करने का निर्देश देने का काम किया गया। इसी तरह से मान्यवर, यह भी निर्णय लेने का काम किया गया कि 6 तारीख को मण्डलायुक्त पूर्वाह्न 11 बजे से 5 बजे तक मण्डल स्तर पर समस्त जिलाधिकारियों और मण्डल स्तर के अधिकारियों के कार्य की समीक्षा करेंगे। इसी तरह से मान्यवर, यह भी निर्णय लेने का काम किया गया कि प्रदेश स्तर पर समीक्षा हेतु प्रत्येक माह की 20 तारीख को सभी मण्डलायुक्तों तथा सभी प्रभारी प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक 2 बजे से 7 बजे तक करेंगे...

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो बिन्दु हैं, उसे पढ़ा जाता है और देखकर बताया जाता है। माननीय जोखू लाल यादव जी, मैं भी इसी सदन में रहा हूं। गैर जिम्मेदाराना रवैये वाले अधिकारी दण्डित किये जायेंगे। तबादले के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से पुलिस अधिकारियों के लिए भी यह निर्देश दिये गये कि प्रत्येक 02 तारीख को जिले स्तर पर पुलिस अधिकारी एस0 पी0 अपने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। 06 तारीख को डी0 आई0 जी0 मण्डल स्तर पर समीक्षा करने का काम करेंगे और मान्यवर, प्रायः यह शिकायत

प्राप्त होती थी कि विभिन्न थानों में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करते हुए लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। सभी वर्गों को न्याय मिल सके इसलिए माननीया मुख्य मंत्री जी ने 20 मई को यह निर्देश जारी किया कि अब थानों में थानाध्यक्ष और निरीक्षक बनाये जाने के लिए 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और 50 प्रतिशत सामान्य लोगों को थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर बनाया जायेगा। मान्यवर, इस बात का भी निर्देश दिया गया कि पुलिस को आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार की ओर से पूरी छूट होगी परन्तु अधिकारियों को जाति व दलगत राजनीति से ऊपर हटकर निष्पक्षता से काम करते हुए सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के तहत ईमानदारी व निष्ठा से सही काम करना होगा। ऐसे निर्भीक अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण देने का काम किया जायेगा। मान्यवर, हमारी सरकार की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी अधिकारियों को बताने का काम किया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश में अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने की है और इसलिए अपराधों पर पूरी तरह से नियन्त्रण स्थापित करने का निर्णय लेने का काम किया गया। उसके लिए यह भी निर्देश जारी करने का काम किया गया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है इसलिए जाति और वर्ग के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण नहीं किया जायेगा क्योंकि अपराधी अपराधी होता है और उसका स्थान जेल है उसे जेल में भेजने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसी के तहत प्रदेश में विभिन्न स्तर पर इसकी समीक्षा करने का काम किया गया और उसमें विशेष अभियान चलाकर जो अपराधी थे, जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते थे, जो प्रदेश की आम जनता को भयभीत करते थे, सफेदपोश, भू-माफिया, खनन, ठेकेदारी तथा अन्य माफियाओं को चिन्हीकरण करने का काम किया गया और उनको गिरफ्तार करके कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है। आलोच्य अवधि में 13 मई, 2007 से 29 फरवरी, 2008 तक प्रदेश में इस तरह से 2491 माफिया चिन्हित किये गये, जिसमें से 1996 को गिरफ्तार किया गया, 13 मारे गये, कुल कार्यवाही 82.30 प्रतिशत की गई। मान्यवर, इसी तरह से पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। मान्यवर, आलोच्य अवधि में 1739 चिन्हित पेशेवर अपराधियों में से गिरफ्तार या अदालत में हाजिर होने वालों में, 1661 अपराधी हाजिर हुए, मारे गये अपराधी 19, कुल कार्यवाही 97.12 प्रतिशत हुई। इसी तरह से मान्यवर, एन0एस0ए0 एवं गैंगेस्टर लगाने का भी काम लिया गया। गैंगेस्टर 1396 अपराधियों पर और एन0एस0ए0 86 अपराधियों पर लगाया गया, 768 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। मान्यवर, इसी तरह से अवैध शराब की रोकथाम के लिए अपराधियों को चिन्हित करके कार्यवाही करने का काम किया गया। सरकार के इन सुधारात्मक कार्यों का परिणाम हुआ कि प्रदेश में जो अपराधी गिरोह थे, जो लोगों को डराने-धमकाने का काम करते थे, विशेष रूप से जो माफिया और ठेकेदारी में प्रवेश किये हुए थे और किसी भी जिले में ठेकेदारी माफियाओं के हाथों में बंधक हो गई थी, मान्यवर, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की कार्यवाही की गई। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में सरकार के इन सुधारात्मक कार्यों का परिणाम हुआ कि अपराधियों के खिलाफ हमले कार्रवाई करने का निर्णय लिया तो प्रदेश में इस अवधि में 13-5-2007 से 29-2-2008 तक बड़े अपराधों में डकैती में 16.9 प्रतिशत, लूट में

39.6 प्रतिशत, हत्या में 20.1 प्रतिशत, बलवा में 21.7 प्रतिशत, गृह भेदन में 10.8 प्रतिशत, वाहन चोरी में 11.8 प्रतिशत, कुल चोरी में 11.8 प्रतिशत की कमी आयी। मान्यवर, फिरौती हेतु अपहरण में 39.6 प्रतिशत की कमी आयी, अन्य अपहरण में 4.1 प्रतिशत की कमी आयी, दहेज हत्या में 5.9 प्रतिशत, बलात्कार में 12.1 प्रतिशत की कमी आयी। इसी तरह से आलोच्य अवधि में जो कुल मुकदमें पंजीकृत किये गये और यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत अपराधों का पंजीकरण किया जाए और यह भी निर्देश दिये गये कि अपराधों की समीक्षा मुकदमों की संख्या के आधार पर नहीं होगी बल्कि उन मुकदमों में की गयी कार्यवाही के आधार पर करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से जो अन्य निरोधात्मक कार्यवाही की गयी उसमें शस्त्र अधिनियम में 16.4 प्रतिशत अधिक कार्यवाही की गयी, जुआ अधिनियम में 51.6 प्रतिशत, एन0डी0पी0एस0 में 16.2 प्रतिशत, आबकारी अधिनियम में 30.0 प्रतिशत की, गुण्डा एक्ट में 57.0 प्रतिशत की, गैंगेस्टर में 180.7 प्रतिशत की रासुका में 157.8 प्रतिशत की कमी आयी है। इस तरह से मान्यवर, कार्यवाही का परिणाम हुआ कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भी कार्यवाही की गयी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, माननीया मुख्य मंत्री जी प्राथमिकता है कि महिलाओं को भी सुरक्षित रखने का काम करना है उसी का परिणाम हुआ कि आज इस अवधि में हत्या में 12.5 प्रतिशत की कमी, बलात्कार में 11.8 प्रतिशत, अपहरण में 3.4 प्रतिशत, चेन स्नेचिंग में 10.1 प्रतिशत, दहेज हत्या में 7.3 प्रतिशत की कमी आयी। इसी तरह से हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि हम समाज के उन वर्गों को जिनके साथ सदियों से अन्याय, अत्याचार होता रहा, जिनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम नहीं हो पाया था उन कमजोर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने का काम करेंगे इसलिए जब हमने कार्यवाही करने का काम किया तो एस0सी0, एस0टी0 उत्पीड़न के विरुद्ध भी जो कार्यवाही हुई उसका परिणाम हुआ कि एस0सी0, एस0टी0 में हत्या में 25.2 प्रतिशत, आगजनी में 34.0 प्रतिशत, बलात्कार में 10.9 प्रतिशत, गम्भीर चोट में 29.4 प्रतिशत की कमी आयी तो इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 8.6 प्रतिशत की कमी आयी। मान्यवर, यह कार्यवाही का परिणाम ही रहा जिसके कारण यह सम्भव हो सका। इसके साथ ही साथ हमने जब इस लक्ष्य का निर्धारण करने का काम किया तो मान्यवर, जो कुल वांछित अभियुक्त थे उत्तर प्रदेश में 2 लाख, 45 हजार, 476 इसमें अभियान चलाकर 1 लाख, 94 हजार, 94 को गिरफ्तार किया गया, हाजिर अदालत हुए 46 हजार, 713 मारे गये, 311 कुर्की 1010 कुल कार्यवाही हुई 98.64 प्रतिशत। हमने यह भी निर्णय लेने का काम किया कि जो भी पुरस्कार घोषित अपराधी थे पहले देखा जाता था कि पुरस्कार घोषित अपराधी घूमा करते थे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती थी। सरकार के इस निर्णय के तहत जब हमने इस तरह की कार्यवाही करने का परिणाम हुआ कि जो पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। इस अवधि में 1808 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किये गये 1099, हाजिर अदालत हुए और 227 और मारे गये 95। कुल कार्यवाही हुई 78.60 प्रतिशत हुई। मान्यवर, हमारी सरकार का बहन कुमारी मायावती की सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के विकास के लिए अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण। का निर्णय लेने का काम किया गया था उसी के तहत अभियान चलाकर अपराधी जो भागा करते थे

उसमें चेकिंग करने का अभियान चलाने का काम किया गया और पूरे प्रदेश में इस तरह से बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने का काम किया गया। विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों पर भी। दो तीन घटनाएं जरूर हुई लेकिन उसके परिणामस्वरूप हमने जो कार्यवाही करने का काम किया तो आज उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादी फरार थे उसमें हूजी के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया इस तरह से विभिन्न आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया जैश-ए-मुहम्मद के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया सीरियल ब्लास्ट के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया लश्करे तायबा के दो आतंकवादियों को मारा गया। लश्करे तोयबा के 6 आतंकवादियों, 1-1-08 को रामपुर सी0आर0पी0एफ0 ग्रुप सेन्टर पर हमला करने में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश में तमाम डकैत गिरोह भी थे जिनके बारे में लम्बे समय से लोगों ने कार्यवाही करने की समय-समय पर घोषणा करने का काम किया लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका न ही मारे जा सके। बहन कुमारी मायावती जी ने लक्ष्य बनाने का काम किया और संकल्प लेने का काम किया। बीहड़ बुन्देलखण्ड के एक बहुत बड़े डकैत जिसको डकैत सम्राट कहा जाता था ददुआ उर्फ शिवकुमार जिसके ऊपर पांच लाख का पुरस्कार घोषित था उसको मारने की कार्यवाही की गयी। अंगद उर्फ सुग्रीव जिस पर 50 हजार का पुरस्कार घोषित था उसको मुठभेड़ में मारने की कार्यवाही की गई। नरेश उर्फ नरेशा जिस पर 50 हजार का पुरस्कार घोषित था उसको मुठभेड़ में मारा गया, नत्थू उर्फ चेला जिस पर 50 हजार का पुरस्कार घोषित था उसको मुठभेड़ में मारने का काम किया गया। परवेज जिस पर 20 हजार का, छोटा उर्फ़ शिवकरन जिस पर 20 हजार का पुरस्कार घोषित था मारे गये। राम सागर उर्फ सागर मल्लाह जिस पर 20 हजार का ईनाम घोषित था मुठभेड़ में मार गिराया। जयप्रकाश मुसहर 20 हजार, सर्वेश सिंह, अनूप सिंह, संतोष पाण्डेय जिन सभी पर 20-20 हजार के ईनाम घोषित थे उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मारने की कामयाबी प्राप्त की। इसी के साथ-साथ सरकार के दबाव के चलते बहुत से अपराधियों ने या तो गिरफ्तारी देने का काम किया या उनको गिरफ्तार किया जा सका। बृजेश कुमार सिंह को बाहर गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर 5 लाख का ईनाम था। किरन कोल 50 हजार का ईनाम, डमरोहा जिस पर 50 हजार का ईनाम, राधे उर्फ सूबेदार जिस पर 50 हजार का ईनाम, समीर उर्फ समीरुद्दीन पर 25 हजार का ईनाम, सुशील दत्त शर्मा पर 25 हजार का ईनाम, मंसूर खान, बृजेश उपाध्याय, टीटू, श्री राम मौर्य इस तरह के तमाम अपराधी जिन पर 20 हजार का पुरस्कार घोषित था उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमारा नाम इसमें क्यों शामिल नहीं है। मेरे ऊपर 52 केस हैं हमारा नाम नहीं है। यह कैसी सरकार है अपराधियों की लिस्ट में हमारा नाम कैसे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कुछ लोगों की आदत है एक छोटी सी घटना को बड़ी बताकर दिखाने की।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे जैसे अपराधी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। यह लिस्ट इनकम्प्लीट है। गैर मुकम्मल है। मुझे इस पर ऐतराज है। इतने मुकदमें ददुआ पर भी नहीं थे। मेरे ऊपर 52 मुकदमें हैं उसके बाद भी बाहर हूं। यह सरकार की नपुंसकता है। मेरे जैसे अपराधी का नाम इस सूची में घोषित नहीं किया गया। मेरा इनकाउन्टर क्यों नहीं हुआ ?

श्री लालजी वर्मा-

मुझे नहीं मालूम कि इनाम लायक है कि नहीं है। मान्यवर, मुझे याद है कि इसी सदन में 1989 में एक दीवार में छोटे से छेद को लेकर किस तरह से लोग बत्तंगड़ बनाने का काम किये थे। ऐसे लोगों को मान्यवर, मैं जवाब क्या दे सकता हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गलत याद होगा आपको। ऐसा कोई वाकिया इधर नहीं हुआ।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह निर्णय लेने का काम किया कि हम उत्तर प्रदेश को अपराधविहीन बनाने का काम करेंगे।

(दोनों पक्षों के सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये आप लोग।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह ठीक बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे हमारे ऊपर इनाम तो घोषित करो। हमारे जैसा अपराधी कौन होगा 52 मुकदमें हैं हमारे ऊपर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बैठा नहीं हूं। इस तरह बीच में खड़ा होना शोभा नहीं देता है मान्यवर। मैं बीच में नहीं खड़ा होता हूं मान्यवर। शांतिपूर्वक सुनता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बीच में हो जाती है टोका-टोकी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक बाथरूम में एक छेद के लिये किस तरह से हल्ला गुल्ला मचाने का काम हुआ था। ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसे छोड़ें यह बतायें हमारा इनकाउन्टर क्यों नहीं हुआ ? कमजोर है यह सरकार। नपुंसक सरकार है यह।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

इनको किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है।

(दोनों ओर के सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये बैठिये आप लोग।

(श्री हुकुम सिंह के बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

अभी मैं बैठा नहीं हूं हुकुम सिंह जी।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाथरूम में छेद था। यह छेद में से क्या झांक रहे थे ?

श्री लालजी वर्मा-

मैं तो नहीं झांक रहा था लेकिन आप पर आरोप लगा था कि आप झांक रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

अरे नहीं नहीं। वह छेद का सवाल नहीं है। सवाल यह था वह आजम खां ही चाहते थे कि सवाल इसका नहीं कि शीशा टूटा कैसे ? सवाल इसका कि पत्थर कहां से आया ? छेद किसने किया था ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह संकल्प लेने का काम किया कि हमें उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त बनाना है तो मान्यवर, मैं एक और उपलब्धि की तरफ बताना चाहता हूं कि पुलिस की तत्परता और कार्यवाही का परिणाम है कि मान्यवर, विभिन्न वर्षों से चोरी और लूट की वस्तुओं की बरामदगी का विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 मई, 2007 से 29 फरवरी, 2008 तक का 2008 और 2007 में इसी अवधि का 2006-2007 में इसी अवधि का 2005-2006 का। मान्यवर, 2006-2007 में जो बरामदगी थी वह 33 प्रतिशत थी। मान्यवर, इसी तरह 2006-2007 में जो 42.89 प्रतिशत थी। हमारी सरकार ने जब कार्यवाही करने का काम किया, पुलिस को अपराधों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी ठहराने का काम किया तो आज यह 2007-2008 में 84.49 प्रतिशत चोरी में बरामदगी की गई। मान्यवर, इस उपलब्धि के आधार पर आज उत्तर प्रदेश में आम जनता यह महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आज निश्चित रूप से कानून का राज स्थापित है। जंगल राज को मिलाकर हमने कानून का राज स्थापित करने का काम

किया है। हमारी सरकार ने, बहिन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण लाने के लिये और जो हमारा उद्देश्य है संगठित अपराधियों, आतंकवादियों के विशेष प्रकार के अपराधों पर विवेचना हेतु विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु तीन नये विशेष थाने बनाकर उनके लिये पद और संसाधन स्वीकृत किये गये हैं। ए0टी0एस0 का गठन करके सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उनको विशेष बल का गठन किया गया। एस0आई0टी0 का गठन करके मान्यवर, विवेचना के लिये पूरे प्रदेश के लिये विशेष प्रकार के अपराधों की विवेचना के लिये कार्य दल का गठन किया गया। टूरिस्ट के लिये पुलिस का, जनपद आगरा में कई ऐसी शिकायतें आई थीं। हमारे इसी सदन में जनपद आगरा में टूरिस्टों का भाई धर्मपाल जी ने प्रश्न उठाया था। इस बात के लिये सरकार ने चिन्तित होते हुए इस बात की व्यवस्था करने का काम किया कि आगरा में विदेशी पर्यटकों को सुविधा एवं सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई तथा उन्हें भी संसाधन उपलब्ध कराया गया है। एस0टी0एफ0 का सुदृढीकरण किया गया। पहले केवल लखनऊ में मुख्यालय था। अब दो क्षेत्रीय शाखायें मेरठ और वाराणसी में स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लेने का काम किया। मान्यवर, इसी तरह से आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग की कार्यक्षमता, मारक क्षमता एवं गतिशीलता में वृद्धि हेतु आधुनिक अस्त्र-शस्त्र वाहन संख्या उपकरण सर्विलांस उपकरण क्रय करके जनपदों को उपलब्ध कराये गये हैं जिनका उपयोग भी प्रारम्भ हो चुका है। इसी तरह से मान्यवर, सीपा योजना को भी प्रारम्भ करने का काम किया गया मान्यवर, प्रदेश के 1439 थानों में सीपा योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 137 थानों के लिये कम्प्यूटर, हार्डवेयर आदि की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य पूरा हो चुका है। 841 थानों में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिये धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष 461 के लिये भी 2008-2009 के बजट में व्यवस्था करने का काम किया गया है। मान्यवर, पुलिस की गतिशीलता के लिये तीव्र गति से चलने वाले वाहन जैसे बुलेरो, स्टीम, तवेरा, सूमो एवं जिप्सी आदि वाहन को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम किया गया। मान्यवर, विशेष रूप से सूचना विभाग को और अधिक कार्यशील बनाने के लिये जहां उनको तमाम सुविधायें देने का काम किया गया वहीं यह भी निर्णय लेने का काम किया गया कि अब सूचना विभाग के नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी कठिन सेवा को दृष्टिगत रखते हुए मूल वेतन का 25 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किया गया है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ उनको चिकित्सा भत्ता देने का भी कार्य किया गया है। साथ ही साथ मान्यवर, यह भी निर्णय लिया गया कि हमारी पुलिस लाइन में अक्सर देखने में आता था कि उसमें बैरक का अभाव रहता था उसको भी सुदृढीकरण करने का प्रयास किया गया है। उसकी भी व्यवस्था करने का काम किया गया। मान्यवर, इसका परिणाम हुआ है कि आज प्रदेश में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता होते हुए भी मान्यवर, साम्प्रदायिक घटनायें नहीं हुई हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का सम्पूर्ण प्रयास किया गया और उसका परिणाम है मान्यवर, आज इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। मान्यवर, नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पर्याप्त प्रयास किये गये जिसका परिणाम है कि आज इस

अवधि में कोई नक्सलवादी घटनायें नहीं हुई हैं। मान्यवर, हमने इस बात का भी निर्णय लेने का काम किया कि न्यायालयों की विशेष सुरक्षा को दायित्व देने का काम किया गया है। इसी तरह से मान्यवर, जो आवश्यक और जरूरी है उनके लिये जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाने का काम किया गया है। वर्ष 2007 में अब तक कुल 16 आतंकवादियों, दो जासूसों, तीन शरणदाता बन्दी बनाये जा चुके हैं। एस0टी0एफ0 की मुठभेड़ में मैंने पहले ही जिक्र किया दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। मान्यवर, आतंकवाद के दृष्टिकोण से चिन्हित प्रदेश के 34 जनपद जो ज्यादा संवेदनशील हैं वहां सूचना संकलन एवं आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा समन्वय बैठक की जाती है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में सूचना संकलन हेतु गठित विशेष प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया जा चुका है। इसी तरह से मान्यवर, आई0एस0आई0 घोषित आतंकवादी गतिविधियों पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आतंकवाद की रोकथाम के लिये एस0टी0एफ0 और ए0टी0एस0 का गठन किया जा चुका है। इस तरह से आज प्रदेश में हमारी जो प्रमुखता है कि प्रदेश में आम जीवन, आम व्यक्ति यह महसूस करे कि आज कानून का राज्य है वह निडर होकर विभिन्न जगहों पर भ्रमण कर सके। साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मान्यवर, जो हमारा विकास का कार्य है जिसमें यह देखा जाता रहा है कि यहां पर औद्योगिक घराने उद्योगपति इसलिये नहीं आता कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए यह उपाय किये गये जिससे उत्तर प्रदेश में न्याय, अत्याचार मुक्त, अपराध मुक्त साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त और विकासयुक्त प्रदेश बन सके।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित हों, जिससे उत्तर प्रदेश के आम लोगों को रोजगार मिल सके और जनता को प्रशासन के विभिन्न कार्यों के लिये लिये दर-दर भटकना न पड़े, जनता के द्वार न्याय पहुंचे, इस बात का संकल्प मा0 मुख्य मंत्री जी ने लेने का काम किया है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कार्य की केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस देश के तमाम क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया गया है, जिस तरह से कार्यवाही करने का काम किया गया है, जिस तरह से अपराधियों का किसी भी राजनीतिक स्तर पर संरक्षण देने वाले लोगों को बन्द कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का जो निर्णय लेने का काम किया गया है, जो यह सरकार ने फैसला लेने का काम किया है और मान्यवर, अपराधी की कोई जाति, धर्म नहीं होता है, अपराधी-अपराधी होता है, इस आधार पर जो कार्यवाही की गई है, उसका सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आज उत्तर प्रदेश में काफी हद तक अपराधों को नियंत्रित करने में कामयाबी पाई गई है। इस बात से ही हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो हमने कमी का आंकड़ा प्रस्तुत करने का काम किया है, निश्चित रूप से कमी आई है लेकिन हम चाहते हैं कि जो 10 परसेंट, 20 परसेंट और कहीं 43 परसेंट की जो कमी आई है, वह 100 प्रतिशत से ज्यादा कमी आए और उत्तर प्रदेश अपराध शून्य प्रदेश बने, जिससे यहां उद्योग स्थापित हो सकें और उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में अग्रसर हो सके और इसके लिये हमारी नेता ने

संकल्प लेने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है और हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, सरकार के इस सुधारात्मक कार्यवाही का समर्थन करते हुए हमें सुझाव देने का काम करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं चाहूंगा कि इस पर सार्थक सुझाव आयें जिससे प्रदेश सरकार को अपराधों पर नियंत्रण करने और प्रशासनिक सुधार की दिशा में और कार्यवाही करने का अवसर मिल सके, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट रखा है और जब यह बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे, तभी मा0 हुकुम सिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। तकनीकी रूप से वह व्यवस्था का प्रश्न हो या न हो, उस पर जाने से पहले एक छोटा सा उल्लेख करना चाहता हूं। यह बात सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य विभागों का मामला निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट से कम महत्व का है और 1987 से लेकर 2007 तक के आंकड़े हमारे पास है और प्रत्येक अवसर पर नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट रखा गया है और जब नेता सदन द्वारा नहीं रखा गया है तो किसी ऐसे मा0 मंत्री द्वारा रखा गया है जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री रहे हों। 1987 में मा0 गोपी नाथ दीक्षित जी, गृह मंत्री थे, उनके द्वारा रखा गया, 1988 में पुनः गोपी नाथ दीक्षित जी द्वारा, 1989 में मा0 अम्मार रिजवी द्वारा रखा गया और उसके बाद जितने भी अवसर आये हैं, पन्द्रह बीस सालों का पढ़ लेता हूं। 1990 में मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखा गया, 91 में मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखा गया, 92 में कल्याण सिंह जी द्वारा रखा गया, 93 में राष्ट्रपति शासन था, 94 में मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखा गया, 95 में सुश्री मायावती जी द्वारा रखा गया, 96 में राष्ट्रपति शासन था, 97 में सुश्री मायावती जी के द्वारा रखा गया, 98 में कल्याण सिंह जी के द्वारा रखा गया, 99 में कल्याण सिंह जी के द्वारा रखा गया, 2000 में राम प्रकाश गुप्त जी के द्वारा रखा गया, 2001 में राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखा गया, 2002 में सुश्री मायावती जी के द्वारा रखा गया, तो इस तरह से यह रखा गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

2003-04 का भी बता दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

1987 से अब तक का मैंने बता दिया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उन अवसरों पर, 1987 में मैं इस सदन में नहीं था और आप भी नहीं थे, लेकिन 1987 में जो लोग मौजूद थे उनसे पूछ लें आप, ऐसा कोई अवसर नहीं था, अगर बजट रखने का काम किसी दूसरे माननीय मंत्री जी ने किया भी तो गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर हर स्थिति पर नेता सदन मौजूद रहे हैं अपने आसन पर और नेता प्रतिपक्ष अपने आसन पर मौजूद रहे हैं। आज मैं नेता प्रतिपक्ष को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि यद्यपि कटौती का प्रस्ताव उन्होंने स्वयं नहीं रखा है, लेकिन सदन की उच्च परम्पराओं का उन्होंने जो संसदीय जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापित करने का काम किया है, उन्होंने उस मर्यादा के अनुरूप आज मौजूद रहकर के मेरे जैसे एक कनिष्ठ सदस्य द्वारा एक साधारण कार्यकर्ता द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखने के अवसर पर भी, गृह और सामान्य प्रशासन के अवसर पर अपनी उपस्थिति यहां रखी। श्रीमन् परम्परायें बनाने से बनती है और इनका नियमों में उल्लेख कर देने से काम नहीं चलता है। सारी चीजें लिखे से नहीं होती। जिस संविधान को सर्वाधिक अपने आपमें अनुकरण करने का काम किया है और हमारी पूरी संसदीय परम्परा ब्रिटिश संसदीय परम्परा के आधार पर बनाई गई है, वहां परम्परायें ही सबसे बड़ा संविधान है और इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। तो मैं परम्पराओं पर इनकी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने और भी बहुत सारी बातें की हैं कई अवसरों पर टिप्पणी की जाती है कि यह असंसदीय है, मैं इसलिये बहुत सचेत हूं। मैं एक संसदीय शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने गृह विभाग का बजट रखते समय बहुत बहकी-बहकी बातें की हैं जिनका सत्य से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। इन्होंने गम्भीरता से, जो बजट साहित्य हम लोगों को दिया है मैं उसका उद्धरण पांच मिनट में देकर अपनी बात खत्म करूंगा और दूसरी बात रखूंगा। आंकड़ों में हमारा विश्वास नहीं है। श्रीमन् आज से नहीं जब सभ्य समाज की रचना हुई है अपराध किन कारणों से पैदा होता है, अपराध एक ऐसी बुराई जो अपने आप पैदा होने वाली कोई पैदावार नहीं है। गैर बराबरी, शोषण, अत्याचार, अन्याय और समाज की अनेक कुरीतियों के कारण अपराध पैदा होता है और उस पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था बनाई जाती है उसमें दृष्टि रखनी पड़ती है, इसलिये आंकड़े रख देना इसमें तीन प्रतिशत, कत्ल में सवा दो प्रतिशत, अपहरण में डेढ़ प्रतिशत, बलात्कार में पौने दो प्रतिशत, इस प्रतिशत देने से इस समाज में अपराध पर नियंत्रण की दिशा में आज तक कुछ नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, जब यह सरकार पदारूढ़ हुई तो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, संसदीय कार्य मंत्री जी की बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि हम आंकड़ों के आधार पर अपराध नियंत्रण की बात नहीं करेंगे।

लेकिन आंकड़ों के आधार पर अपराध नियंत्रण के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। पूरी छवि सरकार की जिस स्थिति में आज है, उस पर जाने से पहले आपने बहुत सारी बातें कही हैं मैं आकंड़ों से सिर्फ एक दो आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। माननीय आजम खां साहब जब पूछ रहे थे कि मुझपर कितना इनाम है, मेरा इन्काउन्टर कब होगा तो मुझे यह बात बहुत रिलीवेन्ट लगी। मान्यवर, यह बात कोई अनायास नहीं कही गई है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं 2007 में 2006 की तुलना में डकैती में 22 प्रतिशत, लूट में 45 प्रतिशत, हत्या में 19 प्रतिशत, यह पढ़ दिया आपने और उसके आगे का एक वाक्य और पढ़ दिया होता मान्यवर, यह सब पढ़कर के और फिर कहा कि भारतीय दण्ड विधान के कुल 87403 अभियुक्त पंजीकृत किये गये, पृष्ठ में बता देता हूं आप नोट कर लें तो आपको सुविधा हो जायेगी, जो आपने साहित्य दिया, उसके पेज नं0-8 को पढ़ लीजिये। वर्ष 2006 में 84417 अभियुक्त पंजीकृत किये गये थे, इस प्रकार वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में 3.5 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई। सारे अपराधों में कमी और आपके आंकड़े यह कहते हैं कि 3.6 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई और उसमें वह आंकड़े नहीं दिये है। मान्यवर, जो 156 (3) में कोर्ट ने आदेश किये हैं। एन0सी0आर0 दर्ज होती है, अगले दिन एक्सरे लेकर के वह जाता है मान्यवर, उस एक्सरे के आधार पर वह मुकदमा तरमीम-ए-मुलाफिज के रूप में दर्ज होना चाहिये, तरमीम होना चाहिये क्राइम नम्बर पड़ना चाहिये, लेकिन दरोगा जी धौंस देकर उसको दौड़ा देते हैं, अदालत से आदेश करा के ले आओ, अदालत से आदेश होकर आता है मान्यवर, इसमें कोई कठिनाई नहीं, एक्सरे जाता है फिर आदेश हो जाता है तो सी में दर्ज होता है मान्यवर, सी में क्यों दर्ज होता है श्रीमन् है आंकड़ों के असफल बाजीगर आपको यह बात अच्छी तरह से जाननी चाहिये सी के दर्ज करने का निर्देश सिर्फ इसलिये है कि वह पुलिस जो अपने आंकड़े बनाती है, उसमें अदालत द्वारा आदेश दिये गये जो अपराध पंजीकृत हैं उनको अपने आंकड़ों के अपराध पंजीकरण में शामिल ही नहीं करते और अगर उन आंकड़ों को शामिल कर लिया जाये श्रीमन् तो जहां इतनी बड़ी कठिनाई जहां अपने कहा पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है, अपराधों में इतनी बेतहाशा वृद्धि है कि आपके सारे निर्देश हैं कि मुकदमें पंजीकृत न किये जायें, इसके बावजूद भी अपराधों का पंजीकरण इतना है कि 3.7 प्रतिशत की वृद्धि और आई0पी0सी0 के मुकदमों के अलावा जो आर्म्स ऐक्ट में है, इक्साईज ऐक्ट में है, जो मोटर व्हीकल ऐक्ट में है और जो दूसरे छोटे-छोटे मुकदमें जो मान्यवर, दर्ज हैं उनका तो इसमें जिक्र ही नहीं है। यह उन आंकड़ों से बाहर है और जो अदालतों द्वारा निर्देश दिया गया मान्यवर, वह भी उनके बाहर है। इसके बाद भी मुकदमों के पंजीकरण की स्थिति क्या है ? अभी आज के अखबारों में मान्यवर, देखा है लोगों ने, लखनऊ में कप्तान साहब को बड़ा जोश आया, उन्होंने मीटिंग बुलाई अपने मातहतों की, दरबार लगाया मान्यवर, और यह सोचा कि बड़ा चैन, अमन है, पूछा कि किसी को कोई बात कहनी हो तो बताओं, लेकिन लोग डरे रहे, डरा तो पूरा प्रदेश है मान्यवर, इस आतंकी माहौल में जो प्रदेश को रखा है आपने। पुलिस के कर्मचारी डरे हुए थे, तो दोबारा कप्तान साहब को जोश आया, नौजवान

जोशीले अफसर हैं उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं डरो नहीं बताओं, तो एक ने कहा कि साहब हम क्या बतायें बहुत डर लगता है, तो कहा कि मुकदमें तुम दर्ज क्यों नहीं करते हो, तो उसने कहा कि इसलिये नहीं दर्ज करते हैं कि जिस दिन लिख लेते हैं दरखास्त पर अगले दिन हमारा ट्रांसफर हो जाता है। उन्होंने कहा कि अरे यह कैसे गड़बड़ हो गया ? फिर पूछा सब लोगों से कि भई तुम लोगों की क्या हालत है ? कहा हुजूर अगर हम लोग, जो दरखास्तें आती हैं और उनको दर्ज कर लें तो नौकरी से निकाल दिये जायेंगे यह डर लगा रहता है, आज सस्पेंड किये जायेंगे कल बरखास्त किये जायेंगे इसलिये जब तक ऊपर से परमीशन नहीं आती है तब तक हम मुकदमें दर्ज नहीं करते हैं। कप्तान साहब ने सौ रुपये का इनाम दिया और यह इनाम इसलिये दिया कि खुद ही सवाल पूछ रहे थे, उठ कर के एक हेड कान्सटेबिल दीवान ने कह दिया कि हमने तो दरखास्त आई रिपोर्ट दर्ज कर लिया और शाम तक कोतवाली हजरतगंज से हटा लिये गये। यह मान्यवर, स्थिति है पंजीकरण की और पंजीकरण के बारे में जो लम्बा-लम्बा दावा आप दे रहे थे मान्यवर, उसमें एक काम में आप महारथी है, जिसमें कोई अपराध हो चाहे नहीं हो, कई लोगों ने कहा, मान्यवर, इसी सदन में आपके सामने यह घटनायें आई निर्दोषों को फंसाने में और अपने राजनीतिक विरोधियों, विरोधियों को आतंकित करने के लिये उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज करने में आपको महारत हासिल है, उसके आंकड़े बहुत ऊंचे हैं। वह आपने फीगर रखा है मैं आगे आता हूं, लेकिन उसके अलावा दूसरे आंकड़े भी रखना चाहता हूं वह जो 11 हजार फर्जी मुकदमें दर्ज हुए उसकी बात मैं बाद में करूंगा, उसके अलावा आपको एक काम में महारत हासिल है उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। निरोधात्मक कार्यवाही और उपलब्धियां वर्ष 2007 में 2006 की तुलना में शस्त्र अधिनियम में 16.7 प्रतिशत जुआ में इतना, एन0डी0पी0एस0 में 14.7 और मान्यवर, गुण्डा ऐक्ट में 69.8 गैंगेस्टर में 197.8 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 178.2 जो छात्र, छात्र संघ की बहाली की बात करें उस पर गुण्डा ऐक्ट, उस पर गैंगेस्टर ऐक्ट, उस पर एन0एस0ए0 जो व्यापारी वैट का विरोध करें और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक रीढ़ को टूटता हुआ न देख सके और प्रदेश के विकास में उसका जो योगदान है उस योगदान के लिये सरकार को सिर्फ आगाह करने का काम करे कि वैट कानून मत लागू करो, उसके खिलाफ गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट और एन0एस0ए0 ये आंकड़े हैं आपके, इसमें आपको महारत हासिल है। 200 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 200 प्रतिशत से भी अधिक निरोधात्मक कार्यवाहियों में मान्यवर, आपने कमाल का काम किया। किन पर किया है ? लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी जाये तो उस पर, वकीलों पर लाठी चार्ज, व्यापारियों पर लाठी चार्ज, किसान अगर अपने गन्ना मूल्य का बकाया मांगने जायें तो उस पर गोली, छात्र अगर अपनी बात कहने जाये तो उसकी हत्या और इन हत्याओं के ऊपर ये निरोधात्मक कार्यवाहियां, उसमें आजम खां साहब पर 52 मुकदमें हमारे दूसरे साथियों पर दर्जनों मुकदमें, मेरे जैसे लोगों पर मुकदमें, मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं उन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, ऐसे लोगों पर हमारे युवा मामलों के प्रभारी अखिलेश पर बलात्कार का

मुकदमा, मान्यवर, मैं उस पर आऊंगा अभी, लेकिन यह आपके आंकड़े हैं, यह आपकी उपलब्धियां हैं, यही उपलब्धि है आपकी, यह वास्तविक आपकी उपलब्धि है मान्यवर और इन उपलब्धियों को जब देखने का काम करेंगे तो और आपको पता चलेगा, और श्रीमन्, इन्होंने साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिकता पर भी बहुजन समाज पार्टी के पास चेहरा है दिखाने लायक, इस पर मान्यवर आश्चर्य होता है। जुमा की नमाज से लौटने वाले नमाजी की जिस तरह से गली में दौड़ा करके हत्या इनकी पुलिस कर दे मान्यवर, जिस तरह से इज्तिमा में भाग लेने आने के लिये आपके जनपद में मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपके जनपद आजमगढ़ में ईश्वरपुर से चल कर के इज्तिमा में भाग लेने जाते हुए तारिक को वहां से उठा लिया गया, लोग आपत्ति किये कि भाई ये तो मौलवी हैं, इसको क्यों पकड़ रहे हो ? लोगों ने कहा बीवी से झगड़ा हुआ है इनके घर पहुंचाने जा रहे हैं, घर से नाराज होकर आये हैं और चार दिन बाद में मान्यवर, देवांशरीफ में उनके ऊपर आर0डी0एक्स0 और दूसरी सारी चीजें ले करके उनको जेल भेजने का काम किया गया और साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं और फिर आंकड़े देख लीजिए। मान्यवर, पेज नं0-2 पर साम्प्रदायिक घटनाओं का आंकड़ा श्रीमन्, 2005 में 19, 2006 में 25 और 2007 में 27 और साम्प्रदायिकता पर भाषण। हम तो आपसे उम्मीद भी नहीं करते, आप यह विषय छोड़ कर भी निकल सकते थे, आप इस प्रदेश में जो आपकी दृष्टि है साम्प्रदायिकता के बारे में प्रदेश जानता है, अच्छी तरह से इस प्रदेश की जनता जानती है, यह सदन जानता है आप इस विषय को छोड़ कर जा सकते थे, लेकिन आपने बिना वजह इसका उल्लेख किया। श्रीमन्, ऐसे हल नहीं होती है कोई बात।

श्रीमन्, अभी आपने नक्सली हिंसा की बात कही और नक्सलवाद पर नियंत्रण की बात कही। मैं तो उम्मीद करता था मान्यवर, कि इस प्रदेश के डी0जी0पी0 महोदय, मैं जानता हूं अन्य बातों का तो उल्लेख बाद में करूंगा लेकिन नक्सलवादी समस्याओं के अध्ययन के लिये मान्यवर, विगत सरकार में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो विशेष तौर पर उनको इस मामले का दक्ष मानते हुए और इसका प्रभार उन्हें दिया गया था और वह इस मामले के बड़े भारी एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। नक्सली समस्या कैसे हल हो ? नक्सलवादी समस्या हल करने का उपाय क्या है ? सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन समस्याओं को हल करने के लिये मान्यवर, आपने लिखा है और यह सही है कि सोनभद्र के 12 थाने, चंदौली के 5 थाने, जनपद मिर्जापुर के छः थाने, कुल मिलाकर के इन 568 गांवों में नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित हैं उनको एक विशेष क्षेत्र बना करके समाजवादी की सरकार ने उसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने विशेष क्षेत्र बना कर के और उसको विकास की तमाम योजनाओं से पूरी तरह से जोड़ कर इन लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करके कि विकास की मुख्य धारा में भी आपको रखा जायेगा। वन और जल से जो आपके अधिकार लूटे गये हैं, आपकी जमीन पर आपको काबिज किया जायेगा और आपके अधिकारों से आपको वंचित नहीं किया जायेगा उनमें इस विश्वास का सृजन

किया था और उस विश्वास के सृजन से यह माहौल बना था जिससे कि हम इस स्थिति में आये थे कि देश में जहां नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही थी वहां उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नियंत्रित हुई और आज वह विकास का काम रुक गया, वह कोआर्डिनेशन नहीं है, सरकार ने संकल्प लिया था, हमारी योजना थी कि हम ऐसे कमिटेड आफीसर को ढूंढ करके ले आयेंगे जो अपने से सोचे और वहां काम करने के लिये तैयार होंगे। मान्यवर, दो वर्ष से इनकी नियुक्ति की अवधि कम नहीं होगी। यह बात हुई कि उनको विश्वास में लेकर तब इसको नियंत्रित करेंगे। मान्यवर, नक्सलवाद की समस्या ला एण्ड आर्डर की समस्या नहीं है। यूपी कोका ले आने से नक्सलवाद ठीक होगा यह आपकी कल्पना ठीक नहीं है। नक्सलवाद की समस्या को ठीक करने के लिये सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है उसको आपको देखना चाहिए था। जिन लोगों की जमीनें ली गयी थी उनके सम्बन्ध में आपको स्पेशल रेवन्यू कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए थी। आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि आपका संकल्प था। इसके अलावा उसके प्रबन्धन के लिये जो भी कार्य किये जाने थे उसके लिये कोई भी व्यवस्था आपने इसमें नहीं की है फिर भी आप नक्सलवाद की गतिविधियों पर अपनी बात कह रहे हैं। आपने इसमें बताया है कि नक्सलवाद के नाम पर एक इनकाउंटर हुआ है और 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो इस तरह की बातें नक्सलवाद के सम्बन्ध में हुई हैं उसके क्या परिणाम निकले हैं। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में क्या निकले हैं, बिहार में क्या निकले हैं। आपने जो बजट भाषण रखा है उसके पृष्ठ 4 पर आपने उल्लेख किया है। अब यह सदन उसे किस दृष्टि से देखेगा। आपने कहा है कि प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में माओवादियों की कोई गतिविधियां प्रकाश में नहीं आयी। मान्यवर, इस सदन में कार्य-स्थगन के माध्यम से आधे दर्जन बार यह समस्या आपके संज्ञान में आयी है। माओवादी गतिविधियों का प्रभाव जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स के आस-पास बढ़ रहा है और उसकी बाबत पुलिसिंग की व्यवस्था पर कितना खतरा है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कितनी बार यहां पर बयान भी दिया है। मान्यवर, जो माओवादी गतिविधियां हैं, उनके नेपाल में भी रिश्ते हैं और उत्तराखण्ड में भी हैं और मान्यवर, चीन की सीमा से यह इलाके सटे होने के कारण, पूरे देश को इससे खतरा है। हमारे सीमावर्ती जनपदों में खतरा है। आप कह रहे हैं कि उनकी कोई गतिविधियां प्रकाश में नहीं हैं। मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर के इतने सेन्सेटिव इश्यू पर जहां माओवादी गतिविधियों के चलते देश की सुरक्षा को खतरा हो उसके बारे में आज सरकार की यह दृष्टि है। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने, अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव की, जो सीमावर्ती जनपद से संलग्न है और नेपाल से लगा हुआ है, समस्या को यहा पर रखा था। भारतीय जनता पार्टी के सँदस्यों ने और विशेषकर माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने भी इसकी समस्या को रखा था। आज कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। आप शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जमीन में गड़ाये रखेंगे तो यह गुजर जाने वाली बात नहीं है। बिल्ली खड़ी है भले ही कबूतर आंखें मूंदे रखे लेकिन बिल्ली जाने वाली नहीं है यह कबूतर को खायेगी। इसलिये माननीय मंत्री जी के भाषण में यह आना चाहिए कि माओवादी

गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिये आपने क्या तरीका अख्तियार किया है क्या प्रबन्धन किया है ? आप केन्द्र सरकार से तो मांगते हैं कि आपको अतिरिक्त फोर्स दे दिया जाय, पैरा मेडिकल फोर्स का भारी डिप्लायमेंट कर दिया जाये। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रबन्धन किया है इसका जिक्र नहीं है आपकी दृष्टि ही इस पर इस प्रकार की है। इसी तरह से आईएसआई गतिविधियों के बारे में उल्लेख है। आपने कहा कि यह तीन महीने का विशेष अभियान चलाया था। उसमें मान्यवर, एक ऐसे पीरियड का उल्लेख हुआ है जो अवैधानिक ढंग से हुआ है। जो सिर्फ समाजवादी की सरकार के कार्यकाल का है। उसमें तीन महीने में जो दर्ज नहीं हुए हैं उनका खुलासा किया जाना चाहिए था। आपने कहा कि 9561 मुकदमें दर्ज हुए और 2158 गलत पाये गये। उन 2158 में क्या कार्यवाही हुई सदन में हमने उसके बारे में पूछा था। आप जब उत्तर भाषण दें तो उसको बतायें। आप आंकड़े इसकी बाबत जनपदों से मांग लीजिए। अगर आप उन 2158 मुकदमों को गलत मानते हैं तो उन गलत दर्ज कराने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है। मान्यवर, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ विशेष तौर पर मुकदमें दर्ज हुए हैं। उन फर्जी मुकदमों को दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे यह भी बताने का काम करें। यह इन्होंने कुछ और आंकड़े दिये हैं बड़ी दिलचस्प बात है। बहुत जबरदस्त-जबरदस्त उल्लेखनीय बातें अभी मैं बता रहा हूं। 15-5-2007 से 31-12-2007 तक के ये आंकड़े दे रहे हैं और उसमें 2007, 2006, 2005 का तुलनात्मक आंकड़ा भी दिया है कि बरामद आग्नेयास्त्रों की संख्या कितनी थी, मुठभेड़ों की संख्या कितनी थी, आप देख लीजिए कितनी थी। मान्यवर, 2006 में मुठभेड़ की संख्या थी 1675 और 2007 में 1536 बहुत मजबूत कार्यवाही की है। बरामद असलहों की संख्या 2006 में जो मुठभेड़ में असलहे बरामद हुए 2006 में संख्या 2 हजार 637 और फर्जी आंकड़े बढ़ाकर देने के बाद भी 2007 में 2605 फिर भी कम है और आंकड़े आप लम्बे चौड़े दे रहे हैं कि आपने कमाल कर दिया। ग्रामीण एवं डकैतों के साथ में मुठभेड़ की क्या स्थिति है उसको देख लें। मान्यवर, आंकड़े मैं कहा पढ़ूं लेकिन फिर भी देख लें। जो कुछ भी देना चाहते हैं वह आपकी स्थिति है और यह बजट है। बजट के बारे में जो आपकी दृष्टि है आप देख लें कि आपकी बजटीय व्यवस्था क्या है ? बहुत जोर से आपने कहा बहुत ज्यादा आपने बजट बढ़ा दिया, मार्डनाइजेशन पर हमारा बड़ा जोर है। हमने यह कमाल कर दिया इनका कमाल यह है कि 2007-08 और 2008-09 के बजट में 2007-08 में 3559.80 करोड़ और 2008-09 में 3920.68 करोड़ और इन्होंने कहा कि वृद्धि का प्रतिशत है 10.13, मैं दूसरी ओर उल्लेख करना चाहता हूं कि जब 2005-06 का बजट रखा था इस सदन में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो यह वृद्धि थी 9.97 और फिर जब यह 2006-07 में रखा था तो वास्तविक व्यय के हिसाब से वृद्धि थी 16.15 हम तो यह मानते कि 16.15 आप प्राविधान करते 25 प्रतिशत बढ़ाने का और 25 प्रतिशत से भी कुछ होने वाला नहीं है और 25 प्रतिशत से कुछ होने वाला क्यों नहीं है मान्यवर, 1903 में पहला पुलिस आयोग बना उसके बाद जैन आयोग बना और धर्मवीर आयोग

बना लेकिन इन सारे आयोगों के आने के बाद जो स्थिति आई 1961 में यहां थाने होने चाहिए थे हमारे प्रदेश में 44 और आबादी का जो प्रतिशत बढ़ा है इस प्रतिशत से आज उत्तर प्रदेश में थानों की संख्या होनी चाहिए 5632 आपके पास थाने कितने हैं डेढ़ हजार हैं क्या और डेढ़ अजार हो गये हों तो एक बार और मेज थपथपा लीजिएगा और जोर से बोलियेगा कि थाने हमने थाने डेढ़ हजार कर दिये हैं और एक बार और मेज बज जायेगी। जरा आंकड़े बता दीजिएगा उत्तर देते समय कि इस साढ़े पांच हजार पुलिस स्टेशन की आवश्यकता के सापेक्ष आपकी क्या स्थिति है ? जहां आपकी रिक्तियां इतनी हैं पुलिस उप निरीक्षक के पद खाली हैं मान्यवर, 2473, हेड कांस्टेबिल के 5140 और कांस्टेबिल के 22 हजार में से 18000 जो बरखास्त कर दिये गये उनको अगर 18000 बहाल कर दिये जायेंगे तो उसके बाद आवश्यकता होगी 3550 और अगर बहाल नहीं हैं तो यह रिक्ति इतनी है जितनी प्रदेश की आवश्यकता है उसकी 50 फीसदी से ज्यादा की रिक्ति हैं यह हालत है और आप अपराध नियंत्रण में लम्बे चौड़े आंकड़े यह बड़ी-बड़ी बहादुरी यह कमाल किये हैं। कुल थाने आपके हैं कितने 1439 यह 1500 नहीं हैं इसमें 12 महिला थाने भी शामिल हैं। आपने मार्डनाइजेशन का बड़ा इंतजाम किया। बजट है इसलिये आपको यह आंकड़े मैं बताऊंगा। अब कितने धन का प्राविधान किया यह और उल्लेखनीय बात है। अब 2007-08 के बजट में आपने खर्च किया कितना खर्च किया बता दीजिए। थाने, रिपोर्टिंग चौकी, कोतवाली, क्षेत्राधिकारी कार्यालयों की स्थापना, मान्यवर, थाना, चौकी, कोतवाली और सी0ओ0 के आफिस पर कार्यालय की स्थापना पर एक हजार रुपये। मान्यवर, तराई क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं के अलावा अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना पर एक हजार रुपये। शवों को रखे जाने हेतु मेटेलिक सेल की व्यवस्था हेतु 50 हजार रुपये। फिर आगे देखिए मान्यवर, 2008-2009 में यह बहुत कमाल करेंगे। नये पुलिस बल इकाइयों का गठन एक हजार रुपये। मान्यवर, इस एक हजार से नई पुलिस बल इकाइयों का गठन होगा। थाने, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और कोतवाली के लिये भी कम रकम का इंतजाम नहीं है, माननीय उप नेता समाजवादी पार्टी बिना वजह नाराज हो रहे हैं, बहुत मुकम्मल इंतजाम है, इसके लिये 3000 हजार रुपया का बजट में प्राविधान किया है। पेज नं0-15 संदर्भ देख लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। मान्यवर, अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना के लिये, एक हजार रुपया। इतना यह सरकार सतर्क है प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिये इनको और कौन सी बात कही जाय। इन आंकड़ों में तो जाने की आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन आप दंगा निरोधक उपकरणों के मामले में देख लीजिए। वाहनों के मामले में भी एक बहुत अजीब बात हुई। 2007-2008 में क्या किया है, उसको देख लीजिए। पूरे प्रदेश में पुलिस के पास ऐसी खटारा जीपें हैं जो साधारण अपराधियों के पीछे नहीं दौड़ सकती और तेज गति से चलने वाले/भागने वाले अपराधियों का पीछा कैसे होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। गाड़ियों की स्थिति क्या है ? निष्प्रयोज्य के प्रतिस्थापन में जो गाड़ियां दी गयी हैं उसके अलावा पूरे एक वर्ष में आपकी उपलब्धि यह है कि 5 अम्बेस्डर की खरीद, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को बहुत चुस्त बनाने के लिये और अपराध नियंत्रण की व्यवस्था को

सर्वोत्तम बनाने के लिये की है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर, इंतजाम कर दिया है कि 5 अम्बेस्डर कारें खरीद करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। मान्यवर, पृष्ठ संख्या-17 देख लीजिएगा, तो सुविधा रहेगी वरना बड़ी दिक्कत आयेगी। मान्यवर, आधुनिकीकरण की जो योजना है, उस में एक बात आप स्पष्ट कीजियेगा कि एक बात आपने इसी साहित्य में लिखी है कि आधुनिकीकरण की योजना में केन्द्रांश और राज्यांश उसी हिसाब से रहता है उचित अनुपात में। क्या अनुपात है यह भी बता दीजिएगा और वास्तविक राशि अगर बता देंगे तो बड़ी सुविधा रहेगी। एक और दिलचस्प बात हुई है इन्होंने एम्यूनेशंस की खरीद में काफी पैसे खर्च किये हैं मान्यवर, 3,99,59,370 की गोलियां और कारतूस खरीदे गये और थ्री नाट थ्री की वह बन्दूकें मान्यवर, जो जाम हो जाती हैं, जिनको लेकर पुलिस वाले चलने को तैयार नहीं हैं उनको बदलने का एक रुपये का भी उल्लेख नहीं है। कोई मार्डन असलहा, सेमी आटोमेटिक असलहा खरीदने का प्रबन्ध बजट में नहीं है। सुरक्षा के लिये पिस्तौलों के खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है। कारबाइंस का कोई इंतजाम नहीं है, ए0के0-47 का कोई इंतजाम नहीं है और एस0एल0आर0 खरीदने का इंतजाम नहीं है और एम्यूनेशन पर आपने इतनी गोलियों को खरीदने का इंतजाम किया है और आपने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित किया है। अगर इसकी कोई बधाई बनती हो तो आप स्वयं स्वीकार कर लें और अगर नहीं बनती हो तो मुझ पर नाराज न हों क्योंकि यह आपकी उपलब्धि है, इसमें मेरा दोष क्या है। मान्यवर, आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत काम भी बहुत हुआ और पुलिस इससे बिल्कुल मार्डनाइज हो जायेगी। वायरलेस सिस्टम की कोई आवश्यकता पुलिस को नहीं है, गाड़ियों की कोई आवश्यकता पुलिस को नहीं है। मान्यवर, पुलिस को जो आवश्यकता थी, उसके लिये आपने किया क्या। मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर 07, पर फिल्में लोग अपनी बैरक्स में देखेंगे और यह पूरी तरह से अपराध पर भरपूर नियंत्रण हो जायेगा, जब वह इन प्रोजेक्टर पर फिल्में देखने का काम करेंगे। मान्यवर, लैपटाप 5, फैक्स मशीन 3, कम्प्यूटर 158, सर्वर 3, टाइपराइटर 2, डिजीटल डुप्लीकेटर 2 यह मान्यवर, उपलब्धियां हैं और श्रीमन्, कम्प्यूटर सहवर्ती उपकरणों सहित तीन यह उपलब्धियां हैं। मान्यवर, सी0यू0जी0 के सिमकार्ड आपने दे दिये इसके अलावा अभियोजना विभाग की विभिन्न इकाइयों के लिये सी0यू0जी सिमकार्ड आपने दे दिये। एक प्रिन्टर भी दे दिया 10 हजार रुपये का। आधुनिकीकरण के प्रयास में मान्यवर, कहीं कोई कमी है ही नहीं भरपूर प्रयास किया गया आधुनिकीकरण के लिये क्योंकि तीन कम्प्यूटर के साथ एक पिंटर भी दे दिया गया, यह इनके आंकड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले पेंशन के डिस्पोजल की रेशियो क्या थी, मान्यवर, वर्ष 2002 में 1109, वर्ष 2003 में 1599, वर्ष 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तो 2044, वर्ष 2005 में 2763 और वर्ष 2006 में वर्ष 2002-2003 के मुकाबले तीन गुनी हो गई और यह संख्या हो गयी 3112। यह दृष्टि थी सरकार की कि एक पुलिसकर्मी जो सारी जिन्दगी अपनी सेवायें देता है उसके बारे में क्या करना है।

मान्यवर, एक और जिक्र किया है पर्सनल दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी की तनख्वाह से हिस्सा कटता है और सरकार भी देती है। हुआ क्या, कमीशनबाजी का रोग इतना गम्भीर लग गया है कि श्रीमन्, 15 जुलाई, 2007 से 01 नवम्बर, 2007 तक बीमा कवर नहीं था, बीमा की पालिसी 15 जुलाई के पहले खत्म हो गई थी और मान्यवर, नवम्बर तक सौदा नहीं पट सका और इसलिये उनका बीमा नहीं कराया गया। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 27 ऐसे पुलिसकर्मी इस दौर में मारे गये जिनको बीमा कवर न होने के कारण इसका लाभ नहीं दिया जा सका। उनके रोते-बिलखते बच्चों को बीमा की जो राशि मिलनी थी, वह राशि नहीं मिली, यद्यपि उनकी तनख्वाह से उनका प्रीमियम कटा और उनको लाभ नहीं मिला। उसमें मान्यवर, वह लोग भी थे, जिनके बारे में आपने बहुत जोर से कहा, मा0 डी0जी0पी0 महोदय भी गये थे और मैंने उनके कन्धों पर उन जवानों की उठती हुई अर्थियों को मैंने देखा था। टोकिया गिरोह ने बुन्देलखण्ड में जिन पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, वह भी उन्हीं दुर्भाग्यशाली लोगों में शामिल थे, यह उस दौर में मारे गये जब बीमा कवर नहीं था और यह बीमा की बात कर रहे हैं। मान्यवर, यह स्थिति है सरकार की। इसके अतिरिक्त मान्यवर, पुलिस चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी है। एक ऐसी बात मैं बताऊंगा कि मान्यवर, जो 22 हजार भर्ती हुई थी उसमें से 18 हजार लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई बात सरकार साबित नहीं कर पायी है। एक जांच समिति बनी, दूसरी जांच समिति बनी, तीसरी जांच समिति बनी और जांच समिति में किन लोगों को रखा जाता है, उसमें उन विशेष चुने हुए ऑफीसरों को रखा जाता है जिनके विरुद्ध मान्यवर, विजिलेंस के मुकदमें हैं, 400 करोड़ रुपये के घपले में जिन लोगों के खिलाफ सतर्कता विभाग ने जांच पूरी करके रिपोर्ट दे दी है और मा0 उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमें चलने के निर्देश दे दिये हैं। उनको जांच में इसलिये रखा जाता है कि जो हम कहते हैं वह जांच रिपोर्ट में लिखो नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। लेकिन वह लोग भी कुछ नहीं निकाल पाये, इतने दिनों में कुछ नहीं हो सका। आई0पी0एस0 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया फिर बहाल कर दिया गया। पी0पी0एस0 अधिकारियों में 175 लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराये गये लेकिन कोई उसकी प्रवृत्ति हुई। बड़ी कोशिशें हुईं, लम्बे-लम्बे दावे हुए और मान्यवर, कितने घृणित आरोप लगाये गये, प्रदेश की बेटियों पर कैसे-कैसे लांछन लगाये गये लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आयी। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बावजूद आज इस बजट में फिर भी यह सवाल रखने का काम किया है कि बड़ी पारदर्शिता बरती जा रही है। यह स्थिति है इस सम्बन्ध में। एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगा और मा0 आजम साहब का नाम लेते हुए उल्लेख करना चाहता हूं कि एक सूची है कि बहुत बड़े दुर्दान्त और इनाम प्राप्त करने वाले अपराधियों को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मान्यवर, एक नाम ही पढ़कर खत्म कर दूंगा, एक नाम है बृजेश कुमार सिंह, पुरस्कार रुपया पांच लाख। मान्यवर, यह तो वैसे ही हो गया कि जैसे किसी घर में बच्चा पैदा हो और गली में हिजड़ा नाचे बधाई हो बधाई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो दिल्ली की पुलिस जा

करके उड़ीसा से गिरफ्तार करके ले आती है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बधाई हो बधाई गा रहे हैं। अगर यही सरकार की उपलब्धि है तो मुझे इस सूची को नहीं पढ़नी है, मैं इस सूची को पढ़कर क्या करूंगा ? मान्यवर, यह सूची ऐसी ही है, बधाई गाने वालों की सूची है और उपलब्धि में गिना दिया, उपलब्धि में सबसे ऊपर नाम लिख दिया, शर्म आनी चाहिए, सचमुच में आनी चाहिए, ऐसी सूची बनाते समय और इस बात का उल्लेख करते समय भी। जिसका पूरा नेटवर्क हो, जिसके नेटवर्क को कहीं न कहीं सरकार समर्थन देती हो, जिसके आगे और पीछे लोगों के रिश्ते हों, कहीं न कहीं टेलीफोन सुने और जाने जाते हों, उसमें उसका जिक्र। माफियाओं को कम करने का आंकड़ा भी पढ़ दिया, उस आंकड़े में नहीं जाना चाहूंगा, एक विधि का उल्लेख नहीं किया। 13 माफिया इन्काउण्टर, इतने माफिया के खिलाफ मुकदमें और फिर भी जो प्रतिशत आया उसमें यह नहीं लिखा कि तीसरी विधि यह थी, एक और विधि थी, अभी हमारे साथी ने कहा था कि माफियाओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा दो, माफियाओं की संख्या में कमी आ जायेगी और उसमें कमी इतनी अच्छी हो जायेगी कि जो सुरक्षा वाली कमेटी है उनको 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा देने का तुरन्त रिकमेण्ड कर देगी। यह चमत्कार, यह जो मैकेनिज्म है यह अद्भुत है। इस मैकेनिज्म को यू0पी0 पुलिस ने कहां से सीखा है ? अगर दुनिया में उत्तर प्रदेश की पुलिस बुलायी जायेगी कि यह मैकेनिज्म बताइये तो बड़ा अभिनन्दन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी दुनिया में इतना चमत्कारी मैकेनिज्म नहीं हो सकता। माफिया को एकाएक इतना बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया जाए कि इतना भला आदमी हो जाए वह भी वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा देने लायक, 24 और 48 घण्टे में हो जाए तो यह मैकेनिज्म सिर्फ यू0पी0 पुलिस के पास है। अगर इसके लिये बधाई इस सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को दी जा सकती है तो जिस पर यह बधाई बैठती हो उसे स्वीकार करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह बधाई के पात्र है तो यह बधाई स्वीकार करें। मैं अपराधों पर अपनी बात कहूं उसके पहले श्रीमन्, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक और बात कही है, सैद्धान्तिक रूप से बहुत सही है। प्रदेश में विकास तभी होगा जब अमन-चैन का माहौल होगा, उत्तर प्रदेश का विकास तब होगा, उद्योगपति तब आयेगा जब उसके सुरक्षा की गारण्टी रहेगी, जब उसका अपहरण नहीं होगा, जब उसका बच्चा स्कूल आ जा सकेगा, उसके घर की बेटी और महिलाएं गहने पहनकर बाजार व मंदिर में पूजा कर सकेंगी और लौट करके आ जायेंगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, सुरक्षा रहेगी। तभी यह माहौल बनेगा। आपने ठीक कहा, लेकिन मान्यवर, हुआ क्या ? एक नये तरीके का अपराध शुरू हो गया। अपराधी सीधे-सीधे अपहरण करके लूटते थे उससे अधिक एक वसूली का अभियान शुरू हो गया और उसका प्रभाव क्या है एन0एच0ए0आई0 जो फोर लेन का सड़क बना रही है उन सड़क के ठेकेदारों से पूछिये। रेलवे की कम्पनी-'इरकान' के ठेकेदारों से पूछिये, अलग-अलग जगहों पर छोटी-छोटी जगहों पर कहीं बुन्देलखण्ड में एक जगह पर दूसरा सूबेदार, कहीं पूर्वान्चल में तीसरा सूबेदार और वसूली के लिये कहीं बरेली में चौथा सूबेदार, सभी जगहों पर अलग-अलग वसूली के लिये उनके सूबेदार बनाये गये हैं। स्थिति यह है कि अब काम

करने के लिये उनमें से कोई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अमुक राशि इतनी आपको देनी होगी, उद्योगपतियों के आने का माहौल क्या बनेगा ? लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति अलग खराब है, अपहरण की स्थिति जब रखूंगा तो आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप स्वयं देखेंगे कि अपहरण तो रोज होता है। सवेरे आप अखबार उठाइये या किसी भी दिन का अखबार खोलने पर प्रदेश में अपहरण की एक भी घटना न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे का अपहरण, महिला का अपहरण, पुरुष का अपहरण, डाक्टर का अपहरण, उद्योगपति का अपहरण, रोज अपहरण। इस अपहरण के अलावा, मान्यवर, एक मान्यता प्राप्त वसूली उद्योग सरकार के संरक्षण में शुरू हो गया। इसलिये इस बात की कल्पना करना भी संभव नहीं है कि कोई औद्योगिक माहौल बनेगा। मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 40 हजार करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 साइन हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, और एक बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये उद्योगपतियों के माध्यम से आयी थी अब आगे उसका कोई प्रबन्ध नहीं रह गया और विकास परिषद् को आपने जिस तरह से समाप्त करने का काम किया और प्रदेश में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसमें किसी भी स्थिति में उद्योगपति आने वाला नहीं है। एक और बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, तबादला नीति की।

(इस समय 2 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 पी0 के0 राय पीठासीन हुए।)

और भी बहुत सी बातें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही हैं मैं उनका आभार किस तरह से व्यक्त करूं। तबादला नीति के बारे में सिविल सर्विस बोर्ड बना दिया यह निष्पक्ष होकर काम करेगा। गृह विभाग के बजट पर मैं पहले बोल लूं। गृह विभाग की आज स्थिति यह है कि आई0पी0एस0 का कैडर है इसकी प्रदेश में स्ट्रेन्थ 342 की है अधिष्ठाता महोदय, इन 342 में 59 लोग डेपुटेशन पर हैं 283 लोगों की स्ट्रेन्थ है इनमें मैं एक साल की बात नहीं कर रहा केवल 10 महीनों में 283 के कैडर स्ट्रेन्थ में ट्रांसफर किये एक हजार 43 बार मेरी गणित कमजोर है संसदीय कार्य मंत्री जी इसको जोड़कर बता देंगे और उनके काबिल अधिकारी प्रतिशत बता देंगे कि यह कितने प्रतिशत हुआ। कितने प्रतिशत का स्थानान्तरण हुआ और स्थानान्तरण की पालिसी कितने प्रतिशत की होनी चाहिए इसमें कितने प्रतिशत का स्थानान्तरण हुआ। यह तबादला नीति है आपकी इस तबादला नीति के कारण प्रदेश की जनता कराह रही है। नेता प्रतिपक्ष से तो नेता सदन को द्वेष है लेकिन एक जाति विशेष के लोगों को पुलिस में नान गजटेड पदों पर 150 से ज्यादा लोगों को हटाकर साइड के बाहर किया। पहले उत्तरांचल था अब वह नहीं है साथ हमारे यहां है नहीं तो तो आपका बस चले तो एक जाति विशेष को शासनादेश जारी करके कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो यादव जाति के लोग हैं उनको समुद्र में फेंक दें यह शासनादेश जारी हो जाता। जिलों में थानों में पोस्टिंग का मामला है संसदीय कार्य मंत्री जी की बहन कुमारी मायावती की दलितों की सरकार है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिलों में ए0डी0एम0 फाइनेंस और सी0डी0ओ0 के पदों पर कितने दलित हैं उनको इसलिये तैनात नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है यह इनकी तबादला नीति है। एक बात का संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़े जोर से उल्लेख किया है महिला अधिकारों की

हिफाजत । आपने सरकार बनने के बाद पहला काम यह किया कि महिला आयोग को भंग कर दिया यह आपने महिला अधिकारों की हिफाजत की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, घृणित अपराध हुए हैं जिनका यहां जिक्र नहीं हो सकता है। आठ साल की बच्ची के साथ मास रेप और उसकी हत्या। ट्रामा सेन्टर में बच्ची से बलात्कार। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की चर्चा करने से पहले मैं दो-तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। 24 अक्टूबर, 07 को ऐशबाग की 8 साल की प्रिया के साथ बलात्कार और उसकी हत्या, 12 नवम्बर, 07 को गोमती नगर की कक्षा-7 की साहीन के साथ दुराचार, वजीरगंज की गुड्डी फातिमा बेबी पर तेजाब का फेंका जाना और एक बड़ी घटना धुन्नी डीह श्रावस्ती की घटना जिसके काले छींटे जो पड़े हैं वह धुल नहीं सकते जिसमें महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ जिसमें एक मंत्री के इशारे पर भागीदारी और उसका भाई मौके पर शामिल बाद में जो सरकार का उत्पीड़न हुआ उसमें मंत्री स्वयं शामिल। राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम आई। दूसरे स्वयं सेवी संगठन के लोग आये और उन्होंने धन्नीडीह में इस सामूहिक बलात्कार को देखा। सदन की टीम गई मान्यवर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की अध्यक्षता में जांच समिति ने रिपोर्ट दी और इस सदन में पढ़ी गई वह रिपोर्ट और वह सरकार मान्यवर, महिलाओं की बात करेगी। माइनर गर्ल रेप इन मूविंग कार। मान्यवर, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की स्थिति क्या है ? दूराचार, अश्लील हरकतें, अपहरण, दहेज प्रथा, प्रताड़ना जितने मामले हैं मान्यवर, अगर एन0सी0आर0आई0 के आप देखेंगे तो पता चल जायेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। शोहदों ने कानपुर में छात्राओं को सरे आम पीटा। मान्यवर, महिला से दुराचार बी0डी0सी0 सदस्य वकील गिरफ्तार, सामूहिक दुराचार गोमतीनगर विशाल खण्ड में। मान्यवर, दहेज हत्याओं के बारे में भी आंकड़े इसी तरह के हैं लेकिन मैंने कहा कि आंकड़ों से यह बात नहीं होती, मैं आंकड़े दूंगा भी नहीं मान्यवर। दलित महिला को दबंगों ने बस में निर्वस्त्र करके पीटा मान्यवर। दलितों की सरकार, महिला की सरकार। महिला, दलित महिला को बस में निर्वस्त्र करके पीटा, ऐसी घटनाएं। (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

सदस्यगण कृपया शांत रहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

बलिया में खलीलपुर में फिफना थाना में सीता पाल। मान्यवर, सीता फिर छली नहीं गई मान्यवर, उसका वध हुआ, बलात्कार हुआ। (हंसी) हंसिये नहीं। हंस लीजियेगा फिर कभी मेरे ऊपर, लेकिन आज नहीं। यह हंसने की बात नहीं है। मान्यवर, यह स्थिति है, और जो इनकी महिलाओं के बारे में जो दृष्टि है। मान्यवर, अपराधों के बारे में जो अगर इनका कहा जाय तो श्रीमन्, अपराधों के बारे में तो पुलिस इनके इशारों पर शामिल है। बस्ती में हत्या कर दिया चार निर्दोष लोगों की और जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया जो जाकर अन्त में बाध्य होकर इनको

मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करना पड़ा। बलिया में मान्यवर, सोहाऊ में गम्भीर काण्ड हुआ। आप स्वयं गये थे अधिष्ठाता जी। उस घटना के 8 महीने बाद भी जब आप वहां गये थे तो आपने वहां की पीड़ा देखी थी। अदालत ने आदेश किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और यह सरकार मुकदमा दर्ज नहीं करा रही है। कप्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश सी0जी0एम0 बलिया ने किया, नहीं हो रहा है। मान्यवर, मुकेश यादव की हत्या हो गई सैफई में, जिन कारणों से हुई उसका उल्लेख बाद में लेकिन उसके पहले कहना चाहता हूं कि अदालत ने मान्यवर, 1 तारीख को आदेश किया है एफ0आई0आर0 करने का लेकिन एक तारीख के बदले दो दिन तक जी0डी0 रोकी रखी गयी। तीन सारी की सारी जी0डी आगे और पीछे वाली मिलाकर लिख दी गई और उसी एस0एस0पी0 के अर्धानस्थ काम करने वाला इंस्पेक्टर तफ्तीश पुनिंदा जांच करके अपने कप्तान साहब को एडीशनल कप्तान साहब को निर्देश करा दिया। एफ0आई0आर0 सब्मिट हो गई 3 तारीख को। इतनी तेज इन्वेस्टीगेशन की दर है इनकी। जितनी बधाइयां ले सकते हैं, उतनी बधाइयां लेने का काम करें। क्या हाल है इनके इन्वेस्टीगेशन की, क्या हाल है इनके केसेज की पेंडेंसी की, मान्यवर, इन्वेस्टीगेशन, प्रोसीक्यूशन और कन्विक्शन की। मान्यवर, अगर इन तीन सवालों पर आप गम्भीरता से विचार नहीं कर सकते। इनका प्रबन्ध नहीं कर सकते तो यह बात होने वाली नहीं। आप कोई अपराध तंत्र पर आपका नियंत्रण हो ही नहीं सकता। आपके पास कुछ भी नहीं है। अपराध इन्वेस्टीगेशन की पेंडेंसी क्या है ? माननीय डी0जी0पी0 महोदय इस सरकार के लोगों को जो सूचनाएं देते हैं मुझे पता नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2006 दर्ज मुकदमें में कम से कम 30 फीसदी से ज्यादा मुकदमों का इन्वेस्टीगेशन नहीं हुआ। प्रोसीक्यूशन की स्थिति यह है कि मुकदमों को चलाये जाने के लिये जो स्थितियां लचर हैं उसका नतीजा क्या है 3 और 4 फीसदी रेट आफ कॉन्विक्शन। कैसे अपराध पर नियंत्रण होगा ? कैसे अपराधी पर इस बात का भय होगा और कैसे आपके इन थोथे दावों को जर्मान मिल पायेगी। मान्यवर, मैं यह सोचना चाहता हूं और यह स्थिति इन कारणों से हुई है कि पुलिस का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण के लिये न करके अपनी सरकार को सिर्फ सरकार बचाने के मामले में पुलिस का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई व्यापारियों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, सरकारी कर्मचारियों का सवाल हो, इस लोक तंत्र में कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो पुलिस का इस्तेमाल सिर्फ उसी पर हो रहा है। अपराध नियंत्रण के लिये पुलिस खाली ही नहीं। पुलिस की स्ट्रेंथ कम, पुलिस के पास आर्म्स नहीं, पुलिस के पास साधन बहुत ही लचर पुलिस का मनोबल टूटा है। आई0पी0एस0 के कैडर स्ट्रैन्थ कितने गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना हुआ है आप देख लीजिए। रोज उनको डराने का काम, रोज उनको आतंकित करने का काम, और इतने अस्थिर तरीके से उनको ऐसी मानसिकता में डाल दिया गया है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं टेलीविजन पर ब्रीफिंग होती है मान्यवर, प्रेस कान्फ्रेन्स में लोग एड्रेस करते हैं। सर्वोच्च अधिकारी इतनी सफाइयां देते हैं जैसे लगता है लगातार डरे हुए हैं इतने आतंक के माहौल में हैं, सर्वोच्च अधिकारी इतने डरे हुए हैं। कई बार

मान्यवर, महत्वपूर्ण बातें प्रेस से करनी होती हैं तो बड़े अधिकारी खिसक जाते हैं छोटे अधिकारी को सामने कुर्सी पर बिठा देते हैं "चढ़जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम" और चढ़ा भी देते हैं। जानते हैं पहले से, लेकिन यह सारा प्रबन्ध जो है इसलिये पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, पुलिस का मनोबल टूटा है पुलिस से आप फर्जी मुकदमें दर्ज करायेंगे, पुलिस से आप राजनैतिक द्वेष के कारण मान्यवर, लोगों पर उत्पीड़न करायेंगे। पुलिस से, निर्दोष लोगों की हत्या करवायेंगे और पुलिस को रात दिन आतंकित रखेंगे कि तुम्हारी जांच करवा देंगे। उस पुलिस से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर सकती है यह सोचना मान्यवर, किसी भी हालत में संभव ही नहीं है किसी भी हालत में, और इसके लिये सरकार जिम्मेदार है और सरकार को दोष देने की आवश्यकता है मान्यवर, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। उसको साधन देंगे नहीं, उसको पर्सनलस देंगे नहीं, उसको स्थायित्व देंगे नहीं, और उसके टूटे मनोबल पर, उसके घाव पर, चोट पर नमक रगड़ने का काम करेंगे। तो यही परिस्थितियां पैदा होंगी जो हो रही हैं। श्रीमन्, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ है मान्यवर, उसके बारे में कुछ कहूं उसके पहले मैं व्यापारियों के बारे में जरूर उल्लेख कर देना चाहता हूं। कैसे प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, यह बजट सत्र है बजट आ रहा है हम अपने आय-व्ययक पर चिन्ता कर रहे हैं और प्रदेश के व्यापारियों की हालत अगर पूरे प्रदेश में छोड़ दें खाली लखनऊ को ले लें तो 22 जनवरी को चौक में राकेश कपूर की हत्या कर लूट, 27 जनवरी को हुसैनगंज में सुनील साहू की हत्या, 13 अगस्त अलीगंज में श्रीनाथ ज्वैलर्स के यहां लूटपाट कर दो की हत्या, 22 अक्टूबर को ठाकुरगंज में जितेन्द्र रस्तोगी को घायल कर लूटपाट, 24 दिसम्बर को मड़ियाहूं में आनन्द सोनी की हत्या कर लूटपाट, आधे दर्जन से अधिक मान्यवर, स्वर्णकारों को श्रीमन्, उनके यहां हत्याएं हुई लूट हुई, और अगले दिन पुलिस के उच्चाधिकारी वहां जाकर फोटो खिंचवाकर टी0वी0 में बड़ी जोशीली बातें करके फिर लौटकर चले आये। श्रीमन्, स्वर्णकारों के साथ यह हुआ। मान्यवर, जाने माने ज्वैलर्स के यहां अमीनाबाद में हुआ, अकेले अमीनाबाद ही में नहीं दूसरे थानों में हुआ, डालीगंज में हुआ लखनऊ के प्रत्येक कोने में इन ज्वैलर्स के साथ हुआ। कपड़ा व्यवसायी को घायल करके लूटा गया।

पंजीकरण का बड़ा जोर है सीमा विवाद के कारण दो दिन तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई लखनऊ में। मैं अगर इसके बाहर की बात करूं तो अलग बात है लेकिन लखनऊ में 6 महीने में क्राइम अगेंस्ट ज्वैलर्स केवल स्वर्णकारों के खिलाफ यह है। कृष्णानगर में गोलियों से बिल्डर्स को भूना, श्रीमन्, नमाज अदा कर जा रहे नूर को बेरहमी से कत्ल यह है इस सरकार की उपलब्धियां। फिरोजाबाद में मान्यवर, युवक की हत्या यह सारी चीजें श्रीमन् मैं संक्षेप में इसलिये रख देना चाहता हूं इशारे के लिये मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि शायद सरकार की समझ में थोड़ी बहुत बातें आयें तो कोई ऐसी दिशा बन सके जिससे सचमुच में प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बन जाए। उत्तर प्रदेश का कांस्टेबिल मान्यवर, आत्महत्या करे उससे खराब स्थिति और क्या हो सकती है। पुलिस के मनोबल गिरने की यह स्थिति नहीं है, कितना उत्पीड़न, आंतरिक उत्पीड़न और

आंतरिक उत्पीड़न तो होगा ही जब उससे उसका काम न लेकर के दूसरा काम लिया जायेगा। तो यह मनःस्थिति तो आयेगी ही, उसके परिवारों के बारे में मुझे नहीं कहना है। मान्यवर, प्रमुख सचिव, गृह एटा में गये और किसी बात पर नाराज हो गये। 6 कर्मियों को मान्यवर, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। मामूली बात पर, बिना किसी कारण के, हो सकता है उन्होंने उनकी जातियों की लिस्ट को भी देखा हो। इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस सरकार को निर्देश है इस सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को और इस प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी आई0ए0एस0 को अपने मन से काम करने की अपने विवेक से काम करने की आजादी नहीं है। उसका उल्लेख फिर करूंगा और मान्यवर, आपस में अविश्वास इतना है कि ऐसे दौरे पर डी0जी0पी0 साहब और होम सेक्रेट्री साहब साथ-साथ न जाएं। मान्यवर, आज डी0जी0पी0 साहब पर भी कई मामलों में विश्वास कम हो जाता है, प्रमुख सचिव, गृह कई ऐसे दौरे करते हैं जिसकी सूचना डी0जी0पी0 साहब को, उनके जिले में पहुंच जाने के बाद कार्यवाही हो जाने के बाद मिलती है, कई बार तो मीडिया से मिलती है कि प्रमुख सचिव, गृह वहां चले गये थे और अमुक कार्यवाही हो गयी। मान्यवर, ऐसे अविश्वास की स्थिति में जहां गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डी0जी0आई0 आपस में इतने अविश्वास की स्थिति में रहेंगे तो आप कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह से अपराध रोकने के मामले में कोई काम बन सकेगा। मान्यवर, आज सामान्य प्रशासन पर बात कहने के पहले संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगर एक बात पर गौर कर लिया होता कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का समान्य प्रशासन के सर्वोच्च मुखिया का, चीफ सेक्रेटरी को बौना बनाकर नहीं, मान्यवर, रौंदने का काम और पूरी तरह से आई0ए0एस0 संवर्ग के मनोबल को पूरी तरह से रौंदने का काम इस सरकार ने किया। संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध एक कैबिनेट सचिव का पद क्रिएट करके और एक ऐसे व्यक्ति को बैठाने का काम किया जिसके चरणों में रहने को प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बाध्य हुई। मान्यवर, मुझे याद है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मुझे वह दिन याद है, जब पी0सी0ए0 के दो लोगों को, महोबा और कौशाम्बी जनपद जैसे जिलों में मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने डी0एम0 बनाने का निर्देश दिया था। आई0ए0एस0 लाबी इस प्रदेश की इतना खड़भड़ा गई थी और लगा यह अब तो यह संविधान का ढांचा टूट जायेगा, बिखर जायेगा, पी0सी0एस0 भी कलेक्टर होगा ? मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कर दिया और इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अब पी0सी0एस0 कलेक्टर होगा और मान्यवर, वही आई0ए0एस0, उसकी जूतों की तली के नीचे रहने को मजबूर हुआ, 10 महीने तक लगातार और आज भी परोक्ष रूप में उसके लिये स्थिति बनी हुई है। अगर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में यह सवाल नहीं उठाया होता तो अभी भी प्रदेश के आई0ए0एस0 संवर्ग को इससे छूट नहीं मिलने वाली थी। कहां चला गया उनका सम्मान, मान्यवर ? श्रीमन्, और वह काम नहीं करता था, काम कर ही नहीं सकता था और मैंने जो बात कही, पूरा का पूरा तंत्र वही है, कहने भर के लिये, अदालत में जवाब देने के लिये एक बहाना बनाने के लिये इस पद से हटाने की बात एक औपचारिकता में कहीं गयी है। इसलिये

सामान्य प्रशासन के सवाल पर ये बातें कैसे होंगी ? मान्यवर, नियमानुसार 104 पी0सी0एस0 अधिकारियों को आज आई0ए0एस0 बना देना चाहिए उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनको प्रमोट नहीं किया जायेगा और सामान्य प्रशासन को ठीक करने का आप काम करेंगे। स्थानान्तरण का वही रेशियो है जो मैंने आई0पी0एस0 अधिकारियों के मामले में कहा, दोबारा मैं वही बात कह कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। स्थानान्तरण का वही ढंग है और फिर एक बार मान्यवर, किन लोगों को कहां से हटाया गया, किन लोगों को कहां बैठाया गया, इसका उल्लेख दोबारा नहीं करूंगा, मैंने किया था, आप ध्यान रखियेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष की जाति का एक भी अधिकारी, यादव जाति का एक भी अधिकारी किसी जिले में डी0एम0 नहीं है, एक था, वह भी हटा दिया गया और कोई कमिश्नर नहीं। पिछड़े वर्ग के कितने लोग कहां हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, यदि आंकड़ा बता देंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा कि 27 फीसदी में कितने फीसदी आपने जिले में प्रमुख रखा है। आप यह अगर बतायेंगे तो पता चल जायेगा। आपकी सोशल इंजीनियरिंग की तो हवा निकल ही गयी है राजनीतिक तौर पर और जो कुछ आप प्रदेश में कर रहे हैं, इस प्रशासन के लिए और पुलिस व्यवस्था के लिए उससे इस प्रदेश की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है।

श्रीमन् दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर मान्यवर, इस प्रदेश में आतंकवाद की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया तो कानून-व्यवस्था की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। मान्यवर, आतंकी घटनाएं हुईं। आतंकी घटनाएं किसी जिले, किसी प्रदेश का हिस्सा अकेले नहीं है और इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि यह सरकार आई तो ये आतंकी घटना हो गयी। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण क्या है, मैनेजमेन्ट क्या है, कैसे आप किसी आतंकी घटना को मैनेज करना चाहते हैं, कैसे उस घाटे की भरपाई करना चाहते हैं जो बुराई होती है ? मान्यवर, मैं इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा, थोड़ा पीछे जा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में बनारस में आतंकी घटना हुई, मान्यवर, श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकी घटना हुई, अयोध्या पर हमला करने की कोशिश आतंकियों की हुई और मान्यवर, जो प्रबन्ध हुआ। पूरे देश में इस बात को स्वीकार किया है और इस देश के बाहर भी दुनिया में तमाम देश इस आतंकवाद की घटना से पीड़ित हैं, सबने इस बात की सराहना किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे और आतंकियों के, अयोध्या में हमला करने वालों के मंसूबे इस तरह से चूर हुए कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के लोगों ने चार आतंकवादी मारे, पूरी घटना का खुलासा हुआ, प्रदेश ने देखा और देश में सम्मान को बढ़ाया और आतंकवाद का मंसूबा कमजोर हुआ इस प्रदेश में। बनारस की जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन लोगों ने यह प्रयास किया था कि वहां पर साम्प्रदायिक माहौल बिगड़े, संकटमोचन पर आतंकवादी घटना हुई थी, प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार के प्रयासों को देखते हुए जनता ने भरपूर सहयोग किया और आतंकवादी घटनाओं को सांस लेने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन आपके यहां क्या है, आतंकवादी घटनाएं हो गयीं रामपुर में, पहले से इसकी सूचना थी और मैं फिर उल्लेख करना चाहूंगा कि मोहम्मद आजम खां साहब ने इस कैम्प में हमला होने से

पहले इस सदन में कहा था कि रामपुर की जैसी सूचना मिल रही है वहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं उसका क्या प्रबन्ध है ? नहीं किया। एक महीना पहले उन्होंने सूचना दिया और ठीक-ठीक एक महीना एक दिन बाद यानि बत्तीस दिन बाद घटना हो गयी। माननीया मुख्य मंत्री जी कहती है कि केन्द्र सरकार का इसमें दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। मान्यवर, दूसरी घटना हो गयी जब फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में बम से हमला हुआ कचहरी में। 13 लोग मारे गये, पांच वकील मारे गये तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें हमको केन्द्र सरकार ने सूचना ही नहीं दिया था। अगर केन्द्र सरकार की सूचना है तो आपका दोष नहीं है, रामपुर में सूचना बत्तीस दिन पहले आयी थी और कचहरी में वारदात हो गयी तो केन्द्र सरकार का दोष इसलिए है कि केन्द्र सरकार ने सूचना नहीं दी। मान्यवर, इतने गम्भीर तरीके से केन्द्र सरकार ने सूचना दिया नहीं और अगर हमला हो गया सूचना देने के बत्तीस दिन बाद तो यह दृष्टि होगी तो सचमुच में है प्रभु रक्षा करना इस प्रदेश की और उत्तर प्रदेश अगर नहीं बचेगा तो हिन्दुस्तान क्या बचेगा ? आज उत्तर प्रदेश ऐसे हाथों में है जिसकी यह स्थिति है कि आतंकवादी घटनाओं के मामले में भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी गम्भीरता अपनी जगह पर है, उसके मामले में भी सरकार का यह रुख है। मान्यवर, मैं इस सदन में कही हुई बातों का उल्लेख कर रहा हूं आफिसियली जो बातें कहीं गयी हैं, उसका उल्लेख कर रहा हूं। केन्द्र सरकार ने सूचना नहीं दी केन्द्र सरकार दोषी है। केन्द्र सरकार ने सूचना दी लेकिन फिर भी अगर वहां पर हमला हुआ तो केन्द्र सरकार दोषी है क्योंकि सी0आर0पी0 के सिपाही केन्द्र सरकार को जानते हैं। आज मान्यवर, आतंकवादियों की राजधानी में पहुंचने की सूचनाएं नोयडा में होने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं और सरकार गंभीर नहीं है न उसका प्रबन्ध कर रही हैं, इसलिए श्रीमन् मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के मामले में भी सरकार की यही दृष्टि है। श्रीमन्, अदालतों की क्रिमनल कैसेज की डिसपोजल की रेट ऐसी है जहां पैडेन्सी डिसपोजल से ज्यादा है। जहां डिसपोजेबिल है 36.8 प्रतिशत है वहीं पेन्डेन्सी है 63.2 प्रतिशत तो ऐसी स्थिति में ऐसी लचर व्यवस्था अगर रहेगी तो कैसे काम चलेगा ? उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ? प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में हमारी पुलिस की उपस्थिति है 63.5 दिल्ली में एक बटा पचास है, दिल्ली में पुलिस का जो डिप्लायमेंट है उसका पचासवां हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। चंडीगढ़ का भी यही है, पांडिचेरी से भी कम है, मनिपुर से भी कम है इसलिए कहना चाहता हूं कि इस थोथे बयानबाजी की बजाय सचमुच में अगर काम किया गया होता तो दृष्टि बनती। मानता हूं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन आप एक दिशा में चलने का काम करेंगे तब जाकर यह बातें हो पाती। मान्यवर, मैं एक सूचना रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म ढाये गये हैं वह बातें भी हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं।

1-रामपुर में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री मोहम्मद आजम खां के विरुद्ध 50 से अधिक मुकदमें दर्ज कराये गये हैं।

2-झांसी में समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दयावती पाल तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राकेश पाल, एम0एल0सी0, श्री श्याम सुन्दर सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

3-कन्नौज के सांसद श्री अलिखेश यादव तथा पूर्व विधायक तथा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कप्तान सिंह यादव के विरुद्ध बलात्कार तथा लूट का फर्जी तौर पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

4-एटा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जुगेन्द्र यादव उनके भाई पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह के विरुद्ध लगभग 100 मुकदमें दर्ज कराये गये और अब भी लगातार मुकदमें दर्ज कराये जा रहे हैं।

5-फिरोजाबाद में श्री रामवीर सिंह पूर्व विधायक के विरुद्ध लगभग 25 तथा पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव तथा उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज कराये गये हैं।

6-बरेली में सांसद श्री वीरपाल सिंह यादव के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज कराये गये हैं।

7-औरैया में पूर्व स्पीकर श्री धनीराम वर्मा तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज कराये गये। श्री कमलेश पाठक के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज कराये गये हैं।

8-रायबरेली में श्री बाल कुमार पटेल के विरुद्ध अनेक फर्जी मुकदमें दर्ज कराकर जेल भेजा गया। उनके घर दविश डाली गयी।

9-चित्रकूट में श्री वीर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष को फर्जी मुकदमें में जेल में बन्द कराया गया।

10-बलिया में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री अम्बिका चौधरी के विरुद्ध फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये।

11-बदायूं में श्री बनवारी सिंह यादव एम0एल0सी0 के विरुद्ध मुकदमें दर्ज कराये गये।

12-सोनभद्र के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शिवशंकर घसिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया।

इसी तरह से हमारे माननीय डाक्टर बकार अहमद शाह साहब के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज है। मान्यवर, आजम खां साहब तो मोहब्बत से बोलते हैं लेकिन कभी-कभी जरूर लगता है कि वह नाराज हो गये हैं। लेकिन डा0 शाह साहब तो जोर से भी नहीं बोलते हैं और न नाराज होते हैं। उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ है।

मान्यवर, दिन दहाड़े हमारे कार्यकर्ताओं की आज हत्यायें हो रही हैं, डी0एस0पी0 ने मारा है। कुछ ऐसी भी घटनायें हुई हैं कि मंत्री स्वयं अभियुक्त हैं। नोएडा में जो घटना हुई है उसमें मंत्री

अभियुक्त हैं, उनकी भागीदारी है। इस तरह से कानून व्यवस्था की क्या तस्वीर आप पेश करना चाहते हैं सदन के समक्ष।

इसी तरह से कुछ और उदाहरण रखना चाहता हूं।

समाजवादी पार्टी के पार्षद स्व0 मुरारी यादव की हत्या प्रातः 8.30 बजे वाराणसी में दिनांक 5 मार्च, 2008 को की गयी।

कानपुर के कल्याणपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख स्व0 श्रवण कुमार सिंह को 16 फरवरी, 2008 को बिठूर में बसपा के नेताओं द्वारा गोली मारी गई जिनकी मृत्यु 19 फरवरी को हो गई।

जालौन में एक वर्ग विशेष के विरुद्ध सैकड़ों दलित उत्पीड़न के मुकदमें दर्ज कराये गये थे, जिसकी जानकारी होने पर पूर्व स्पीकर श्री माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक जांच दल दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को जालौन गया था जहां जानकारी प्राप्त हुयी थी कि हरिजन उत्पीड़न के 110 फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये हैं, जिनमें 75 केवल ब्राम्हण परिवारों के विरुद्ध है।

बस्ती में 8 व्यक्तियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गयी थी जिसकी जांच पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव, पूर्व स्पीकर श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद् श्री अहमद हसन ने 15-11-2007 को की थी। जांच में 8 व्यक्तियों की हत्या फर्जी मुठभेड़ में सही पायी गयी थी। इसी तरह से--

स्व0 महेश धरिकार की हत्या 5 जुलाई, 2007 को,

स्व0 पिन्टू की हत्या 20 अगस्त, 2007,

स्व0 दिलीप कुमार की हत्या 30-10-2007 को,

स्व0 शिव प्रसाद की हत्या 30-10-2007 को हुई।

स्व0 शिव कुमार की हत्या 1 नवम्बर, 2007 को की गई। 3 अज्ञात लोगों की हत्या दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को पुलिस द्वारा की गयी थी।

दिनांक 28 व 29 अगस्त, 2007 को आगरा में रक्षाबन्धन व शबेबरात त्योहारों के अवसर पर पुलिस की लापरवाही के कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गये थे।

मान्यवर, यह दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, मानव अधिकार हनन के मामलों में पूरे प्रदेश में हमारा प्रदेश कुख्यात है। मानवाधिकार हनन के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। वहां कोई अध्यक्ष नहीं है। मान्यवर, पांच सदस्यों का मानव अधिकार आयोग है। आपकी सरकार मई माह में आयी थी। 8 सितम्बर, 2007 से यह स्थिति है कि एक सदस्य को कोई नहीं है। तीन सदस्य आपके रिटायर हो गये हैं न तो आपके अध्यक्ष हैं और न ही आपने उन सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का काम किया है। इस तरह से आपका आयोग कार्यरत नहीं है। तो इस स्थिति में आयोग के सामने जो घटनायें प्रकाश में लायी जायेंगी उन पर क्या कार्यवाही होगी। केन्द्रीय मानव अधिकार

आयोग आपसे जानकारी करता है और दूसरे लोग आपकी पुलिस से उसकी बाबत पूछते हैं तो आप क्या जवाब वहां पर भेजेंगे। पुलिस का क्या जवाब होगा। वह सेन्ट्रल ऐक्ट से आच्छादित है उसमें यह है कि प्रत्येक राज्य में मानव अधिकार का गठन होगा। यह कहां तक उचित बात है कि आपके राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष नहीं है सदस्य नहीं है। इस तरह से वह आयोग आज कोई काम नहीं कर रहा है। यह स्थितियां हैं। आपने एक प्रशासनिक सुधार आयोग और दूसरी तमाम बातों का उल्लेख इसमें आपने किया है उसका जिक्र नहीं भी करना चाहेंगे। बाराबंकी के व्यापारी से वजीरगंज में 5 किलो चांदी, बी0एन0एस0वी0 शिक्षा निकेतन का छात्र अगवा इन सब बातों का जिक्र छोटी-छोटी घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। इसलिए आज मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां सरकार स्वयं अपने प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों का मनोबल तोड़ करके अपने निजी स्वार्थ और निजी स्वार्थ में कोई ढका स्वार्थ नहीं मान्यवर, सीधे-सीधे एक काम जन्म दिन की वसूली निर्वाण दिवस की वसूली हमारे प्रदेश में नौकरी करते हों इसलिए वसूली, हमारे प्रदेश में व्यापार करते हो इसलिए वसूली इस प्रदेश में सास लेते हो उसके लिए वसूली और उस वसूली के लिए कोई ऐक्ट नहीं लगा है, सब लोगों के लिए वसूली और मान्यवर, जन्म दिन पर केक खिलाने से बख्शीस नहीं मिलने वाली, पैर छूने से हिफाजत नहीं होने वाली, जितनी राशि तय है उतनी राशि जब तक वसूल करके नहीं पहुंचायेंगे तब तक माफी नहीं मिलने वाली है कई लोगों ने सोचा धोखे में फस गये। कई लोगों ने सोचा हीरे का हार उपहार में दे दें तो जान बच जायेगी नहीं यह अतिरिक्त है। उपहार तो उपहार है केक खिलाने से निकटता प्रदर्शित करने से काम चलने वाला नहीं है, नीचे वालों पर धौंस पड़ेगी। लेकिन यहां तो वसूली पूरी की पूरी पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए मान्यवर, जहां पूरा का पूरा तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार के इस एक काम को पूरा करने में जुटा हुआ है वहां कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का मान्यवर, चलने का सवाल ही नहीं है। मैंने जिन घटनाओं का सिर्फ बानगी के तौर पर उल्लेख किया है घटनाएं इतनी हैं और अनन्त हैं कि अगर उनका उल्लेख किया जाय तो सदन का और समय चाहिए। मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता लेकिन सीधे-सीधे यह सरकार जरूर मैं चाहता हूं कि यह अपने इस अगम्भीर रवैये से बाहर निकलकर आये। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करे, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करे और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जो पहली ड्यूटी है इस प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध करे और जब मैं यह बात कहता हूं तो आज मैं आपकी भी बात कहना चाहता हूं। इस सदन में आप भी है, विधायक हैं इसलिए अधिष्ठाता हैं। इस सदन में आये हुए विधायकगण की सुरक्षा का मामला इस सदन में जितनी बार उठा है इस चौदहवीं, इस विधान सभा में जितना उठा है इस 10 महीने के कार्यकाल में, उतनी घटना कभी इस सदन में इतना चीत्कार नहीं रहा। मुझे स्मरण है माननीय मुलायम सिंह जी उधर बैठते थे मुख्य मंत्री की कुर्सी पर विपक्ष के जिन लोगों ने कहा कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, मैं बड़े नेताओं की बात नहीं करता कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए लालजी टण्डन जी ने किसी सदस्य का सवाल उठाया हो, किसी साधारण सदस्य ने भी इस सदन में उठकर कहा कि हमारी सुरक्षा को खतरा है वह अपने आवास

पर बाद में पहुंचा और उसकी आवास पर सुरक्षा का सिपाही पहले पहुंच गया और उल्लेख कर दूं तो अच्छा लगेगा बहुजन समाज पार्टी के नेता विधान मण्डल दल तत्कालीन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा यद्यपि ऐसे अपराध उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर स्वयं उनके पुत्र के ऊपर थे लेकिन इसका बहाना नहीं लिया नेता सदन ने कहा कि सदस्य की सुरक्षा पहले है, पक्ष और प्रतिपक्ष का भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन यहां तो इतना बड़ा भेदभाव है कि यहां जब तक रहे तब तक एक भी नहीं वहां चला जाय तो वाई श्रेणी उसी दिन शाम को तत्काल प्राप्त। जिनकी सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट जिले से आई हैं जिनकी सुरक्षा की खतरे की रिपोर्ट है उनके बारे में कुछ नहीं। नियम है मान्यवर, पहले से प्रोवाइडेड कि पूर्व सदस्यों को 10 प्रतिशत के भुगतान पर उनको एक सुरक्षा दी जायेगी। समाजवादी और प्रतिपक्ष का कोई सदस्य है तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं दी जायेगी। उसको नहीं दी जायेगी। वह अगर सत्ता पार्टी का है तो उसके लिए दूसरा नियम इनके लिए दूसरा नियम। यह भेदभाव तो बाकी चीजों में चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि पूर्वांचल विकास निधि में क्या हो रहा है, बुन्देलखण्ड विकास निधि में क्या हो रहा है, हैन्डपंप में क्या हो रहा है ? लेकिन इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि सुरक्षा के सवाल पर भी यह दृष्टि रहेगी तो आप यकीन मानिये कि लोकतंत्र में किसी दुर्घटना के कारण एक बड़ी दुर्घटना जैसे सुनामी आती है मान्यवर, बहुत लोक काल-कवलित हो जाते हैं। यह लोकतंत्र की विडम्बना है, एक बड़ी दुर्घटना है जिसमें आप उस कुरसी पर आ गये। लेकिन याद रखिये कि इन मर्यादाओं से हट जाने के बाद यह अंतिम होगा और फिर कभी इसके बाद दुबारा आने की नौबत बहुजन समाज पार्टी के लिये नहीं होगी, अगर इन मर्यादाओं का आपने ध्यान नहीं रखा। यह लोकतंत्र रहेगा तभी आप इस पर राज कर सकेंगे और फासिस्ट तरीके से चलने वाले लोकतंत्र को दीमक और घुन की तरह से खाने वाले लोग अगर यह सोच रहे हों कि हमेशा इसी तरह इस राज पर बैठे रह जायेंगे तो यह बात चलने वाली नहीं है। मान्यवर, इस सदन में बहुत सारे शेर पढ़े गये, मैं नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन आज एक शेर में जरूर पढ़ना चाहता हूं कि-

"जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किरायेदार हैं जातीय मकान थोड़ी है, हमें खबर है कि विरोधी भी कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है।" मान्यवर यह किरायेदार चले जायेंगे, यह किरायेदार ही हैं और यह ध्यान रखें कि यह किरायेदार जो इन दीवारों में सुराख करने का काम कर रहे हैं, इसकी चौखटों को जलाने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने का काम कर रहे हैं, फिर इस मकान में दुबारा प्रवेश कभी इस राज में नहीं होगा, ऐसा आचरण इनका है और आने वाला इतिहास बतायेगा इस बात को। श्रीमन् इतने जघन्य अपराध इन्होंने किये हैं कि इनका जहां से भी जिक्र किया जायेगा, कम है। मान्यवर, आज पूरा कप्तानगंज बाजार, आजमगढ़ में गुण्डा टैक्स वसूली के कारण बन्द है। मैं आज का ही जिक्र करना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि एस0ओ0जी0 बनाई गयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एस0ओ0जी0 बनाते हैं एस0पी0 साहब लोग। अच्छा है, स्पेशल आपरेशन ग्रुप बनाते हैं।

डी0जी0पी0 साहब का निर्देश जाता है कि एक से ज्यादा न बनाया जाय और कानून जो बनायें उसके अलावा सब भंग कर दिये जायें। इसलिये कि यहां पता चल जाता है कि यहां कई काउन्टर्स खुल गये, काम गड़बड़ है। अभी एस0ओ0जी0 ने आजमगढ़ में किया था पिछले दिनों। शेर की फर्जी खाल दिखाकर वसूली के लिये, इस मामले को दुर्गा प्रसाद यादव जी ने यहां इस सदन में उठाया था। एस0ओ0जी0 फर्जी लोगों को फंसा कर के वसूली करने का काम में लगी है, इस तरह की अनेक शिकायतें आई मैं नहीं जानता कि उन शिकायतों पर गौर करने का काम इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया, इसके गृह सचिव करते हैं नहीं करते हैं। अनेक शिकायतें आई, विभागों से शिकायतें आई, पुलिस के लोग अपहरण में लिप्त, मुरादाबाद से अपहरण होता है और सिपाही उस पकड़ की निगरानी करता है। यह स्थिति है। गिरफ्तार भी होता है। पुलिस एस0ओ0जी0 के माध्यम से डकैती डालने का काम कर रही है। व्यापारियों को जबरदस्ती उठा लाइये और उनसे जबरन वसूली करने का काम। मान्यवर, यह स्थिति है। जहां पुलिस के जिम्मे अपना काम छोड़कर बाकी सारे काम आ गये हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्री जी तो कदाचित इसलिये नहीं उपस्थित हुयीं कि वह इसकी समीक्षा कर रही होंगी जो असली काम है इस सरकार का, उसकी। लेकिन मैं आपसे आज यह आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस को पुलिस का काम करने दीजिये और पुलिस से पुलिस का काम सिर्फ लीजिये। पुलिस को पुलिस के अधिकार दीजिये। पुलिस को उसके संसाधन दीजिये, पुलिस को उसकी मूल स्थिति में बहाल कीजिये और उसके मनोबल को तोड़ने की कार्यवाहियों पर स्वयं अपने पर नियंत्रण लगाते हुये सरकार उनके मनोबल को उस जगह पर ले जाने का काम करे कि अपराधियों को रोकने में उनका कलेजा कांपे नहीं। यह नहीं, डर लगे कि आज जोर से किया और कल ही माफिया चला जायेगा बी0एस0पी0 में, तो दोनों एड़ी ठोंककर उसको सलाम करना पड़ेगा। इस भय से उसको निकालिये। अपराधी को अपराधी और पुलिस को पुलिस रहने दीजिए। पुलिस से अपराधी का काम लेने का काम मत कीजिये। वसूली के लिये और भी बहुत सारे काउन्टर्स आपने खोल रखे हैं उन काउन्टर्स को चलाने के लिये दूसरा प्रबन्ध कर लीजिये। पुलिस को कम से कम मुक्त कर दीजिए, पुलिस को पुलिस का काम करने दीजिए, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं। पुलिस की छवि सुधारने के लिए पूरे साल पुलिस के मुखिया का रोल यह है कि हर हफ्ते आता है कि पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाय। मान्यवर, अगर आपके आदेश पर पंजीकरण किया जाने लगा तो अगले हफ्ते कहने की क्या जरूरत थी, अगले हफ्ते इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले हफ्ते पंजीकरण नहीं हो रहा है। फिर अगले हफ्ते कहते हैं और फिर अगले हफ्ते कहने की क्या जरूरत थी, अगले हफ्ते कहते हैं और फिर अगले हफ्ते कहते हैं। मान्यवर आज सामान्य प्रशासन का बजट है इसलिए मै खुल करके कहना चाहता हूं कि प्रशासन की शर्त है कि अगर आपका इकबाल खत्म तो डंडा नहीं पिस्तौल ले करके भी आप कोई काम नहीं करा सकते। मान्यवर, राजा राज नहीं करता है, राजा का इकबाल राज करता है और अगर वह इकबाल टूट गया अगर नीचे का मातहत आपके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे नहीं लगता है कि आपके आदेश में कोई दम

है, उसको नहीं लगता कि यह निष्ठापूर्वक दिया गया आदेश है तो मान्यवर वही होगा जो इस प्रदेश में हो रहा है। इसलिए सबसे पहले उसको बहाल किये जाने की आवश्यकता है, उसके बहाली के बगैर चाहे जितनी बयानबाजी हो जाए कुछ भी इस प्रदेश में होने वाला नहीं है। मान्यवर, क्या हो रहा है पुलिस की छवि सुधारने का काम। रोज मेकअप कराइये और यह मेकअप कैसा है ?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मुझे एक सेवरही के मा0 विधायक जी आते हैं उनके क्षेत्र की बात कहनी है केवल उनकी ओर से थोड़ा सा समय दे दें। मान्यवर, पूरे साल मेकअप और मेकअप कैसा जरा सी धूप निकली, पसीना बहा और मेकअप छूट करके नीचे आ गया। मान्यवर, पूरे साल मेकअप करने की कोशिश, मेकअप नीचे आ गया, कपड़े भी खराब हो गये, चेहरा भी बदरंग हो गया, आधा गोरा आधा काला हो गया ऐसा रंग लगाने से क्या फायदा ? इसकी सेहत सुधारने का कोई प्रयास हो कि इसकी चमड़ी खूबसूरत हो जाए और चमक आ सके। मान्यवर, बड़े अच्छे-अच्छे खूबसूरत नाम, "आपरेशन पहचान" आपरेशन पहचान साढ़े तीन हजार से अधिक अपराधी सूचीबद्ध हुए। छोटे-छोटे छुटभइयों को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं, मेकअप समाप्त। मान्यवर, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए चला अभियान और मान्यवर, मुम्बई के बाद सीनियर सिटीजन्स पर सर्वाधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही मान्यवर, इनके शासनकाल में हुई, यह इसकी असलियत है। आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश के लिए दोनों ओर रेलिंग, ओ0सी0आर0 बहुमंजिली इमारत की सीढ़ियों पर लोहे की जाली लगाने की योजना। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या पुलिस विभाग को सूचना विभाग के साथ जोड़ दिया गया हैं सूचना विभाग जो प्रचार-प्रसार का काम करता है, पुलिस विभाग भी उसी काम को करता है। ऐसी-ऐसी घोषणाएं होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है गोमती के पुल पर रेलिंग लगेगी, ओ0सी0आर0 में सुरक्षा हो जाएगी और कार्यवाई फाइलों में दर्ज। फाइलों के अलावा आगे बढ़कर कुछ होने का कोई सवाल नहीं है। मान्यवर, महिला हेल्प लाइन की शुरुआत। मान्यवर, आठ साल की बच्ची से ले करके, देहात से ले करके लखनऊ में विधान सभा के नजदीक तक छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि। मान्यवर, कम्प्यूटरीकृत यातायात, थानों में लगे कम्प्यूटर, मान्यवर, कम्प्यूटराइज्ड पता या रजिस्ट्रेशन की सुविधा और उसकी क्या स्थिति है अगर इसे आप बता देंगे तो आपको स्वयं इसका पता चल जायेगा। मान्यवर, अपराधियों की सूचना के लिए टोल-फ्री नम्बर की शुरुआत। डी0जी0पी0 साहब का नम्बर तो टोल-फ्री नम्बरों में मिलता ही नहीं और अपराधियों की सूचना के बाद उनके हिलने-डूलने का कोई इन्तजाम नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि अपने दायित्व से अपनी जिम्मेदारी से जब तक यह सरकार अपने आचरण में सुधार नहीं करेगी तब तक कानून-व्यवस्था के लिए चाहे कुछ भी दावे किये जाएं उसका कोई अर्थ नहीं है। हमने इन बातों का उल्लेख इसलिए किया है कि आप सचेत हो करके और आइने में अपनी शक्ल

ठीक-ठीक देख करके जो दाग है उन दाग को मिटाने के लिए, इस प्रदेश को आप सचमुच के आतंक से उबारने के लिए और इस प्रदेश की गरिमा पर जो काली छाप आ रही है उसको मिटाने के लिए, लोगों की सुरक्षा और हिफाजत के लिए एक बेहतर पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए जिनका उल्लेख किया है उनको गम्भीरता से ले करके आप चलने का काम कर सकेंगे। यद्यपि मैंने अपील जरूर की है लेकिन सरकार का 10 महीने का आचरण देखने के बाद मुझे उम्मीद नहीं है। बाकी बातें आ जायेगी फिर आपकी आज्ञा से उत्तर के समय अपनी बात रखूंगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा में अन्य सदस्यों के जो सकारात्मक सुझाव आयेंगे पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, सरकार उन पर चलने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर आमतौर से जब गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट की चर्चा होती है तो पुलिस के कार्यों के ऊपर ज्यादा सरकार के आंकड़े रहते हैं और उसी के आधार पर उसकी चर्चा होती है लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था में चुस्ती-दुरुस्ती लाने का काम है वह सामान्य प्रशासन विभाग के हाथ में है। यह ठीक है कि एक सरकार को जनादेश मिल गया। कहने के लिए स्थिर सरकार है लेकिन है नहीं, हिलती हुई दीवार है। मान्यवर, अगर प्रशासनिक अस्थिरता होगी तो शासनिक स्थिरता नहीं रह जायेगी और जिस तरह से हो रही है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। इन सदनों का यही महत्व है इसलिए इसमें जो सुझाव आते हैं, सरकार की आंख खोलने के लिए होते हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही उद्देश्य नहीं होता है बल्कि आप देखें कहां गलत जा रहे हैं उस रास्ते को सुधारने की कोशिश करें। मान्यवर, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो एक वायदा जरूर होता है वह करें या न करें। अच्छा शासन, स्वच्छ प्रशासन का। अब यह आत्मवलोचन का सवाल है कि क्या यह अच्छा शासन है, क्या स्वच्छ प्रशासन है ? तो अपने आप में घटनाओं को क्रमवार देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा। न तो नीतियो में पारदर्शिता है न प्रशासन में समन्वय है और कुल मिला कर जो नीतियों में एकरूपता होनी चाहिए वह भी नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 9 महीने के अन्दर, आपको आंकड़े देना चाहिए था कि कितने हजार ट्रान्सफर हुए और किस आधार पर हुए, कौन सी नीति के आधार पर हुए। कई मंत्रियों के विभाग बदल गये हैं, उन्होंने अगर किसी अधिकारी की शिकायत की थी कि इन्हें हमारे विभाग से हटा दीजिए तो मंत्री के विभाग ही बदल दिये गये वह अधिकारी नहीं हटे। जिनको विभाग चाहता है कि यह यहां सुधार का काम कर रहे हैं उनको रहने नहीं दिया गया उनको हटा दिया गया। प्रशासन का घालमेल है इसमें पारदर्शिता न होने के कारण जो आज स्थिति बन गई है उसे सुधारने की जरूरत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैं पुलिस का रोजनामचा पढ़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं यह घटनाएं तो होती रही हैं, होती रहेंगी आज भी हो रही हैं उन पर पर्दा डालने से किसी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ती है। आपने जो आंकड़े पेश किये हैं वह विश्वसनीय हों व वांछित हों। जहां लोग अपराध नियंत्रण के लिए बात कर रहे हैं या अपराधियों का प्रजनन केन्द्र बना रहे हैं। मेरे सामने दो-चार ऐसे केस आते हैं नौजवान हैं उनका कोई दोष नहीं है लेकिन उनके अगल-बगल कोई हत्या हो गई होगी, घटना हो गई होगी तो उनको थाने में बुलाकर चार दिन बिठा लिया जाता है अगर उनसे पैसा वसूल हो गया तो उन्हें छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम शामिल नहीं हो पैसा नहीं दिया तो मुकदमा दर्ज हो गया और वह क्रिमिनल बन गया। एक स्वाभाविक नेतृत्व पैदा होने के लिए संघ थे शिक्षा केन्द्र जहां से नई लीडरशिप निकलती थी वहां पर रोक लगा दी इसमें सुधार हो मैं इस पक्ष का हूं लेकिन सुधार का मतलब प्रतिबन्ध लगाना नहीं है। लिंगदोह कमेटी मौजूद है उसमें तमाम उपाय सुझाए गए हैं उन उपायों को लागू किया जाय आप देखिए कि शैक्षणिक वातावरण सुधरने लगेगा। जब तक आप नीतियों पर जड़ के ऊपर चोट नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। केवल आंकड़े पेश करने से कोई सरकार मजबूत साबित नहीं होती है। मैं छोटे-मोटे उदाहरण दे रहा हूं अभी चीफ सेक्रेट्री का एक पत्र काफी चर्चा में रहा उन्होंने पत्र में लिखा कि नीतिगत फैसला बिना मेरी जानकारी के हो रहे हैं कहां है कोआर्डीनेशन, कहां सामन्जस्य है यह शासन का शीर्षासन हो गया। इस तरह से जब आप उन संस्थाओं पर चोट करेंगे, व्यवस्थाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो बहुत दिनों से स्थापित हैं, आज जो सुधार की नीतियां हैं उनको लागू करने के लिए कितने कठोर कदम उठाएंगे तब उसका परिणाम सामने आएगा। कुएं का विकल्प खाई नहीं होता। एक बुराई को सुधारने के लिए दूसरी बुराई को स्वीकार करना कोई विकल्प नहीं है। मैं चिन्तित हूं आन्तरिक सुरक्षा को लेकर आखिर क्या है उसके बारे में दो लोगों को पकड़ लेना चार लोगों को मार देना यह कोई उपाय नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिये यह चिन्ता का विषय है कि कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश जो है वह आतंकवादियों के लिये एक बड़ा मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। इसके लिये कौन से उपाय हो रहे हैं ? कहीं पर आरोप यह लगाये जाते हैं कि मारे गये लोग निर्दोष हैं, लेकिन कहीं पर कोई अभियान इस रूप में कहीं कभी चला हो ? ऐसा कोई अभियान मालूम नहीं देता है। आप कहने को तो जितना कह दें कि हमने यह एस0टी0एफ0 बना दिया वह बना दिया, ऐसी संस्था बना दी। पुलिस में वही लोग हैं, जब तक उसका मनोबल कायम नहीं रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। एक अखबार में मैंने एक हेडिंग पढ़ी। पुलिस मीटिंग में लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर इतना दबाव है। इसी को हेडिंग बना दिया गया। कहा गया कि साहब मुकदमा लिखने पर तो तबादला हो जाता है। इस मानसिकता से आप कैसे सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। जब इस तरह की मानसिकता होगी तो न्याय कहां मिल सकता है। समाज के कमजोर वर्गों के नाम पर यह सरकार बनी है लेकिन उन्हीं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अगर इसके आंकड़े आपके सामने रखे जायं तो चौक जायेंगे। पुलिस में रिपोर्ट लिखी नहीं जाती क्योंकि वह कहते हैं कि अगर रिपोर्ट लिखेंगे तो तबादला हो जायेगा। यह तबादले क्यों होते हैं ?

गुण दोष के आधार पर, हमारी मर्जी, हमको यहां बैठना है, नहीं बैठना है, इतना दबाव तो मजबूरी है। साहब का हुकुम है। साहब का हुकुम मानने वाली प्रवृत्ति पैदा हो रही है। पुलिस की स्वायत्ता समाप्त हो रही है, पुलिस प्रशासन पंगु हो रहा है और उसके कार्य में विकृति पैदा हो रही हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में जितना कश्मीर के लोग डरते हैं कि वहां पर आतंकवादी हैं उससे ज्यादा संगठनों के आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं। लश्करे तैय्यबा, सिमी, हूजी, अलकायदा, माओवादी, नक्सली जितने तरह के आतंकवादी संगठन दुनिया में हो सकते हैं, जो दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं उनका गढ़ उत्तर प्रदेश बन गया तो आप अपनी पीठ अपने आप ठोंके इससे कोई मतलब नहीं निकलता। माननीय अध्यक्ष जी, यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कोई रुचि न हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं नोट कर रहा हूं।

श्री लालजी टण्डन-

तो मान्यवर, यह जिस तरह से एक के बाद एक ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, गलत दिशा की ओर जा रहा है प्रदेश। इसे सम्भालने की जिम्मेदारी सबकी है लेकिन विशेष रूप से जनता ने जिसको मैनडेट दिया है कि तुम जाकर करो, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आतंकवाद के बारे में कोई अकेले आप ही दोषी नहीं है। उस समय भी मैंने यहां पर कहा था जब पुलिस वीक में एक आई0पी0एस0 ने आतंकवाद और उससे जुड़े कुछ नामों का जिक्र कर दिया था तो उस आई0पी0एस को सस्पेंड कर दिया था पिछली सरकार में। इस वजह से यह हुआ कि जब आज आपके यहां पुलिस वीक हुआ तो आतंकवाद के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पत्र नहीं पढ़ा गया। पहली बार है कि पुलिस ने छोड़ दिया कि आप कहें तो आतंकवाद जैसे टापिक को हम गोल कर देंगे। हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, सामान्य प्रशासन और गृह पर बहस हो रही है और हाल यह है कि डी0जी0पी0 और गृह सचिव (प्रमुख) बैठे थे, उठकर चले गये। रोज होता है कि माननीय सदस्य सदन में बात कहते हैं और वो नोट करते हैं नोट करने के बाद उसमें कार्यवाही होती है। आज यह हो रहा है। मुझ जैसा व्यक्ति जब सदन में बोलता है जो किसी पर आरोप नहीं लगाता है किसी पर लांछन नहीं लगाता, लेकिन नीतियों के ऊपर जमकर कुठाराघात करता हूं जो गलत हैं। अगर उनको नोट करने के लिए भी उन अधिकारियों के पास समय नहीं है तो क्या करना है। आप बैठकर नोट कर लेंगे और उसका जवाब दे देंगे और विषय समाप्त हो जाएगा। मैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर अपेक्षा करता हूं कि एक बड़ा सशक्त अभियान शुरू होना चाहिए। वह अभियान उस तरह से न हो कि ददुआ मारा गया कैसे मारा गया उसके बारे में मैं नहीं

कहना चाहता हूं। लेकिन पुलिस अपनी पीठ ठोक रही है, आप भी अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हमने यह कर दिया। लेकिन-

'हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन,

दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।'

तो आज गिना दिया कि इनको मार दिया, उनको मार दिया, कैसे मार दिया और मारने के बाद क्या उनका आतंक खत्म हो गया ? कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, मैं अभी गोरखपुर में था। अभी आपने कहा सब जगह आदेश दे दिए गए है कि हर अधिकारी दस बजे से 12 बजे तक अपने दफ्तर में रहेगा। मान्यवर, मैं गोरखपुर गया था जहां मैं ठहरा था वहां बहुत से लोग आए। एक डाक्टर मलेशिया के प्रसिद्ध डाक्टर थे उनका अपहरण हो गया। दो करोड़ की मांग रखी गई। मैंने डी0जी0पी0 प्रमुख सचिव गृह यहीं दस ग्यारह बजे का टाइम था मैंने फोन मिलाया पता लगा सब मुख्य मंत्री जी के दफ्तर गये हुए हैं। तो क्यों आपने समय दफ्तर का निर्धारित किया, क्यों यह जवाब मिलता है साहब मीटिंग में हैं, साहब मीटिंग कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं ? अगर आपने सामान्य प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त नहीं किया तो आपसे कोई सुधार की आशा करे तो यह तो उसी तरह से हुआ- कि ''तीन टांग की बछिया ब्याही, ताऊ गाढ़े बासठ भेड़,'' यह बच्चन जी की कविता है। तीन टांग की बछिया जिसके कुछ पैदा ही नहीं होगा, न दूध देगी न उसके बच्चा होगा और उसके प्रबन्ध इतने हो रहे हैं कि बासठ खूंटे गाढ़े जा रहे हैं जहां उसको बांधा जाएगा। आज यही सब हो रहा है-

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं एक जगह रहें।

श्री लालजी टण्डन-

तिवारी जी के पास बैठने से मुझे बल मिल जाता है। अब मेरे भाग्य में यही है कि यह मेरे बगल में बैठे हैं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

अगर मान्यवर, मैं इनके भाग्य में हूं तो मेरे पास भी यही है मेरे भाग्य में भी यही है। दूसरा नहीं बैठा है अब सबका भाग्य ओम प्रकाश जी की तरह तो नहीं हो सकता है। इनके बगल में हुकुम सिंह जी बैठते हैं। नाराज आप ओम प्रकाश जी से हैं और गुस्सा मेरे ऊपर हो रहे हैं। (हंसी)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपने आंकड़े गिना दिए कि कितने परसेन्ट कौन सा अपराध कम हो गया। आंकड़ों को छोड़िये हकीकत को देखिए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में 1.8 परसेन्ट की नौ महीने में वृद्धि हुई। मान्यवर, पिछले नौ महीने में एक हजार महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इसमें छेड़छाड़ की घटनायें शामिल नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। अगर यह वेल नहीं होती, अगर हमारी मर्यादा नहीं होती, यहां से आगे बढ़ने की तो मैं ही जाकर मान्यवर, इनकी पीठ ठोंक देता कि खूब आपने सदन को गुमराह किया और इसके लिए आप इसी के पात्र हैं। थोड़ा मनोरंजक होना चाहिए, सरकार को बिल्कुल यह न लगे कि हम वह नहीं कह पाये। नंगा खुदा से चंगा। मैं वह शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं। मान्यवर, आन्तरिक सुरक्षा के बारे में जो खतरनाक बात सबसे ज्यादा यह है कि जो लोग पकड़े गये हैं, इनमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यानि अभी तक तो यह आयात होता था, कश्मीर से आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, अब यहां आतंकवादियों का जन्म होने लगा है। अमेरिका जैसे देश की उस सारी शान को मिटा दिया आतंकवादियों ने, अगर आतंकवादी हमारे यहां पनप रहे हैं और जिसका भी इनके प्रति नरम रवैया है, वह इस देश का भक्त नहीं हो सकता, वह इस देश का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए यह सामान्य अपराध होंगे, कुछ परसेंट कम होंगे, कुछ परसेंट बढ़ जायेंगे, अगर पुलिस पर नियंत्रण हो जाए, सामान्य प्रशासन काम करने लगे, नीतियां अच्छी बनने लगें, व्यवस्था पारदर्शी हो जाए तो आप देखेंगे कि अपने आप यह अपराध कम होने लगेंगे। उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये आतंकवादी, आंतरिक सुरक्षा का जो खतरा है, हमारा यह सबसे बड़ा खतरा है इसलिए जो सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अगर आपने खड़े होकर यह कहा होता कि इनके शासन के समय में 34 जिले संवेदनशील थे, आतंकवादियों और आईएसआई से। यहां प्रश्नों के उत्तर में जवाब आया है, आप खड़े होकर कहते कि 34 की जगह अब 30 ही जिले रह गये हैं, हमने 4 के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो हम आपको साधुवाद देते लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो आपने यू0पी0 कोका लागू किया है, उसमें भी आतंकवाद से निपटने का, आन्तरिक खतरे से निपटने के इशारे कम हैं, राजनीतिक दुरुपयोग के इशारे ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए भय है कि कहीं आतंकवादियों के लिए यह नरम न हो जाए और आजम खां जैसे लोगों पर 52 मुकदमें न कायम हो जाएं। 52 से 152 न हो जायें। तो इसलिए मान्यवर, इन बातों पर विचार करें और देखें कि जो हो रहा है, इसमें पीठ ठोंकने की कोई बात नहीं है और न ही मैं समझता हूं कि इन बातों की जरूरत है कि हर थाने का रोजनामचा पढ़ रहे हैं कि इस दिन इस थाने में यह घटना हुई और उस थाने में वह घटना हुई। घटनाएं तो होती ही हैं लेकिन जो हो रहा है, उसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए। अभी जिस दिन मैं गोरखपुर जा रहा था, एक नौजवान लड़का आया कहा कि मेरे मां-बाप, सबको थाने में बैठा लिया गया है, मैंने कहा कि कुछ किया होगा, ऐसे कैसे बैठा लेंगे ? बोले एक हत्या हुई है और जो मुख्य आरोपी हैं, उसके मोबाइल में एक एसएमएस मेरे नाम से हैं, तो मैंने कहा कि तुमसे पूछने के लिए बुलाया होगा, तुम चले जाओ, निर्दोष हो तो चले जाओ। उसने कहा कि बहुत मारेंगे, हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं। मैंने एसएसपी से कहा कि यह लड़का मेरे सामने खड़ा है, हम इसे भेज रहे हैं आप थाने में जाकर जो पूछताछ करनी है कर लीजिए। अगर यह निर्दोष है तो कोई मुकदमा कायम न करें। आज भी मालूम नहीं कि क्या हुआ ? कप्तान की नालिज में आने के बाद भी तीन चार दिन से थाने में बैठा

है और पैसा मांगे जा रहे हैं। उससे पहले भी चार और लड़कों को थाने में लाये उनसे पैसा लिया और छोड़ दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलायें और उनका इस आधार पर ट्रांसफर हो। मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण में वी0सी0 हैं, जो सचिव या प्रमुख सचिव रैंक का अधिकारी हुआ करता है, चार महीने में पांच वी0सी0 बदल गये। कमिश्नर अध्यक्ष होते हैं, कमिश्नर की एक लगाम है। आप सर्वे सर्वा हैं, कानून के अनुसार जो वी0सी0 हैं उसकी जिम्मेदारी है लेकिन वह हटाये जा रहे हैं और हटाने के बाद, उनका दोष भी नहीं है, एक हरभजन सिंह वह ठीक ढंग से काम कर रहे थे मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें हटा दिया गया और जो जांच है उसका काम दे दिया गया। अगर वह निकम्मा है तो जांच का काम क्यों दिया ? तो यह सब चल रहा है-चलती का नाम गाड़ी है। कबीर दास जी ने कहा है कि "रंगी को कहें नारंगी और को खोया, चलती को गाड़ी कहें देख कबीरा रोया।" तो यही हालत उत्तर प्रदेश की है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य सिद्ध कर रहे हैं आंकड़ों से। जिसका संज्ञान लेना चाहिए उसमें अधिकारियों को रूचि नहीं है, उन्हें निर्देश भी नहीं है। इस पवित्र सदन में जो बहस होती है उससे नीतियों का, कानून का जन्म होता है। मैं कोई महत्व नहीं देता हूं कि मुख्य मंत्री जी आयीं कि नहीं आयीं लेकिन उन्हें परम्पराओं का निर्वाहन करना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, नहीं आयीं। यह अपवाद नहीं है पहले भी यह हो चुका है लेकिन अधिकारियों को किसने निर्देश दिया कि वह चले जायें। मत सुनो किसी की बात। मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग का कोई अर्थ नहीं है ? यही कारण है कि सत्य वहां पहुंच नहीं पाता है।

श्री लालजी वर्मा-

जिम्मेदार लोग हैं सुबह 9.00 बजे से बैठे थे।

श्री लालजी टण्डन-

तो क्या हम लोग जो यहां पर बैठे हैं वह गैर जिम्मेदार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रक्षा कीजिये।

हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, तो गैर जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी आप हमारी रक्षा करिये, कि हम लोग भी यहां बैठे हैं सुबह से, तो हम गैर जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार थे, वह चले गये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग भी बैठे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन की मर्यादा में हमेशा यह रहा है कि जब माननीय सदस्यगण बोलते हैं उस समय जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वह बैठे रहते हैं। सब खतम। तो अब मैं यह नहीं कह सकता कि आपकी सहमति से पूछ कर गये होंगे क्योंकि आप भी कहीं से पूछ कर बैठते हैं। तो इसमें मान्यवर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह आन्तरिक सुरक्षा का

मामला और सामान्य प्रशासन के विषय में यह सोचना पड़ेगा हमें। आज आप सरकारी डायरी उठा कर देख लीजिए, जो सचिवों के या अधिकारियों के उसमें नाम लिखे हुए हैं आज वह कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। अब कौन वहां पर आ गया, यह किसी को पता ही नहीं। इस स्थिति से प्रदेश को उबारिये। तब कुछ रस निकलेगा। मैं चाहता हूं आपको जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका पालन करिये और कुछ करके दिखाइये, इन झूठे आंकड़ों से कोई अर्थ नहीं निकलता। इससे कुछ नहीं मिलेगा, न सरकार का भला होगा, न इस सदन की मर्यादा की रक्षा होगी, न ही व्यवस्था पर कुछ असर पड़ेगा। आप तो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं, यह सामाजिक परिवर्तन भी संविधान के अन्तर्गत ही होता है। जब उस संविधान की व्यवस्थाओं को लागू करने वाला तंत्र बिल्कुल गुलाम हो जायेगा, तो सारी व्यवस्थायें अपने आप गलत हो जायेंगी। इसलिये वह चाहिए स्वतंत्रता, वह चाहिए अधिकार, वह चाहिए नीतियां, नीति बनायें आप, लागू करने की जिम्मेदारी इन पर है, न करें, लेकिन इस बात के ऊपर नहीं होना चाहिए आज हमने कोई काम कहा उसने नहीं किया अधिकारी का ट्रांसफर और अगर मालिक की मर्जी है तो आप कहते रह जाओ इसको हटा दो, नहीं हटेगा। यह दोनों जो विरोधाभासी कार्य है, किसी भी सरकार को पीछे ले जाने के लिए, नीचे धकेलने के लिए, गड्ढे में जाने के लिए काफी होती है। आप उससे बचें। आप हमारे मित्र हैं हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप कम से कम कुछ गम्भीरता के साथ निर्णय लीजिए। इस विभाग के बजट के ऊपर बहुत अच्छे सुझाव आये हैं, पुलिस के थाने की रिपोर्ट से लेकर कुछ नीतिगत बातें भी हुई हैं मैं समझता हूं कि इससे शायद आप को कुछ लाभ हो और उसका आप लाभ उठायें। इसी के साथ मैं इस पर रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, तीन सवाल हैं, तो मैं चाहूंगा कि सरकार उसका जवाब दे कि यह हादसे क्यों हैं ? सारे प्रकरण यहां आ चुके हैं, मगर यह हुए कैसे मान्यवर, और क्या वजह थी, कि ये तीन बड़े प्रकरण हो गये ? उसका जवाब मैं सरकार से जरूर चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा हाजी इश्तियाक का प्रकरण मान्यवर, बागपत 27 तारीख को एक रिपोर्ट हुई, जिसमें इसी पार्टी के कोई शहर के अध्यक्ष थे मान्यवर, एक रिपोर्ट करी कि किसी ने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी का मैं छः महीने के अन्दर कोई हादसा कर दूंगा या छः महीने के अन्दर वह नहीं रहेंगी ? यह रिपोर्ट मान्यवर.....

मान्यवर, यह रिपोर्ट कैसे लिखी गयी ? एक शराबी व्यक्ति ने और एक थाने का सिपाही जो चौराहे पर तैनात था, उसके कहने पर रिपोर्ट लिखकर भेज दी गयी और वह दर्ज हो गयी। इसमें मान्यवर स्थिति यह है कि एक शराबी की बात पर एफ0आई0आर0 लिख दी गयी और वह व्यक्ति जेल भेज दिया गया। एक जमात के आदमी को जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है उसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस तरह से एक शिकायत पर जेल भेज दिया गया। यह कहा गया कि उस व्यक्ति ने यह कहा था कि मैं मुख्य मंत्री जी को हलाल कर दूंगा। आप देखे कि जिस व्यक्ति की यह बस की बात नहीं थी एक रिपोर्ट पर यह सब कार्यवाही हो गयी। जबकि आपकी पुलिस को उस बारे में पता लगाना चाहिए था लेकिन आपने उसे सीधे जेल में भेज दिया। वह 25 दिन जेल में रहा। जब उसकी बावत हम लोगों ने यहां कार्यवाही में उधम मचाया तो फिर जाकर वह छूटा। आपने उस पर एनएसए लगा दिया। जब उसकी जमानत की बात हो रही थी तो एक एप्लीकेशन सरकार की तरफ से आ गयी कि इसका नारको टेस्ट होना चाहिए। उसकी जमानत वहीं पर रुक गयीं। यह आतंकवाद है। यह कतर गया है इसलिए यह आतंकवादी है। अगर कोई मुस्लिम अगर कतर, अबूधाबी, वह जमात में चला जाय तो क्या इस तरह से एनएसए उन पर लगा देना चाहिए। मान्यवर, जो आदमी जमात में जाता है वह अकेला नहीं जाता है। जमात का हेडक्वार्टर निजामुद्दीन में है उसकी इजाजत से जाता है। उसको इस तरह से जेल भेज दिया जाय फिर उस पर एनएसए लगाया जाय और यह बात भी आये कि उसका नारको टेस्ट होना चाहिए और 25 दिन यही सिलसिला चलता रहे। मान्यवर, आपकी पीठ का संरक्षण मिला तब जाकर वह छूटा। कोई शरीफ आदमी इस तरह से 25 दिन जेल में पड़ा रहा। जब वह यहां आया बकायदा अदालत में एप्लीकेशन देने की बात आयी, तो आपने दो घंटे पहले एनएसए का केस वापस ले लिया। यह मान्यवर कोई तरीका हुआ ? इस तरह से आप किसी बेगुनाह आदमी को बंद कर देंगे। कम से कम उन अधिकारियों से पूछा तो जाता कि उन्होंने किस बिना पर यह कार्यवाही की क्या जांच की ? मान्यवर, जो मुख्य मंत्री, एक बड़ी नेता हों, देश की नेता हों उनको आप इस तरह से छोटा मत कीजिये। आप क्या यह महसूस कर रहे हैं कि हर मोहल्ले के अन्दर हर दुकान के अंदर आज उन्हें मारने की यह साजिश हो रही है ? 25 दिन तक उस शरीफ आदमी के साथ यह सिलसिला चलता रहा। सबूत आपको मिले नहीं। हम पहले से आप से कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं है। उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया। क्या इसी तरह से आप कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, अगर नहीं तो फिर यह कौन सी व्यवस्था है। आप खामखां किसी बेगुनाह को बंद कर देंगे ?

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए।)

इसी तरह से दीवालखास का मामला है। दो परिवारों में निकाह के ऊपर झंझट हुआ। रात को दो बजे वह झंझट पूरा नहीं हुआ। दो बजे आपके पुलिस के अधिकारी वहां आते हैं और बिजली गायब हो जाती है उसके बाद वहां पथराव होता है। उसमें कोई पुलिस का आदमी मर जाता है। दूसरा आदमी मरते-मरते बचता है। उसका पता नहीं है। उसमें एक हजार आदमी अज्ञात किये गये हैं। कहीं आपने इसकी मिसाल नहीं सुनी होगी कि एक गांव के अन्दर जिसकी आबादी 7-8 हजार की होगी, उसमें एक घटना को लेकर एक हजार आदमी अज्ञात हों। डेढ़ महीने से दुकान मकान छोड़कर चले गये हैं। यह आपकी कौन सी कानून व्यवस्था है ? एक हजार आदमियों को पकड़ने की बात हो रही है अज्ञात में। आप करना क्या चाहते हैं आपका दिल जो चाहे वह करेंगे।

मान्यवर, तीसरी घटना श्रावस्ती की है। उसमें 13 लड़कियों का बलात्कार हुआ। थाना भी वही है और गांव भी वही है उसके बाद बाकायदा एलानिया दूसरे गांव से लोग आये और कहा कि हम बलात्कार करेंगे थाना वही मौजूद रहा उसके बाद शासन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो एसपी क्यों हटाया गया, सीओ क्यों हटाया गया। यह कानून व्यवस्था मैं पूछ रहा हूं कि यहां दूसरे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह तीन केस मैंने आपको बताये हैं। इसके अन्दर तीनों झूठे हैं और तीनों में सजा हो रही है सजा हुई है। 25 दिन तक यह बेचारा जेल में रहा इश्तियाक, वह 1 हजार आदमी बाकायदा बाहर पड़े रहे दो महीने तक मेरठ से अपने गांव सिवालखास से और यहां 13 लड़कियों का बलात्कार, बाकायदा एलानिया वह लोग आये और एलानिया बलात्कार किया और आपने उसे मना किया इस सदन के अन्दर अगर आपने मना किया था तो फिर जब बीच में बाकायदा ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, वीमन कमीशन आ गया, दिल्ली से सब लोग चले आये तो आपने जाकर वहां दो लोगों का ट्रांसफर कर दिया तो मान्यवर, यह कौन सी नीति है यह ? यह क्या नीति है ? मैं मान्यवर, सिर्फ यह चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो तीनों प्रकरण का जवाब दे दें कि क्या आखिर यही स्थिति रह गयी है तो क्या इसमें आप अपने आपको एक बेहतर प्रशासन की बात कर सकेंगे। जिम्मेदारी है आपका, आपने अपनी जिम्मेदारी को खत्म करके ताक पर रख दिया और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रदेश चला रहे हैं। तीन ऐसे किस्से हैं जो नामुमकिन है कभी किसी सरकार में होने वाले नहीं हैं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से जिस समय सत्ता परिवर्तित हुई थी उस समय लोगों को लग रहा था कि प्रदेश के अन्दर जबरदस्त परिवर्तन आयेगा क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और यह सरकार आम आदमी के हित के लिये सजग रहेगी और जो अधिकारियों का दबाव था और जो पिछली सरकार के शासन में एक आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता था उन्हें लगा कि वर्तमान सरकार में एक आम आदमी बिल्कुल सक्रिय होकर अपने अधिकारों को पा सकता है। सरकार ने प्रयास भी किये लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी स्थिति केवल सरकार की बदली लेकिन अधिकारीशाही फिर भी हवी रही। वर्तमान की जो स्थिति थी जो सामान्य प्रशासन है वह केवल एक औपचारिकता से चलता रहा। अब तहसील दिवस में हजारों की संख्या में प्रति माह एक आदमी परेशान होकर पहुंचता है अब उस तहसील दिवस पर कितनी समस्यायें निस्तारित होती हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कानून की समस्या हो वह तहसील में बड़ी उम्मीद के साथ जाता है और केवल एक औपचारिकता से उसकी समस्यायें ले ली जाती है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह व्यक्ति जानने का प्रयास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करे कि उसके उस पर क्या कार्यवाही हुई तो वह उसको मालूम नहीं हो पाता। इसी तरह से वर्तमान में चूंक आपकी सरकार की मंशा निश्चित रूप से प्रदेश को अपराधमुक्त करने की रही होगी लेकिन जो बैठे हुये अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह से आंकड़ों के लिये प्रदेश में वाहवाही लूटने के लिये जिस तरह से प्रदेश के हर जिले में एक आम आदमी ने अगर धरना प्रदर्शन किया या कोई आन्दोलन भी किया तो वह आम आदमी और साथ में अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहे वह किसी भी दल का हो हमारे जिले में ही एक सामान्य रूप से कोई किसानों की समस्या को लेकर जा रहा है, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहा जो लोकतंत्र में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है उस प्रदर्शन पर भी जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता के ऊपर जिस तरह से मुकदमें लगाये उससे आपकी सरकार पर एक धब्बा आया है कि सरकार के राज्य में एक आम आदमी कोई लोकतांत्रिक अपनी ढंग से अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। आज जो सबसे हम आपसे निश्चित रूप से बड़ी-बड़ी समस्यायें बड़े-बड़े आंकड़े उस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहते हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा हम अपने क्षेत्र में देखें और दूसरी जगह पर देखें —आज वाहन चेकिंग के नाम पर जगह-जगह गरीब लोग, जिनके पास वाहन है, रोक लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहां यह व्यवस्था है कि प्रत्येक वाहन चलाने वाला व्यक्ति, कहीं न कहीं उसके कागजों में पूर्णता नहीं होती है और पूर्णता भी है, लेकिन उसके पीछे मूल में यह है कि वह पुलिस मैनुअल, जो लार्ड मैकाले ने बनाया था, उस पुलिस मैनुअल द्वारा लार्ड मैकाले की यह अवधारणा थी कि पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को इतना कम वेतन दो कि वह भ्रष्टाचार के लिये बाध्य हों। ऐसे समय में वह पुलिस मैनुअल जिसके सुधार के लिये लम्बे समय से मांग चली आ रही है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि विभाग के अन्दर जो लोग कार्य करते हैं वह भी हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं। अगर उनका वेतनमान आप देखें, उनकी सुविधायें देखें तो उनके परिवार में निरन्तर एक फस्ट्रेशन पनपता रहता है जिसके कारण निचले स्तर पर एक सिपाही, जिससे हम यह कल्पना करते हैं कि वह 24 घन्टे समाज की रक्षा करेगा, समाज की सेवा के लिये तत्पर रहेगा और जो पुलिस मैनुअल लार्ड मैकाले द्वारा बनाया गया है, उस पुलिस मैनुअल के अनुसार वह बाध्य हो जाता है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन उसमें सुधार नहीं आ पाता है। हम चाहते हैं कि जो छोटी सी चीज है कि शहर भर में जगह-जगह वाहन चेकिंग हो रही है, अपराधी पकड़े जायें, अच्छी बात है लेकिन आम आदमी जो है, उससे जिस तरह वसूली होती है वह वास्तव में बहुत निन्दनीय है। दूसरी एक समस्या की ओर आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपराधों की संख्या में इजाफा रोकने के लिये वाहन चेकिंग होती है लेकिन लोगों के जब वाहन चोरी चले जाते हैं तो वह व्यक्ति हर राजनीतिक दरबार में जाता है और कहता है कि भइया हमारी मोटरसाइकिल चली गयी, कार चली गयी, गरीब व्यक्ति उसका तो कुछ पूछना नहीं, जब वह थाने रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसे थाने से दुत्कार कर भगा दिया जाता है। इसी कारण से आज कोर्ट के माध्यम से 156/3 से इतनी भारी संख्या में निश्चित रूप से हम इस बात को मानते हैं, कि उसमें से 90 प्रतिशत वह लोग हैं जिनको

थाने में कोई सहायता नहीं मिली, थाने में जिनका केस पंजीकृत नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जब आप इस तरह की नीति बनायें कि प्रदेश अपराधयुक्त हो तो आपकी मंशा खुली होनी चाहिये और उसमें आपके सामने यह विकल्प नहीं होना चाहिये कि यह विरोधी राजनीतिक दलों के हैं, आपके सामने सारे प्रकरण है। अभी हमारे झांसी जिले के अन्दर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से उनका किसी से विवाद हुआ, विवाद होने के साथ उन पर छोटी धारा लगना चाहिये थी लेकिन उसमें 307 धारा लगा दी गयी। आज निश्चित रूप से जो स्थिति है उस स्थिति के लिये हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जहां आकड़ों पर ध्यान दे रही है, वहीं आम आदमी की समस्याओं पर भी ध्यान दें। हम आपसे यह बात और कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में सारे जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों का समान अधिकार है और कोई भी जाति न ऊंची है और न कोई जाति नीची है लेकिन इस सरकार के अन्दर एक बात जो हम लोगों को देखने में आई कि एक जाति विशेष के लोग सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं, और उनमें से कुछ लोग जबरदस्ती दूसरी जातियों के लोगों पर दबाव बनाते रहते हैं, और अनकों झूठे मुकदमें इस कारण से दर्ज हो जाते हैं कि उनके मन में एक अवधारणा है कि हम ऊंची जाति के हो गये। अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

श्री घूरा राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गृह विभाग के बजट पर समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भयमुक्त समाज, विकासयुक्त समाज और न्याय का राज स्थापित करने का काम किया है। आज यह सचमुच में स्थापित है। मान्यवर, मैं अभी बड़े भाई जो बहुत विद्वान हैं, चौधरी साहब जब कटौती पर बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से उनका भाषण सुन रहा था।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा अपराधी जो आए दिन अपराध करता था, अपहरण करता था, जिसके आतंक से पूरा प्रदेश तो क्या देश का आधा भाग भयभीत रहता था, थर्राया करता था। वह अपने आपको पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के मुखिया का छोटा भाई कहा करता था और पूर्व मुख्य मंत्री को बड़े भाई के रूप में कहा करता था। मैं बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सरकार में और उनके निर्देशन पर इसी पुलिस ने अपने बल को गठित करके उसे मार गिराया, क्या वह अपराधी नहीं था ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के षडयन्त्र से मारे गये, लाश तक नहीं मिली, आज तक उसका वर्कआउट नहीं हुआ क्या वह अपराध नहीं था ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद में निठारी काण्ड हुआ, बच्चों का अपहरण हुआ उनकी हत्याएं हुई, उनकी किडनियां निकाली गई, उसमें राजनेताओं का भी हाथ था क्या वह अपराध नहीं था और उसमें यह भी कहा जाता था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद मदरसा काण्ड हुआ, क्या वह अपराध नहीं था ? मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में एम0एल0सी0, विधायक, सांसद मारे गये क्या वह अपराध नहीं था ? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कविता रानी की घटना हुई क्या वह अपराध नहीं था ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं बलिया के बारे में जहां से हमारे मा0 विधायक चार-चार बार चुन करके आये हैं वहां इनके ही कार्यकाल में छितबरा गांव में एक अनुसूचित जाति की एक लड़की का अपहरण हुआ, रेप हुआ और उसका वर्कआउट तक नहीं हुआ क्या वह अपराध नहीं था ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में पी0डब्ल्यू0डी0 पर नरसंहार हुआ, कई लोग मारे गये और ललकार कर गोलियां चलती रहीं क्या वह अपराध नहीं था ? मैं कहना चाहता हूं कि उस गवर्नमेंट में कितना अपराध हुआ और अपराधियों के साथ पुलिस फोर्स चलती थी, ऐसा लगता था कि वह फौज ले करके अपराध करने चले हैं। टेण्डर जो खरीदे जाते थे, दबाव में खरीदे जाते थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आज सुरक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। मैं देखता था कि एक से एक नामित अपराधी घूम रहे थे। मैं बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह अपराधी आज उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मैं देखता था कि दस-दस, बीस-बीस फौजें ले करके वह चलते थे, चाहे उनके किसी भी आफिस में जाना हो, चाहे टेण्डर के लिए जाना हो और मान्यवर, पहले टेण्डर कहां होता था, दबाव डाल करके टेण्डर ले लेते थे ? जमीनों का अपहरण, जमीन भू-माफिया, अपराध माफिया यहां तो पूरी तरह से अपराध का राज चल रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि क्या वह अपराध नहीं था ? मैं बधाई देना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को कि सरकार के गठन होने के बाद ही मान्यवर, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ ही दिये और आज टेण्डर में भी माफियागीरी समाप्त हो गई है, इससे सरकार का काफी धन बचता है और सही ढंग से काम हो रहा है।

मान्यवर, विकास की गंगा बह गयी है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि.....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री घूरा राम-

पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि अपराध के मामले में कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि पेपरों में न निकले की फलाँ जगह अपहरण हो गया, फलाँ व्यक्ति का मर्डर हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। डा0 पी0 के0 राय जी, अपनी बात रखें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में हर जगह अराजकता की स्थिति थी लेकिन आज बहन कु0 मायावती जी की सरकार है और काफी सुरक्षा है। मान्यवर, यह भी कहना

चाहता हूं कि जब समाज भयभीत रहेगा तो निश्चित रूप से विकास नहीं होगा लेकिन जब समाज भयभीत नहीं रहेगा तो विकास के बारे में सोचेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

*डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं मा0 अम्बिका चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मा0 सदस्य को चुप कराईये। (श्री धूरा राम जी के बोलते रहने पर डा0 पी0 के0 राय जी बैठ गये)

श्री धूरा राम-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल टूटा है-"सूप तो सूप हंसे लेकिन मान्यवर, चलनी क्या हंसे जिसमें छेद ही छेद है।" बलिया के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी नेता ने थाने का ही अपहण कर लिया, थानेदार गांव में चला गया और गिड़गिड़ाता रहा। वह अगर कहें कि पुलिस का मनोबल टूट रहा है, मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसी-ऐसी घटनायें हुई हैं जो बहुत शर्मनाक हैं। मैं बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार की हनक से आज अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गये हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रह गये हैं और पुलिस का मनोबल बढ़ा है और बहन कु0 मायावमी जी के नेतृत्व की सरकार में विकास की गंगा बह चली है। मान्यवर, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे गृह एवं सामान्य प्रशासन के विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मा0 अम्बिका चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, माननीय चौधरी जी ने विस्तार से बातों को रख दिया है और जो आंकड़े सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये गये हैं उनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। मैं संक्षेप में, जो खुद को महसूस हुआ है उसको ही आपके सामने बयां करना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार इकबाल और धमक से चलती है चाहे वह कोई सरकार रही हो। निश्चित रूप से जो इकबाल और धमक होनी चाहिए वह अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही है। यह जरूर है कि निश्चित तौर पर अपराधियों का इकबाल बुलन्द है। जिस तरीके से गोरखपुर जनपद में सरकार बनने के बाद ही सीरियल बलास्ट हुआ था, गोरखपुर में आज तक वर्क-आउट नहीं हुआ। डॉ0 के0 के0 मिश्र जो कार्डियोलाजिस्ट हैं उनका अपहरण हुआ.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक गम्भीर सूचना सदन को देना चाह रहा हूं क्योंकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं। अभी तकरीबन 10 मिनट पहले की एक वारदात मेरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्वाचन क्षेत्र रामपुर की है, तोपखाना गेट कहलाता है, वहां एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहे थे, दोनों तरफ से दो व्यक्तियों ने आकर उनकी आंख में मिर्ची डाली है और लगभग 1 लाख रुपया उनकी जेबों में था जिसे लूट लिया गया है। वह अभी कोतवाली गये हैं। इसे मैं राजनीति के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप इतना कर दें कि एस0पी0 रामपुर को सूचित कर दें कि न्यायोचित कार्यवाही करें। मुकदमा दर्ज कर लें और अगर यह सही है तो कार्यवाही करें, गम्भीर मामला है।

श्री लालजी वर्मा-

इसको दिखवा लेते हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

मैं कह रहा था कि मिश्रा साहब का अपहरण हुआ वह 25 दिन बाद आए कुछ कहानी बनाई गई लेकिन आम चर्चा है कि धन देने के बाद ही वह वापस आए। जैसा कि श्री टंडन जी ने बताया डा0 सी0 बी0 मद्धेशिया के अपहरण के 10 दिन हो गए अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हो पायी है। मान्यवर, पुलिस प्रशासन या तो दबाव में काम कर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी जवाबदेही आम नागरिक के प्रति न होकर अवाम के प्रति न होकर, नियमों के प्रति न होकर उसकी जवाबदेही अपने पोलिटकल मेंटर व आकाओं के प्रति हो गयी है। ऐसे में जब पुलिस काम करेगी तो आम व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। हमारे क्षेत्र में जून के महीने में प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या हो गयी। उसके बाद से दो लोगों की एक ही दिन हत्या हुई। पुलिस का आम रवैया हो गया है कि किसी की दरखास्त पर किसी को बुलाकर ले आते हैं दो-तीन दिन थाने में रखा जाता है और उससे सौदे बाजी होती है। एन0डी0पी0एस0 में चालान करने की धमकी दी जाती है और धन की उगाही की जा रही है यह मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। अपराधी पकड़ा जाता है हत्या के आरोप में संदिग्ध है बन्द करने के चार दिन बाद चालान कर दिया जाता है यह गांजे के साथ पकड़ा गया। वाहनों की चेकिंग रही है अच्छी बात है इससे अपराधियों को वाहन चोरों को पकड़ने में मदद मिलती है लेकिन चेकिंग के नाम पर आम लोगों से जबरदस्त तरीके से वसूली हो रही है यह वसूली पचास रुपए से लेकर 100 रुपए व 500 रुपए तक होती है। जितनी जिसकी देने की शक्ति होती है उससे उतना ही वसूल किया जाता है। मान्यवर, जब तक पुलिस प्रशासन को जवाबदेह नहीं बनाया जायेगा, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं नजर आएगी आम नागरिक को न्याय नहीं मिलने वाला है। आंकड़े भले ही आप तोड़ मरोड़कर सदन में प्रस्तुत कर दें और कह दें कि हत्या में इतने प्रतिशत की कमी हुई, डकैती कमी हुई, लूट में इतने प्रतिशत की कमी हुई, अपहरण में इतने प्रतिशत की कमी हुई वास्तव में इससे कुछ भला होने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 पी0 के0 राय-

मैं बिहार बार्डर का रहने वाला हूं वहां पर गण्डक के उस पार जंगल पार्टी के लोग आकर सरे आम आकर गांव से लोगों को मारते है। पिछले दिनों वहां जंगल पार्टी के लोगों ने आकर गांव के एक व्यक्ति को गोली मार दी और दूसरे को पेड़ पर लटकाकर गोली मार दी। हमारे यहां जो गांव पड़ते हैं वहां के लोगों को उठा ले जाते हैं अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही की होती तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। बिहार उत्तर प्रदेश में अन्तर है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की तर्ज पर जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की धमक और इकबाल बरकरार रहे। इन शब्दों के साथ मैं श्री अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। आज सरकार की ओर से बड़े-बड़े आश्वासन और घोषणायें जैसे की गई। किन्तु स्वच्छ प्रशासन और निष्पक्ष प्रशासन होना चाहिये। यह हर सरकार का काम है। किन्तु आज मैं यह समझता हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि संगठित गिरोह के द्वारा किया जा रहा है। यह पुलिस के संज्ञान में भी आया लेकिन रफा दफा करके छोड़ दिया गया। वहां आतंकवादी गतिविधियों का भी केन्द्र बनता जा रहा है। साथ ही इस प्रदेश में एक किडनी रैकेट काण्ड जिसका केन्द्र बिन्दु उत्तर प्रदेश रहा था, यहां फला फूला बड़ी जांचें भी हुई और अखबारों में भी आया किन्तु आज तक इस शासन ने विभाग के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को न तो मुअत्तल किया और न ही कोई जवाब तलब किया। इसी से इस सरकार का क्या नियंत्रण है इससे साफ महसूस होता है। साथ ही सरकार की नीयत भी साफ इससे पता चल जाता है कि अपराधियों से कहीं न कहीं मिले हुये हैं। दूसरा मैं किसी व्यक्ति पे, किसी उस पर चार्ज लगाकर नहीं कह रहा हूं। हाथरस जनपद में एक संगठित तरीके से गुण्डा टैक्स उगाना शुरु हो गया है। गंगाधाने राजस्थान के और दूसरी जगह के लोग आते हैं और वहां पुलिस प्रशासन से मिलकर डंडों से महिलाओं के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। वृन्दावन में भी यही हाल है। जहां जहां धार्मिक स्थान हैं वहां पर पुलिस प्रशासन से मिलकर गुण्डा टैक्स की वसूली हो रही है। इसे जरूर रोका जाना चाहिये। मान्यवर, इसी के साथ गृह सामान्य प्रशासन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि 22 तारीख को 2 महीने पहले सिकन्दराराऊ में ग्राम बसेई में अनुसूचित जाति के व्यक्ति भूदेव उसकी जमीन नापने गये नायब तहसीलदार। तहसीलदार के द्वारा उसको धमकाया गया 20 हजार रुपये मांगे गये। मर जाता है वह वहीं पर उसका हार्ट फेल हो जाता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जब गये तो रिपोर्ट नहीं ली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी और जब उन्हें पता लगा कि यह केस लम्बा बढ़ेगा तो उसकी रिपोर्ट चौकीदार के द्वारा उसका बेटा गिड़गिड़ाता रहा उसके नाम से रिपोर्ट नहीं ली गई। रिपोर्ट जो दर्ज की गई चौकीदार के द्वारा इत्तेफाकियां। जब हम लोगों ने यहां दबाव दिया या कहा प्रमुख सचिव से मैं भी यहीं था। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। उसके बाद जांच सेट अप हुई तब जांच के बाद वही अधिकारी जिनके द्वारा हत्या की गई थी वहीं उस जांच में उसमें लिप्त रहे। आज तक यह स्थिति है कानून व्यवस्था की। तो मैं चाहूंगा सरकार से कि इस तरह जहां बेगुनाह हरिजन व्यक्ति था जिसकी हत्या हो गई। जमीन उसकी चली गई नाप द्वारा। जब उस पर यह दबाव डाला गया कि हम तुम्हारी जमीन दे देंगे केस वापस ले लो, आज भी मामला विचाराधीन है, आप इसकी जांच करायें और जांच निष्पक्ष हो सके और उसके परिवार को एक राहत के रूप में जरूर अनुदान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बृजेश सौरभ-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गृह विभाग के अनुदान बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज गृह विभाग के इस अनुदान बजट पर जब चर्चा हो रही थी, कटौती प्रस्ताव लाया गया था तो महोदय, सबसे पहले एक बात कही गई थी, जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने की बात कही जाती है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार हर बार यही बात मुद्दा बनकर आती है कि एक जाति विशेष के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है ? हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य अपने उद्बोधन में इस बात को कह रहे थे कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, और बदले की भावना इतनी प्रबल है अगर सागर में जगह मिल जाए तो उत्तराखण्ड और उत्तरांचल छोड़ दीजिये उस बिरादरी को सागर में भेज दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, आज उस जाति बिरादरी की बात करने के लिये पहला प्रश्न हमारा सदन के समक्ष है माननीय सदस्यों के समक्ष है आखिर वह जात बिरादरी इतनी काबिल कैसे बन जाती है जब एक जाति बिरादरी का मुख्य मंत्री बनता है तो उसी जाति बिरादरी के सभी बड़े ओहदों पर, सारे बड़े पदों पर स्थापित कर दिया जाता है और जब ऐसी स्थिति आती है कि जब उन पदों से कभी हटाने की स्थिति आती है तो बवाल खड़ा हो जाता है। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं मान्यवर, उनकी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम हुआ है। जंगल का राज्य कायम था आज उत्तर प्रदेश प्रदेश का चाहे अपराध का ग्राफ उठाकर देखा जाए मान्यवर, चाहे अपराधियों का मनोबल देखा जाए आज उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराधी और माफिया नहीं रह गये हैं। मान्यवर, एक बात जो सबसे उल्लेखनीय बात थी। महिलाओं के उत्पीड़न की बात कही गई। महिला आयोग को भंग करने की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से लेकर सारे दलों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सहमति आपस में बनाई थी कि जब भी महिलाओं को अधिकार देने का प्रश्न आयेगा तो 33 प्रतिशत आरक्षण देश की हर उस संवैधानिक संस्थाओं में यहां तक की लोकसभा और विधान सभाओं में दिया जायेगा उस 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करने वाला अगर कोई सबसे पहला दल था, कोई सबसे पहला नेता था तो समाजवादी पार्टी के नेता और उसके मुखिया थे। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कानून और राज्य की बात कही जाती है, महिलाओं के उत्पीड़न की बात कही जाती है करेली मदरसा काण्ड भूल जाते हैं। मेहर हत्याकाण्ड भूल जाते हैं राजधानी के हृदय स्थल हजरतगंज में मेहर भार्गव की हत्या होती है, शोहदे छेड़ते हैं जब वह प्रतिरोध करती है तो सीने पर गोली मार दी जाती है। यह आपके जंगल राज्य का जीता जागता नमूना था। मान्यवर, धन्नीडीह काण्ड की बात की जाती है मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की छूट है तो आपको अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता है लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजूपाल की हत्या आपकी सरकार के चलते हुई थी आपके सरकार के रहते हुई थी। कृष्णानन्द राय की हत्या आपकी सरकार में हुई थी। मैं कहना चाहता हूं घोसी के ब्लाक प्रमुख अखिलेश पाण्डेय की हत्या आपकी सरकार में विधायक [xxx] के इशारे पर की गई थी। यह समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां थीं। जो कानून के विषय में बातें कर रहे थे, थोड़ा समय चाहेंगे, मैं एक व्यक्तिगत बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। 24 मई, 2005 को मैंने कांग्रेस छोड़कर के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आदरणीया बहन जी के निर्देश पर मा0 सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने मेरे क्षेत्र में जाकर के, लगभग 40 हजार लोगों के जनसमूह के बीच में उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनाया था। मान्यवर, ठीक एक महीने बाद लखनऊ में मोरारी बापू की कथा चल रही थी काल्विन ताल्लुकेदार के ग्राउण्ड पर, उस आयोजन का मैं मीडिया प्रभारी था और मोरारी बापू से आर्शीवाद लेने के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे आर्शीवाद लेने गये थे और मंच पर वह भी बैठे थे और बगल में मैं भी खड़ा था। मान्यवर, उसी दिन उन्हीं की उपस्थिति में राघवेन्द्र सिंह हत्याकाण्ड का अभियुक्त मुझे बनाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूं इससे जीता जागता नमूना और क्या हो सकता है बदले की भावना का प्रमाण इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि संत मोरारी बापू जी का आर्शीवाद लेने के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं मैं भी मौजूद हूं और मुझे वहीं से दो सौ किलोमीटर दूर मेरे गृह क्षेत्र में हत्याभियुक्त बनाया जाता है। मान्यवर, ऐसे लोग जो स्वयं कानून का मजाक उड़ाते हैं जो कानून का मजाक ही नहीं उसको अपनी चेली बनाकर रखते हों कानून की धज्जियां उड़ाते हों, वह लोग कहते हैं सरकार इकबाल से चलता है धमक से चलती है। मान्यवर, यह सरकार का इकबाल ही था लखनऊ में रहकर मैं हत्याभियुक्त बनाया गया।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्टाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

एक महीने के अन्दर नौ मुकदमों का अभियुक्त बनाया गया। और इसी सरकार के तत्कालीन एडवोकेट जनरल जो लखनऊ विश्वविद्यालय के महासचिव थे उन्होंने कहा सौरभ तू महासचिव था मैं तुझको अपना छोटा भाई मानता हूं। तू बहुजन समाज पार्टी छोड़कर यदि तू समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो मैं हत्याभियुक्त से महात्मा बना दूंगा क्योंकि तू महात्मा मोरारी बापू जी की बगल में बैठा था। यह प्रस्ताव मुझको दिया गया था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, उसी ट्रामा सेन्टर में, हमारे एक सदस्य ने कहा था कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसी ट्रामा सेन्टर में। (कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर चीज पर नहीं झगड़ा किया जाता है। बहुत प्रखर साथी हैं, नये साथी हैं, मैं आपके माध्यम से इशारतन कहना चाहता हूं, किसी बात का प्रतिवाद नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अपनी बात कहिये, पूरा हमला करिये। लेकिन जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं, उसका नाम नहीं लिया जाता और नेता प्रतिपक्ष या जिसके बारे में कह रहे हैं, इतना ही मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता था।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कानून का इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता था कि ट्रामा सेण्टर में एक अभियुक्त वहां सरकार का मेहमान बन कर आया था, अम्बेडकर नगर जिले का था और एक विशेष बिरादरी का था और जब वहां की पुलिस उस अपराध में उसको गिरफ्तार करने आयी, उसी बिरादरी का एस0ओ0 होने के बावजूद उसी ट्रामा सेण्टर में घसीट-घसीट करके मारा गया था और इस बात के लिये जब सरकार से कहा गया कि अगर ट्रामा सेण्टर में गिरफ्तारी के लिये आये हुये पुलिस के उस अधिकारी को मारा गया, जिसको स्वयं ट्रामा सेण्टर में भर्ती करा दिया गया, इससे बड़ा कानून का मजाक और क्या बनाया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, इसी लखनऊ के कैसरबाग में समाजवादी पार्टी का परचम लहराते हुये जीप पर, लोहिया वाहिनी का झंडा लहराते हुये 4 गुण्डों ने सी0ओ0 राजेश साहनी को बोनट पर टांग कर 4 किलोमीटर तक टहलाया था और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा मजाक करने के बावजूद यह लोग कहते हैं कि कानून का इस्तकबाल कम हुआ है, कानून का

इकबाल कम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, ददुआ जैसे दुर्दान्त डाकू का उन्मूलन हमारी लौह महिला मा0 बहन कुमारी मायावती जी की सरकार न होती तो ददुआ जैसे आतंकवादी को जो हमारे इसी तत्कालीन सरकार के लोगों की कोख में बैठकर बढ़ा था, ददुआ का उन्मूलन कभी नहीं हो सकता था।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। मसूद जी आप प्रारम्भ करें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री बृजेश सौरभ-

मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष से अगर कोई बात सुझाव के रूप में आ रही है तो उसे भी आप सुनें। मान्यवर, आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, इस सरकार में और पहले जो सरकार थी, इसमें जो अन्तर है, पहले जो सरकार थी, उसमें नारा था 'जो जितना बड़ा अपराधी, वह उतना बड़ा समाजवादी।' लेकिन मैं कहता हूं कि 'जो जितना बड़ा अपराधी, आज उतनी ही बड़ी बर्बादी।'

श्री अधिष्ठाता-

सौरभ जी, समाप्त करें, मैंने मसूद जी को बुला लिया है।

श्री बृजेश सौरभ-

आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया, धन्यवाद।

*श्री इमरान मसूद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश की परिकल्पना बहन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया था, उस भय-मुक्त, अपराध-मुक्त परिवेश के अन्दर सबसे पहले भयभीत करने का काम अगर किसी का हुआ तो उसका जीता-जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। मान्यवर, मुझे सबसे पहले भयभीत करने का काम किया गया। मान्यवर, सरकार का गठन होता है, मेरा नाम माफियाओं की लिस्ट में डाल दिया जाता है। सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी होती है, उसे पढ़कर मुझे बड़ा अचम्भा होता है कि मेरे विरुद्ध अभी तक तो कोई मुकदमा लिखा ही नहीं गया और मैं कहां से अपराधी हो गया ? मुझे मा0 अध्यक्ष जी का संरक्षण प्राप्त हुआ, इस सदन का संरक्षण प्राप्त हुआ, वहां से मुझे निकालने का काम आपने ही किया था। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं। खनन विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखने का काम किया था, जिसमें मैंने एक बहुत बड़े घोटाले को उजागर करने का काम किया था। तब से लगातार मुझसे सम्पर्क करने की कोशिश की जाने लगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि

---

* वकता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार इकबाल से चले या न चले लेकिन खनन मंत्रालय इकबाल से चल रहा है। मुझे सीधे तौर से धमकी दी गयी कि अगर बात नहीं करोगे तो सत्र के बाद तुम्हारा इलाज कर दिया जायेगा। मान्यवर, या तो जान दे दें या इमान दे दें। इसी प्रकार से भय मुक्त किया जायेगा, एक विधायक होने के नाते मुझे इस तरह से धमकी देने का काम किया जायेगा, मंत्री जी का नाम लेकर धमकाने का काम किया जायेगा कि सत्र के बाद इलाज के लिये तैयार रहो। तो जान दे देंगे लेकिन ईमान देने का काम नहीं करेंगे। मान्यवर, अभी हमारे भाई सौरभ जी नारे की बात कह रहे थे, तो इनका नारा सब जगह लगता है कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी है यह आपकी पार्टी का नारा है। चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखते समय यह बात कही थी कि एक जाति विशेष यादवों को जिस तरह से समाप्त करने का काम किया गया सरकारी ओहदों के ऊपर से यह एक इतिहास है और यह सही भी कहा है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी, जिनका हृदय उदार है, उन्होंने अपने सरकार में रहते हुये एक दलित को डी0जी0पी0 बनाने का काम किया था। मान्यवर, आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो मंशा है कि भयमुक्त समाज होगा, भयमुक्त समाज के अन्दर कौन भयाक्रान्त होगा राजनैतिक लोग, इन राजनैतिक लोगों के लिये दोहरे मापदण्ड को रखने का काम होगा। मान्यवर, हमारे सदन के दो सदस्य हैं-एक का नाम पंकज मलिक है और एक का नाम है डा0 यशवन्त सिंह जी जो कि सरकार के अन्दर शामिल हैं। डा0 यशवन्त सिंह जी मेरठ के अन्दर नायब तहसीलदार को धमकाने का काम करते हैं, सारे चैनलों के ऊपर चलने का काम होता है और कार्यवाही होती है नायब तहसीलदार सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरा काम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही होती है, पंकज मलिक उस मीटिंग के अन्दर अधिकारी से नहीं जिलाधिकारी से सवाल करता है और पंकज मलिक को जिस तरह से अपमानित किया जाता है और उसके बाद क्या होता है फर्क था किस बात का, फर्क था बिरादरी का जो नोयडा के नायब तहसीलदार सस्पेंड हुआ था वह पंडित था और अधिकारी था वह दलित जाति का था। और मुदकमें कायम हो गये हैं पंकज मलिक के विरुद्ध संगीन धाराओं के अन्तर्गत। मान्यवर, इस प्रकार से भयमुक्त समाज की स्थापना होगी, केवल दलितों का नाम लेकर, बिरादरी विशेष का नाम लेकर अपमानित व प्रताड़ित करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, यह सारी घटना सिलसिलेवार बताना चाहता हूं, सहारनपुर के अन्दर मुकेश चौधरी ब्लाक प्रमुख था, उसके घर की कुर्की कर ली गयी। एफ0 आई0आर0 बाद में दर्ज होती है और कुर्की पहले कर ली जाती है।

श्री अधिष्ठातात-

कृपया संक्षेप करें।

श्री इमरान मसूद-

मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कुर्की पहले कर ली गयी और एफ0 आई0आर0 दर्ज बाद में हुई। एफ0आई0आर0 रात को साढ़े नौ बजे और कुर्की

ढाई बजे तो यह हो रहा है। तो मान्यवर, यह जो भय मुक्त समाज की बात की जा रही है मैं उसकी एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। फिर कोर्ट संज्ञान लेता है और उस कुर्की जारी करने वाले जज के खिलाफ कार्यवाही होती है लेकिन यह सरकार उस कुर्की को अंजाम देने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर अधीक्षक, इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने का काम नहीं करते हैं। मान्यवर, श्रावस्ती के अन्दर अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। उनकी दर्द और तकलीफ का अहसास इस सरकार को नहीं है। केवल नारे देकर, मेजें थपथपाकर करके माफियाओं के नाम पर अंकुश लगाने वाली यह सरकार की सत्यता में बताना चाहता हूं। इन्होंने भू-माफियाओं के खिलाफ जिन-जिन के खिलाफ मुकदमें कायम कराये उन-उनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया सहारनपुर से चार लोगों के खिलाफ भू-माफिया का मुकदमा कायम हुआ और चारों लोग आज बहुजन समाज पार्टी का झण्डा लगा कर घूमने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज राजनीतिक लोगों को भयाक्रान्त करने के लिये मुकदमें कायम करके उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। मान्यवर, आपका सिर्फ दो मिनट का समय लेकर कुछ बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, मुजफ्फरनगर के अन्दर ब्लेडमार का आतंक चल रहा है, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और उस ब्लेडमार को आज तक पकड़ने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मान्यवर, जिस प्रकार से बकरा के अन्दर अभी परसों की घटना है, मुस्लिम महिलाओं को घर से निकाल करके मारने का काम किया गया, यह अल्पसंख्यक विरोधी नीति को प्रदर्शित करने का काम करता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, माननीय धनन्जय सिंह जी आप अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय अम्बिका चौधरी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धनंजय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी गृह विभाग की पुस्तक मैं पढ़ रहा था। इसमें माओवादी गतिविधियों के संदर्भ में कुछ विवरण दिये गये थे, जिस ओर मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे देश की सीमा से सटे खासतौर से उत्तरप्रदेश की सीमा से सटे नेपाल में आई0एस0आई0 की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही है समय-समय पर जिसकी चिन्ता सदन में और बाहर भी हमारे राजनेताओं ने की है। चूंकि नेपाल और उत्तर प्रदेश से जो लगी सीमा है वह पोस्ट सीमा है, मान्यवर, खुली सीमा है, यहां पर घुसपैठिये आसानी से आते हैं। पुस्तक में उललेख भी किया गया है कि मधेसियों और वहां की

सरकार से टकराव है, खासतौर से माओवादियों से टकराव है। वह चाहते हैं कि मधेसी वहां से छोड़ कर चले जाये। जिनमें अधिकांश मधेसियों के पास दोहरी नागरिकता प्राप्त है, हमारे देश की भी (नेपाल) वहां की भी। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक सी0आर0पी0एफ0 कैम्प पर हमले की घटना रामपुर में हुई थी जिसमें शामिल मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहेल जो रामपुर का रहने वाला था, आजमगढ़ में उसकी ससुराल थी, आई0एस0आई, के पैसे से खासतौर से लश्करे तोयबा के पैसे से वह भैरहवां में अपना व्यवसाय करता था, उसका परिवार वहां पर स्थापित था। ऐसे लोगों को सरकार गम्भीरता से चिन्हित करे, देखे ताकि आने वाले समय में इस तरीके के लोग जो हमारे भी देश की नागरिकता प्राप्त करके, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश की छवि बाहर जा कर खराब कर रहे हैं, वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये और इस मामले में मैं बहराइच के कुछ थाना क्षेत्रों में जिसकी खुफिया जानकारी होगी भी पुलिस के पास। बहराइच में मोतीपुर थाना, कोतवाली मुर्तिहां, थाना सुजौकी जो कतर्निया घाट के जंगल के क्षेत्र को कवर करते हैं मान्यवर, यहां से घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है। यहां पर कुछ पुलिस चौकियां बढ़ाई जानी चाहिए, पुलिस फोर्सेस बढ़ाये जाने चाहिए ताकि यहां पर घुसपैठ की स्थिति को हम कम कर सें और इसके लिए बजट में पैसे का भी प्राविधान होना चाहिए और खासतौर से चूंकि नेपाल में चुनाव निकट है, चुनाव के मद्देनजर वहां पर कुछ दबाव जरूर पड़ेगा मधेसियों के ऊपर इस दरमियान हमारे देश के अन्दर उनका प्रवेश बढ़ेगा, उनको भगाये जाने की प्रक्रिया वहां पर होंगी निश्चित रूप से यह प्रक्रिया हिंसात्मक रूप ले रहा है। यह सब सरकार अपनी पुस्तक में भी स्वीकार कर रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए गम्भीर कदम उठाने की जरूरत है। एक महीने के अन्दर भयावह स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, अतः सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए, उस क्षेत्र में फोर्सेस बढ़ाने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार से ए0टी0एस0 के गठन का काम किया। सरकार ने यह एक अहम कदम उठाया है। मान्यवर, ए0टीएस0 की सहायता के लिये आपका जो लोकल इंटेलीजेंस यूनिट है वह सूचनायें देता है। यह पूरे प्रदेश में 15 सौ से अधिक पुलिस कर्मी आपके इस विभाग में तैनात नहीं हैं, खासतौर से कुछ जिले तो ऐसे हैं जिन में सिर्फ 3-4 एल0आई0यू0 के लोग कार्यरत हैं। मान्यवर, आतंकवादी गतिविधियों को तभी रोका जा सकता है जब कायदे से सूचनाओं को एकत्र किया जाये और ए0टी0एस0 तक उन्हें पहुंचाया जाये। जब सूचनाओं का सही तरह से संकलन नहीं होगा तो इसमें जो ए0टी0एस0 का गठन हुआ है वह मूर्त रूप नहीं ले पायेगा। इसलिए इस बजट में इसका प्रावधान बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि जो पुलिस कर्मियों की कमी है उसमें बढ़ोत्तरी की जा सके। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी आपके इस एल0आई0यू0 में पोस्टिंग पाते हैं वह इस पोस्टिंग को अपने पनिशमेंट के तौर पर समझते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको बेहतर सुविधायें प्रदान की जायें ताकि इसमें अच्छे अधिकारी स्वेच्छा से आने का प्रयास करें और मन से काम करें। उन्हें यह न महसूस हो कि उन्हें पनिशमेंट

या दण्ड के तौर पर इस विभाग में भेज दिया गया है। यह गम्भीर विषय है। इस पुस्तक में आईएसआई का जिक्र आया है। इसमें 2007 में कुछ गिरफ्तारियों की सूचना दी गयी है। मान्यवर, पुलिस के बहुत अधिकारी तो अभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित नहीं हैं, एडीजी लॉ एण्ड आर्डर जरूर बैठे हुए है। यह बताया गया है इसमें कि तीन आईएसआई के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी तो हमारे यहां होती है पर गिरफ्तार लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया बहुत ढीली है। मान्यवर, वर्ष 2000 में हजरतगंज पुलिस स्टेशन से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई खुफिया सूचनायें एकत्र करने के जुर्म में। 2002 में वह 12 लोग छूट गये। अब कहां रह रहे हैं कोई सूचना या जानकारी नहीं। वह लोग पुनः देश द्रोही गतिविधियों में लिप्त हो गये होंगे। मान्यवर, जो पकड़ने की प्रक्रिया है वह तो ठीक है लेकिन जेल से दो ढाई महीने या वर्ष के बाद जब वह छूट जाते हैं तो फिर उनकी कोई जानकारी नहीं रखी जाती, जिस कारण पुनः वह अपनी पुरानी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आपके यहां पुलिस फोर्स की बहुत कमी है। जो आंकड़े हैं दस हजार व्यक्तियों पर मात्र 10.36 या 10.38 प्रतिशत के हिसाब से पुलिसिंग की व्यवस्था है। तो सही तरीके से आपको सब कैसे सूचनायें मिलें ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां एक इन्वेस्टीगेशन सेल का गठन अलग से होना चाहिए। जो आतंकवादी जेल से निकलकर पुनः राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं वह उसका संचालन न कर सकें। इसके लिए पुलिस को सतर्क रहना होगा। दिसम्बर, 2006 में पाकिस्तानी सिटीजन यहीं लखनऊ में रह रहा था लखनऊ के पते से (ऐड्रेसेज) उसने पासपोर्ट बनवाया, मोहम्मद गफ्फार और जावेद हलदरवार नाम हैं। मान्यवर, पाकिसतनी नागरिक यहां आकर पासपोर्ट बनवा लेते हैं आपके एल0आई0यू0 के लोग रिपोर्ट देते हैं। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो कोई दण्ड का प्राविधान उसके लिये अवश्य किया जाये। यह कितनी विचित्र बात है कि दूसरे देश के नागरिकों को लखनऊ शहर से पासपोर्ट जारी हो जाता है एल0आई0यू0 की संस्तुति पर। जिनके नाम का मैंने उल्लेख किया है वह लोग अभी जेल में हैं उन्हें सख्त सजा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

मान्यवर, एक केस और है अल्ताफ हुसैन जिसने पुलिस रिकार्ड में स्वीकार किया कि उसके ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर में विस्फोट की जिम्मेदारी दी गयी थी, अयोध्या में विस्फोट की जिम्मेदारी गयी थी। वह गोसाईगंज का रहने वाला है उसके घर से 15 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, उसके बाद वह 2003 में छूट गया। 2003 में वह जेल से छूट जाता है और उसका कोई अता पता नहीं है। मान्यवर, जो यह स्वीकार करता है कि वह इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है और लश्करेतोयबा का पाकिस्तान का वह ट्रेन्ड आतंकवादी था उसको जेल से छूटने में पुलिस ने किसी प्रकार का कोई फालोअप नहीं किया है। ऐसे लोग जिनको फांसी और आजीवन कारावास होना चाहिए, वह लोग जेल से आराम छूट जाते हैं। बाद की प्रक्रिया

का भी फालोअप करे पुलिस यह मेरा आपसे जरूरी अनुरोध है। मुझे विश्वास है सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

एक ज्वलंत उदाहरण है मोहम्मद मामुन-उलरसीद, यह बंग्लादेशी नागरिक था उसने लखनऊ से पासपोर्ट बनवाया गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 12 पाकिस्तानी नागरिकों का हिन्दू आइडेन्टिटी से यहां लखनऊ के पते से पासपोर्ट बनाया गया था। वह आतंकवादी हिन्दुस्तान से बाहर कहीं भी जाते आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते। आइडेन्टिटी हिन्दू की है लखनऊ के रहने वाले हैं इससे हमारे प्रदेश और देश का नाम बदनाम होता। प्रदेश की छवि धूमिल होती।

इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बात एक बार-बार हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि राजनीतिक दुरुपयोग होता है पुलिस प्रशासन का। मान्यवर, मेरा एक आग्रह है कि नेशनल पुलिस कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है और उससे मैं सहमत होते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि आज थाना प्रमुख, जिले का पुलिस प्रमुख और प्रदेश पुलिस प्रमुख का फिक्स टेन्योर होना चाहिए चाहे दो वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। एक फिक्स टेन्योर सरकार करे सरकार ताकि उनका राजनीतिक दुरुपयोग न होने पाये। ताकि इधर जो प्रतिपक्ष में बैठते हैं वह हल्ला करते हैं जब वह सत्ता में रहते हैं तो वह दुरुपयोग करते हैं, आज सत्ता वाले दुरुपयोग कर रहे हैं तब यह हल्ला कर रहे हैं। इसका स्थाई निदान तभी होगा जब नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है, उत्तर प्रदेश सरकार अमल करने की दिशा में विचार करे।

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मेरा एक नितान्त व्यक्तिगत मामला है। वीआईपी सिक्योरिटी के विषय में सरकार को एक बार समीक्षा कर लेनी चाहिए जिसके जीवन को खतरा है। मान्यवर, मैं अपनी व्यक्तिगत बात ही नहीं कह रहा हूं, सभी की बात कह रहा हूं, आज यहां पर बैठे तमाम ऐसे विधायक होंगे जिनके जीवन को खतरा है। आज इस बात को सत्ता के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राजू पाल की हत्या हो गयी। मैं मानता हूं इस बात को राजू पाल ने बहुत आग्रह किया सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत तौर से, हमारे परिचित थे उन्होंने कई बार कहा कि हमको सुरक्षा चाहिए। निश्चित रूप से सुरक्षा नहीं मिली और हत्या हुई। कृष्णानन्द राय जी भी कहें नहीं मिली सुरक्षा और हत्या हुई। जनप्रतिनिधियों की हत्या न हो इसके लिए सरकार को गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। जो आरोप आज आप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कल वहीं आरोप आपके ऊपर लगे ऐसी स्थितियों से आपको बचना होगा। मान्यवर, समय-समय पर पुलिस अधिकारियों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। मेरे पास सिर्फ एक गनर उपलब्ध है। मैंने समय-समय पर मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है, प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं अभी एक पत्र आपको देता हूं जिसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने यह स्वीकार किया है कि मेरे जीवन को खतरा है और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया है कि हमें वाई कटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर,

पुनः एक बार इसकी रिपोर्ट पढ़ लें अगर हमें सुरक्षा की जरूरत हो तो प्रदान करें अन्यथा यहां पर ए0डी0जी0 ला एण्ड आर्डर बैठे हैं वह लिखकर दे दें कि मुझे जीवन का खतरा नहीं है तो मैं दुबारा सुरक्षा नहीं मांगने जाऊंगा इनसे। अगर मेरे ऊपर हमला होता है मेरे प्राण जाते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गृह विभाग के इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, निश्चित रूप से वर्तमान बजट में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के लिये जो व्यवस्थायें की गयी हैं, उससे पूर्णतः शब्दशः सहमत होता हुआ इस बजट के पक्ष में, मुझसे पहले जितने साथियों ने समर्थन में बातें कहीं हैं, उनसे शब्दशः सहमत होता हुआ मैं इस बजट की भूरि-भूरि सराहना करना चाहता हूं। मान्यवर, इस पवित्र मंडप में तमाम साथियों ने यहां की मर्यादाओं की बात कही, यहां की परम्पराओं की बात कही और तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाये गये। मैं इस बात की अन्तर्मन से सराहना करता हूं कि चाहे दावे कितने भी किये जायें और अपने मुंह से कहने से नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह स्वीकार किया है कि जब कभी भीत्तर प्रदेश में बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, अपराध और कानून व्यवस्था के सवाल पर किसी से प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता कम से कम हमारी बहन जी को नहीं पड़ती है। इतना मैं कहना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि यहां यह बात आई कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी अगर प्रदेश में उद्योग और व्यापार का माहौल अच्छा होगा तो प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जायेगा। आजादी के 60 साल के इस लम्बे अंतराल में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मे मात्र साढ़े 3-4 साल का शासन रहा तमाम खामियों का जिक्र चाहे वह पुलिस की संख्या से संबंधित हो, चाहे वह पुलिस के लिये उपकरणों से सम्बन्धित हो, चाहे तमाम जो भी खामियां थीं सारे का जिम्मा सरकार के जिम्मे तमाम साथियों ने किया। साठ साल के इस लम्बे अन्तराल में सारी खामियों के जिम्मेदार हम कैसे ? अन्तर्मन से अपने पूछिये और अपने अन्दर आप झांककर देखिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन परम्पराओं और जिन आदर्शों की बात हम यहां कहते नहीं थकते, जब हमारी बारी आती है तो हम ऐसे ही लोगों को, जिन लोगों को भारतीय संविधान में विश्वास नहीं, जो कानून की बातें मुंह से तो कहते हैं लेकिन जब अपने ऊपर बातें आती है तो ईश्वरीय न्याय और संवैधानिक न्याय को किनारे खड़ा करके और उसके बाद अपने हाथों में असलहे लेकर तुरन्त न्याय करने का जिम्मा खुद सम्भाल लेते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं अगर सदन में वह आते हैं तो उनको अपने अन्दर झांकना चाहिये। जब संविधान में विश्वास नहीं, तो फिर वहां सुरक्षा की बात नहीं की जानी चाहिये। एक बार आपने संविधान का मखौल उड़ाते हुये अपने हाथों में हथियार ले लिया तो फिर यहां से सुरक्षा की जिम्मेदारी इस सदन में नहीं कहना चाहिये और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह दो मुंही बातें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं चलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित रूप से जिन अपेक्षाओं पर हम लोग यहां आये हैं जिन उम्मीदों से जनता ने हमें यहां भेजा है तो उनको हम पूरा नहीं कर पायेंगे। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्य मंत्री ने अपने वर्तमान सांसद को अपने घर में बुलाकर अपराधी होने की वजह से अपने हाथों से पुलिस को सौंपने का काम किया है, तो वह केवल मात्र उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी ने किया है। ऐसा कोई उदाहरण हो मैं आदर से कहना चाहता हूं कि वह खड़े होकर बतायें। ऐसा इसलिये नहीं बल्कि सबक देने के लिये। सामने बैठे सदस्यों के लिये भी और इधर बैठे हुये सदस्यों के लिये भी, कि कोई यह हिमाकत न कर पाये कि संविधान से हटकर कानून व्यवस्था से हट कर वह हिम्मत करे कि वह गरीबों को कुचलें और न्याय में अवरोध उत्पन्न करें इसलिए कुछ उदाहरण है। गाजीपुर, जहां से मैं चुन करके आता हूं, अभी प्रशासन के हतोत्साहित होने की बात यहां कही गई, कृष्णानन्द राय की हत्या हुई, राजू पाल की हत्या की बात कही जा चुकी है, इनके सम्मानित एम0एल0सी0 अजीत सिंह की हत्या इनके शासनकाल में हुई थी। डिप्टी एस0पी0 शैलेन्द्र सिंह, जिन्होंने स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराये थे शासन में रहते हुए कि फलाँ आदमी के हाथ से एक सौदा होने जा रहा है मिलिट्री के हथियार का, मान्यवर, सारा कुछ हुआ उन सारे सबूतों के रहते हुए और अन्त में जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उस व्यक्ति ने उस अधिकारी ने ऐसी सेवाओं में रहने के बजाय अपने को उन सेवाओं से अलग कर देना बेहतर समझा, यह आपके चेहरे पर बदनुमा दाग है। इतना ही नहीं फर्रुखाबाद की घटना, मान्यवर, लोक सभा के चुनाव हो रहे थे, इस समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने जब वहां प्रचार कार्य हो रहा था, पंकज मिश्रा राम के एक साथी ने जब कुछ तर्क-वितर्क कर लिया था, गर्दन कटवाकर चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इस लखनऊ की धरती पर प्रशस्ति-पत्र दिया गया था, यह बदनुमा दाग है आपके चेहरे पर। मैं कहना चाहता हूं यह पुलिस के रिकार्ड में है एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जितने भी अपहरण हुए, सारे के सारे अपहण तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने करवाये थे। ज्यादा न कहता हुआ, केवल इतना ही कहूंगा कि-

"वह कत्ल भी करते हैं तो पहचान नहीं होती,
और हम आह ! भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।"

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि चर्चा होते हुए पौने दो घन्टे हो गये हैं और इधर से किसी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। वैसे तो आपका अधिकार है लेकिन मान्यवर, एक क्रम होना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

हमने बुलवाया है। हम इधर और उधर दोनों ओर से बुलवा रहे हैं और विपक्ष को ज्यादा मौका दे रहे हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री जी बजट रख रहे थे तो उन्होंने तहसील दिवस और थाना दिवस की बात कही थी। मान्यवर, वहां पर जो भी प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तहसील दिवस और थाना दिवस एक मजाक बन कर रहे गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गृह विभाग का बजट रखा जा रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि थानों में थानाध्यक्षों की पोस्टिंगों में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति का आरक्षण है और 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, पिछली सरकार में आठ प्रतिशत थानों में अल्पसंख्यकों की तैनाती का आदेश था लेकिन इस सरकार ने उनको उनके इस अधिकार से भी वंचित कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। जितने भी सदस्यों ने बातें रखी हैं, चाहे वह श्रावस्ती का मामला हो और चाहे मुजफ्फरनगर में हाज़ी इस्तियाक का मामला हो, चाहे डॉ0 तारिक का मामला हो, मान्यवर, अल्पसंख्यकों को आतंकवादी बताया जाता है और उनको संगीन धाराओं में जेल भेजा जाता है और कानून की अदालतें उनको न्याय देती है। सदन में जब उनकी आवाज उठती है तो उनको छोड़ने का काम किया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज, माफियाराज और कानूनराज की स्थापना की बात कही जा रही थी लेकिन जब उत्तर प्रदेश के विधायक यहां अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है और तो और यहां पर जो विधायकों के निवास हैं-बहुखण्डी, मंत्री आवास और डालीबाग, वहां पर चोरियां हो रही हैं। माननीय विधायकों की गाड़ियों की चोरियां हो रही हैं, उनके गाड़ियों के सामान की चोरियां हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने एक भी अपराधी पकड़ने का काम नहीं किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसे सुल्तान बेग माननीय विधायक जी बैठे हैं उनकी गाड़ी चोरी हो गयी, आपके सत्तापक्ष के मा0 विधायक आसिफ जी की गाड़ी चोरी हो गयी, मेरी स्वयं की गाड़ी चुराने का प्रयास किया गया लेकिन जब उसको नहीं चुरा पाये तो गाड़ी से कीमती सामान चुरा कर ले गये। इस सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी डी0 एम0 और एस0 पी0 अल्पसंख्यक समाज का नहीं है न ही मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय में अल्पसंख्यक समाज का कोई आदमी है। आज अल्पसंख्यक समाज के आदमी को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज को रोक दिया गया है कि वह जानवरों का व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियां और पुलिस बल मिल करके उस बंजारा समाज को जो एक जगह से जानवरों को खरीद कर दूसरे बाजारों में बेचने का काम करता है उनको थाने की पुलिस साम्प्रदायिक ताकतों से मिल करके पूरी

की पूरी गाड़ियों के जानवरों को छीन लेते हैं और जानवरों को बांट देते हैं और उन व्यापारियों को संगीन धाराओं में मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम करते हैं। जनपद के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाना चाहिये कि जानवरों के व्यापारियों और बंजारा समाज का उत्पीड़न न किया जाय या फिर जानवरों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दीजिये। मान्यवर, यह सरकार कहती है कि समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, सबको बराबरी का दर्जा देंगे लेकिन कहीं पर कोई बराबरी नहीं है। रामपुर में मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बन रहा था उसमें केवल मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं पढ़ते जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं उसमें पूरे हिन्दुस्तान और दुनिया के लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के सारी जातियों के लोग, सारे धर्म के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों उनको पढ़ने का मौका मिलता है। इसी तरह से जौहर विश्वविद्यालय में भी सभी को पढ़ने का मौका मिलता लेकिन आपने उसको रोकने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्यों ने इस सदन में उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं, माओवादियों के खतरों को रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी जिले नेपाल की सीमा से सटे हुये हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को बड़े पैमाने पर माओवादियों ओर आतंकवादियों से खतरा है इसलिये नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों को 'वाई श्रेणी' की सुरक्षा उपलब्ध करायी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अम्बिका चौधरी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अम्बिका चौधरी जी के कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे समय दिया। मान्यवर, मेरा यह सुनिश्चित मानना है कि कानून व्यवस्था और बेरोजगारी यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये मुद्दे हैं और यह भी निश्चित है कि जब तक सरकार बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करेगी, हमारे नौजवानों के हर हाथ को काम देने का काम नहीं करेगी तब तक अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर वकीलों की तरह बहस करने के लिये हम कुछ कह लें लेकिन सूबे की जनता से बेहतर जज कोई नहीं हो सकता और इस प्रदेश की जनता का यह सुनिश्चित मानना है कि अपराध का ग्राफ, सरकार किसी की भी हो लेकिन अपराध का ग्राफ लगातार इस सूबे के अन्दर बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़े आप जब देते हैं उन अपराधों का देते हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं लेकिन इस सूबे के अन्दर ऐसी भी व्यवस्था है, ताकतवार आदमी आंख उठा देता है और गरीब की जुर्रत नहीं होती कि वह आदमी खड़ा होकर बात कर सके। हमारे आपकी जाती जिन्दगी में ऐसे तमाम तजुर्बे होते हैं जिसमें एक ताकतवर आदमी ने किसी गरीब आदमी को अपने घर बुलाया उसको जूतों से मारा, पेशाब पिलाया इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि थाने पर जाकर वह उसकी रिपोर्ट

लिखाये। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है यह सुनिश्चित है अगर यहां यह जिरह की जाय कि अपराध घट रहे हैं तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता है। यहां पर भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाते जाएं लेकिन जनता से बेहतर कोई जज नहीं है। बेरोजगारी के अलावा दूसरा कारण यह है कि थानों में फोर्स की बेहद कमी है आप किसी थाने में चले जाइये जो मानक है उसके अनुरूप फोर्स कहीं नहीं है। अपनी कोतवाली में जाते हैं थाने में जाते हैं पचपन साल का बूढ़ा दो स्टार लगाये एच0सी0पी0 दरोगा बना दिया जाता है उसको तफ्तीश का ज्ञान नहीं है इन्क्वायरी का तजुर्बा नहीं है। पचपन साल तक तो वह चौराहे पर खड़े होकर रिक्शावालों पर डण्डा चलाता रहता है उसको इन्क्वायरी आफीसर बना दिया वह कैसे इन्क्वायरी करेगा। हमारे सादाबाद में बड़ी कोतवाली है 50-55 कि0मी0 का दायरा उसके अन्दर आता है लेकिन वहां पर आई0 ओ0 की योग्यता एक इंस्पेक्टर व एक सब इंस्पेक्टर के अलावा किसी के पास नहीं है। बाकी एच0एस0पी0 है। अगर आपस में 20 आदमी उलझ जायें तो थाने में इतना फोर्स नहीं है कि उनको अलग-अलग कर सकें। अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं मेरा निश्चित मानना है कि पब्लिक घेर-घार कर पकड़ देती है और उसको पुलिस का गुडवर्क दिखा दिया जाता है। पुलिस इस हैसियत में नहीं है कि वह अपराधियों को पकड़ सके। हमारे यहां बिसावर है उसके आस-पास लगे हुये 40-50 गांव हैं जहां घुंघरू बनाने का काम होता है जो मजदूर कारीगर हैं वह घुंघरू बनाने का काम करते हैं आगरा मथुरा के बड़े व्यापारियों से चांदी लेकर आते हैं और मजदूरी पर घुंघरू बनाने का काम करते हैं वाणिज्य कर विभाग के दोहन के लिये गाय मिल गई। कहते हैं कि आप व्यापारी हैं आप कारीगर नहीं हैं उन पर वैट लगाने की धमकी देकर अवैध पैसा वसूलने का काम किया जाता है। लिहाजा उनके मन में भी यह भावना रहती है कि हम चोरी करते हैं लिहाजा वह भी दुबक-छिपक कर कुछ चांदी निकालने का काम करते हैं। हमारे यहां एक महीने में तीन-चार घटनायें होती हैं। पिछले 6 महीने में चन्द घटनायें वहां हुई हैं। (इस समय 5 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) मान्यवर, अपराधी आम आदमी से ज्यादा विद्वान होता इन्टेलीजेंट होता है। अपराध खदौली, सादाबाद, बल्देव-सादाबाद की सीमा पर ही होता है। एक घटना के बाद मैं स्वयं वहां पर पहुंच गया एक व्यापारी और उसके बेटे को लूटा गया उन लोगों ने एक डग्गामार जीप को पकड़ा ओर अपराधियों का पीछा करना शुरू किया इसी बीच वहां चार सिपाही आ गये उनसे घटना के बारे में बताया गया और यह कहा गया कि वह इधर से भागे हैं सिपाहियों ने पहला प्रश्न किया वारदात कहां हुई। जब उन्होंने बताया कि खंदौली से एक कि0मी0 पहले हुई तो सिपाहियों ने कह दिया कि यह हमारी सीमा की घटना नहीं है। इस तरह से सीमा विवाद में ढाई घण्टे बीत गये और अपराधी निकल गये। पकड़े नहीं गये। इन सबके पीछे कारण यह है कि फोर्स की कमी है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 90-95 प्रतिशत केस वर्क आउट नहीं होते हैं जब वर्क आउट होता है तो फर्जी लोगों के नाम दाखिल कर दिये जाते हैं जब नेताओं का राजनैतिक प्रेसर होता है तो निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। हमारे यहां बागवधिक एक प्रमुख जाति है जो अंग्रेजों के समय से ट्राइबल जाति

में आती है इन लोगों का एक गांव है वह बेचारे गरीब हैं जब कोई केस वर्क आउट करना हो तो वहां जाकर उन लड़कों को पकड़ लाते हैं ओर एक-एक पर 10-10 केस लगा कर केस खोल देते हैं। पूरी तरह से पुलिस को ही दोषी नहीं मानता। पुलिस के पास उतने संसाधन ही नहीं हैं। बदमाश का पीछा क्या खचड़ा गाड़ी से होगा ? और क्या ऐसी गाड़ी से होगा जिसमें एक महीने के अन्दर 200 लीटर तेल मिलता हो उनको। भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो अपने आप दिया जा रहा है । सारा कुछ यहां शासन से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे अपनी वाणी पर विराम करने को कहा है। मैं एक विशेष प्रकरण हमारे यहां 27 फरवरी को सादाबाद कस्बे में नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, कस्बे के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, डा0 यतीन्द्र शर्मा जी, उनके घर पर 20-25 लोगों ने असलहा लेकर दिन दहाड़े हमला किया और उसके बाद थाना पुलिस ने पिता पुत्र डा0 यतीन्द्र शर्मा और तीन विपक्षी लोगों को 151 में चालान करके उसकी इतिश्री कर दी। अगले दिन जब हमारी पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग वहां के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मिले तो अनके आदेश पर 29 तारीख को यह मुकदमा भी लिखा गया और मुकदमें में यह स्पष्ट तहरीर में यह बात आई कि जो प्रभारी निरीक्षक हैं उन्होंने पैसे के लेन-देन और भ्रष्टाचार की वजह से इस केस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। लेकिन खास बात देखिये, इसकी खूबसूरती देखिये थाने का इन्स्पेक्टर मुजरिम है तहरीर के मुताबिक और उसकी विवेचना उसी थाने का उसका कनिष्ट एस0एस0आई0 कर रहा है। मान्यवर, इन चीजों को दिखवाये जाने की आवश्यकता है। वरना कानून और व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास उठ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

बस डाक्टर साहब हो गया।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं अंतिम बात और कहना चाहूंगा अभी माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो उसमें यह भी कहा गया था कि अग्निशमन विभाग के लिये 1 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि संसदीय कार्य मंत्री जी से कि एक हजार रुपये का, हम बड़े दिनों से मांग कर रहे थे कि हमारे सादाबाद में एक अग्निशमन केन्द्र या उपकेन्द्र बना दिया जाय। उस पर एक हजार रुपये का इस्तेमाल सादाबाद में अग्निशमन केन्द्र बनाने के शिलान्यास के लिये कर दें तो बहुत-बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री गौरी शंकर जी का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दो तीन लोग हैं, कल बोल लीजियेगा।

एक सदस्य-

माननीय हमने आज आपसे कहा था। हम तो शांति से बैठे थे। हमको भी बोलने दीजिये। हम तो आपका बड़ा आदर करते हैं। हम तो बहुत पीछे खड़े रहते हैं। आपसे कहा है तब भी मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अरे गुप्ता जी बैठ जाइये। बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। गौरी शंकर जी के हमेशा पीछे से हमला होता है। पिछली बार अभी राम विशुन जी रहे। अब इस बार आप खड़े हो गये। मदन जी बैठिये। अभी तो चर्चा जारी रहेगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आज आपने अवसर दिया। मैं इस सत्र में आप देख रहे हैं लगभग शून्य ही हो जाता सत्र। गला आज कुछ खुला इसलिये कुछ कहना चाहता हूं और सो पिच में ही बात करने की कोशिश करूंगा और यहीं से शुरू कर रहा हूं। ऐ खुदा ऐसी खुदाई न दे (कई सदस्यों के कुछ कहने पर) पुरानी नहीं गई है।

"ऐ खुदा ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे।"

श्री लालजी वर्मा-

लागू होता है आप लोगों के ऊपर।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

जी जी। मान्यवर, अभी हमारे साथी जो बहुत कुछ कहते हैं कि अन्दर की बात।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय भाई साहब जो ढूंढ कर ले आते हैं उसको यह लोग पुरानी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हां पुरानी कहते हैं। यह अपना अपना टेस्ट है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

हमारी कही हुई है। हमारी पढ़ी हुई है और उसके बाद हमीं पर कोट करते हैं। क्योंकि श्रीमन्, 12 से लेकर लगभग 15 सरकारों को हमने भी देखा है। एक लम्बा अवसर मिला है इस सदन में आने का और मैं इसलिये कहना चाहता था कि यह माननीय अम्बिका जी ने इस बात को

कहा कि ज्यादातर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन और गृह विभाग प्रायः नेता सदन अर्थात् माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा ही प्रस्तुत हुआ है और स्वाभाविक है इसलिये कि इसकी गम्भीरता अपनी जगह है कि शासन आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, आई0पी0एस0, पी0पी0एस0 यह सभी एक प्रशासन की मुख्य रीढ़ कहे जाते हैं। जिस सम्वेदनशीलता की बात कही जाती है कि शासन सम्वेदनशील है यदि यह अधिकारी सम्वेदनशील हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी सम्वेदनशीलता कार्य में भी दिखाई पड़ती है। आपने जिन बातों का जिक्र किया मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन आज की स्थिति है क्या, आज की स्थिति यह हो गई है कि आज जितने अच्छे अधिकारी हैं आज कुछ महीने रह जाएं तो बड़ी बात है। आज छः महीने भी किसी भी काम करने का मौका नहीं मिलता है एक जगह काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो अपने अनुभव अपने टैलेंट का लाभ वह कैसे प्रदेश को दे। अगर कोई अधिकारी ने सही बात करने का कहीं प्रयास किया तो उसकी लगाम खींच ली जाती है। उसको हटा दिया जाता है। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर किसी अधिकारी को आपने पोस्ट किया है तो उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुये उसको पूरा अवसर मिलना चाहिये। अधिकारी की नियुक्ति जो होती है मनमाने ढंग से आपने कर दी और एक महीने बाद या कभी-कभी तीन महीने बाद आपको इलहाम हुआ तो उसको आपने हटा दिया। तो इससे मैसेज क्या जाता है मैसेज सीधा यह जाता है कि आपकी जो मंशा थी उसको पूरा नहीं कर रहा है इसलिये उसको हटा दिया। मेरा शेर सुन लें, जो बहुत वकालत करते हैं उन पर एक शेर है-

"न पूछो क्या गुजरती है, दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी ना-मेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है
हमारे सामने जिसने बहारे-अंजुमन लूटी
उसको को फरोगे-अंजुमन कहना ही पड़ता है,
ये दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लाले-गिरां कहना पड़ता है।।"

यह फैज अहमद फैज का शेर है-

"वफैजे मसलत कभी ऐसा भी होता है जमाने में
कि रहजन को भी, मीरे-कारवां कहना पड़ता है।"

(शोर)

"मुझे रहजनी का गम नहीं तेरी रहबरी का मलाल है।"

यह बातें मैं अटैकिंग मूड में नहीं कहना चाहता हूं, लकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक-दूसरे पर आक्षेप और किसी के कार्यकाल के समय के लिये आप इसको उद्धृत करें। उन्होंने जो गल्ती की उससे आपको सबक लेना चाहिये। गल्ती करने वाले लोग अपने आप ही

दूसरे पक्ष में आ जाते हैं। हम भी उधर बैठते रहे, और गल्तियां होती रहीं तो इधर भी बैठते रहे। तो यह तो इतिहास का पन्ना बनता है। लेकिन एक बात याद रखिये कि इतिहास के पन्नों ने वह दौर भी देखें हैं कि-

"लम्हों ने खता की थी, और सदियों ने सजा पाई।" यह ऐसे लमहें होते हैं कि ऐसे समय में संवेदनशील होने की जरूरत है। संवेदनशीलता की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है आप जो निर्णय लेंगे आप उस निर्णय को कार्यान्वित करें। पद रिक्त हैं डी0पी0सी0 हो नहीं रही है अच्छे-अच्छे अधिकारी जिनकी पदोन्नति होनी चाहिये जब रिक्तियां हैं तो डी0पी0सी0 क्यों नहीं होती है ? डी0पी0सी0 का क्या होगा ? एक कप काफी पर बैठते हैं बड़े अधिकारी, उनके पास फुरसत नहीं है। इन सब चीजों की जरूरत है आज शासन और प्रशासन में जितनी रिक्तियां पड़ी हैं भाई अम्बिका चौधरी जी ने जिक्र किया मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर जो साथी हमारे मांग रहे थे बहुत सारी चीजें कि यह किया जाए वह किया जाए, भतृहरी जी ने लिखा है, एक जगह लिखा है श्लोक-

"रे-रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणंश्रूयताम्
अभ्भोदा बहुबेहि सन्ति गगने सर्वेपिनतादृशाम्
केचितवृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित्वृथां,
यं यं पश्यसि तस्य-तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः।।"

हे मित्र पपीहा, सावधान मन से थोड़ी देर सुन, आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक से नहीं हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ गरज कर चले जाते हैं, इसलिये तुम जिस-जिस को देखते हो, उस-उस के सामने दीन वाणी मत कहो। केवल उस भरे हुये बादल से तुम अपनी याचना करो जो तुम्हें स्वाती की बूंद दे सके। ये भरे हुये बादल तो हैं नहीं, ये भरे हुये बादल होते तो उनसे याचना करते, ये खाली बादल हैं तो खाली बादलों से क्या मांगना ? इसलिये चातक प्यासे बैठे हैं, समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता और आपका यह जो पुलिंदा आया है, बहुत विस्तार में है, मुख्य मंत्री जी की तरफ से इस बात का उल्लेख किया गया है, बहुत सारी बातें कही गयी हैं, लम्बे-लम्बे पन्ने हैं, उन पन्नों में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसका उल्लेख करके ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। माननीय, अध्यक्ष जी।

एक सदस्य-

अब एक अंग्रेजी में।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

"दी एर्रस लाइक स्ट्राज अपान दी सरफेस फ्लो वन हू इन दी सर्च आफ टूथ मस्ट ड्राइव विलो" "जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, तिन बपुरा का पाइयां, रहा किनारे बैठ।" (हंसी), मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपकी संवेदनशीलता के लिये, यदि थोड़ी-बहुत बची हो तो कि "नूर बनके न चमके, वह रोशनी क्या है,"

श्री अध्यक्ष-

आप पूरी शेर तो हमारी तरफ इशारा करके कहते हैं लेकिन जब लास्ट होता है तो उधर क्यों घूम जाते हैं ? (हंसी)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

असली नूर तो श्रीमन्, आपका ही है। लेकिन "नूर बनके न चमके, वह रोशनी क्या है, अंधेरियां न मिटा दे, तो फुलझड़ी क्या है, अरे किसी के काम न आये, वह जिन्दगी क्या है और किसी का दर्द न जाने, वह आदमी क्या है ?" इन्हीं शब्दों के साथ, इस दर्द का एहसास कीजिये, समस्या का इलाज कीजिये और इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुये और मा0 अम्बिका चौधरी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये और आपका आभार व्यक्त करते हुये, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सैय्यदा जी, कल तो चर्चा जारी रहेगी। अच्छा दो मिनट में कह लीजिये। कल चर्चा जारी रहेगी।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष जी, किसको बुलाया ?

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी को।

(हंसी)

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप किसको चाहते हैं ? (हंसी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इधर से किसी को बुला लेते। (हंसी)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जब कटौती का प्रस्ताव रखा था तो उस समय उन्होंने कहा कि बजट बहका-बहका सा लग रहा है। बहका-बहका केवल उन्हें ही नहीं लगा है बल्कि जो आज प्रदेश की जनता है उसने जो पढ़ा है, देखा है तो उसको भी बहका-बहका ही लगा और मा0 लालजी टण्डन जिन्होंने कहा कि-"हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है," मैं भी उसी कड़ी को आगे बढ़कर यह कहना चाहती हूं कि जो आपने कहा है कि बहका-बहका लग रहा है, यह जो दस्तावेज है यह बड़ा ही अहम दस्तावेज होता है और सच पूछिये तो इसकी एक-एक बात के ऊपर लोगों को एतवार करना चाहिए लेकिन एतबार करने के लिए जरूरी यह होता है कि जिसने इस दस्तावेज को रखा है उसकी अहमियत लोगों की नजर में क्या है, उस पर भी होता है वरना गालिब जैसे शायर को भी लोगों ने नहीं बख्शा-"ये मसाइले तसअउब ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम बलि समझते जो ना वादाखार होता।" अगर गालिब वादाखार न होते तो उनकी एक-एक बात पर लोग ईमान ले आते। इसलिए मैंने कहा कि डगमगाता हुआ बहका इसलिए नजर आया कि कहा गया कि डकैती में 22 प्रतिशत की कमी आयी, दहेज हत्या में 5.7 प्रतिशत की कमी आयी, बलात्कार में 13.2 प्रतिशत की कमी आयी, एसटी एससी के उत्पीड़न में कमी आयी। मान्यवर, आप कहते हैं कि कमी आयी तो हमारे पास एसटीआरबी की रिपोर्ट है, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो डकैती के मामले 2006 में 128 था वह घटकर 2007 में 127 आ गया। घटा सिर्फ एक और 22 प्रतिशत की कमी बता रहे हैं। दहेज हत्या की बात कर रहे हैं कि 7.7 प्रतिशत की कमी आयी, तो 2006 में 1816 और 2007 में 1877, तो मामले बढ़े हैं और यह कहते हैं कि कमी आयी है, बलात्कार के 2006 में 1307 और 2007 में 1388 मामले दर्ज यह भी बढ़ गया और कह रहे हैं कि कमी आ रही है। आपकी यह जो रिपोर्ट आयी थी इसमें यह दिया हुआ है, यह कह रही है कि कमी हो गयी यह भी आप ही की रिपोर्ट है। सी0आर0बी0 की यह रिपोर्ट बता रही है कि एससी एसटी के ऊपर जो आपने कहा कि उत्पीड़न कम हुआ है तो यह भी बढ़ा है, 2006 में चार हजार चार सौ तेरह केस थे और 2007 में यह पांच हजार तीन सौ दो हो गया तो यह क्या बता रहा है ? यह बता रहा है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। मामले दर्ज किये गये, मामूली धाराओं में दर्ज किया गया। आईपीसी में मामला दर्ज कियाग या वह बड़े मामलों में दर्ज नहीं हो पाया है, बढ़ोत्तरी हुई है 110 सीआरपीसी के मामलों में, बढ़ोत्तरी हुई 109 सीआरपीसी के मामलों में, मान्यवर, पूरा सदन जानता है कि यह मामले किस तरह से लोगों के ऊपर दर्ज किये गये। आप कहते हैं कि हत्या में कमी है, बलात्कार में कमी है, समाज भयमुक्त है, प्रदेश अपराध मुक्त है तो जो इस प्रदेश की मुखिया हैं वह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश का मजाक क्यों बनवा रही हैं यह कहकर के कि हमको सुरक्षा चाहिए ? जिस प्रदेश की मुखिया सुरक्षित न हो उस प्रदेश में अगर लोग समझते हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आश्चर्य नहीं होता है। बात की जा रही है कि

महिलाएं सुरक्षित हैं, हम लम्बी बात नहीं करेंगे लेकिन यहां से एक बात कही गयी थी कि इलाहाबाद में एक दुर्घटना हुई मदरसे में तो क्या हुआ ? हम आपको बताना चाहते हैं कि उस समय मा0 अहमद हसन जी मोजूद थे, सब लोग वहां पर गये थे, उनको इंसाफ देने की कोशिश की गयी थी लेकिन क्या धन्नीडीह में ऐसी कोशिश हुई, नहीं हुई ? हम बस अपनी बात को खत्म कर देंगे लेकिन यह कहेंगे कि हर रोज यहां पर एक बलात्कार की घटना होती है। 20 जनवरी को सुबह गोमती नगर में एक चौदह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार होता है, इन्नोवा कार में होता है और करने वाला बीएसपी का आदमी है, उसके बेटे ने यह काम किया, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बात यहीं नहीं खत्म होती है। 16 फरवरी की घटना है कानपुर में एक बारह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सीआरपीएफ के जवान बलात्कार करते हैं, आठ लोग बलात्कार करते हैं, किसी को कानून का डर नहीं रह गया है....

वहीं बात नहीं खत्म होती है, 18 फरवरी को मात्र एक दिन के बाद फिर बलात्कार की घटना होती है। इन्दिरा नगर से ले जाते हैं पिपरसण्ड में उसके साथ बलात्कार होता है, बालात्कारी के पास एक बार फिर उसके हाथों में नीला झण्डा है, बी0डी0सी0 का सदस्य था। मान्यवर, ट्रामा सेण्टर की बात, इसी फरवरी के आखिरी में 11 वर्षीय बालिका जो सीतापुर की है, उसके साथ बलात्कार होता है, कैसे कह सकते हैं आप कि प्रदेश के अन्दर महिलायें सुरक्षित हैं। मैंने आपसे कहा यदि सुरक्षा का एहसास होता तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी भी राष्ट्र के सामने, पूरे विश्व के सामने यह नहीं कहा होता कि मेरी जान को खतरा है। यदि उनकी जान को खतरा है तो एक आम आदमी की जिन्दगी किस तरह गुजर रही होगी, इसका आप अहसास कीजिए। हमारे भाई यहां बैठे थे इमरान मसूद जी, उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, मैं अपनी बात नहीं कहूंगी, आजम साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 55 मुकदमे थे। उनके साथ में उनका बेटा था, 11वीं में पढ़ने वाला बेटा उसके ऊपर सेवन क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट लगता है तब मैं आपसे कहती हूं कि आज आपने 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर, नाबालिग बच्चे के ऊपर अगर सेवन क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट लगाया है तो कल आपकी सरकार अगर किसी 11 महीने के बच्चे के ऊपर सेवन क्रिमिनल लॉ ऐक्ट लगा देती है तो सरकार के लिए डूब मरने से ज्यादा कोई बेहतर बात नहीं होगी। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमें दर्ज हुए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि रोज 109, 110 सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में झूठे मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। रोज हत्याओं के झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाये जा रहे हैं लेकिन कोई भी समाजवादी कभी पीछे नहीं हटा, न डरा इसलिए कि हमारा यकीन इसमें है-

"न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोयं। पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।"

अर्थात् यह आत्मा अजन्मी, सनातन है, यह हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी, न ये कभी मरी है, न कभी मिटेगी। हम इस भावना को ले कर के चलते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात को जरूर कहूंगी, मान्यवर, कि जीने का हक सबका होता है, हर आदमी को इस दुनिया में जीने का हक है। क्या जो लोग विपक्ष में हैं उनसे जीने का हक छीन लिया जायेगा। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गुण्डा अपराधी कह रहे हैं लेकिन आज जनता इनसे सवाल कर रही है कि-"तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां क्यों लुटा" मान्यवर, आज जनता सड़कों पर सवाल कर रही है। कितना अपराध बढ़ रहा है, इनसे सवाल कर रही है-

"कि तू इधर उधर की न बात कर,
यह बता कि कारवां क्यों लूटा,
मुझे रहजनों से गिलां नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है।"

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य श्री भगवानदास जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री भगवानदास जी का जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, जारी रखा जा रहा है। पाण्डेय जी, कल तक चर्चा इस पर चलेगी, चार-छः सदस्य हैं, पूरन प्रकाश जी, सीमा जी अभी दिये हैं उनका भी था, पटेल जी अभी अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो आठ-दस लोग हैं काफी समय लगेगा, इसलिए इस पर चर्चा जारी रहेगी, आप लोग कल बोलेंगे। शिरोमणि जी, आप लोग कल बोल लेना। अब आप लोग जाइये, कल आइये बैठिये आराम से। राजेन्द्र सिंह जी, मदन चौहान जी, गुप्ता जी, हाशमी साहब आप भी बैठें। सोलंकी साहब उधर से अनिल चौधरी जी का नाम आया था मैंने बोलवाया था, कल चर्चा जारी है, जिन माननीय सदस्यों का रह गया है उनको कल बोलवाया जायेगा। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले कार्य-मंत्रणा वाली सूचना ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले वही लिये ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 मार्च, 2008 की बैठक में विधान सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 12 मार्च, 2008 को सदन का उपवेशन न हो।

2-दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

मार्च, 2008

11 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

3-(1) श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।"

(2) चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।"

(3) श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद,

अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदास नगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।''

(4) चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय।''

(5) श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय।''

(6) चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।''

(7) डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री शम्भू चौधरी एवं श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय।''

(8) डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों

को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।"

(9) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।"

(10) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाय।"

(11) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा के विकास के लिये प्रदेश में लागू जवाहर लाल नेहरू रेन्यूअल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य आगरा में भी अविलम्ब आरम्भ कराये जायं।"

(12) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा में चमड़े के उद्योग को बढ़ावा देने और गरीब कारीगरों के जीविकोपार्जन का समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु रु0 300.00 अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) तक के जूतों को मूल्य संवर्धित कर (वैट) से मुक्त किया जाय।"

(13) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 †

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-18-क लेता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मानयवर, एक प्रस्ताव और करना है, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 मार्च, 2008 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त संस्थान में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को,

---

† दिनांक 20-3-2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 मार्च, 2008 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त संस्थान में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त संस्थान में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे'' ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

यह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री लालजी वर्मा-

मानयवर, एक माननीय सदस्यों ने सुबह कुछ उठाया था। जिस पर आपने कहा था वक्तव्य देने का।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, कल सुबह दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कल सुबह दे दीजिएगा। कल सुबह के लिये उसको कह दिया गया।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 10 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :--

पहली सूचना श्रीमती कृष्णा राज की वर्ष 2004 की पी0 सी0 एस0 परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद फतेहपुर में बिना मेरी संस्तुति के विधायक निधि से पैंतीस लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा

तीसरी सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत के ग्राम जागरा स्थित स्व0 श्री मनोज कश्यप के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की भांति अन्य वर्गों के निर्धन छात्रों को भी दशमोत्तर कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी जल निगम के पष्टम् शाखा के जे0 ई0 के घर से सात ट्रक हैण्डपम्प से सम्बन्धित सामान के बरामद होने के सम्बन्ध में तथा

छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में नवम्बर, 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

सातवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद हाथरस के सादाबाद में डा0 यतेन्द्र शर्मा के विरुद्ध पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा ताज महोत्सव में होने वाले धन के खर्च के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

नवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की वर्ष 1994-95 में प्रदेश में नियुक्त ट्रेन्ड अध्यापकों को पदोन्नति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा

दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य की योजनाओं की जानकारी सीडी, रेडियो, टीवी के अलावा सूचना विभाग के माध्यम से दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :

1-श्री सर्वेश कुमार सिंह	2-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी	3-श्री लल्लू सिंह
4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	5-श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा	6-डा0 राजकुमार सिंह
7-श्री उदयभान करवरिया	8-श्री मदन भैया	9-श्री महबूब अली
10-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	11-श्री जोखूलाल यादव	12-श्री शाहिद मंजूर
13-श्री दीपक कुमार	14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	15-श्री धनन्जय सिंह
16-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	17-महंत कौशलेन्द्रनाथ योगी	18-श्री राधेश्याम गुप्ता
19-श्री अशोक कंसल	20-श्री अनूप कुमार गुप्ता	21-श्री इमरान मसूद

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना 23-डा0 पी0 के0 राय 24-डा0 राजेन्द्र सिंह
25-श्री लालजी यादव 26-श्री राजेन्द्र सिंह 27-श्री प्रदीप जैन आदित्य
28-श्री बाला प्रसाद अवस्थी 29-श्री सोबरन सिंह यादव 30-श्री कृष्ण गोपाल पटेल
31-श्री महेश चन्द्र गुप्ता 32-श्री आर0पी0एन0 सिंह 33-श्री मदन चौहान तथा
34-श्री दशरथ प्रसाद चौहान

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला, गोहाण्ड एवं राठ में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में चौ0 धूराम लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27-02-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत...

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र-राठ, जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला के ग्राम चौखर, बरखेरा, बसरिया एवं जलालपुर, विकास खण्ड गोहाण्डा के ग्राम-मवई, बगरा, चिकारसा, रिहुंटा, जराखर और विकास खण्ड राठ के ग्राम कुर्रा, धमना, लिधोरा आदि ग्रामों में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षो में कराये गये कार्यो में व्यापक अनियमितताएं की गयी हैं। फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज किये गये या जिनके नाम दर्ज किये गये उन्हें काम न देकर किसी अन्य को कार्य दिया गया है। कुछ के जांच कार्डों में अंकित कर दिया गया पर न मजदूरी मिली न काम। उक्त ग्रामों के जांब रजिस्ट्रर जॉब कार्ड व मस्टर रोल तथा दी गयी मजदूरी का आपस में मिलान करने पर इसमें की गयी अनियमितताएं स्वतः स्पष्ट हो जायेंगी। यह क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा है, यहां की हजारों गरीब जनता उचित काम एवं मजदूरी न मिलने से भुखमरी की स्थिति में है और काफी पीड़ित एवं दुखी हैं। जनता में सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त ग्रामों के वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के जांब रजिस्टर, जॉब कार्ड व मस्टर रोल एवं दी गयी मजदूरी की वास्तविकता की जांच कराने तथा दोषीजनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना की प्रति नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 25-02-2008 को भी दी गयी थी। प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु जिलाधिकारी, हमीरपुर को शासन के पत्र संख्या-476/38708-नियम/08, दिनांक 26-02-2008 द्वारा निर्देशित किया गया था। जिलाधिकारी, हमीरपुर के पत्र संख्या-2740/एमआरईजीए-2007-08, दिनांक 05-03-2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में जांच करायी जा रही है। प्रश्नगत 12 ग्रामों में वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड, जॉबर रजिस्टर, मस्टर रोल एवं दी गयी मजदूरी की वास्तविकता की जांच अभिलेख के आधार पर गांव में जाकर की जानी है, जिसके कारण जांच में एक माह से अधिक समय लगने की संभावना है। अतः प्रकारण की जांच समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने एवं जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, हमीरपुर को पुनः निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी, हमीरपुर से जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में अन्तर्गस्त दोषीजनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, पट्टी में पेयजल हेतु नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत नागरिकों के लिये पेयजल योजना पिछले 3 वर्षों से निर्माणाधीन है। विभाग द्वारा यह बताया जाता है कि जल निगम निर्माण शाखा प्रतापगढ़ को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है जिसमें से काफी धनराशि निर्माण शाखा प्रतापगढ़ द्वारा अन्य मद में खर्च कर दिये जाने के कारण आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और न ही उससे नागरिकों को पेयजल ही उपलब्ध हो रहा है जिससे नगर पट्टी के हजारों नागरिकों का हित प्रभावित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि त्वरित नागर पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत, पट्टी हेतु अनुमानित लागत रु0 77.86 लाख की पेयजल योजना वर्ष 2003-04 में स्वीकृत हुई थी। योजना पर स्वीकृत लागत के अनुरूप पूर्ण धनराशि रु0 77.86 लाख मार्च, 2007 तक प्राप्त हुई हैं। योजना पर कार्य प्रारम्भ की तिथि 04-2003 है। इस योजना में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कृत कार्यो एवं इन पर व्यय हुई धनराशि एवं मदवार शेष कार्यो का विवरण निम्नवत् है:--

सिविल कार्य

धनराशि लाख रु0 में

क्र0सं0	कार्य का नाम	30-1-08 तक पूर्ण किये गये कार्य	स्वीकृत लागत धनराशि	व्यय धनराशि	शेष धनराशि
1	पम्प हाउस-1 नग	1 नग	1.20	1.20	0.00
2	शीर्ष जलाशय-4.50 किलो0	1 नग	22.57	21.00	1.57
3	वितरण प्रणाली-10.523 कि0मी0	7.00 कि0मी0	22.77	18.00	4.77
4	राइजिंग मेन-0.70 मी0	0.70 मी0	0.97	0.95	0.02
5	स्टाफ क्वार्टर-01 नग	शून्य	3.51	0.00	3.51
6	मिसलेनियस-01 जॉब	शून्य	2.88	2.10	0.78
				योग	10.65

धनराशि लाख रु0 में

क्र0	विद्युत/यांत्रिक कार्य	स्वीकतृ लागत धनराशि	व्यय धनराशि	शेष धनराशि
1	नलकूप-1 नग (पूर्ण)	12.41	12.411	0.00
2	पम्पिक प्लांट-1 नग (पूर्ण)	2.48	2.48	0.00
3	पॉवर कनेक्शन-1 नग (पूर्ण)	3.06	3.06	0.00
4	क्लोरिनिटिंग प्लांट-1 नग (पूर्ण)	0.25	0.25	0.00
5	मिसेनियस-1 नग	0.28	0.00	0.00
	योग-	18.20	18.20	0.00
	कन्टीजेन्सी	3.60	2.16	1.00
	वर्कचार्ज	2.16	1.16	1.00

उपरोक्तानुसार शेष सभी कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बलरामपुर में गालिबपुर से चमरुपुर मार्ग का पिच निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सागर अकेला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राम सागर अकेला, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03-03-2008 को नियम-51 के अन्तर्गत...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[प्रमुख सचिव, विधान सभा उ0प्र0 को सूचना दी गयी है जिसमें यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद बलरामपुर में गालिबपुर से इटई मैदा होते हुए चमरूपुर मार्ग के पक्का निर्माण क्षेत्रीय जनता के प्रयास के बाद भी न होने के कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा सड़क का पक्का निर्माण न होने से आवागमन में आम जनता को असुविधा व परेशानी उठाना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग जनपद बलरामपुर के पीलीभीत-बस्ती राज्यमार्ग संख्या-26 के कि0मी0 343 के दाये तरफ गालिबपुर चौराहे से इटई मैदा होते हुये चमरूपुर को जाती है, जोकि प्रमुख जिला मार्ग (गोण्डा उतरौला मार्ग) के कि0मी0 43 से जुड़ती है। प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई लगभग 9.50 कि0मी0 है। उक्त मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद उन्नाव के सफीपुर में सरकारी गोदाम में खाद्य सामग्री की कथित कालाबाजारी के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सरकारी खाद्य सामग्री गोदाम से कोटेदारों के पास न पहुंचकर अन्यत्र उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। दिनांक सितम्बर, 2007 को सरकारी गोदाम से चावल व गेहूं के बोरे निकले तो, परन्तु वे कोटेदारों के पास न पहुंचकर श्याम राइस मिल सफीपुर पहुंच गये। एस0डी0एम0 सफीपुर द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी लीपा-पोती की जा रही है। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से आख्या प्राप्त की गयी, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उपजिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक तथा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सफीपुर द्वारा श्याम कुमार, विनय कुमार चावल मिल जो गल्ला के थोक एवं फुटकर आढ़ती हैं, के मिल परिसर का निरीक्षण दिनांक 01-10-07 को किया गया। निरीक्षण की खबर पाकर मिल मालिक एवं चौकीदार भाग गये। मिल के 2 कमरों के बन्द तालों को खुलवाकर श्री दिनेश कुमार एवं श्री अमित कुमार आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं, चावल, चीनी के बोरे पाये गये। गोदाम प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उन्नाव द्वारा यह पुष्टि की गई कि उक्त सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की है। तत्पश्चात् मिल परिसर के बरामदों एवं खुले कमरों की बोरों की गणना करायी गयी जिसमें गेहूं 106 बोरी (एस0बी0टी0) चावल 430 बोरी एस0बी0टी0 एवं 32 बोरा चीनी पायी गयी। फर्म के मालिक श्री विनोद कुमार, निवासी सफीपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या-710/07, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी तथा 02 कमरे जिसमें गेहूं चावल रखे होने की सम्भावना थी, उन्हें सील कर दिया गया। बरामद खाद्यान्न श्री विनोद कुमार मिश्रा, निवासी-रसूलाबाद रोड, सफीपुर को सुपुर्द कर दिया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, को सील किये गये 02 कमरों की सील पुलिस की उपस्थिति में तोड़कर निरीक्षण किया गया। जिनमें 512 बोरी चावल (एस0बी0टी0) तथा 02 कुन्तल गेहूं बरामद हुआ जिसे श्री हरिशरण लाल पुत्र स्व0 श्री मन्ना लाल निवासी मोहल्ला सराय सूबेदार कस्बा सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। बरामद शुदा माल के निस्तारण का प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है तथा सम्पूर्ण प्रकरण अभी पुलिस की विवेचना में है।]

श्री सुधीर कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो जवाब आया है इसमें उल्लेख किया गया है कि बरामदों एवं खुले कमरों की बोरी की गणना कराई गई जिसमें गेहूं 106 बोरी एस0बी0टी0 का पाया गया मगर नकल तहरीर और एफ0आई0आर0 में 1006 बोरी दर्शाया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह 900 बोरी का क्या हुआ। यह नकल तहरीर मैं आपके पास भेज रहा हूं, एफ0आई0आर0 की नकल भी आपके पास भेज रहा हूं। इसके अलावा वक्तव्य में यह दिया हुआ है कि निस्तारण का प्रकरण न्यायालय जिला

कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है तथा सम्पूर्ण प्रकरण अभी पुलिस की विवेचना में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से भ्रामक उत्तर दिया गया है, जबकि इसमें 20 दिसंम्बर, 2007 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है और उत्तर में यह बताया जा रहा है कि सम्पूर्ण प्रकरण अभी पुलिस की विवेचना में है। इसके लिये माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके पास फाइनल रिपोर्ट की प्रति और नकल तहरीर की प्रति आपके पास भेज रहा हूं। इस पर आप कृपया गौर करें और यह जो सरकारी गोदामों में कालाबाजारी हो रही है। मेरे सफीपुर, विधान सभा, जनपद उन्नाव, सफीपुर ब्लाक, हसनगंज ब्लाक, मियागंज ब्लाक, औरास ब्लाक में यही स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह 900 बोरी का क्या हुआ और उसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब 20-12-2007 को एफ0आई0आर0 लग गयी है और इस जवाब में यह बताया जा रहा है कि अभी पुलिस की विवेचना चालू है। यह भ्रामक उत्तर जो दिया गया है, इसकी वस्तुस्थिति को मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 512 बोरी चावल तथा 02 कुन्तल गेहूं बरामद हुआ, जिसे श्री हरिशरण लाल पुत्र स्व0 श्री मन्ना लाल निवासी मोहल्ला सरायं सूबेदार कस्बा सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। बरामदशुदा माल के निस्तारण का प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है तथा सम्पूर्ण प्रकरण अभी पुलिस की विवेचना में है। तो अभी पुलिस विवेचना कर रही है।

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, मेरे पास एफ0आई0आर0 की कापी है और नकल तहरीर की कापी भी है। जिसे मैं आपके पास भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, अगर आपको कहीं पर इस सूचना में किसी तरह की कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है या आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप निदेश संख्या-167 में हमको लिखकर दे दीजिए।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सम्मोपुर के डा0 तारिक को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 05-03-2008.....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[जो पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर आधारित है, से यह विदित होता है कि डा0 हकीम मोहम्मद तारिक बाबू असगर अली पुत्र मो0 अलीम ग्राम सम्मोपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन-पत्र दिनांक 18-12-07 को दिया गया जो दिनांक 19-12-07 को प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक द्वारा धारा 5(2) के अन्तर्गत सूचना नियमानुसार प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया कि क्या पुलिस को मो0 तारिक के बारे में कोई सूचना है, क्या उनका अपहरण किया गया है अथवा पुलिस के किसी विभाग द्वारा किसी जुर्म के सिलसिले में उठाया गया है ? इस सम्बन्ध में डा0 अजहर अली को पुलिस अधीक्षक के पत्र सं0-219/2008, दिनांक 22-01-08 द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गयी जिसे मो0 रियाज अहमद ने दिनांक 6-02-08 को प्राप्त किया :--

"श्री अजहर अली ने दिनांक 14-02-07 को हकीम मो0 तारिक के गुम होने की एक सूचना थाना रानी की सराय को दी, जिसे थाना रानी की सराय के रोजनामचा आम में रपट सं0-20 पर दिनांक 14-12-07 को दर्ज किया गया तथा उसकी निरन्तर सुरागरसी तथा पतारसी थाना रानी की सराय द्वारा की गयी तो पता नहीं चला। दिनांक 18-12-07 को हकीम मो0 तारिक कासिमी पुत्र रियाज अहमद के घर पुलिस क्षेत्राधिकारी, लखनऊ श्री जनक प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की टीम तलाशी हेतु आयी थी जो तलाशी के उपरान्त कुछ किताबे आदि लेकर उसी दिन चली गयी थी। उस दिन हकीम मो0 तारिक घर पर नहीं मिला था न ही उस दिन तारिक को वहां से गिरफ्तार किया गया था। बाद में श्री अमिताभ यथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 लखनऊ के फैक्श संदेश दिनांक 22-12-07 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22-12-07 को दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें मो0 हकीम तारिक कासिमी पुत्र रेयाज अहमद निवासी सम्मोपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व खालिद मुजाहिद निवासी सहतवाना थाना मड़ियाहूं जनपद जौनपुर के हैं।"

पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 के पत्र दिनांक 03-03-2008 से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 23-11-07 को उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ, जनपद फैजाबाद एवं जनपद वाराणसी में न्यायालय परिसर में आतंकवादियों द्वारा श्रृंखलाबद्ध धमाके किये गये थे। जनपद लखनऊ न्यायालय परिसर में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0-547/2007 धारा 115/120/120बी/121/122/124ए/307 भादवि 16/18/23/20 विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम तथा 3/4/5/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा की जा रही थी। विस्फोटक की इन घटनाओं के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनावरण हेतु स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा भी अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। केन्द्रीय जांच एजेन्सियों एवं अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि इन धमाकों में भारत के सीमावर्ती राष्ट्रों से संचालित आतंकवादी संगठन हरकत उल जेहाद अल इस्लामी जो विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निरोधक अधिनियम के अनुसार प्रतिबन्धित संगठन है, भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। दिनांक 22-12-07 को उपरोक्त अभियोग के विवेचक श्री सिन्हा उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचना संकलन पर लगभग 2.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास प्रातः करीब 6.00 बजे आने वाले हैं, जिनके सम्बन्ध आतंकवादी संगठन से हैं। इनके पास घातक हथियार होने की भी सूचना है। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक एवं एस0टी0एफ0 की संयुक्त टीम तत्काल रेलवे स्टेशन बाराबंकी पहुंची। लगभग 6.15 बजे दो व्यक्ति रिक्शे से आकर रेलवे स्टेशन के बाहर उतरे। मुखबिर द्वारा उन्हें देख कर बताया गया कि यही वह व्यक्ति हैं। जनपद लखनऊ एवं एस0टी0एफ0 की संयुक्त टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम खालिद मुजाहिद पुत्र स्व0 जमीर मुजाहिद, निवासी म0नं0-37, महतवाना, मोहल्ला मड़ियाहू, थाना मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर व मोहम्मद तारिक काजमी पुत्र रियाज अहमद, निवासी ग्राम सम्मो, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ बताया। खालिद मुजाहिद के पास से 09 अदद अमोनियम नाइट्रेट रॉड सुपर पॉवर 90.3 अदद डेटीनेटर, एक मोबाइल फोन तथा दो सिमकार्ड एवं मोहम्मद तारिक के पास से 3 अदद डेटोनेटर, हाई एक्स्लोसिव 1.250 कि0ग्रा0 व दो मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार व्यक्तियों ने जनपद लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी में न्यायालय परिसरों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में शामिल होना बताया तथा हूजी से सम्बन्धित अपने अन्य साथियों के नाम भी बताये। इनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 511/07 धारा 121/121ए/122/124ए/332 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 16/18/20/23 अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेन्शन) एक्ट के अन्तर्गत वादी श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराया गया है।

दिनांक 12-12-07 को जनपद आजमगढ़ थाना रानी की सराय में एस0टी0एफ0 द्वारा कोई दबिश नहीं दी गयी है, न ही डा0 हकीम तारिक को एस0टी0एफ0 वाले उस दिन पकड़ कर ले गये थे।

संकलित अभिसूचना के आधार पर दिनांक 18-12-07 को जनपद लखनऊ के विवेचक श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक के साथ श्री जनक प्रसाद द्विवेदी, पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) लखनऊ द्वारा हकीम तारिक के घर पर दबिश दी गयी थी तथा उसके यहां से 4 अदद हूजी से सम्बन्धित आपत्तिजनक साहित्य एवं दो मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जिसका उल्लेख थाना चौक जनपद लखनऊ की सामान्य दैनिकी में एवं अभियोग दैनिकी में किया गया है।

माह दिसम्बर, 2006 में दिल्ली में गिरफ्तार मोहम्मद अनीस धानी उर्फ जिया उर्फ नईम पुत्र मोहम्मद साबिर वानी (एक्स चीफ आफ जे एण्ड के हुजी) निवासी ग्राम बनकूट जनपद डोडा जे0 एण्ड के0 की प्राप्त पूछ-ताछ आख्या में उपरोक्त गिरफ्तार खालिद मुजाहिद एवं मोहम्मद तारिक

कासिमी के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही दूरभाषों के विश्लेषण से भी उपरोक्त दोनों के जम्मू कश्मीर स्थित आतंकवादी तत्वों से इनके संबंध होने की पुष्टि हुई है।]

जनपद बलरामपुर में ग्राम मनुवागढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बलरामपुर में मनुवागढ़ मुबारकपुर मार्ग के.....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[क्षतिग्रस्त सड़क के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद-बलरामपुर में मनुवागढ़ मुबारकपुर मार्ग जो लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर के कार्य क्षेत्र में आती है। ग्राम मनुवागढ़ के बीचो-बीच में सडकें धस जाने के कारण जल भराव हो गया है जिससे आवागमन बाधित है। इस मार्ग का बनना एवं इसके किनारे नाली बनना अति आवश्यक है जिससे क्षेत्रीय जनता को हो रही दुश्वारियों एवं कष्ट का निवारण हो सके।

उक्त मार्ग की स्थिति प्राप्त सूचनानुसार निम्नवत् है :--

जनपद-बलरामपुर में मनुवागढ़ मुबारकपुर मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसके कि0मी0-2 में ग्राम मनुवागढ़ स्थित है। आबादी भाग होने के कारण पानी हमेशा भरा रहता है। इस मार्ग पर 350 मी0 लम्बाई को ऊंचा करके सी0सी0 रोड तथा मार्ग के दोनों किनारे नाली निर्माण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद आजमगढ़ स्थित अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग तक के चौड़ीकरण में की गयी कथित अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सर्वेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य.....

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 04-03-2008 को यह सूचना दी गयी है कि जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर-बोझी अमिला मार्ग से नरहन लाटघाट मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। सफेद गिट्टी जो मानक के अनुसार अच्छी होती है न डालकर खराब मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं पटरीकरण, ब्रौड़ीकरण में नाम मात्र की गिट्टी डाली जा रही है। स्थानीय अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से यह कार्य हो रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा उक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त की गयी। वस्तुस्थिति यह है कि जनपद आजमगढ़ में बारहवें वित्त आयोग, योजना के अन्तर्गत दोहरीघाट मार्ग से नरहन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2006 द्वारा कुल लम्बाई 10.450 कि0मी0 के लिए रु0 377.86 लाख की लागत पर प्रदान की गयी है। वर्तमान में मार्ग के कि0मी0 6 से 10.450 कि0मी0 में चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। चौड़ीकरण के कार्य में स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुरूप अनुमोदित क्वैरी से विभिन्न साइज के स्टोन बैलास्ट यथा 45-90 एम0एम0 गेज से सोलिंग कोट तथा 45-63 एम0एम0 गेज से इण्टर कोट की कटाई करायी जा रही है। ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे पत्थर की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है तथा स्टोन बैलास्ट अनुमोदित क्वैरी से ही लाया गया है। कार्य के प्रभारी अभियन्ताओं एवं ठेकेदार में कोई मिलीभगत नहीं पायी गयी है। कार्य मानकों के अनुरूप ही सम्पादित कराया जा रहा है।]

जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज शाखा नहर के कार्य हेतु नियम विरुद्ध दिये गये टेण्डर की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सिंचाई विभाग में धन उगाही.....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[के लिए कुछ राजनेताओं और अधिकारियों के षडयंत्र के कार्य किये जा रहे हैं। कहीं अनावश्यक रूप से पत्थर खरीदे जा रहे हैं तो कहीं पर बोल्डर खरीद कर डम्प किये जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कहना है कि रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज शाखा नहर कि कि0मी0 9.200 जनपद बहराइच में कार्य हेतु गुपचुप तरीके से टेण्डर किया गया था। करीब 20 वर्ष पहले बनी नहर सुचारू रूप से काम कर रही है, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों व सरकार के राजनीतिज्ञ कुछ लोगों ने कुचक्र चलाकर घपला करने की योजना बना रखी है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई व मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-प्रथम, फैजाबाद को लिखित रूप से पत्र भेजा। इस योजना को पूर्व में तीन अभियन्ताओं की कमेटी ने अनावश्यक बताकर निरस्त कर दिया था, परन्तु उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने सदन में वक्तव्य देने की मांग की थी, जिस पर मा0 सिंचाई मंत्री ने वक्तव्य दिया और स्पष्ट रूप से कार्यवाही करने की बात कही, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, और सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है। इस प्रकरण को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और दोषी जिम्मेदार अभियन्ताओं को दण्डित करने की मांग की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त आख्यानुसार स्थिति निम्नवत् है :--

राजनेताओं और अधिकारियों के षडयंत्र से अनावश्यक रूप से पत्थर खरीदे जाने एवं बोल्डर खरीदकर डम्प किये जाने के उल्लेख में किसी घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः मा0 सदस्य की शिकायत स्वयं में स्थापित नहीं होती है।

जनपद बहराइच के रसूलपुर ग्राम के निकट तरबगंज शाखा नहर के कि0मी0 9.200 पर टेढ़ी नदी पर साइफन के निर्माण हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। अतः यह कथन कि गुप-चुप तरीके से टेण्डर किये गये हैं, मान्य नहीं हैं।

टेढ़ी नदी के उपरोक्त स्थल पर साइफन के निर्माण का प्रकरण वर्ष 1992 से विवादित है तथा समय-समय पर साइफन के निर्माण की मांग की जाती रही है। मा0 सदस्य ने मुख्य अभियन्ता (सरयू-1) फैजाबाद को पत्रांक-क-3 010042, दिनांक 26-10-07 द्वारा साइफन के निर्माण के विरोध में पत्र लिखा है तथा तत्पश्चात् मा0 सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 31-10-07 की सूचना के सन्दर्भ में शासन ने तथ्यों की जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित करते हुए शासन के अग्रिम आदेशों तक निविदाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिये।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ने तीन मुख्य अभियन्ताओं की समिति गठित कर स्थल पर साइफन की तकनीकी आवश्यकता एवं अन्य बिन्दुओं

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर जांच के आदेश दिये। गठित समिति की आख्या के पश्चात् अनेक नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने पर पुनः गहन तकनीकी परीक्षण किया जाना आवश्यक पाया गया है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित मुख्य अभियन्ता समिति (सिंचाई) जो एक शीर्षस्थ तकनीकी समिति है, द्वारा उपरोक्त स्थल पर साइफन की आवश्यकता का परीक्षण कराया जा रहा है।

वर्तमान में साइफन के निर्माण हेतु प्रश्नगत टेण्डर के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है एवं निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है, अतः शासन के धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं है। अतः दोषी जिम्मेदार अभियन्ताओं को दण्डित करने की स्थिति नहीं है।]

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित करने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-02-2008 को.....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[दी गयी सूचना में जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में आने वाले कतिपय ग्रामों यथा महादेवा, देवीनगर, विकास खण्ड, नवाबगंज और ग्राम पंचायत उदयपुर, अजबनगर, बनहा, बानेपुर, चड़उवां चौखट, बभनी को तहसील मनकापुर में इस आधार पर सम्मिलित करने हेतु मांग की गई है कि उक्त ग्रामों की दूरी तहसील तरबगंज की अपेक्षा मनकापुर से अधिक नजदीक है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, गोण्डा से प्राप्त आख्या दिनांक 04 मार्च, 2008 में यह कहा गया है कि उक्त ग्राम जो वर्तमान में तहसील तरबगंज में आते हैं, तहसील मनकापुर से अधिक सन्निकट हैं, परन्तु इन ग्रामों से मनकापुर जाने का रास्ता जंगल व नदी की बाढ़ के कारण प्राकृतिक रूप से तरबगंज की अपेक्षा सुगम नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण में जिलाधिकारी, गोण्डा से पूर्ण आख्या तथा प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण को राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा तथा उच्च समिति के निर्णय/संस्तुति के आधार पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बांदा के खण्डेय पेयजल योजना एवं सभी पेयजल योजनाओं के ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मद संख्या-29 स्थगित है।

जनपद बलरामपुर में वन विभाग की कीमती लकड़ियों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी.....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य विधान सभा, तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गई है :--

"हमारे जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत निम्न रेंजों से अन्धाधुन्ध बेस कीमती लकड़ियों का कटान जारी है, जिसमें स्थानीय पुलिस वन कर्मी व एस0एस0पी0 के सरकारी कर्मचारियों की सांठ-गांठ है। 1-बरहवा, 2-जनकपुर रेंज, 3-ननमहरा रेंज, 4-बीरपुर रेंज इसके अतिरिक्त लौकी, नयानगर, बघेलखण्ड, त्रिलोकपुर एवं पिपरा यह वन चौकियां हैं तथा ग्राम भुजेहरा व धोबईनिया में जंगली लकड़ियों की स्टाकिंग होती है। उपरोक्त रेंज व चौकियों तथा स्टाकिंग से वन विभाग की कीमती वृक्षों की जिस प्रकार से अवैध कटान किया जा रहा है इससे कुछ ही वर्षों में जंगल के खत्म हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार से जंगल के समाप्त होने पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी और अवैध रूप से जंगलों के कटान से जंगल माफिया राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। सरकार जंगलों की सुरक्षा एवं नये वृक्ष लगवा रही है परन्तु सरकारी विभाग के कर्मी इस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इस प्रकरण की गुप्तचर अथवा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सक्षम उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इसी तरह से समान प्रकरण में मा0 विधायक जी द्वारा विधान सभा में नियम-301 के अन्तर्गत मामला उठाया गया था। इसी क्रम में मा0 विधायक जी द्वारा इंगित क्षेत्रों की, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा मुख्य वन संरक्षक स्तर के दो अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच करायी गयी। इस टीम ने सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर के बरहवां रेंज (ननमहरा) के 136.4 हे0, भाभर रेंज (बीरपुर) के 138 हे0, तुलसीपुर रेंज (जनकपुर) के 126.3 हे0 क्षेत्र की सघन जांच एवं कम्बिंग की गई। इस जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी प्रकार का व्यवसायिक अवैध कटान नहीं है। विभागीय कार्यवाही से आच्छादित वर्ष अप्रैल, 2007 से फरवरी, 2008 के मध्य 111.07 घनमीटर प्रकाष्ठ का अवैध कटान हुआ, जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण प्रकाष्ठ बरामद कर ली गई है तथा प्रतिकर के रूप में रु0 18.07 लाख वसूला गया। लौकी, नयानगर, बघेलखण्ड, त्रिलोकपुर एवं पिपरा में वन चौकी अवस्थित है। इन वन चौकियों पर विभागीय नियम के अनुसार जंगल में गिरी पड़ी प्रकाष्ठ व विभागीय प्रकाष्ठ तथा वन अपराध से सम्बन्धित प्रकाष्ठ की स्टाकिंग की जाती है। विभागीय प्रकाष्ठ/स्टाक का निस्तारण वन निगम के माध्यम से किया जाता है। वन अपराध से सम्बन्धित प्रकाष्ठ/स्टाक का निस्तारण मा0 न्यायालय की अनुमति/निर्णय के अनुसार किया जाता है। जहां तक भुजेहरा तथा धोबईनिया में जंगली प्रकाष्ठ के स्टाकिंग का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जांच के पश्चात इन ग्रामों में कहीं भी किसी जंगली प्रकाष्ठ की स्टाकिंग नहीं पायी गयी।]

प्रदेश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के 1 अक्टूबर, 1989 से 28 जनवरी, 2004 के मध्य अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

[उ0 प्र0 के अशासकीय सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को 8-9-1989 की राजाज्ञा के द्वारा दिनांक 1-1-1989 से वेतन वितरण

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है साथ ही इनकी सेवायें भी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की भांति अनुमोदित की गयी हैं और उन्हीं की भांति वेतन आदि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया जा रहा है 28-1-2004 से इन अध्यापकों को पेंशन की सुविधा भी शासन द्वारा अनुमन्य कर दी गयी किन्तु इसके पूर्व के शिक्षकों को पेंशन की सुविधा नहीं दी गयी है। जो संविधान के प्रतिकूल है, जबकि 1-10-89 से इन शिक्षकों का बीमा और फण्ड की धनराशि जमा होती रही है। उपरोक्त अध्यापकों को न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्य करते हुए पेंशन नहीं दी जा रही है। जिन शिक्षकों को पेंशन नहीं दी जा रही है, इनकी संख्या मात्र 35-40 है। इन शिक्षकों की कठिनाईयों को देखते हुए एवं उनकी आर्थिक तंगी को भी ध्यान में रखते हुए मा0 सदस्य द्वारा 1-10-1989 से 28-1-2004 के बीच अवकाश प्राप्त शिक्षकों को पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोल्लिखित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालिका) से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग, जिन्हें वर्ष 1971 से वेतन वितरण अधिनियम-1971 के अन्तर्गत अनुदानित किया गया उन विद्यालयों को तत्समय लाभत्रयी योजना-1965 के प्राविधानों के अनुसार पेंशन की सुविधा प्रदान की गयी थी। वर्ष 1971 के बाद वर्ष 1985 एवं शासनादेश दिनांक 6-9-1989 के द्वारा प्रदेश के 393 बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी विभाग (बालक/बालिका) के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान हेतु आच्छादित किया गया और इन विद्यालयों को 1-10-1989 से वेतन वितरण अधिनियम-1971 के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्रारम्भ किया गया, के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन सुविधा अनुमन्य नहीं की गयी, क्योंकि लाभत्रयी योजना 1965 दिनांक 1-3-78 के बाद समाप्त हो गयी।

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी प्रभाग (बालक/बालिका) के शिक्षकों/शिक्षकाओं को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भांति सेवानिवृत्तिक लाभ (पेंशन आदि की सुविधा) दिये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 13-12-2000 को घोषणा की गयी थी। जिसके क्रम में शासनादेश सं0 148/79-6-04-28(18)/2000 दिनांक 28-1-2004 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन इत्यादि का लाभ आदेश निर्गमन की तिथि से अथवा उसके निर्गमन के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को ही अनुमन्य हैं उसके पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षकाओं को उक्त सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश न्याय/वित्त विभाग के परामर्श के क्रम में मा0 मंत्रि-परिषद् के उच्चानुमोदनोपरान्त निर्गत किया गया है। इस प्रकार उक्त सुविधा का लाभ शासनादेश निर्गमन की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षकाओं को दिया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद गोण्डा स्थित दतौली शुगर मिल एवं बभनान शुगर मिल द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मान्यवर, देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में दतौली शुगर मिल (मनकापुर), बजाज शुगर मिल कुन्दरखी एवं बभनान....

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

उद्योग मनकापुर चीनी मिल्स लि0 दतौली, मनकापुर द्वारा 10,000 टन प्रतिदिन केनक्रसिंग क्षमता का शुगर यूनिट स्थापित किया गया है। जिसके प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में बारस्कीन, आयल एवं ग्रीस ट्रैप, इक्वलाइजेशन टैंक, न्यूट्रालाईजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर, ऐरिऐशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद द्वारा दिनांक 14-1-08 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत पाया गया एवं नमूने में बायोलोजिकल आक्सीजन डिमान्ड (बीओडी) की मात्रा 17.0 मि0ग्रा0/ली0, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड (बीओडी) की मात्रा 84.0 मि0ग्रा0/ली0, सस्पेन्डेड सालिड (एसएस) 28 मि0ग्रा0/ली पाई गयी जो कि बोर्ड मानकों (बायोलोजिकल आक्सीजन डिमान्ड-30 मि0ग्रा0/ली0, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड-250 मि0ग्रा0/ली0, सस्पेन्डेड सालिड-30 मि0ग्रा0/ली0,) के अन्तर्गत है एवं उद्योग का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21-2-08 को किया गया एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्देशित किया गया।

मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 ग्राम-कुन्दरकी, गोण्डा जो कि वर्ष 2007-08 में 15,000 टन प्रतिदिन केनक्रसिंग क्षमता की नई इकाई स्थापित की गई है। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रूप में, बार स्कीन, आयल एवं ग्रीस ट्रैप, इक्वालाइजेशन टैंक, न्यूट्रालाईजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर, ऐरिऐशन टैंक, डिफयूज्ड ऐरिऐशन, दो कम्प्रेशन के साथ सेकेन्ड्री क्लेरीफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित किया गया है। उद्योग का नवीनतम निरीक्षण

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-1-08 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में मोलेसेस (शीरा) टैंक का रख-रखाव उचित नहीं पाया गया, जिसके समुचित रख-रखाव हेतु दिनांक 22-2-2008 द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित की गई एवं तत्काल उचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को भी लिखा गया है।

मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल बभनान द्वारा 10,000 टन केनक्रसिंग प्रतिदिन क्षमता का शुगर यूनिट स्थापित है। जिसमें प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है। जिसमें बार स्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वलाइजेशन टैंक, केमिकल डोजिंग, प्राइमरी क्लेरीफायर, ऐरिऐशन टैंक, सेकेन्ड्री क्लेरीफायर एवं स्लज ड्राइंग बेड्स स्थापित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 26-12-07 को उद्योग का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के समय शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया, जिसमें बायोलोजिकल आक्सीजन डिमान्ड (बीओडी) की मात्रा 19.0 मि0ग्रा0/ली0, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड (सीओडी) की मात्रा 96 मि0ग्रा0/ली0 तथा सस्पेन्डेड (एसएस) की मात्रा 24 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई जो कि बोर्ड मानकों (बायोलोजिकल आक्सीजन डिमान्ड 30 मि0ग्रा0/ली0, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड (सीओडी)-250 मिग्रा0/ली0 सस्पेन्डेड सालिड-30 मिग्रा0/ली) के अन्तर्गत है एवं उद्योग का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21-2-08 को किया गया एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्देशित किया गया।

अग्रेतर सूचित करना है कि कृषक एवं जानवरों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग जिला कृषि अधिकारी एवं जिला पशु अधिकारी, बलरामपुर द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।]

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक/प्रवक्ता ग्रेड के शिक्षकों के चयन में अनुसूचित जाति के शिक्षकों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

[अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन बोर्ड द्वारा चयनित जो भी अभ्यर्थी (प्रवक्ता/स्नातक ग्रेड), जिसमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं, किन्हीं कारणों से पैनल भेजे जाने के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं, उनके समायोजन हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली की धारा-13 में व्यवस्था है। समायोजन का अधिकार चयन बोर्ड को है। चयन बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण चयनित अभ्यर्थी (प्रवक्ता/एल0टी0 ग्रेड) जो किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाये थे, उनके समायोजन में वैधानिक कठिनाई थी। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद में रिक्त अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक 29-02-08 का कर दी गयी है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा प्राविधानित व्यवधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद आगरा स्थित जमुना किनारे दयालबाग से शमशान घाट बनाने व जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा जनपद-आगरा ...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा-

[में जमुना किनारे (पोईया घाट) दयालबाग में शमशान घाट बनाने व जर्जर सड़क के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि आगरा जनपद का यह शमशान घाट विगत पांच वर्षो से टूटा पड़ा है और सड़क विगत सात वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त है जिसके कारण आये दिन स्कूटर एवं रिक्शा पलट जाते हैं जिससे लोग चुटैल हो जाते हैं एवं चुटैल होकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है जिससे स्थानीय निवासियों में इस सड़क के कारण बहुत रोष व्याप्त है।

उक्त शमशान घाट एवं मार्ग की स्थिति प्राप्त सूचनानुसार निम्नवत् है :-

आगरा जनपद में जमुना किनारे पोईया घाट दयालबाग में शमशान घाट तक मार्ग राष्ट्रीय मार्ग-2 के कि0मी0-198 (भगवान टाकीज चौराहा) से प्रारम्भ होता है। मार्ग की कुल लम्बाई 4.88 कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 4.30 कि0मी0 लम्बाई में एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण किया गया, जिसकी सतह ठीक है और उसमें कोई पैच नहीं है शेष 500 मीटर के आबादी वाले भाग में पानी भर जाने के कारण सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है जिस पर उपलब्ध संसाधन के अनुसार पैच मरम्मत कर सतह ठीक कर दी जाती है। वर्तमान में मार्ग की सतह सही है।

इस मार्ग के अन्त में जमुना किनारे शमशान घाट स्थित है वह लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।]

जनपद लखीमपुर खीरी स्थित मैगलगंज से मढ़िया आश्रम व पुवायां-मोहम्मदी मार्ग की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

[के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक-पसगवां अन्तर्गत मैगलगंज से मढ़िया आश्रम मार्ग एवं मोहम्मदी विकास खण्ड के पुवायां-मोहम्मदी मार्ग से बिजपरी होते हुए भूडा पिपरी सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में है। मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, गिट्टी पत्थर उखड़े पड़े है जिस पर आवागमन सम्भव नहीं हो पाता है। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मढ़िया आश्रम अत्यन्त श्रद्धा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का केन्द्र है। इस मार्ग से तीन जनपद की जनता का आवागमन होता है। मार्ग के जर्जर होने के कारण तीनों जनपद की जनता को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। पुवायां-मोहम्मदी से बिजपरी-भूडा पिपरी सम्पर्क मार्ग मेरी विधान सभा क्षेत्र का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों मार्गों का पुनर्निर्माण जनहित में आवश्यक है। पुनर्निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

उक्त मार्गों की स्थिति प्राप्त सूचनानुसार निम्नवत् है :-

जनपद-लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के पसगवां विकास खण्ड के अन्तर्गत मैगलगंज से मढ़िया घाट तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 06 कि0मी0 है। इसमें से प्रारम्भिक 4.00 कि0मी0 मार्ग लेपित मार्ग है तथा शेष 2.00 कि0मी0 लम्बाई ईंट खड़ंजा स्तर पर है। यातायात की अधिकता के कारण पूर्व लेपित मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे सुचारु यातायात हेतु सुलभ कराने हेतु मार्ग पर एक कोट 25-50 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट द्वारा सुदृढ़ीकरण कर पी0सी0/सील कोट द्वारा लेपन एवं शेष 2.00 कि0मी0 मार्ग जो खड़ंजा स्तर का है, का नवनिर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखीमपुर जनपद के मोहम्मदी विकास खण्ड के अन्तर्गत मोहम्मदी-पुवायां मार्ग के कि0मी0-3 से दाहिनी ओर बिजपुरी मूडा पिपरी मार्ग निकलता है। मार्ग की लम्बाई 08 कि0मी0 है। इस मार्ग पर विजपुरी, बेलहरा, राजेपुरा, शेखपुरा एवं भूड़ा पिपरी ग्राम स्थित है। यह क्षेत्र गन्ना बाहुल क्षेत्र है तथा इस मार्ग पर गन्ना तौल के दो सेन्टर स्थित है। यह मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्ग है तथा इसकी क्रस्ट मात्र 16.5 से0मी0 है। गन्ने के भारी ट्रैफिक के लिए मार्ग की वर्तमान क्रस्ट पर्याप्त नहीं है जिसके कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग का सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद जालौन (उरई) में नया रामनगर के अजनरी रोड के फाटक के पास रहने वाले जागेश्वर पुत्र श्री कालीचरन की पुत्री कु0 अंगूरी देवी के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, जालौन से प्राप्त आख्यानुसार वादी श्री जागेश्वर प्रसाद पुत्र कालीचरन निवासी.....

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

[रामनगर अजनारी रोड थाना-कोतवाली उरई, जनपद-जालौन की सूचना के आधार पर दिनांक 19-01-2008 को उसकी पुत्री कु0 अंगूरी देवी उम्र करीब 13-14 वर्ष घर से स्कूल जाते समय तमंचा व चाकू लगाकर जबरन मुंह बंद कर कार में बैठाकर अभियुक्तगण राजू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र राधाकृष्ण, निवासी-खडेसर, थाना-बिधनू जनपद कानपुर नगर व आर0पी0 सिंह वर्मा निवासी अजनारी फाटक के पास उरई व दो लड़के नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-93/08 धारा 363/366/506 भा0दं0वि0 दिनांक 19-01-2008 को पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त राजू उर्फ वीरेन्द्र को दिनांक 23-01-2008 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से गहन पूछताछ की गयी, किन्तु लड़की अंगूरी देवी के बारे में कोई बात नहीं बता सका और अभियुक्त जेल रवाना किया गया। अभियुक्त आर0पी0 सिंह वर्मा व अन्य की गिरफ्तारी एवं अपहृता अंगूरी देवी की बरामदगी हेतु दिनांक 23-01-2008, 25-01-2008, 30-01-2008, 06-02-2008 एवं 15-02-2008 की थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा जनपद हमीरपुर, कानपुर नगर एवं उरई के आसपास के क्षेत्रों में दबिशें दी गयी हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लड़की बरामदगी हेतु गंभीरता से निरंतर प्रयास जारी हैं।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, दिनांक 11-03-2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 10 मार्च, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-72 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-72 का संलग्नक

क्र0सं0	जनपद	मा0 विधायक का नाम
1	इलाहाबाद	श्रीमती पूजा पाल
2	इलाहाबाद	श्री प्रवीण पटेल
3	आगरा	श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो
4	आगरा	श्री मधुसूदन शर्मा
5	अलीगढ़	चौ0 महेन्द्र शर्मा
6	एटा	श्री अजय यादव
7	आजमगढ़	श्री अंगद यादव
8	बस्ती	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
9	सिद्धार्थनगर	श्री मो0 ताविस खां
10	बरेली	श्री विजय पाल सिंह
11	बरेली	श्री वीरेन्द्र सिंह
12	बदायूं	श्री सिनोद कुमार शाक्य
13	बदायूं	श्री योगेन्द्र सागर
14	बदायूं	श्री मुस्लिम खां
15	शाहजहांपुर	श्री जयेस प्रसाद
16	हमीरपुर	श्री अशोक सिंह चन्देल
17	बलरामपुर	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू
18	सुल्तानपुर	श्री ओ0 पी0 सिंह
19	सुल्तानपुर	श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा
20	बाराबंकी	श्री अमरेश कुमार शुक्ला
21	अम्बेडकर नगर	श्री त्रिभुवन दत्त
22	देवरिया	श्री सुरेश तिवारी
23	ललितपुर	श्री राम कुमार तिवारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	जनपद	मा0 विधायक का नाम
24	कानपुर नगर	श्री कमलेश दिवाकर
25	कानपुर नगर	श्री संजीव दरियाबादी
26	कानपुर नगर	श्री सलिल विश्नोई
27	इटावा	श्री शिवपाल सिंह यादव
28	औरैया	श्री शेखर तिवारी
29	फतेहगढ़	श्री ताहिर हुसैन
30	फतेहगढ़	श्री कुलदीप गंगवार
31	लखनऊ	श्री इरशाद खां
32	हरदोई	श्री आसिफ खां
33	हरदोई	श्री नरेश अग्रवाल
34	सीतापुर	श्री मो0 जासमीर अंसारी
35	मुरादाबाद	श्री अकीलुर्रहमान
36	मुरादाबाद	श्री गिरीश चन्द्र
37	मुरादाबाद	श्री विजय कुमार यादव
38	मेरठ	श्री याकूब कुरैशी
39	बुलन्दशहर	श्री अनिल शर्मा
40	बुलन्दशहर	श्री गजेन्द्र सिंह
41	बुलन्दशहर	श्री हाजी अलीम
42	गौतमबुद्ध नगर	श्री होराम सिंह
43	गौतमबुद्ध नगर	श्री सत्यवीर सिंह
44	गाजियाबाद	श्री राजपाल त्यागी
45	मिर्जापुर	श्री राम चन्द्र बिन्द
46	सोनभद्र	श्री चन्द्रमणि प्रसाद
47	भदोही	श्रीमती अर्चना सरोज
48	भदोही	श्री विजय मिश्रा
49	सहारनपुर	श्री मनोज कुमार
50	सहारनपुर	श्री अरविन्द कुमार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	जनपद	मा0 विधायक का नाम
51	सहारनपुर	श्री महिपाल सिंह
52	मुजफ्फरनगर	श्री अनिल कुमार
53	मुजफ्फरनगर	श्री दलवीर सिंह
54	जौनपुर	श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी
55	चन्दौली	श्री जितेन्द्र कुमार
56	वाराणसी	श्री अजय राय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-82 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री राजाराम त्यागी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-82 के उत्तर का संलग्नक

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि
1	कुंज विहारी के मकान से पूर्वी मस्जिद तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	2,48,784.00
2	जगन्नाथ के मकान से चन्दापुर रोड तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	5,86,799.00
3	प्रेम जायसवाल के मकान से रामहेत के मकान होते हुए लल्लू के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली का निर्माण।	2,10,510.00
4	भोला के मकान से सुग्गा के मकान तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5,80,151.00
5	शर्माम के मकान से गीता चौरसिया के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,52,658.00
6	काली चरन के मकान से सेमई के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,85,809.00
7	सहजराम के मकान से सुन्दर कमलाकर के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,92,248.00
8	श्यामू के मकान से सुन्दर के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	31,507.00
9	इद्रीस के मकान से कुआं तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	97,298.00
10	भगवानदीन के मकान से वासिद के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2,47,495.00
11	जमील के मकान से तव्वाब के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	54,550.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि
12	राम सुमिरू के मकान से हरीशंकर वैश्य के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3,31,008.00
13	गीता चौरसिया के मकान से राम चन्द्र वैश्य के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	55,170.00
14	रमाशंकर के मकान से सुन्नी बनिया के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	85,145.00
15	नाजिम के मकान से मर्सीद के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	75,206.00
16	हसमत के मकान से निजाम के मकान तक इण्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1,98,957.00
	योगः-	36,23,295.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-96 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री लालजी यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-96 का संलग्नक

जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक किये गये तालाबों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार का विवरण

भूमि जल प्रबन्धन के लिये जलाशयों/तालाबों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार हेतु विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों एवं जिला पंचायत सिद्धार्थनगर को वित्तीय वर्षवार निम्न विवरण के अनुसार लक्ष्य आवंटित किया गया है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2005-06 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 में आदर्श जलाशय एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत तालाबों/जलाशयों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति व अवशेष का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष 2006-07

क्र0सं0	वि0 खं0 का नाम	निर्धारित लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति (प्रगति में)	अवशेष
1	बांसी	70	52	0	18
2	मिठल	106	93	0	13
3	खेसरहा	84	69	0	15
4	जिला पंचायत	39	26	0	13
	योग	299	240	0	59

वर्ष 2007-08

1	बांसी	70	0	1	69
2	मिठल	106	0	1	105
3	खेसरहा	84	0	1	83
	योग	260	0	3	257
	महायोग	559	240	3	316

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-129 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-129 का संलग्नक

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था ग्रा0 अभि0 सेवा बलिया को अवमुक्त धनराशि/तिथि		योजना का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बेल्थरा-नगरा मार्ग पर ग्राम फरसाटार पुलिया से रामचन्द्र वर्मा के घर होते हुए पारस वर्मा के घर तक खड़न्जा कार्य।	2.00 लाख	1.00 लाख	3.11.2007	सांसद निधि
2	ग्राम पंचायत कुन्डेल नियामत अली में बलराम के घर से पश्चिम नहर तक साई बस्ती नहर तक से धर्मदेव गौड़ के दरवाजे तक सोलिंग कार्य।	2.50 लाख	1.25 लाख	15.11.2007	सांसद निधि
3	मधुबन-बेल्थरा मार्ग से गोपी चन्द के मकान होते हुए मुन्ना के घर तक सी0सी0 रोड, 150 मी0 मार्ग का निर्माण।	4.28 लाख	3.21 लाख	3.11.2007	विधायक निधि
4	बिठुवा से पी0 डब्लू0 डी0 रोड से राजवंशी के घर होते हुए मोहन वर्मा के घर तक सोलिंग का कार्य।	5.48 लाख	4.11 लाख	3.11.2007	विधायक निधि

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
5	बलुआ के बारी से शाहपुर अफगा प्रधान मंत्री सड़क तक मिट्टी कार्य।	7.83 लाख	वि0ख0 सीयर	कार्य पूर्ण	नरेगा
6	मठिया से खैराबाद तक मिट्टी कार्य।	3.74 लाख	-	-	नरेगा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-143 का संलग्नक

वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदत्त ऐसे महानुभावों की सूची जिनके ऊपर आपराधिक/अपहरण/लूट/हत्या आदि के मुकदमें दर्ज हैं :--

क्र0सं0	नाम व पदनाम	आपराधिक मुकदमें की स्थिति
1	श्री घूरा राम, मा0 विधायक	05 अभियोग पंजीकृत, विचाराधीन न्यायालय
2	श्री कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया, मा0 पूर्व विधायक	05 अभियोग पंजीकृत, विचाराधीन न्यायालय
3	श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू, मा0 विधायक	11 अभियोग पंजीकृत, विवेचनाधीन/विचाराधीन न्यायालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-186 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम विशुन आजाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के प्रश्नोत्तर की सूची

घोषणाओं का विवरण

1-जनपद गोण्डा के सड़क/सेतु एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये रु0 20.00 करोड़ दिया जायेगा। कार्यों का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

2-जनपद गोण्डा के सिविल लाइन गोण्डा, भभुआ-विकास खण्ड करनैलगंज एवं मोतीगंज विकास खण्ड मनकापुर में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना की जायेगी।

3-परसपुर, गोण्डा नगर एवं कटरा बाजार में जर्जर तारों/क्षतिग्रस्त पोलों का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जायेगा।

4-मनकापुर, मोतीगंज, बगदर फीडरों के पुराने जर्जर तार व खम्भों को बदला जायेगा।

5-नगर पंचायत मनकापुर में सड़क, नाली व गलियों में खड़न्जा तथा विद्युत कार्य कराया जायेगा।

6-नगर पंचायत मनकापुर में जल निकासी कार्य हेतु रु0 एक करोड़ दिया जायेगा।

7-विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज, विधान सभा क्षेत्र गोण्डा तथा विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार प्रत्येक में 200-200 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्वीकृत किये जायेंगे।

8-कोड़िया बाजार तथा बालपुर हजारी ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण कराया जायेगा।

9-परसपुर बाजार में पेयजल की व्यवस्था करायी जायेगी।

10-विधान सभा क्षेत्र गोण्डा/कटारा बजार के अन्तर्गत 2000-2000 तथा अन्य क्षेत्रों के लिये कुल 6000 निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।

11-तहसील मुख्यालय मनकापुर में महिला पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी।

12-मनकापुर तहसील परिसर के तहसील के नवीन भवन में स्थानान्तरण के पश्चात् रिक्त भवन में महिला अस्पताल की स्थापना की जायेगी।

13-पनवर नदी पर मनकापुर में चेक-डैम का निर्माण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जायेगा।

14-आवास विकास कालोनी गोण्डा में सड़क मरम्मत/नाली का कार्य कराया जायेगा।

15-विधान सभा मनकापुर के विकास खण्ड छपिया में भगवान श्री स्वामी नारायन का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर के दर्शनार्थ आने वाले पर्यटकों के ठहरने हेतु दो सूट के अतिथि गृह का निर्माण कराया जायेगा।